



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 मार्च 2026—चैत्र 6, शक 1948

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2026

क्र. GAD-6-0013-2025-GAD-एक-01-(GAD).—माननीय
न्यायाधिपति, श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश,
जबलपुर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के
प्रस्ताव क्रमांक डी-535 (दो-1-21-2023), दिनांक 13 फरवरी 2026
के अनुक्रम में, दिनांक 18 से 20 फरवरी 2026 तक, तीन दिन के
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश
के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 फरवरी 2026 के सार्वजनिक अवकाश
का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा
सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की
जाती है।

क्र. GAD-6-0020-2025-GAD-एक-01-(GAD).—माननीय
न्यायाधिपति, श्री अनिल वर्मा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ
ग्वालियर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के
प्रस्ताव क्रमांक डी-617 (दो-1-12-2022), दिनांक 17 फरवरी 2026
के अनुक्रम में, दिनांक 16 से 25 जनवरी 2026 तक, के आकस्मिक/
सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. का उपभोग करने के कारण
भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली
के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008-Estt(ए) दिनांक
23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दस दिवस के पूर्ण
वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, उच्च
न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की
धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश नगदीकरण का उपयोग किए जाने का यह छठवां
अवसर है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुमन रैकवार, अवर सचिव।

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2026

क्र. ई.1-1-17-0006-2025-B-दो-02(HOM).—राज्य शासन द्वारा श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, विशेष महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, जेल मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2026-2029 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 30 मार्च 2026 का एक दिवसीय आकस्मिक अवकाश एवं 27-29 मार्च, 2026 व दिनांक 31 मार्च 2026 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण पर पोर्टब्लेयर (अंडमान निकोबार) की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :—

- | | | |
|---------------------------|---|----------|
| 1. SHRI G. AKHETO SEMA | — | SELF |
| 2. SMT. A. PRISCILLA SEMA | — | WIFE |
| 3. SHRI TSAVITO SEMA | — | SON |
| 4. SHRI MIKATO SEMA | — | SON |
| 5. Ms. A. AYANA LIU SEMA | — | DAUGHTER |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, जेल मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2026

क्र. ई.1-1-17-0002-2025-B-दो-02(HOM).—राज्य शासन द्वारा श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, महानिदेशक/अध्यक्ष, म. प्र. पुलिस हाउसिंग एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल को खण्डवर्ष 2026-2029 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 30 मार्च 2026 व 2 अप्रैल 2026 का आकस्मिक अवकाश, दिनांक 1 अप्रैल 2026 का ऐच्छिक अवकाश एवं 27-29 मार्च, 2026 व दिनांक 31 मार्च 2026 तथा 3-5 अप्रैल, 2026 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण पर अलमोडा (उत्तराखण्ड) की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :—

- | | | |
|-------------------------|---|-------|
| 1. श्री अजय कुमार शर्मा | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती मोनिका शर्मा | — | पत्नी |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक/अध्यक्ष, म. प्र. पुलिस हाउसिंग एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. ई.1-1-10-0011-2025-B-दो-02(HOM).—राज्य शासन द्वारा श्रीमती किरणलता केरकट्टा, भापुसे उप पुलिस महानिरीक्षक (महिला सुरक्षा) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2026-2029 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 10 से 17 अप्रैल 2026 तक कुल आठ दिवस अर्जित अवकाश अवधि में भारत भ्रमण पर अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :—

- | | | |
|-----------------------------|---|--------|
| 1. श्रीमती किरणलता केरकट्टा | — | स्वयं |
| 2. श्री अमृत कुमार केरकट्टा | — | पति |
| 3. श्री रचित केरकट्टा | — | पुत्र |
| 4. सुश्री श्रेया केरकट्टा | — | पुत्री |

(2) श्रीमती किरणलता केरकट्टा, भापुसे की अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक (महिला सुरक्षा) पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, (महिला सुरक्षा) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती किरणलता केरकट्टा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक (महिला सुरक्षा) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती किरणलता केरकट्टा, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती किरणलता केरकट्टा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती किरणलता केरकट्टा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहती.

क्र. ई. एफ. 1-1-1-0162-2025-बी-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्री आदित्य सिंघारिया, परिवीक्षाधीन भापुसे अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सिहोरा, जिला-जबलपुर को स्वीकृतशुदा अवकाश अवधि दिनांक 9 से 27 मार्च 2026 तक कुल उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश तथा 7-8 मार्च, 2026 तथा 28-29 मार्च, 2026 के विज्ञप्त अवकाश में से दिनांक 19 से 24 मार्च 2026 तक कुल 06 दिवस अवधि में परिवार सहित मालदीप (एशिया) की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) श्री आदित्य सिंघारिया, परिवीक्षाधीन भापुसे की अवकाश अवधि में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सिहोरा, जिला-जबलपुर का चालू कार्य श्रीमती आकांक्षा उपाध्याय, उप पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आदित्य सिंघारिया, परिवीक्षाधीन भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सिहोरा, जिला-जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आदित्य सिंघारिया, परिवीक्षाधीन भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आदित्य सिंघारिया, परिवीक्षाधीन भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आदित्य सिंघारिया, परिवीक्षाधीन भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2026

क्र. 1-1-3-0022-2025-B-2-दो-(HOM).—राज्य शासन, द्वारा श्रीमती श्रद्धा तिवारी, भापुसे पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) नगरीय पुलिस भोपाल को संतान पालन करने हेतु दिनांक 9 से 26 मार्च 2026 तक

कुल अठारह दिवस का संतान पालन अवकाश (CCL) एवं 7-8 मार्च, 2026 एवं 27-29 मार्च, 2026 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्रीमती श्रद्धा तिवारी, भापुसे की अवकाश अवधि में पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) नगरीय पुलिस भोपाल का चालू कार्य श्री जितेन्द्र सिंह पवार, भापुसे पुलिस उपायुक्त (यातायात) नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती श्रद्धा तिवारी, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) नगरीय पुलिस भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती श्रद्धा तिवारी, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती श्रद्धा तिवारी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती श्रद्धा तिवारी, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं.

क्र. ई. 1-1-1-0064-2025-B-2-02(HOM).—राज्य शासन, द्वारा श्री नरेन्द्र रावत, भापुसे राज्यपाल के परिसहाय को खण्डवर्ष 2026-2029 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 2-3-2026 एवं 5-6 मार्च, 2026 का कुल तीन दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 28 फरवरी 2026 व 1 मार्च 2026 एवं 3-4 मार्च, 2026 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण पर भोपाल से जैसलमेर (राजस्थान) वाया दिल्ली की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है :—

- | | | |
|------------------------|---|----------|
| 1. SHRI NARENDRA RAWAT | — | SELF |
| 2. SMT. SWATI SINGH | — | WIFE |
| 3. Ms. HRIDA SINGH | — | DAUGHTER |
| 4. Ms. KRIDHA SINGH | — | DAUGHTER |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नरेन्द्र रावत, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न राज्यपाल के परिसहाय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री नरेन्द्र रावत, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नरेन्द्र रावत, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. ई. एफ 1-1-1- 0227-2025-बी-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे (1994) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, शिकायत एवं मानव अधिकार, सामुदायिक पुलिसिंग एवं सू. अ. पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 9 से 13 मार्च 2026 तक पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 7-8 मार्च 2026 तथा 14-15 मार्च 2026 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे की अवकाश अवधि में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, शिकायत एवं मानव अधिकार, सामुदायिक पुलिसिंग एवं सू. अ. पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, नारकोटिक्स/ एस.टी.एफ., पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, शिकायत एवं मानव अधिकार, सामुदायिक पुलिसिंग एवं सू. अ. पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. ई. एफ 1-1-1- 0314-2025-बी-2-02(HOM).—राज्य शासन द्वारा श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (प्रशिक्षण) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के विस्तार वर्ष-2025 (पूर्व खण्डवर्ष को आगामी खण्डवर्ष 2026-29 में केरीफावर्ड करते हुए) दिनांक 13 से 17 अप्रैल 2026 तक कुल पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 11-12 अप्रैल, 2026 तथा 18-20 अप्रैल, 2026 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में अकेले अपने गृह नगर बादा (उत्तरप्रदेश) की यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे की अवकाश अवधि में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (प्रशिक्षण) पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य श्री अनिल कुमार, भापुसे विशेष पुलिस महानिदेशक (महिला सुरक्षा/ कल्याण) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (प्रशिक्षण) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. ई. एफ 1-1-1- 0420-2025-बी-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री चंचल शेखर, भापुसे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, विसबल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को पुत्री के विवाह हेतु दिनांक 9 से 17 मार्च 2026 तक कुल नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं 7-8 मार्च, 2026 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री चंचल शेखर, भापुसे की अवकाश अवधि में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, विसबल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य श्री जयदीप प्रसाद, भापुसे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एस. सी. आर. बी. पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री चंचल शेखर, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, विसबल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री चंचल शेखर, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री चंचल शेखर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चंचल शेखर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. ई. 1-1-1-0460-2025-B-दो-02(HOM).—राज्य शासन द्वारा श्री अभिनव विश्वकर्मा, भापुसे पुलिस अधीक्षक, जिला कटनी को खण्डवर्ष 2022-25 के विस्तार वर्ष 2025 (पूर्व खण्डवर्ष को आगामी खण्डवर्ष 2026-29 में केरीफावर्ड करते हुए) दिनांक 9 से 13 मार्च 2026 तक कुल पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 7-8 मार्च 2026 तथा दिनांक 14 मार्च 2026 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में गृह नगर जबलपुर (मध्यप्रदेश) को परिवर्तित करते हुए भारत भ्रमण पर अंडमान (पोर्ट ब्लेयर) की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| 1. श्री अभिनव विश्वकर्मा | — | स्वयं |
| 2. डॉ. अनुजा सैनी | — | पत्नी |

(2) श्री अभिनय विश्वकर्मा, भापुसे की अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, जिला कटनी का चालू कार्य श्री संतोष डेहरिया, रापुसे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला कटनी द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अभिनय विश्वकर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, जिला कटनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अभिनय विश्वकर्मा, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अभिनय विश्वकर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिनय विश्वकर्मा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनू भलावी, अवर सचिव।

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2026

फा. क्र. 2222-2025-इक्कीस-ब-(दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री संदीप मिश्रा, नोटरी, तहसील देवेन्द्रनगर, जिला पन्ना के विरुद्ध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर स्वयं की पत्नी के नाम से EWS प्रमाण-पत्र बनाने तथा नोटरी कार्य करने के एवज में निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूलने एवं रसीद न देने/नोटरी कार्य में एक्सपायरी डेट की सील लगाये जाने का दोषी पाया है। जिसके फलस्वरूप नोटरी अधिनियम, 1952 (क्रमांक 53 सन् 1952) की धारा 10 के खण्ड (घ) सहपठित नोटरी नियम, 1952 के नियम, 13 के उपनियम (12) के खण्ड (ख) (1) के अंतर्गत उनका नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का प्रमाण-पत्र निरस्त करते हुए, स्थायी तौर से नोटरी का व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है।

फा. क्र. ई-1139757-2026-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, रजिस्ट्रार, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.), मध्य क्षेत्रीय पीठ, भोपाल के पद पर पदस्थ की प्रतिनियुक्ति अवधि में दो वर्ष अर्थात् दिनांक 28 फरवरी 2026 से 27 फरवरी 2028 तक की अभिवृद्धि करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुकेश कुमार, सचिव।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2026

क्रमांक-यूडीएच/3/0325/2025/18-5 :- प्रबंध संचालक, एम.पी.आई.डी.सी. भोपाल ने मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-23-क(1)(क) के अधीन ग्राम-माचल तहसील देपालपुर जिला इन्दौर स्थित भूमि खसरा क्रमांक-120/1, 120/2, 472/3 एवं 472/4 कुल रकबा 22.273 हेक्टेयर भूमि का प्रीथमपुर विकास योजना 2035 में आमोद-प्रमोद (हरित क्षेत्र), वन एवं आवासीय से औद्योगिक, वाणिज्यिक के अंतर्गत विशेषीकृत वाणिज्यिक उपयोग में उपांतरण चाहा गया है। आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश ने पत्र दिनांक 16/10/2025 द्वारा प्रस्तावित उपांतरण की अनुशंसा की गई है।

2/ कलेक्टर इन्दौर ने आदेश क्रमांक 85/न.अ./2021 दिनांक 04/02/2021 द्वारा ग्राम-माचल तहसील देपालपुर स्थित अन्य भूमियों के साथ-साथ खसरा क्रमांक 120/1 रकबा 5.058 हे० सर्वे क्रमांक-120/2 रकबा 9.120 हे० भूमि राजस्व अभिलेख में शासकीय चरनोई की नोईयत परिवर्तित कर वाणिज्यिक उद्योग एवं रोजगार विभाग को हस्तांतरित की गई है।

3/ कलेक्टर इन्दौर ने दिनांक 27/10/2023 को ग्राम-माचल स्थित खसरा क्रमांक 472/3 एवं 472/4 कुल रकबा 8.094 हे० सेवा भूमि की नोईयत परिवर्तित कर राजस्व अभिलेख में शासकीय मद में दर्ज की गई है। अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग देपालपुर ने खसरा क्रमांक 472/3 एवं 472/4 की भूमि एम.पी.आई.डी.सी. को आवंटन के पूर्व अनुविभागीय अधिकारी (वन विभाग) उप वनमण्डलाधिकारी, फारेस्ट इन्दौर से अभिमत चाहा गया था। उप वनमण्डलाधिकारी, उप वन मण्डल, इन्दौर का अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग देपालपुर को संबोधित पत्र दिनांक 20/11/2024 में सर्वे क्रमांक-472/3 एवं 472/4 की भूमि वन सीमा में होकर वन क्षेत्र में पाई जाने संबंधी प्रतिवेदन दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व ने पत्र दिनांक 16/04/2025 द्वारा उप वनमण्डलाधिकारी, वन मण्डल इन्दौर से पुनः स्थल जांच कर अभिमत चाहा गया। अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व द्वारा उप वनमण्डलाधिकारी, वन मण्डल इन्दौर को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया लेकिन वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में दिनांक 20/11/2024 के बाद कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। दिनांक 22/04/2025 को कलेक्टर इन्दौर की अध्यक्षता में आयोजित जिला नजूल निवर्तन समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण में वन विभाग के परिक्षेत्र अधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी के साथ संयुक्त स्थल निरीक्षण में सर्वे क्रमांक 472/3 एवं 472/4 की भूमि को वन विभाग के कक्ष क्रमांक-267 से लगी हुई पाई गई है। अतः कलेक्टर इन्दौर ने ग्राम-माचल स्थित खसरा क्रमांक 472/3 एवं 472/4 कुल रकबा 8.094 हे० भूमि दिनांक 02/05/2025 एवं 09/07/2025 को औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित की गई है।

4/ संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-18(1) के तहत पीथमपुर विकास योजना 2035 प्रारूप का प्रकाशन दिनांक 02/04/2021 को किया गया था। संचालनालय द्वारा पीथमपुर प्रारूप विकास योजना तैयार करते समय कलेक्टर इन्दौर द्वारा दिनांक 04/02/2021 को वाणिज्यिक उद्योग एवं रोजगार विभाग को खसरा क्रमांक 120/1 एवं सर्वे क्रमांक-120/2 रकबा की हस्तांतरित भूमि के आधार पर पीथमपुर विकास योजना प्रारूप मानचित्रों में भूमि उपयोग को अद्यतन नहीं करने के कारण औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित भूमियां त्रुटीवश वन भू-उपयोग में अंकित हुई है।

5/ संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा कलेक्टर इन्दौर द्वारा ग्राम-माचल स्थित खसरा क्रमांक 472/3 एवं 472/4 कुल रकबा 8.094 हे० सेवा भूमि की नोईयत परिवर्तित कर दिनांक 27/10/2023 को राजस्व अभिलेख में शासकीय मद में दर्ज करने के पश्चात उक्त भूमि को पीथमपुर विकास योजना प्रारूप मानचित्रों में अद्यतन नहीं किया गया है।

6/ अतः उपरोक्तानुसार प्रश्नाधीन भूमियां राजस्व अभिलेख में शासकीय होकर औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के नाम पर दर्ज होने से मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012) की धारा 23-“क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-3172/टीसी/27/इंदौर/उपां-क/नग्रानि/2025 भोपाल दिनांक 22/09/2025 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार पीथमपुर विकास योजना, 2035 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

अनुसूची

क्रं	ग्राम/ तहसील एवं जिला	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		विकास योजना में निर्दिष्ट भू उपयोग	उपांतरण पश्चात प्रस्तावित भू उपयोग
			कुल रकबा	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा		
1	ग्राम माचल तहसील देपालपुर जिला इंदौर (म0प्र0).	120 / 1	5.058	1.683	आमोद-प्रमोद (हरित) रकबा 0.003	विशेषीकृत वाणिज्यिक
					वन रकबा 1.68	आमोद-प्रमोद (हरित)
2		120 / 2	9.121	3.030	वन रकबा 3.030	आमोद-प्रमोद (हरित)
3		472 / 3	4.047	2.980	वन रकबा 2.980	आमोद-प्रमोद (हरित)
4		472 / 4	4.047	0.870	आमोद-प्रमोद (हरित) रकबा 0.520	विशेषीकृत वाणिज्यिक
					आवासीय रकबा 0.350	विशेषीकृत वाणिज्यिक
	कुल रकबा		22.273	8.563		

शर्त :-

- उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमियों का उपांतरण इस आधार पर किया जा रहा है कि राजस्व अभिलेख में उक्त भूमियां शासकीय होकर औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के नाम पर दर्ज है। अतः भविष्य में वन विभाग एवं राजस्व विभाग के मध्य सीमा विवाद होने की स्थिति में विभाग को इस उपांतरण सूचना को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में इंदौर-अहमदाबाद वर्तमान मार्ग स्थित है जिसकी पीथमपुर विकास योजना, 2035 के अनुसार प्रस्तावित चौड़ाई 75.00 मीटर है अतः मार्ग के मध्य से दोनों ओर 37.50 मीटर- 37.50 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
- प्रश्नाधीन भूमि के मध्य में से 11 के. व्ही.एल.टी. इलेक्ट्रिक लाईन गुजरती है। अतः म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 52 के अनुसार इलेक्ट्रिक लाईन से नियमानुसार न्यूनतम खुला क्षेत्र अथवा संबंधित विभाग के नियमानुसार जो भी अधिक हो खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा तथा इलेक्ट्रिक लाईनों के पास छोड़ी गई खुली भूमि में एवं उसके नीचे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

4. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी।
5. पर्यावरणीय एवं प्रदूषण के संबंध में संबंधित विभागों के निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
6. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 एवं पीथमपुर विकास योजना, 2035 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा।

उपरोक्त उपांतरण पीथमपुर विकास योजना, 2035 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद कुमार शुक्ला, उपसचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2026

शुद्धि-पत्र

क्र. 2068-आर-2195283-2024-तेरह.—राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक आर-2195283-2024-तेरह, दिनांक 27 फरवरी, 2026 के संबंध में निम्नलिखित शुद्धि-पत्र जारी करता है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की कंडिका 2 में उल्लेखित शब्दों “रीवा, सतना, मैहर, सिंगरौली एवं सीधी” के अनुसार ही कंडिका 4 में भी उल्लेखित शब्दों “रीवा एवं सतना जिले” के स्थान पर शब्दों “रीवा, सतना, मैहर, सिंगरौली एवं सीधी जिलों” पढ़ा जाए.

(2) अधिसूचना का शेष भाग यथावत् रहेगा.

CORRIGENDUM

No. 2068-R-2195283-2024-XIII.—The State Government hereby, issues the following Corrigendum in respect of this department's Notification No. R-2195283-2024-XIII, dated 27th February, 2026, namely :—

In accordance with the words “Rewa, Satna, Maihar, Singrauli and Sidhi Districts” mentioned in Para-2 of the said Notification, the words “Rewa and Satna Districts” mentioned in Para-4 shall be read as “Rewa, Satna, Maihar, Singrauli and Sidhi Districts”.

(2) Remaining part of the Notification shall remain same.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. गौड़, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2026

क्रमांक/PCCF/7/0660/2025-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - रतलाम

तहसील - पिपलोदा

वनमंडल - रतलाम

परिक्षेत्र - सैलाना

अ.क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	कंसेर	कंसेर	म.प्र. शासकीय	118/2	5.832	उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 6 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 6 से मुनारा क्रमांक 17 तक कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 17 से मुनारा क्रमांक 21 तक कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 21 से मुनारा क्रमांक 32 एवं मुनारा क्रमांक 1 तक कृत्रिम वन सीमा।
				118/3	16.250	
				118/4	27.650	
				योग	49.732	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार -

1. पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश क्रमांक **6-MPR002/2024-BHO** दिनांक **26/07/2025** में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम की स्वीकृत परियोजना; 1. कुआझागर तालाब परियोजना (20.512 हे.), एवं 2. माण्डलिया घाट तालाब परियोजना (15.000 हे.), एवं 3. रावटी नाला तालाब परियोजना (14.220 हे.) में प्रभावित 49.732 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 49.732 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि 49.732 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, रतलाम के आदेश क्रमांक आर.सी.एम.एस प्रकरण क्रमांक 0104/अ-20(3)2021-22 दिनांक 23/09/2022; प्रकरण क्रमांक 49/अ-20(3)2017-18 दिनांक 03/08/2018; एवं प्रकरण क्रमांक 54/अ-20(3)2017-18 दिनांक 03/08/2018 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार पिपलोदा जिला रतलाम के प्रतिवेदन दिनांक 26.12.2018 एवं 07.07.2023 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है -

1. व्यक्तिगत अधिकार - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2026

क्रमांक-PCCF-7-0660-2025-FLR-PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-PCCF-7-0660-2025-FLR-PCCF, दिनांक 23 मार्च 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal the 23rd March 2026

No./PCCF/7/0660/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by Section 29 of The Indian forest Act, 1927 (XVI of 1927), The State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act, as applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by The State Government from time to time.

SCHEDULE**District :-Ratlam****Forest Division :- Ratlam****Tehsil :- Piploda****Forest Range :- Sailana**

S.No.	Details of land included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Kansar	Kansar	M.P. Government	118/2	5.832	North -Artificial cut line, from Pillar No.1 to Pillar No. 6 of Protected Forest Block. East - Artificial cut line, from Pillar No. 6 to Pillar No. 17 of Protected Forest Block. South - Artificial cut line, from Pillar No. 17 to Pillar No. 21 of Protected Forest Block. West - Artificial cut line, from Pillar No. 21 to Pillar No. 32 and Pillar No. 1 of Protected Forest Block.
				118/3	16.250	
				118/4	27.650	
				Total	49.732	

(A) Reason for publication of Notification :

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India's order 6-MPR002/2024-BHO, dated 26.07.2025 and in lieu of 49.732 hectare of affected forest land diverted for non-forestry use, for the sanctioned projects, namely; 1. Kuajhagar Taalab project (20.512 ha), 2. Mandalia Ghaat Taalab project (15.00 ha), and 3. Raoti Naala Taalab project (14.220 ha); in favour of The Project Administrator, Executive Engineer, Water Resource Department, District Ratlam, M.P., the above specified non-forest land measuring 49.732 ha, transferred and

mutated in favour of The Forest Department, Government of Madhya Pradesh, vide Order No. 0104/A-20(3)2021-22 dated 23/09/2022 and No. 49/A-20(3)2017-18 dated 3/08/2018 and No. 54/A-20(3)2017-18 dated 3/08/2022, of The District Collector, Ratlam for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other reasons : Nil

(B) A certificate regarding recorded rights on the above land has been provided by the competent Revenue Officer, Tehsildar, Tehsil Piploda, District Ratlam, Madhya Pradesh vide orders dated 26-12-2018 and 07/07/2023 . Details are as follows:-

(1) Rights of Individual: -**Nil**

(2) Rights of Community: -**Nil**

Therefore, the land specified in the above schedule is hereby declared as a Protected Forest under Section 29 of The Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
Ankit Pandey, Officer on Special Duty.

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2026

क्रमांक/PCCF/7/0112/2026-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्र. 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है, कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनिकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अधिसूचना

जिला- छतरपुर
वन मंडल - छतरपुर

तहसील- बकस्वाहा
वन परिक्षेत्र - बकस्वाहा

क्र.	वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण			वनखण्ड की सीमायें
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1.	कसेरा 'ई'	कसेरा	शासकीय	13/1/1/2/1/2	19.000
					उत्तर:- संरक्षित वनखण्ड कसेरा के मुनारा क्रमांक 4 से नवीन मुनारा क्रमांक 2/1 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व:- संरक्षित वनखण्ड कसेरा की सीमा पर नवीन मुनारा क्रमांक 2/1 से संरक्षित वनखण्ड कसेरा 'ई' के मुनारा क्रमांक 2 तक कृत्रिम वनसीमा। दक्षिण:- संरक्षित वनखण्ड कसेरा 'ई' के मुनारा क्रमांक 2 से मुनारा क्रमांक 3 तक कृत्रिम वनसीमा। पश्चिम:- संरक्षित वनखण्ड कसेरा 'ई' के मुनारा क्रमांक 3 से संरक्षित वनखण्ड कसेरा के मुनारा क्रमांक 7 तक एवं संरक्षित वनखण्ड कसेरा के मुनारा क्रमांक 7 से होते हुए संरक्षित वनखण्ड कसेरा के मुनारा क्रमांक 4 तक कृत्रिम वन सीमा।
	कुल योग				19.000

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के आदेश दिनांक 10.10.2025 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मेसर्स खजुराहो मिनरल्स प्रायवेट लिमिटेड, छतरपुर की स्वीकृत परियोजना जिला टीकमगढ़ के ग्राम माचीगढ़ में ओपन कास्ट माईनिंग खनिज पायरोफिलाईट/डायस्पोर प्रोजेक्ट में प्रभावित वन भूमि के एवज में जिला-छतरपुर में प्राप्त कुल 19.000 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णन अनुसार 19.000 हेक्टेयर भूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, छतरपुर के आदेश क्रमांक/0123/अ-20(3)/2025-26 दिनांक 26.12.2025 द्वारा हस्तांतरित किये जाने के कारण।
- अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी - उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार, भरत पाण्डेय, तहसील बकस्याहा, जिला-छतरपुर, मध्यप्रदेश द्वारा अभिलेखित अधिकारों संबंधी प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है, विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक
2. सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत एतद् द्वारा संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2026

क्रमांक-PCCF-7-0112-2026-FLR-PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-PCCF-7-0112-2026-FLR-PCCF, दिनांक 23 मार्च 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal the 23rd March 2026

No./PCCF/7/0112/2026-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by the Section 29 of The Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), The State Government hereby declares the provisions of chapter IV of the said Act, as applicable on the land specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by The State Government from time to time.

SCHEDULE

District - Chhatarpur
Forest Division - Chhatarpur

Tehsil - Baxwaha
Forest Range - Baxwaha

No.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of village	Present head of No land	Khasra No.	Area (ha.)	
1.	Kasera 'E'	Kasera	Govt.	13/1/1/2/1/2	19.000	North: Artificial cut line from Pillar No. 4 of Protected Forest Block Kasera to New Pillar No. 2/1 on the boundary of Protected Forest Block Kasera. East: Artificial cut line from New Pillar No. 2/1 on the boundary of Protected Forest Block Kasera to Pillar No. 2 of Protected Forest Block Kasera "E". South: Artificial cut line from Pillar No. 2 to Pillar No. 3 of Protected Forest Block Kasera "E". West: Artificial cut line from Pillar No. 3 of Protected Forest Block Kasera "E" to Pillar No. 7 of Protected Forest Block Kasera; and further upto Pillar No. 4 of Protected Forest Block Kasera.
				Total	19.000	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of environment, Forest and Climate change, Government of India's order dated 10.10.2025 and in lieu of **19.000** ha of affected forest land diverted for non-forestry use, for the sanctioned project, **Open-cast Mining of Pyrophilite/Diaspore in Machigarh village of Tikamgarh district** in favour of **M/s. Khajuraho Minerals Pvt. Ltd. Chhatarpur**, the above specified non-forest land measuring **19.000** ha, transferred and mutated in favour of The Forest Department, Government of Madhya Pradesh, vide order No./**0123/अ-20(3)/2025-26** dated 26.12.2025 of The Collector, Chhatarpur for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other reasons - Nil

(B) A certificate regarding recorded rights on the above land has been provided by the competent Revenue Officer, Tehsildar, Bharat Pandey, Tehsil Bakswaha, District Chhatarpur, Madhya Pradesh. Details are as follows:-

1. Individual Rights – Nil
2. Community Rights - Nil

Therefore, the land specified in the schedule is hereby declared as a Protected Forest under Section 29 of The Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
Ankit Pandey, Officer on Special Duty.

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2026

क्रमांक/PCCF/7/0544/2025-FLR-PCCF-Part(2) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक-16, सन् 1927), की धारा-29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि, इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनिकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - सीधी

वनमण्डल - संजय टाड़गर रिजर्व, सीधी

तहसील - कुसमी

वन परिक्षेत्र - पोड़ी

क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					सीमाओं का विवरण
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	वनखण्ड में लिया गया राजस्व रकबा (हे. में)	
1	2	3	4	5	6	7
1	पनसुआडोल	कुन्दौर (पनसुआडोल टोला)	शासकीय	1356	5.560	उत्तर:- संरक्षित वनखण्ड पनसुआडोल के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 2 तक वन सीमा एवं आरक्षित वनखण्ड मड़वास।
2				1360	3.810	
3				1362	5.940	
4			शासकीय	1357	1.200	पूर्व:- संरक्षित वनखण्ड पनसुआडोल के मुनारा क्रमांक 2 से मुनारा क्रमांक 5 तक वन सीमा एवं आरक्षित वनखण्ड मड़वास।
5				1358	0.590	
6				1359	0.140	
7				1361	1.810	
(वनखण्ड का क्षेत्रफल) योग-				07	19.050	दक्षिण:- संरक्षित वनखण्ड पनसुआडोल के मुनारा क्रमांक 5 से मुनारा क्रमांक 6 तक वन सीमा एवं आरक्षित वनखण्ड मड़वास। पश्चिम:- संरक्षित वनखण्ड पनसुआडोल के मुनारा क्रमांक 6 से मुनारा क्रमांक 1 तक वन सीमा एवं आरक्षित वनखण्ड मड़वास।

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा निर्देश तथा मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/एफ-3-8/07/10-2/2129 दिनांक 30/10/2008 में अधिरोपित शर्त के अनुरूप (राजस्व विभाग) कलेक्टर, सीधी द्वारा प्रकरण क्रमांक 0005/अ-74/2017-18, दिनांक 29.09.2018 में राजस्व ग्राम कुन्दौर (पनसुआडोल टोला) को विस्थापित किये जाने हेतु मुआवजा अवार्ड पारित किया गया था। संजय टाड़गर रिजर्व, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के अन्तर्गत राजस्व ग्राम कुन्दौर (पनसुआडोल टोला) के विस्थापन की स्वीकृत परियोजना में प्रभावित 19.050 हेक्टेयर भूमि, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में तहसीलदार, तहसील कुसमी के प्रकरण क्रमांक 0003/अ-74/2024-25 में पारित आदेश दिनांक 31.05.2024 से हस्तांतरित एवं नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी नारायण सिंह, तहसीलदार, तहसील कुसमी के प्रतिवेदन दिनांक 16.09.2025 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक
2. सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त अनुसूची अनुसार भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2026

क्रमांक-PCCF-7-0544-2025-FLR-PCCF-Part(2).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-PCCF-7-0544-2025-FLR-PCCF-Part(2), दिनांक 23 मार्च 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal the 23rd March 2026

No./PCCF/7/0544/2025-FLR-PCCF-Part(2) :: In exercise of the powers conferred by Section 29 of The Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), The State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act, as applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by The State Government from time to time.

SCHEDULE

District- Sidhi

Tehsil - Kusmi

Forest Division -Sanjay Tiger Reserve, Sidhi

Forest Range - Pondi

S.N.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Revenue area taken in Forest Block in (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pansuadol	Kundaur (Pansuadol Tola)	Government	1356	5.560	North: Forest boundary from pillar no. 1 to pillar no. 2 of Protected Forest Block Pansuadol and Reserved Forest Block Madwas. East: Forest boundary from pillar number 2 to pillar no. 5 of Protected Forest Block Pansuadol and Reserved Forest Block Madwas. South: Forest boundary from pillar number 5 to pillar no. 6 of Protected Forest Block Pansuadol and Reserved Forest Block Madwas. West: Forest boundary from pillar number 6 to pillar no. 1 of Protected Forest Block Pansuadol and Reserved Forest Block Madwas.
2				1360	3.810	
3				1362	5.940	
4			Government	1357	1.200	
5				1358	0.590	
6				1359	0.140	
7				1361	1.810	
(Area of Forest Block) Total				7	19.050	

(A) Reason for publication of Notification:-

1. In accordance with the guidelines issued by The Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India, New Delhi and the conditions imposed vide memorandum No./F-3-8/07/10-2/2129, dated 30.10.2008 of The Forest Department, Government of Madhya Pradesh, Bhopal; the award of compensation for voluntary relocation of Kundaaur (Pansuadol Tola) village from inside The Sanjay Tiger Reserve, Sidhi was passed by The Collector, District Sidhi in case 0005/A-74/2017-18, dated 29.09.2018. Consequently, after the vacation of the land, as a result of Kundaaur (Pansuadol Tola) village relocation, the 19.050 hectare non-forest land mentioned in the schedule above has been transferred/mutated in favor of The Forest Department, Government of Madhya Pradesh, vide order in case 0003/A-74/2024-25, dated 31.05.2024, of The Tehsildar, Tehsil Kusmi.

2. Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasra-wise details of the rights recorded on the above land as per report dated 16.09.2025 of the competent revenue officer; Narayan Singh, Tehsildar, Tehsil Kusmi are as follows: -

- 1- Individual Rights- Nil
- 2- Community Rights- Nil

Therefore, the land mentioned in the schedule above is hereby declared as a Protected Forest, under Section 29 of The Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
Ankit Pandey, Officer on Special Duty.

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2026

क्रमांक/PCCF/7/0544/2025-FLR-PCCF-Part(2) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक-16, सन् 1927), की धारा-29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि, इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनिकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - सीधी

वनमंडल - संजय टाड़गर रिजर्व, सीधी

तहसील - कुसमी

वन परिक्षेत्र - मोहन

अ. वनखण्ड की भूमि का विवरण						सीमाओं का विवरण
क्र.	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्र.	राजस्व रकबा है. मे	
1	2	3	4	5	6	7
1	करचा	करचा (कुरचू टोला)	शासकीय	90	4.370	उत्तर :- आरक्षित वनखण्ड रुन्दा भदौरा के मुनारा क्रमांक 500 से मुनारा क्रमांक 494 तक वन सीमा।
2				96	0.160	
3				97	0.240	
4				98	0.700	
5				99	0.200	पूर्व :- आरक्षित वनखण्ड रुन्दा भदौरा के मुनारा क्रमांक 494 से मुनारा क्रमांक 483 तक वन सीमा।
6				100/1	2.020	
7				100/2	2.030	
8				101	2.150	
9				102	4.960	दक्षिण :- आरक्षित वनखण्ड रुन्दा भदौरा के मुनारा क्रमांक 483 से मुनारा क्रमांक 511 को जोड़ने वाली कृत्रिम रेखा कट लाईन एवं छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा।
10				105	1.000	
11				123	0.770	
12				125/1	0.150	
13				125/2	0.600	पश्चिम :- आरक्षित वनखण्ड रुन्दा भदौरा के मुनारा क्रमांक 511 से मुनारा क्रमांक 500 तक वन सीमा।
14				126	0.810	
15				128	0.460	
16				132	0.510	
17				134	0.820	
18				136	0.570	
19				137	0.440	
20				138	0.930	
21				85	1.670	
22				86	1.300	
23				87	0.250	
24				88	1.220	
25				89	1.450	
26				91	0.450	
27				92	0.170	
28				93	0.600	
29				94	0.630	
30				95	0.050	

31			103	1.150
32			104	1.530
33			106	1.280
34			107	0.780
35			108	2.130
36			109	0.190
37			110	0.380
38			111	0.020
39			112	0.620
40			113	0.020
41			114	1.730
42			115	5.420
43			116	0.340
44			117	0.260
45			118	0.350
46			119	0.300
47			120	0.630
48			121	2.120
49			122	0.600
50			124	0.160
51			127	0.170
52			129	0.610
53			130	0.300
54			131	0.270
55			133	0.110
56			135	0.720
57			139	0.700
58			140	0.290
59			140/440	0.720
(वनखण्ड का क्षेत्रफल) योग			59	55.580

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा निर्देश तथा मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/एफ-3-8/07/10-2/2129 दिनांक 30/10/2008 में अधिरोपित शर्त के अनुरूप (राजस्व विभाग) कलेक्टर, सीधी द्वारा प्रकरण क्रमांक 711/अ-74/2016-17, में पारित आदेश दिनांक 29/12/2016 से राजस्व ग्राम करचा को विस्थापित किये जाने हेतु मुआवजा अवार्ड पारित किया गया था। संजय टाड़गर रिजर्व, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के अन्तर्गत राजस्व ग्राम करचा के विस्थापन की स्वीकृत परियोजना में प्रभावित 55.580 हेक्टेयर मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में तहसीदार, तहसील कुसमी के प्रकरण क्रमांक 0002/अ-74/2024-25 में पारित आदेश दिनांक 31/05/2024 से हस्तांतरित एवं नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी नारायण सिंह, तहसीदार, तहसील कुसमी के प्रतिवेदन दिनांक 17.09.2025 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक
2. सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2026

क्रमांक-PCCF-7-0544-2025-FLR-PCCF-Part(2).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-PCCF-7-0544-2025-FLR-PCCF-Part(2), दिनांक 23 मार्च 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal the 23rd March 2026

No./PCCF/7/0544/2025-FLR-PCCF-Part(2) :: In exercise of the powers conferred by Section 29 of The Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), The State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act, as applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by The State Government from time to time.

SCHEDULE

District- Sidhi

Forest Division - Sanjay Tiger Reserve, Sidhi

Tehsil - Kusmi

Forest Range - Mohan

S.N.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Revenue Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Karcha	Karcha (Kurchu Tola)	Government	90	4.370	North: The forest boundary from boundary pillar No. 500 to boundary pillar No. 494 of Reserved Forest Block Runda Bhadaura.
2				96	0.160	
3				97	0.240	
4				98	0.700	
5				99	0.200	East: The forest boundary from boundary pillar No. 494 to boundary pillar No. 483 of Reserved Forest Block Runda Bhadaura.
6				100/1	2.020	
7				100/2	2.030	
8				101	2.150	
9				102	4.960	South: The artificial straight line (cut line) connecting boundary pillar No. 483 to boundary pillar No. 511, and the boundary with the State of Chhattisgarh.
10				105	1.000	
11				123	0.770	
12				125/1	0.150	
13				125/2	0.600	West: The forest boundary from boundary pillar No. 511 to boundary pillar No. 500 of Reserved Forest Block Runda Bhadaura.
14				126	0.810	
15				128	0.460	
16				132	0.510	
17				134	0.820	
18				136	0.570	
19				137	0.440	
20				138	0.930	
21			Government	85	1.670	

22			86	1.300	
23			87	0.250	
24			88	1.220	
25			89	1.450	
26			91	0.450	
27			92	0.170	
28			93	0.600	
29			94	0.630	
30			95	0.050	
31			103	1.150	
32			104	1.530	
33			106	1.280	
34			107	0.780	
35			108	2.130	
36			109	0.190	
37			110	0.380	
38			111	0.020	
39			112	0.620	
40			113	0.020	
41			114	1.730	
42			115	5.420	
43			116	0.340	
44			117	0.260	
45			118	0.350	
46			119	0.300	
47			120	0.630	
48			121	2.120	
49			122	0.600	
50			124	0.160	
51			127	0.170	
52			129	0.610	
53			130	0.300	
54			131	0.270	
55			133	0.110	
56			135	0.720	
57			139	0.700	
58			140	0.290	
59			140/440	0.720	
(Area of Forest Block) Total			59	55.580	

(A) Reason for publication of Notification:-

1. In accordance with the guidelines issued by The Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India, New Delhi and the conditions imposed vide memorandum No./F-3-8/07/10-2/2129, dated 30.10.2008 of The Forest Department, Government of Madhya Pradesh, Bhopal; the award of compensation for voluntary relocation of Karcha village from inside The Sanjay Tiger Reserve, Sidhi was passed by The Collector, District Sidhi in case 711/A-74/2016-17, dated 29.12.2016. Consequently, after the vacation of the land, as a result of Karcha village relocation, the non-forest land mentioned in the schedule above has been transferred/mutated in favor of The Forest Department, Government of Madhya Pradesh, in case 0002/A-74/2024-25, vide order dated 31.05.2024, of The Tehsildar, Tehsil Kusmi.

2. Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasra-wise details of the rights recorded on the above land as per report dated 17.09.2025 of the competent revenue officer; Narayan Singh, Tehsildar, Tehsil Kusmi are as follows: -

- 1- Individual Rights- Nil
- 2- Community Rights- Nil

Therefore, the land mentioned in the above schedule, is hereby, declared as a Protected Forest, under Section 29 of The Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

Ankit Pandey, Officer on Special Duty.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

रीवा, दिनांक 11 मार्च 2026

पत्र क्र.-3100-भू-अर्जन-2026.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक/लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक/लोक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	पुरवा	11.406	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.).	रीवा सेमरिया रोड (S.H.-9) बसामन मामा से जदुआ, ककरेड़ी, मैनहा, जरमोड़ा, कुम्हरा, बरा, भमरा सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.-3091-भू-अर्जन-2026.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक/लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक/लोक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	जोगिनहाई	0.381	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.).	रीवा सेमरिया रोड (S.H.-9) बसामन मामा से जदुआ, ककरेड़ी, मैनहा, जरमोड़ा, कुम्हरा, बरा, भमरा सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.-3094-भू-अर्जन-2026.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक/लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक/लोक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	बम्हनी अजमेर	4.708	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.).	रीवा सेमरिया रोड (S.H.-9) बसामन मामा से जदुआ, ककरेड़ी, मैनाहा, जरमोड़ा, कुम्हरा, बरा, भमरा सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.-3097-भू-अर्जन-2026.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक/लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक/लोक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	जदुआ	0.680	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.).	रीवा सेमरिया रोड (S.H.-9) बसामन मामा से जदुआ, ककरेड़ी, मैनाहा, जरमोड़ा, कुम्हरा, बरा, भमरा सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.-3103-भू-अर्जन-2026.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक/लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक/लोक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	बम्हनी गड़ीहा	4.919	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्र. 1, जिला रीवा (म.प्र.).	रीवा सेमरिया रोड (S.H.-9) बसामन मामा से जदुआ, ककरेड़ी, मैनहा, जरमोड़ा, कुम्हरा, बरा, भमरा सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 26 फरवरी 2026

[देखें धारा 7(6) एवं 8(3)]

क्र.-0005-अ-82-25-26-भू-अर्जन-26-1941.-कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग, सागर के प्रस्ताव अनुसार सागर जिले के बीना-कटनी रेलवे सेक्शन 996-4-5 एवं खुरई-खिमलासा मार्ग में समपार क्रमांक-6 के एवज में आर.ओ.बी. के निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा खुरई पटवारी हल्का नंबर 25 तहसील खुरई, जिला सागर की भूमि कुल रकबा 0.390 हे. का अर्जन करना चाहती है. समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन कराये जाने हेतु स्वतंत्र बहु-शाखीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था जिसके द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के मूल्यांकन उपरांत प्रस्तुत सिफारिशें (रिपोर्ट) अधिनियम की धारा 7(6) के तहत इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है.

अधिनियम की धारा 8(3) के तहत समुचित सरकार का यह विनिश्चय भी प्रकाशित किया जाता है कि प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं विशेष समूह द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट के परीक्षण उपरांत यह स्पष्ट है कि अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से न्यूनतम विस्थापन, अवसंरचना, पारिस्थितिकी में न्यूनतम छेड़-छाड़ और प्रभावित व्यष्टियों पर न्यूनतम प्रतिकूल समाघात सुनिश्चित होता है.

संदीप जी.आर., कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 19 फरवरी 2026

प्रकरण क्रमांक 0005-अ-82-वर्ष 2023-24.-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत अमानगंज/गुनौर मार्ग के कि.मी. 5/10 से तुन्ना मेंहदवा मार्ग वाया मढिया टौराह पुरवा मार्ग का निर्माण कार्य हेतु ग्राम पटेलपुरा, तहसील अमानगंज, अनुभाग गुनौर स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 26 जुलाई 2024 से एक वर्ष की अवधि के भीतर विभाग के प्रतिवेदनानुसार स्टाफ की कमी एवं उक्त मार्ग निर्माण हेतु तैयार की गई आई.डी. में आवंटन न होने के कारण अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः सार्वजनिक हित/शासन हित को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 25(2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	पटेलपुरा	निजी भूमि 0.2252 हे. एवं शास. भूमि 0.0000 हे. इस प्रकार कुल-0.2252 हे.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग, पन्ना.	अमानगंज-गुनौर मार्ग के कि.मी. 5/10 से तुन्ना मेंहदवा मार्ग वाया मढिया टौराह पुरवा मार्ग का निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग, पन्ना में किया जा सकता है.

प्रकरण क्रमांक 0006-अ-82-वर्ष 2023-24.-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत महुआखेड़ा से सलेहा पर्व मोहन्दा मार्ग वाया छपरवारा व्यौहारी इटवां लमकुश मार्ग (लंबाई 10.40 कि.मी.) मार्ग निर्माण कार्य हेतु ग्राम व्यौहारी, तहसील व अनुभाग गुनौर स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 26 जुलाई 2024 से एक वर्ष की अवधि के भीतर विभाग के प्रतिवेदनानुसार स्टाफ की कमी एवं उक्त मार्ग निर्माण हेतु तैयार की गई आई.डी. में आवंटन न होने के कारण अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः सार्वजनिक हित/शासन हित को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 25(2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	व्यौहारी	निजी भूमि 0.040 हे. एवं शास. भूमि 0.0000 हे. इस प्रकार कुल-0.040 हे.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग, पन्ना.	महुआखेड़ा से सलेहा पर्व मोहन्दा मार्ग वाया छपरवारा व्यौहारी इटवां लमकुश मार्ग (लंबाई 10.40 कि.मी.) मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग, पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऊषा परमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 942-भू-अर्जन-2026-रा.प्र.क्र.-14-अ-82-2025-26

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2026

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में जिला- भोपाल, तहसील- कोलार के ग्राम पिपलिया बेरखेड़ी की निजी भूमि के भू-अधिग्रहण हेतु कालम (6) में वर्णित भूमि, जिसका खसरा क्रमांक वार का विवरण, अनुसूची (2) के खाने (1) से (7) में वर्णित है, अनुसूची (1) के कालम (8) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः **भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।** राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य भोपाल शहर में पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मार्ग के मय पेव्ड शोल्डर निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाज्यात अध्ययन किया गया, सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट का मूल्यांकन, भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, जिसमें विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना एक बृहद लोक प्रयोजन की परियोजना है, जिसका निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र में सुलभ एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है, अतः परियोजना से संभावित फायदे सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है। परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापन होने की संभावना नहीं होने से अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

:- अनुसूची (1) :-

क्र. सं.	जिला	तहसील	ग्राम	कुल रकबा (हेक्टे.में)	भू. अर्जन का रकबा (हेक्टे.में)	धारा . 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	भोपाल	कोलार	पिपलिया बेरखेड़ी	6.1400 हे.	1.9847 हे.	संभागीय प्रबंधक संभाग भोपाल म.प्र. सडक विकास निगम,भोपाल	पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्ड शोल्डर मार्ग निर्माण कार्य (लंबाई 35.61 कि.मी.)

:- अनुसूची (2) :-

ग्राम का नाम **पिपलिया बेरखेड़ी** , तहसील- कोलार, जिला - भोपाल

क्र. सं.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टे. में)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे.में)	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06	07
1	प्रहलाद साहू पिता परसराम साहू (526/12600), मेसर्स रचना बिल्डर्स एंड डेवेलपर्स संचालक कैलाश शर्मा पुत्र फतेह चंद शर्मा (11110/12600), मेसर्स रचना बिल्डर्स एंड डेवेलपर्स संचालक कैलाश शर्मा पुत्र फतेह चंद शर्मा (11110/12600), मेसर्स	154/1	1.2600	0.7983	निजी	सिंचित

	रचना बिल्डर्स एंड डेवेलपर्स संचालक कैलाश शर्मा पुत्र फतेह चंद शर्मा (11110/12600), मेसर्स रचना बिल्डर्स एंड डेवेलपर्स संचालक कैलाश शर्मा पुत्र फतेह चंद शर्मा (11110/12600), संध्या निमजे पत्नी अर्जुन निमजे (408/12600), धर्मेन्द्र नाथ पुत्र सुआ लाल नाथ (278/12600), राजेन्द्र पवार पुत्र रमेश पवार (278/12600)					
2	नमीचन्द पिता परसराम	154/2	1.2500		निजी	सिंचित
3	प्रहलाद साहू पिता परसराम साहू (550/6100), मेसर्स रचना बिल्डर्स एंड डेवेलपर्स संचालक कैलाश शर्मा पुत्र फतेह चंद शर्मा (5550/6100), मेसर्स रचना बिल्डर्स एंड डेवेलपर्स संचालक कैलाश शर्मा पुत्र फतेह चंद शर्मा (5550/6100), मेसर्स रचना बिल्डर्स एंड डेवेलपर्स संचालक कैलाश शर्मा पुत्र फतेह चंद शर्मा (5550/6100), मेसर्स रचना बिल्डर्स एंड डेवेलपर्स संचालक कैलाश शर्मा पुत्र फतेह चंद शर्मा (5550/6100), मेसर्स रचना बिल्डर्स एंड डेवेलपर्स संचालक कैलाश शर्मा पुत्र फतेह चंद शर्मा (5550/6100)	154/3	0.6100		निजी	सिंचित
4	अमित द्विवेदी पुत्र प्रेमशंकर द्विवेदी, बबिता द्विवेदी पत्नी अभय द्विवेदी, सारिका राम द्विवेदी पत्नी राम द्विवेदी (928/10000), अमिला पुत्र अहेश प्रकाश श्रीवास्तव (80/10000), अजय अग्रवाल पिता श्री राधा कृष्ण, श्री बांदा बिहारी डिप्लपर्स द्वारा पार्टनर अजय पुत्र राधाकृष्ण अग्रवाल (5979/10000), लवलेश टेहलणी पुत्र सुरेश टहलानी (61/10000), श्रीमती मंजू पत्नी अशोक कुमार मिश्रा (1272/10000), गोपाल प्रसाद पुत्र विश्राम सिंह सिलावट (80/10000), श्रीमती उमा पत्नी महेन्द्र कुमार रायकवार (1600/10000)	151/1	1.0000	1.1864	निजी	आवासीय
5	अजय अग्रवाल पिता श्री राधाकृष्ण श्रीबांकेविहारी डेवलपर्स द्वारा पार्टनर अजय पुत्र राधाकृष्ण अग्रवाल (2463/20200), गिरीश कुमार पुत्र रावराजीव नंदन प्रसाद, श्रीमती मंजुला पत्नी गिरीश कुमार विनीत पिता गिरीश श्रीवास्तव (809/20200), श्रीमती मंजुला पत्नी गिरीश कुमार विनीत पिता गिरीश श्रीवास्तव (8090/20200),), गिरीश कुमार पुत्र रावराजीव नंदन प्रसाद, श्रीमती मंजुला पत्नी गिरीश कुमार विनीत पिता गिरीश श्रीवास्तव (8090/20200) श्रीमती शर्मिला पत्नी दीपक चौरसे (600/20200), शाहनवाज़ खान पुत्र फैय्याज़ खान, सबा खान पत्नी शाहनवाज़ खान (148/20200)	151/2	2.0200		निजी	आवासीय
कुल योग			6.1400	1.9847		

अधिनियम की धारा-15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील कोलार जिला भोपाल के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो तो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील कोलार जिला भोपाल कार्यालय में देखा जा सकता है।

नोट :- उपरोक्त भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि संभावित है।

क्र. 944-भू-अर्जन-2026-रा.प्र.क्र.-19-अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में जिला- भोपाल, तहसील- कोलार के ग्राम कालापानी की निजी भूमि के भू-अधिग्रहण हेतु कालम (6) में वर्णित भूमि, जिसका खसरा क्रमांक वार का विवरण, अनुसूची (2) के खाने (1) से (7) में वर्णित है, अनुसूची (1) के कालम (8) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य भोपाल शहर में पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मार्ग के मध्य पेक्ड शोल्डर निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात अध्ययन किया गया, सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट का मूल्यांकन, भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, जिसमें विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना एक बृहद लोक प्रयोजन की परियोजना है, जिसका निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र में सुलभ एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है, अतः परियोजना से संभावित फायदे सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है। परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापन होने की संभावना नहीं होने से अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

- अनुसूची (1) :-

क्र. सं.	जिला	तहसील	ग्राम	कुल रकबा (हेक्टे.में)	भू. अर्जन का रकबा (हेक्टे.में)	धारा . 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	भोपाल	कोलार	कालापानी	26.4500 हे.	11.4812 हे.	संभागीय प्रबंधक संभाग भोपाल म.प्र. सडक विकास निगम, भोपाल	पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मध्य पेक्ड शोल्डर मार्ग निर्माण कार्य (लंबाई 35.61 कि.मी.)

- अनुसूची (2) :-

ग्राम का नाम कालापानी, तहसील- कोलार, जिला - भोपाल

क्र. सं.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टे.में)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे.में)	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06	07
1	कमल सिंह पिता हरीप्रसाद 1/3, विमल सिंह पिता हरीप्रसाद 1/3, अनारबाई पिता हरीप्रसाद 1/3	225	2.0200	0.5764	निजी	असिंचित
2	मेसर्स मिलकी वे डेयरी प्रोडक्स अग्रीकल्चर फार्म्स द्वारा भागीदार डा सुबोधकुमार आ श्यामलाल अनुराधा पुत्री ओमप्रकाश आर्य रौली जैन पुत्री डा सुबोध कुमार नीति पुत्री हरीओम गुप्ता	231	2.0200	0.0757	निजी	असिंचित

3	जगदीश पुत्र सूरत प्रसाद प्रजापति	243	0.8500	0.6141	निजी	असिंचित
4	जगदीश पुत्र सूरत प्रसाद प्रजापति	244	0.2100	0.0359	निजी	असिंचित
5	श्रीमती कुलसुम बी पत्नी मोहम्मद रफीक	251/2	1.0500	0.0462	निजी	सिंचित
6	रफीक खान पुत्र अब्दुल रहमान खॉ	250/2	0.2400	0.1769	निजी	सिंचित
7	लीलाधर डोंगरे पुत्र रामराव डोंगरे (84/5500), मेसर्स कल्पतरु वेंचर्स श्री अब्दुल्ला हुसैन आ सैयद सरवर हुसैन, रवि मालवीय आ अशोक मालवीय एवं मोहम्मद मसूद, जावेद कुरैशी आ अब्दुल सलाम (5416/5500)	250/1	0.5500	0.4943	निजी	आवासीय
8	गोविन्द सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह (84/7200), शालिनी जाट पत्नी चन्द्रशेखर आजाद सिंह (84/7200), शालिनी जाट पत्नी चन्द्रशेखर आजाद सिंह (84/7200), सोनम कलिय्या पत्नी विकास कलिय्या (84/7200), सतेंद्र मिश्रा पुत्र हरी बाबू मिश्रा (74/7200), निधि मिश्रा पत्नी सत्येन्द्र मिश्रा (74/7200), पूजा गुप्ता पुत्र मयंक गुप्ता (250/7200), पल्लवी राजपूत पत्नी संजय राजपूत (167/7200), गायत्री गुप्ता पत्नी सुरेश गुप्ता (418/7200), सौरभ गुप्ता पुत्र रामेश्वर दयाल गुप्ता आकांक्षा गुप्ता पत्नी सौरभ गुप्ता (177/7200), मेसर्स कल्पतरु वेंचर्स श्री अब्दुल्ला हुसैन आसैयद सरवर हुसैन, रवि मालवीय आ अशोक मालवीय एवं मो मसूद जावेद कुरैशी आ अब्दुल सलाम (5611/7200), मेसर्स कल्पतरु वेंचर्स श्री अब्दुल्ला हुसैन आसैयद सरवर हुसैन, रवि मालवीय आ अशोक मालवीय एवं मो मसूद जावेद कुरैशी आ अब्दुल सलाम (5611/7200), राशि जायसवाल पुत्री प्रवीण जायसवाल (93/7200)	247/1	0.7200	0.6994	निजी	आवासीय
9	जीतेन्द्र पुत्र अजाबराव (74/4000), जीतेन्द्र पुत्र अजाबराव (74/4000), शालिनी जाट पत्नी श्री चन्द्रशेखर आजाद सिंह (74/4000), शालिनी जाट पत्नी श्री चन्द्र शेखर आजाद सिंह (74/4000), मेसर्स कल्पतरु वेंचर्स श्री अब्दुल्ला हुसैन सैयद सरवर हुसैन रवि मालवीय, अशोक मालवीय एवं मो मसूद जावेद कुरैशी, अब्दुल सलाम (3630/4000), शालिनी जाट पत्नी श्री चन्द्र शेखर आजाद सिंह (74/4000)	247/2	0.4000	0.1777	निजी	आवासीय

10	राम दरबार पुत्र दिनेश दरबार (93/900), युवराज सिंह दरबार पुत्र श्री पंचम सिंह दरबार (93/900), श्रीमती वैशाली नायर पति प्रशांत नायर (93/900), मेसर्स कल्पतरु वेंचर्स श्री अब्दुल्ला हुसैन आसैयद सरवर हुसैन, रवि मालवीय आ अशोक मालवीय एवं मो मसूद जावेद कुरैशी (528/900), रीना कबाड़े पुत्री जे एस कबाड़े (93/900)	248/1	0.0900	0.0745	निजी	आवासीय
11	मेसर्स कल्पतरु वेंचर्स श्री अब्दुल्ला हुसैन आ सैयद सरवर हुसैन, रवि मालवीय आ अशोक मालवीय एवं मोहम्मद मसूद जावेद कुरैशी आ अब्दुल सलाम	248/2	0.2200		निजी	आवासीय
12	मेसर्स कल्पतरु वेंचर्स संचालक श्री अब्दुल्ला हुसैन, सैयद सरवर हुसैन, रवि मालवीय, अशोक मालवीय एवं मोहम्मद मसूद जावेद कुरैशी, अब्दुल सलाम (5444/5900), रवि ठाकरे पुत्र भगवान दास (93/5900), अजय कुमार गावंडे पुत्र मारोतराव गावंडे (84/5900), दीपांजलि गुप्ता पति विजय कुमार गुप्ता (93/5900), रवि ठाकरे पुत्र भगवान दास ठाकरे (93/5900), शिवानी शर्मा पत्नी हिर्देश कुमार शर्मा (93/5900)	249/1	0.5900	0.0480	निजी	आवासीय
13	श्रीमती मीनाक्षी नेमा पत्नी दिलीप नेमा (74/2700), श्रीमती मीनाक्षी नेमा पत्नी दिलीप नेमा (74/2700), अलका डोंगरे पत्नी लीलाधर डोंगरे (74/2700), मेसर्स कल्पतरु वेंचर्स श्री अब्दुल्ला हुसैन पिता सैयद सरवर हुसैन, रवि मालवीय पिता अशोक मालवीय एवं मोहम्मद मसूद जावेद कुरैशी पिता अब्दुल सलाम (2404/2700), शालिनी जाट पत्नी श्री चन्द्र शेखर आजाद सिंह (74/2700)	249/2	0.2700	0.2700	निजी	आवासीय
14	जयन्त जैन पुत्र विजय कुमार	258	0.7600	0.0147	निजी	असिंचित
15	सुआ बाई पिता उमरावजी 1/6, श्रीमती कमला बाई बेवा श्री श्याम लाल सिसोदिया 1/6, मुकेश पुत्र श्री श्यामलाल सिसोदिया 1/6, सीता बाई पुत्री श्री श्यामलाल सिसोदिया 1/6, सुरेश सिसोदिया पुत्र श्री श्यामलाल 1/6, बाबूलाल पुत्र श्री श्यामलाल सिसोदिया 1/6	145	2.0200	0.0746	निजी	असिंचित

16	विशनलाल पुत्र रामा	140	1.2100	0.9831	निजी	असिंचित
17	भंवरजी पुत्र प्रथी	146	0.4900	0.0836	निजी	असिंचित
18	भंवरजी पुत्र प्रथी	147	0.7200	0.1807	निजी	असिंचित
19	संजय बा पिता सीताराम 1/4, नीरज बा पिता सीताराम 1/4, संदीप बा पिता सीताराम 1/4, दीपक ना बा पिता सीताराम वली माँ रेखा यादव पत्नी सीताराम 1/4	139	0.1000	0.0371	निजी	सिंचित
20	संजय बा पिता सीताराम 1/4, नीरज बा पिता सीताराम 1/4, संदीप बा पिता सीताराम 1/4, दीपक ना बा पिता सीताराम वली माँ रेखा यादव पत्नी सीताराम 1/4	136	0.7600	0.2747	निजी	सिंचित
21	संजय बा पिता सीताराम 1/4, नीरज बा पिता सीताराम 1/4, संदीप बा पिता सीताराम 1/4, दीपक ना बा पिता सीताराम वली माँ रेखा यादव पत्नी सीताराम 1/4	135	1.1400	0.9670	निजी	सिंचित
22	प्रताप सिंह सलूजा पिता निरंजन सिंह, ज्योतिंदर सिंह पिता प्रताप सिंह सलूजा (2984/6930), दीप्ति सिंह पत्नी अतुल कुमार सिंह, अतुल कुमार सिंह पुत्र हरीकिशन सिंह (664/6930), विनोद सप्रे पुत्र जी एम सप्रे, विमलेश शुक्ला पत्नी आशुतोष शुक्ला (888/6930), राघव गुप्ता पिता पवनकुमार गुप्ता (529/6930), अक्षत गुप्ता पिता बी के गुप्ता (529/6930), साहिल वाली पिता विजय वाली, अपूर्वा सिंह पत्नी साहिल वाली (445/6930), नकुल डोगरा पिता शमलाल डोगरा, साहिल वाली पिता विजय कुमारवाली (222/6930), सुशांत जैन पुत्र सुबोध कुमार जैन (223/6930), अपूर्वा सिंह पुत्री अजय सिंह (446/6930)	105/1/1	0.6930	0.6553	निजी	असिंचित
23	अंकित यादव पुत्र प्रेम नारायण यादव एवं आशीष यादव पुत्र प्रेम नारायण यादव	105/1/2	0.0950		निजी	आवासीय
24	श्री सुशील अग्रवाल पिता श्री वासुदेव प्रसाद अग्रवाल	105/2	0.2220		निजी	असिंचित
25	श्रीमती मंजू गर्ग पत्नी स्व० सौरभ गर्ग ऋषभ गर्ग पंखुडी गर्ग पुत्र पुत्री स्व० सौरभ गर्ग	281/2/1	0.1600	0.0045	निजी	व्यावसायिक
26	श्रीमती मंजू गर्ग पत्नी स्व० सौरभ गर्ग ऋषभ गर्ग पंखुडी गर्ग पुत्र पुत्री स्व० सौरभ गर्ग	281/2/2	0.1000		निजी	व्यावसायिक

27	मुमताजबी पत्नी रफीक खॉ जूबेर आ रिफरानी शमशाद बेबी उर्फ शबनम गुलफ़शा पुत्र पुत्रि रफीक खॉ मुन्नी पत्नी फारुख खॉ पत्नी साहिल आ शिफगुलिस्ता आ शिफया पुत्र पुत्री फारुख खॉ मुस्तरी पत्नी फारुख खॉ फरमान फरियाद पुत्र फारुख खॉ (3408/40900), लईक खॉ पुत्र सलीम खॉ (3408/40900), नईम खॉ पुत्र सलीम खॉ (3408/40900), नसीम बी पुत्री सलीम खॉ (3408/40900), मुजीब खॉ पुत्र सलीम खॉ (902/40900), नफीस खॉ पति स्व. शकीला बी माईन शाहरुख, आमिर, फरीदा, आयशा, निशा पुत्र पुत्रिया स्व शकीला बी (3408/40900), शराफत खॉ पुत्र सलीम खॉ (3408/40900), रेहाना बी पत्नी अतीकखॉ एवं अजीम सादिक, अनस, तस्कीन, अस्मा, फरहा पुत्र पुत्रिया अतीक खॉ (902/40900), रेहाना बी पुत्री स्व श्री सलीम (3408/40900), जूबैदा बी पुत्री सलीम खॉ (3408/40900), रजिया बी पुत्री सलीम खॉ (3408/40900), सन्नो बी पत्नी मोसिद्दीक एवं शहाना, संजीदा, शीबा पिता मो सिद्दीक (3408/40900), विघ्नहर्ता इन्फ्रा द्वारा पार्टनर अंचल शर्मा पिता आर डी शर्मा एवं आशीष अरोरा पिता अमरनाथ (5016/40900)	281/1	0.8700	0.1676	निजी	सिंचित
28	मुमताजबी पत्नी रफीक खॉ जूबेर आ रिफरानी शमशाद बेबी उर्फ शबनम गुलफ़शा पुत्र पुत्रि रफीक खॉ मुन्नी पत्नी फारुख खॉ पत्नी साहिल आ शिफगुलिस्ता आ शिफया पुत्र पुत्री फारुख खॉ मुस्तरी पत्नी फारुख खॉ फरमान फरियाद पुत्र फारुख खॉ (3408/40900), लईक खॉ पुत्र सलीम खॉ (3408/40900), नईम खॉ पुत्र सलीम खॉ (3408/40900), नसीम बी पुत्री सलीम खॉ (3408/40900), मुजीब खॉ पुत्र सलीम खॉ (902/40900), नफीस खॉ पति स्व. शकीला बी माईन शाहरुख, आमिर, फरीदा, आयशा, निशा पुत्र पुत्रिया स्व शकीला बी (3408/40900), शराफत खॉ पुत्र सलीम खॉ (3408/40900), रेहाना बी पत्नी अतीकखॉ एवं अजीम सादिक, अनस, तस्कीन, अस्मा, फरहा पुत्र पुत्रिया अतीक खॉ (902/40900), रेहाना बी पुत्री स्व श्री सलीम (3408/40900), जूबैदा बी पुत्री सलीम खॉ (3408/40900), रजिया बी पुत्री सलीम खॉ (3408/40900), सन्नो बी पत्नी मोसिद्दीक एवं शहाना,	278	1.3600	1.0563	निजी	असिंचित

	संजीदा, शीबा पिता मो सिद्दीक (3408/40900), विघ्नहर्ता इन्फ्रा द्वारा पार्टनर अंचल शर्मा पिता आर डी शर्मा एवं आशीष अरोरा पिता अमरनाथ (5016/40900)					
29	मुमताजबी पत्नी रफीक खॉ जूबेर आ रिफरानी शमशाद बेबी उर्फ शबनम गुलफशा पुत्र पुत्रि रफीक खॉ मुन्नी पत्नी फारुख खॉ पत्नी साहिल आ शिफगुलिस्ता आ शिफया पुत्र पुत्री फारुख खॉ मुस्तरी पत्नी फारुख खॉ फरमान फरियाद पुत्र फारुख खॉ (3408/40900), लईक खॉ पुत्र सलीम खॉ (3408/40900), नईम खॉ पुत्र सलीम खॉ (3408/40900), नसीम बी पुत्री सलीम खॉ (3408/40900), मुजीब खॉ पुत्र सलीम खॉ (902/40900), नफीस खॉ पति स्व. शकीला बी माईन शाहरुख, आमिर, फरीदा, आयशा, निशा पुत्र पुत्रिया स्व शकीला बी (3408/40900), शराफत खॉ पुत्र सलीम खॉ (3408/40900), रेहाना बी पत्नी अतीकखॉ एवं अजीम सादिक, अनस, तस्कीन, अस्मा, फरहा पुत्र पुत्रिया अतीक खॉ (902/40900), रेहाना बी पुत्री स्व श्री सलीम (3408/40900), जूबैदा बी पुत्री सलीम खॉ (3408/40900), रजिया बी पुत्री सलीम खॉ (3408/40900), सन्नो बी पत्नी मोसिद्दीक एवं शहाना, संजीदा, शीबा पिता मो सिद्दीक (3408/40900), विघ्नहर्ता इन्फ्रा द्वारा पार्टनर अंचल शर्मा पिता आर डी शर्मा एवं आशीष अरोरा पिता अमरनाथ (5016/40900)	279	1.1300	0.3529	निजी	असिंचित
30	मुमताजबी पत्नी रफीक खॉ जूबेर आ रिफरानी शमशाद बेबी उर्फ शबनम गुलफशा पुत्र पुत्रि रफीक खॉ मुन्नी पत्नी फारुख खॉ पत्नी साहिल आ शिफगुलिस्ता आ शिफया पुत्र पुत्री फारुख खॉ मुस्तरी पत्नी फारुख खॉ फरमान फरियाद पुत्र फारुख खॉ (3408/40900), लईक खॉ पुत्र सलीम खॉ (3408/40900), नईम खॉ पुत्र सलीम खॉ (3408/40900), नसीम बी पुत्री सलीम खॉ (3408/40900), मुजीब खॉ पुत्र सलीम खॉ (902/40900), नफीस खॉ पति स्व. शकीला बी माईन शाहरुख, आमिर, फरीदा, आयशा, निशा पुत्र पुत्रिया स्व शकीला बी (3408/40900), शराफत खॉ पुत्र सलीम खॉ (3408/40900), रेहाना बी पत्नी अतीकखॉ एवं अजीम सादिक, अनस, तस्कीन, अस्मा, फरहा पुत्र पुत्रिया अतीक खॉ (902/40900), रेहाना बी पुत्री स्व श्री सलीम	280	0.7300	0.7036	निजी	असिंचित

	(3408/40900), जूबैदा बी पुत्री सलीम खाँ (3408/40900), रजिया बी पुत्री सलीम खाँ (3408/40900), सन्नो बी पत्नी मोसिद्दीक एवं शहाना, संजीदा, शीबा पिता मो सिद्दीक (3408/40900), विघ्नहर्ता इन्फ्रा द्वारा पार्टनर अंचल शर्मा पिता आर डी शर्मा एवं आशीष अरोरा पिता अमरनाथ (5016/40900)					
31	रागनी पत्नी एस एल नामदेव	299	0.4100	0.2854	निजी	असिंचित
32	अजय हाईटस इंडिया प्रायवेट लिमि द्वारा डायरेक्टर रनबीर सिंह परमार आ अजयपाल सिंह परमार एवं श्रीमती पुष्पाजंती परमार पत्नी रनबीर सिंह परमार	294	0.4000	0.2715	निजी	आवासीय
33	ऐश्वर्यपाल सिंह बुंदेला पिता अजय पाल सिंह	295	0.4000	0.3031	निजी	असिंचित
34	सलील पुत्र जुगल किशोर	296	0.4000	0.2617	निजी	असिंचित
35	रागिनी नामदेव पत्नी एस एल नामदेव	298	0.4000	0.2441	निजी	असिंचित
36	अजय हाईटस इंडिया प्रायवेट लिमि द्वारा डायरेक्टर रनबीर सिंह परमार आ अजयपाल सिंह परमार एवं श्रीमती पुष्पाजंती परमार पत्नी रनबीर सिंह परमार	293	0.4000	0.1972	निजी	आवासीय
37	रागिनी नामदेव पत्नी एस एल नामदेव	297	0.1900	0.1747	निजी	असिंचित
38	श्री हस्तगिरी वेंकटेश्वर सोशल वेलफेयर सोसायटी द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एवं सचिव श्री दिनेश दुबे पिता स्व श्री प्रकाश नारायण दुबे	300	0.8100	0.7498	निजी	असिंचित
39	श्रीमती मंजू गर्ग पत्नी स्व. सौरभ गर्ग, ऋषभ गर्ग पंखुडी गर्ग पुत्र पुत्री स्व. सौरभ गर्ग	305	0.7700	0.1319	निजी	आवासीय
40	श्रीमती मंजू गर्ग पत्नी स्व. सौरभ गर्ग, ऋषभ गर्ग पंखुडी गर्ग पुत्र पुत्री स्व. सौरभ गर्ग	307	0.0900	0.0118	निजी	आवासीय
41	श्रीमती मंजू गर्ग पत्नी स्व. सौरभ गर्ग, ऋषभ गर्ग पंखुडी गर्ग पुत्र पुत्री स्व. सौरभ गर्ग	309	0.3900	0.0052	निजी	आवासीय
	कुल योग		26.4500	11.4812		

अधिनियम की धारा-15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील कोलार जिला भोपाल के समक्ष में आक्षेप यदि कोई हो तो फाईल किये जा सकेंगे। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील कोलार जिला भोपाल कार्यालय में देखा जा सकता है।

नोट :- उपरोक्त भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि संभावित है।

क्र. 946-भू-अर्जन-2026-रा.प्र.क्र.-24-अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में जिला- भोपाल, तहसील- कोलार के ग्राम गुराडीघाट की निजी भूमि के भू-अधिग्रहण हेतु कालम (6) में वर्णित भूमि, जिसका खसरा क्रमांक वार का विवरण, अनुसूची (2) के खाने (1) से (7) में वर्णित है, अनुसूची (1) के कालम (8) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य भोपाल शहर में पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मार्ग के मय पेव्डड शोल्डर निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात अध्ययन किया गया, सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट का मूल्यांकन, भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, जिसमें विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना एक बृहद लोक प्रयोजन की परियोजना है, जिसका निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र में सुलभ एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है, अतः परियोजना से संभावित फायदे सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है। परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापन होने की संभावना नहीं होने से अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

-: अनुसूची (1) :-

क्र. स.	जिला	तहसील	ग्राम	कुल रकबा (हेक्टे.में)	भू. अर्जन का रकबा (हेक्टे.में)	धारा . 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	भोपाल	कोलार	गुराडीघाट	31.9882 हे.	7.1283 हे.	संभागीय प्रबंधक संभाग भोपाल म.प्र. सडक विकास निगम, भोपाल	पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्डड शोल्डर मार्ग निर्माण कार्य (लंबाई 35.61 कि.मी.)

-: अनुसूची (2):-

ग्राम का नाम गुराडीघाट, तहसील- कोलार, जिला - भोपाल

क्र. स.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टे.में)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे.में)	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06	07
1	पुष्पा पाटीदार पत्नी श्री आनंद पाटीदार 1/2, सुषमा पाटीदार पत्नी श्री नरेश पाटीदार एवं आशु पाटीदार पिता श्री नरेश पाटीदार 1/2	118	8.3700	1.4647	निजी	सिंचित
2	प्रवीण अग्रवाल पुत्र टी एन गोयल, राजेश गोयल पुत्र टी एन गोयल	272	1.9000	0.4145	निजी	सिंचित
3	प्रवीण अग्रवाल पुत्र टी एन गोयल, राजेश गोयल पुत्र टी एन गोयल	274	0.5100	0.3809	निजी	सिंचित
4	प्रवीण अग्रवाल पुत्र टी एन गोयल, राजेश गोयल पुत्र टी एन गोयल	276	0.6500	0.2489	निजी	सिंचित

5	प्रवीण अग्रवाल पुत्र टी एन गोयल, राजेश गोयल पुत्र टी एन गोयल	279/2	0.3000	0.0374	निजी	सिंचित
6	प्रवीण अग्रवाल पुत्र टी एन गोयल, राजेश गोयल पुत्र टी एन गोयल	275/1	0.2000	0.2257	निजी	सिंचित
7	फुल्लोबाई राधीबाई रामपप्पारी बाई पुत्री राम प्रसाद	275/2	0.0800		निजी	सिंचित
8	प्रदीप कुमार मीना पिता नौरंगीलाल	266/2/2	0.5670	0.4783	निजी	सिंचित
9	अजुन मीना पिता प्रदीप कुमार मीना	266/2/3	0.8112		निजी	सिंचित
10	मनोहरलाल पुत्र सुहागमल	208/3	4.8900	0.3541	निजी	सिंचित
11	रामकुमार नरेश पिता चरण सिंह	248	0.2200	0.1064	निजी	सिंचित
12	प्रकाश मंशानी पिता भोजराज मंशानी	247/1/1/1	0.0600	1.1325	निजी	सिंचित
13	दीपक कुमार पुत्र भागचंद	247/1/1/2	0.5400		निजी	सिंचित
14	दीपक कुमार पुत्र भागचंद	247/1/2/2	0.2600		निजी	सिंचित
15	प्रकाश मंशानी पिता भोजराज मंशानी	247/1/3/1	0.2000		निजी	सिंचित
16	प्रकाश मंशानी पिता भोजराज मंशानी	247/1/3/2	0.6000		निजी	सिंचित
17	अमरनाथ मित्तल एचयूएफ पिता स्व श्री लखीराम मित्तल	247/2	0.3200		निजी	सिंचित
18	सुरेश मीना पिता नौरंगीलाल	249/1/1	0.2100	0.0057	निजी	सिंचित
19	संदीप अग्रवाल आ. नरोत्तमदास अग्रवाल	249/1/2	0.0200		निजी	सिंचित
20	श्रीमती विमला वर्मा पत्नि नरसिंह प्रसाद वर्मा	249/1/3	0.1200		निजी	सिंचित
21	आकाश पुत्र सुरेश	249/2/1	0.8650		निजी	सिंचित
22	रामकुमार नरेश पिता चरण सिंह	249/2/2	0.9950		निजी	सिंचित
23	प्रकाश मंशानी पिता भोजराज मंशानी	211	0.4300	0.0094	निजी	सिंचित
24	प्रकाश मंशानी पिता भोजराज मंशानी	212/1/1	0.3700	0.3098	निजी	सिंचित
25	प्रकाश मंशानी पिता भोजराज मंशानी	212/1/2/1, 247/1/2/क	0.1340	0.2110	निजी	सिंचित
26	प्रीति सोनी पत्नी आलोक सोनी 1/2, गुंजन सोनी पत्नी विपुल सोनी 1/2	212/1/2/2, 247/1/2/क	0.4060		निजी	सिंचित
27	लालाराम पुत्र उमराव	213	0.2700	0.0002	निजी	सिंचित

28	लालाराम पुत्र उमराव	214	0.0900	0.0326	निजी	सिंचित
29	लालाराम पुत्र उमराव	215	0.0700	0.0672	निजी	सिंचित
30	श्रीमती आशा खरे पत्नी अखलेश खरे पुत्र अम्बिका प्रसाद खरे	216/1	0.5000	0.2567	निजी	सिंचित
31	रामगोपाल पुत्र कनीराम	216/2	0.0200		निजी	सिंचित
32	फूलवती मीना पत्नी स्व. विश्राम सिंह मीना, सुरेश कुमार मीना, शेर सिंह मीना, सीमाबाई पिता स्व. विश्राम सिंह मीना	217	0.5100	0.3437	निजी	सिंचित
33	मेसर्स वाहेगुरु इन्फ्रा भागीदारगण श्री ललित कुमार चोटरानी आत्मज श्री मोहनलाल चोटरानी 1/2, मेसर्स वाहेगुरु इन्फ्रा भागीदारगण श्री हरीश हरपलानी आत्मज स्व श्री घनश्याम हरपलानी 1/2	218/1	0.2900	0.1726	निजी	सिंचित
34	प्रकाश मंशानी पिता भोजराज मंशानी	218/2	0.2200	0.1310	निजी	सिंचित
35	शैतान सिंह, केशरीसिंह, मदनलाल, कल्लू, अनूपसिंह, कुमेरसिंह, जसोदीबाई, कोमल बाई पुत्र पुत्रीया हरप्रसाद	219	0.4400	0.0429	निजी	सिंचित
36	सुखराम पुत्र लालजीराम 1/2, नन्नीबाई पुत्री लालजीराम 1/2	224	0.2700	0.1912	निजी	सिंचित
37	सुखराम पुत्र लालजीराम 1/2, नन्नीबाई पुत्री लालजीराम 1/2	225	0.8200	0.4511	निजी	सिंचित
38	सुखराम पुत्र लालजीराम 1/2, नन्नीबाई पुत्री लालजीराम 1/2	226	0.9100	0.0077	निजी	सिंचित
39	प्रदीप कुमार पिता नौरंगीलाल	263/2	0.3100	0.0004	निजी	सिंचित
40	रघुवीर सिंह पिता मोहन सिंह (7791/19596), रमेश पाटीदार पिता खेमराज पाटीदार राजकुमार पाटीदार, सुनील पाटीदार, प्रदीप पाटीदार, सुरदीप पाटीदार पिता रमेश पाटीदार (11340/19596), सुशील मारन पिता प्रीतम सिंह मारन, नितिन मीना पिता गोविंद सिंह मीना (465/19596)	260/1	1.9596	0.0076	निजी	सिंचित
41	राजू बाई पत्नी श्री तुलाराम नायक एवं तुलाराम पिता श्री बिहारीलाल	260/2	0.0204		निजी	सिंचित
42	महेन्द्र सिंह पुत्र हरीनारायण (11996/12600), श्री कृष्णा डेव्हलपर्स कार्यालयीन (604/12600)	121	1.2600	0.0441	निजी	सिंचित
कुल योग			31.9882	7.1283		

अधिनियम की धारा-15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील कोलार जिला भोपाल के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो तो फाईल किये जा सकेंगे। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील कोलार जिला भोपाल कार्यालय में देखा जा सकता है।

नोट :- उपरोक्त भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि संभावित है।

क्र. 948-भू-अर्जन-2026-रा.प्र.क्र.-25-अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में जिला- भोपाल, तहसील- कोलार के ग्राम धुआखेड़ा की निजी भूमि के भू-अधिग्रहण हेतु कालम (6) में वर्णित भूमि, जिसका खसरा क्रमांक वार का विवरण, अनुसूची (2) के खाने (1) से (7) में वर्णित है, अनुसूची (1) के कालम (8) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य भोपाल शहर में पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मार्ग के मय पेक्ड शोल्डर निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात अध्ययन किया गया, सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट का मूल्यांकन, भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, जिसमें विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना एक बृहद लोक प्रयोजन की परियोजना है, जिसका निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र में सुलभ एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है, अतः परियोजना से संभावित फायदे सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है। परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापन होने की संभावना नहीं होने से अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

- अनुसूची (1) :-

क्र. सं.	जिला	तहसील	ग्राम	कुल रकबा (हेक्टे.में)	भू. अर्जन का रकबा (हेक्टे.में)	धारा . 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	भोपाल	कोलार	धुआखेड़ा	53.9804 हे.	12.1284 हे.	संभागीय प्रबंधक संभाग भोपाल म.प्र. सडक विकास निगम,भोपाल	पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मय पेक्ड शोल्डर मार्ग निर्माण कार्य (लंबाई 35.61 कि.मी.)

- अनुसूची (2) :-

ग्राम का नाम धुआखेड़ा, तहसील- कोलार, जिला - भोपाल

क्र. सं.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टे.में)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे.में)	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06	07
1	मुरारी रघुवंशी पिता श्री अजब सिंह रघुवंशी (623/2262), अनुराग श्रीवास्त पत्र के एम श्रीवास्तव (153/2262), मेसर्स रचना बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स द्वारा प्रोपराईटर कैलाश शर्मा पिता श्री फतेह चंद शर्मा (1486/2262)	262/2/1/1/1/1	0.2262	0.0215	निजी	सिंचित
2	श्रीमती आरती चौबे पत्नी अरविन्द्र चौबे	262/2/1/1/1/2	0.0464		निजी	सिंचित
3	श्री नितिन चितोडा पुत्र श्री मुकेश चितोडा एवं श्रीमती सुरभि चितोडा पत्नी श्री नितिन चितोडा	262/2/1/1/2	0.0363		निजी	आवासीय

	(139/363), श्री संदीप कुमार बडगुजर पुत्र श्री कृष्ण कुमार बडगुजर एवं श्रीमती चंचल बडगुजर पत्नी संदीप कुमार बडगुजर (224/363)					
4	श्रीमती सुशीला बाई पत्नी श्री गंगा सिंह	262/2/1/2	0.0557		निजी	सिंचित
5	श्रीमती विजेता विंचुरकर पत्नी रुपेश विंचुरकर	262/2/1/3	0.0464		निजी	व्यावसायिक
6	श्रीमती ज्योति शर्मा पत्नी प्रभाकर शर्मा	262/2/1/4	0.0278		निजी	सिंचित
7	योगेश, अनूप नामदेव पुत्र गण राजेंद्र कुमार नामदेव	262/2/2	0.0300		निजी	व्यावसायिक
8	आशीष कुशवाह पुत्र सुरेश सिंह कुशवाह	262/2/3	0.1020		निजी	सिंचित
9	श्रीमती शोभा गुप्ता पत्नी वही के गुप्ता	262/2/4	0.0464		निजी	व्यावसायिक
10	संजना बसंतानी पत्नी गगन बसंतानी (749/1022), अनुराग श्रीवास्तव पुत्र के एम श्रीवास्तव (273/1022)	262/2/5/1	0.0749		निजी	व्यावसायिक
11	संजना बसंतानी पत्नी गगन बसंतानी (749/1022), अनुराग श्रीवास्तव पुत्र के एम श्रीवास्तव (273/1022)	262/2/5/2	0.0273		निजी	सिंचित
12	आदित्य सिंह कुशवाह पुत्र मुनेंद्र सिंह कुशवाह	262/2/6	0.1020		निजी	सिंचित
13	मुरारी रघुवंशी पिता अजब सिंह रघुवंशी (74/1174), संजय सिंह परमार पिता महिपाल सिंह परमार एवं सुनील कुमार गर्ग आ हरिओम गर्ग (542/1174), संजना बसंतानी पत्नी गगन बसंतानी (272/1174), अनुराग श्रीवास्तव पुत्र के एम श्रीवास्तव (286/1174)	263/1/1/1	0.0272		निजी	व्यावसायिक
14	मुरारी रघुवंशी पिता अजब सिंह रघुवंशी (74/1174), संजय सिंह परमार पिता महिपाल सिंह परमार एवं सुनील कुमार गर्ग आ हरिओम गर्ग (542/1174), संजना बसंतानी पत्नी गगन बसंतानी (272/1174), अनुराग श्रीवास्तव पुत्र के एम श्रीवास्तव (286/1174)	263/1/1/2	0.0902	0.2785	निजी	सिंचित
15	महेश कुमार शर्मा पिता श्री कृष्ण शर्मा	263/1/2	0.1004		निजी	व्यावसायिक
16	अंकुर श्रीवास्तव पुत्र राकेश कुमार श्रीवास्तव	263/2/1	0.0558		निजी	सिंचित
17	अंकुर श्रीवास्तव पुत्र राकेश कुमार श्रीवास्तव	263/2/2	0.0464		निजी	व्यावसायिक

18	कल्लू सागर श्रीकृष्ण साहिल ना बा काजल, सरिता, संगीता पिता राधेश्याम संरक्षक माँ सीताबाई पत्नी राधेश्याम, गुडडीबाई पुत्री रामरतन, घिसियाबाई बेवा रामरतन, नन्दलाल पिता गणपत, धूडेलाल पिता शिवचरण, पानमल राजमल पुत्रगण छीतर रतन पुत्री छीतर बसंतीबाई बेवा छीतर बाबूलाल, कोसाबाई पिता धन्नालाल, पदम, गोलू, दीनू, मोदू, कविता, अंगूरीबाई रानी, विनीता ना बा आ हीरालाल, वली व खुद माँ छोटी भाई बेवा हीरालाल	267/1/1	0.0820	0.0936	निजी	सिंचित
19	भारत सिंह कुशवाह पिता हरिमुख सिंह कुशवाह	267/1/2/1	0.0300		निजी	सिंचित
20	शरवन सिंह पिता श्री अमरीक सिंह एवं नारायण सिंह पिता श्री अमरीक सिंह	267/1/2/2	0.1700		निजी	सिंचित
21	भारत सिंह कुशवाह पिता हरिमुख सिंह कुशवाह	267/2	0.1880		निजी	सिंचित
22	शरवन सिंह पिता श्री अमरीक सिंह 1/2 नारायण सिंह पिता श्री अमरीक सिंह 1/2	266	0.4200	0.2303	निजी	सिंचित
23	सुरेन्द्र पिता एस एन अग्रवाल	239/2	0.4000	0.0779	निजी	सिंचित
24	पंकज मीना पुत्र रामफूल मीना	238/1/3	1.4200	0.1822	निजी	सिंचित
25	रामफूल पिता धनलाल	238/1/1	0.1200	0.0722	निजी	सिंचित
26	श्रीमती गौराबाई यादव पत्नी श्री हरीराम यादव	211/1	0.0200		निजी	सिंचित
27	रूपेश कुमार पुत्र धनलाल	211/2/1/1	0.1800		निजी	सिंचित
28	पलक मारण पुत्री स्व राकेश मारण एवं सागर मारण पुत्र राकेश मारण	211/2/1/2	0.2200		निजी	सिंचित
29	अनोखीलाल पिता श्रीकिशन	211/2/2/1	0.5250	0.9731	निजी	सिंचित
30	प्रेम सिंह पिता श्रीकिशन	211/2/2/2	0.5250		निजी	सिंचित
31	जसमल सिंह पुत्र राम सिंह 1/5, अजमल सिंह पिता रामसिंह 1/5, चन्दन सिंह पिता रामसिंह 1/5, सुमन पुत्री रामसिंह 1/5, ज्वालसिंह पुत्र रामसिंह 1/5	211/2/3	0.0500		निजी	सिंचित
32	श्रीमती गौराबाई यादव पत्नी श्री हरीराम यादव	210	1.0000	0.3522	निजी	सिंचित
33	श्रीमती रेहाना खालिद पत्नी स्व मो खालिद, श्रीमती फरहीन पुत्री स्व मो खालिद, मो शारिक पुत्र स्व मो खालिद, श्रीमती जेबा पुत्री स्व मो खालिद, मो शाकिब पुत्र स्व मो खालिद, मो शहनवाज आलम पुत्र वकार आलम	147	3.5000	0.7661	निजी	सिंचित

34	मेसर्स ग्रीनशायर डेवेलपर्स द्वारा भागीदार अजय मोहगांवकर आ श्री एस. डब्लू मोहगांवकर एवं समीर गुप्ता आ स्व. श्री. एस सी गुप्ता	115/1/2	0.6060	0.1747	निजी	सिंचित
35	मेसर्स ग्रीनशायर डेवेलपर्स द्वारा भागीदार अजय मोहगांवकर आ श्री एस. डब्लू मोहगांवकर एवं समीर गुप्ता आ स्व. श्री. एस सी गुप्ता	115/2	0.7570	0.6440	निजी	सिंचित
36	मेसर्स ग्रीनशायर डेवेलपर्स अजय मोहगांवकर आ श्री एस. डब्लू मोहगांवकर एवं समीर गुप्ता आ स्व. श्री. एस सी गुप्ता	115/3	0.2070	0.0379	निजी	सिंचित
37	मेसर्स ग्रीनशायर डेवेलपर्स अजय मोहगांवकर आ श्री एस. डब्लू मोहगांवकर एवं समीर गुप्ता आ स्व. श्री. एस सी गुप्ता	116	0.5500	0.0076	निजी	सिंचित
38	श्रीमती रेहाना खालिद पत्नी स्व मो खालिद, श्रीमती फरहीन पुत्री स्व मो खालिद, मो शारिक पुत्र स्व मो खालिद, श्रीमती जेबा पुत्री स्व मो खालिद, मो शाकिब पुत्र स्व मो खालिद, मो शहनवाज आलम पुत्र वकार आलम	140	2.8000	0.4011	निजी	सिंचित
39	श्रीमती रेहाना खालिद पत्नी स्व मो खालिद, श्रीमती फरहीन पुत्री स्व मो खालिद, मो शारिक पुत्र स्व मो खालिद, श्रीमती जेबा पुत्री स्व मो खालिद, मो शाकिब पुत्र स्व मो खालिद, मो शहनवाज आलम पुत्र वकार आलम	159	0.0200	0.0140	निजी	असिंचित
40	श्रीमती रेहाना खालिद पत्नी स्व मो खालिद, श्रीमती फरहीन पुत्री स्व मो खालिद, मो शारिक पुत्र स्व मो खालिद, श्रीमती जेबा पुत्री स्व मो खालिद, मो शाकिब पुत्र स्व मो खालिद, मो शहनवाज आलम पुत्र वकार आलम	160	1.7000	0.1620	निजी	असिंचित
41	श्रीमती रेहाना खालिद पत्नी स्व मो खालिद, श्रीमती फरहीन पुत्री स्व मो खालिद, मो शारिक पुत्र स्व मो खालिद, श्रीमती जेबा पुत्री स्व मो खालिद, मो शाकिब पुत्र स्व मो खालिद, मो शहनवाज आलम पुत्र वकार आलम	146	0.4200	0.1024	निजी	असिंचित
42	श्रीमती रेहाना खालिद पत्नी स्व मो खालिद, श्रीमती फरहीन पुत्री स्व मो खालिद, मो शारिक पुत्र स्व मो खालिद, श्रीमती जेबा पुत्री स्व मो खालिद, मो शाकिब पुत्र स्व मो खालिद, मो शहनवाज आलम पुत्र वकार आलम	145	0.4000	0.1234	निजी	सिंचित

43	श्रीमती रेहाना खालिद पत्नी स्व मो खालिद, श्रीमती फरहीन पुत्री स्व मो खालिद, मो शारिक पुत्र स्व मो खालिद, श्रीमती जेबा पुत्री स्व मो खालिद, मो शाकिब पुत्र स्व मो खालिद, मो शहनवाज आलम पुत्र वकार आलम	144	0.2500	0.1721	निजी	सिंचित
44	अनोखीलाल पुत्र सोहनलाल उइके	271/2/1/1/1/1/1	0.4350	1.3443	निजी	सिंचित
45	अनोखीलाल उइके पिता श्री सोहनलाल उइके	271/2/1/1/1/1/2	0.4050		निजी	सिंचित
46	सियाबाई पत्नी लखनलाल व मुदित उइके नाबा० निधि उइके बा० मीत उइके नाबा० पिता लखनलाल उइके वली माँ सियाबाई उइके	271/1/1/1	3.0770		निजी	सिंचित
47	रेवा कस्ट्रक्शन एवं कंसलटेन्सी पता म नं 2 पारिका सोसायटी फेस 2 चूनाभट्टी द्वारा प्रोपराईटर विशेष गंगारेकर आ रेवाराम गंगारेकर	271/1/1/2	1.2140		निजी	सिंचित
48	श्रीमती अनिता ठाकुर पत्नी अतुल ठाकुर	271/1/2	0.8090		निजी	सिंचित
49	श्रीमती उर्मिला उइके पत्नी बालबिहारी उइके	271/2/1/2	0.4050		निजी	सिंचित
50	अनोखीलाल उइके पुत्र सोहनलाल उइके	271/2/1/1/1/2	0.4050		निजी	सिंचित
51	अजयसिंह विजयसिंह पिता श्री फूल सिंह	271/2/1/1/1/3	0.3040		निजी	सिंचित
52	श्रीमती रेवती पत्नी श्री मनोज गोंड	271/2/1/1/1/4	0.3040		निजी	सिंचित
53	अनोखीलाल उइके पिता स्व श्री सोहनलाल उइके	271/2/1/1/2/1	0.6066		निजी	सिंचित
54	अनोखीलाल उइके पिता स्व श्री सोहनलाल उइके	271/2/1/1/2/2	0.2024		निजी	आवासीय
55	पंकज कुमार शर्मा आ आर एस शर्मा (4050/15170), जे के बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स कार्या 75 जोन 2 एम पी नगर भोपाल द्वारा भागीदारगण रमेशलाल जोधानी आ भगवानदास जोधानी श्रीमती भावना जोधानी पत्नी रमेशलाल जोधानी (5560/15170), मैसर्स चुघ सिण्डीकेट भागीदारी फर्म कार्या एम एफ 214 गणपति इन्किलेव कोलार रोड भोपाल द्वारा पार्टनर महेश कुमार (5560/15170)	271/2/2	1.5170		निजी	सिंचित
56	एम जे जोसफ पिता स्व सोम्मी जोसफ 1/4 , श्रीमती बिन्दु वर्गीस बेवा स्व वर्गीस जोसफ 1/4, राहुल वर्गीस नाबा पिता स्व वर्गीस द्वारा सर माता बिन्दु 1/4, रोहन वर्गीस बा पिता स्व वर्गीस 1/4	271/2/3	0.5060		निजी	सिंचित

57	पलक मारण पुत्री स्व राकेश मारण एवं सागर मारण पुत्र राकेश मारण	209/2	0.8100	0.1088	निजी	सिंचित
58	राधेश्याम मीना पिता लीला किशन मीना	209/1	0.1100	0.1100	निजी	असिंचित
59	महेन्द्र सिंह चन्देल पिता कमल सिंह चन्देल 1/2, अंकित चन्देल पिता कमल सिंह चन्देल 1/2	208/2	0.8200	0.1894	निजी	असिंचित
60	रूपेश कुमार पुत्र धनलाल	207/2	0.8600	0.0835	निजी	सिंचित
61	महेन्द्र सिंह चन्देल पिता कमल सिंह चन्देल 1/2, अंकित चन्देल पिता कमल सिंह चन्देल 1/2	207/1	0.6900	0.2045	निजी	असिंचित
62	अंकित सिंह चन्देल पिता कमल सिंह चन्देल 1/2, महेन्द्र सिंह चन्देल पिता कमल सिंह चन्देल 1/2	206/2	1.3800	0.3175	निजी	सिंचित
63	अनीता ठाकुर पत्नी अतुल ठाकुर	206/1	0.2700	0.0413	निजी	सिंचित
64	अनीता ठाकुर पत्नी अतुल ठाकुर	205/2	0.7600	0.2087	निजी	सिंचित
65	अनीता ठाकुर पत्नी अतुल ठाकुर	205/1	1.0400	0.1449	निजी	सिंचित
66	मेसर्स ग्रीनशायर डेवेलपर्स द्वारा भागीदार अजय मोहगांवकर आ श्री एस. डब्लू मोहगांवकर एवं समीर गुप्ता आ स्व. श्री. एस सी गुप्ता	113/2	0.5340	0.0002	निजी	सिंचित
67	मेसर्स ग्रीनशायर डेवेलपर्स द्वारा भागीदार अजय मोहगांवकर आ श्री एस. डब्लू मोहगांवकर एवं समीर गुप्ता आ स्व. श्री. एस सी गुप्ता	114/2	1.2300	0.6056	निजी	सिंचित
68	मेसर्स ग्रीनशायर डेवेलपर्स द्वारा भागीदार अजय मोहगांवकर आ श्री एस. डब्लू मोहगांवकर एवं समीर गुप्ता आ स्व. श्री. एस सी गुप्ता	106/2	1.7200	0.0364	निजी	सिंचित
69	मेसर्स ग्रीनशायर डेवेलपर्स द्वारा भागीदार अजय मोहगांवकर आ श्री एस. डब्लू मोहगांवकर एवं समीर गुप्ता आ स्व. श्री. एस सी गुप्ता	106/1	0.5100	0.1689	निजी	सिंचित
70	अशोक कुमार पिता कुंजीलाल मीना	107/1	0.8600	0.3294	निजी	सिंचित
71	सुरेश मीना पिता स्व श्री कुंजीलाल मीना	107/2	0.9600		निजी	सिंचित
72	मेसर्स ग्रीनशायर डेवेलपर्स द्वारा भागीदार अजय मोहगांवकर आ श्री एस. डब्लू मोहगांवकर एवं समीर गुप्ता आ स्व. श्री. एस सी गुप्ता	107/3	0.2000		निजी	सिंचित
73	धनश्याम पुत्र परसराम	104	0.6100	0.0340	निजी	सिंचित
74	भारत पिता जी पी पनमानी	280/104	0.4000	0.2413	निजी	सिंचित
75	श्रीमति केशरजाह पत्नी तारिक हुसेन खान	101	1.2100	0.0968	निजी	सिंचित

76	साहेब हुसेन खां पुत्र तारिक हुसेन खान	100	0.8100	0.5472	निजी	सिंचित
77	मेसर्स गीनशायर डेवेलपर्स द्वारा अजय मोहगांवकर पुत्र एस. डब्लू मोहगांवकर एवं समीर गुप्ता पुत्र स्व. श्री. एस सी गुप्ता	108/4	0.6600	0.4944	निजी	सिंचित
78	मेसर्स गीनशायर डेवेलपर्स द्वारा अजय मोहगांवकर पुत्र एस. डब्लू मोहगांवकर एवं समीर गुप्ता पुत्र स्व. श्री. एस सी गुप्ता	109/4	0.2500	0.1625	निजी	सिंचित
79	मजिद प्रेमी पिता वाहिद प्रेमी	86	0.8100	0.0136	निजी	सिंचित
80	साजिद प्रेमी पिता वाहिद प्रेमी	87	0.4000	0.1116	निजी	सिंचित
81	तोहिद जहां पुत्री वाहिद 1/2, नमहीद जहां पुत्री वाहिद 1/2	88	0.4100	0.3046	निजी	सिंचित
82	रेखा उर्फ भूरी पिता हजारीलाल 1/7, संगीता पिता हजारीलाल 1/7, प्रागबाई बेवा हजारीलाल 1/7, घनश्याम पिता हजारीलाल 1/7, गोवर्धन पिता हजारीलाल 1/7, राजकपूर पिता हजारीलाल 1/7, रघुनन्दन पिता हजारीलाल 1/7	91	1.2900	0.4692	निजी	सिंचित
83	सलामुद्दीन पुत्र समीर उद्दीन	93/1	0.8000	0.2659	निजी	सिंचित
84	स्नेहलता पत्नी अनिल	93/2	0.6300	0.1751	निजी	सिंचित
85	रेखा उर्फ भूरी पिता हजारीलाल 1/7, संगीता पिता हजारीलाल 1/7, प्रागबाई बेवा हजारीलाल 1/7, घनश्याम पिता हजारीलाल 1/7, गोवर्धन पिता हजारीलाल 1/7, राजकपूर पिता हजारीलाल 1/7, रघुनन्दन पिता हजारीलाल 1/7	92/1	1.5400	0.1647	निजी	सिंचित
86	श्रीमती हाजरा बी पत्नी युसुफ	92/2	2.0000	0.0011	निजी	सिंचित
87	राकेश पुत्र राजाराम 1/2, प्रशांत सिंह पुत्र सीताराम 1/2	95	1.0100	0.2659	निजी	सिंचित
88	सैय्यदताज जफर हुसैन पिता सैय्यद अनवर हुसैन	96/1	0.5050	0.0003	निजी	सिंचित
कुल योग			53.9804	12.1284		

अधिनियम की धारा-15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील कोलार जिला भोपाल के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो तो फाईल किये जा सकेंगे। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील कोलार जिला भोपाल कार्यालय में देखा जा सकता है।

नोट :- उपरोक्त भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि संभावित है।

क्र. 950-भू-अर्जन-2026-रा.प्र.क्र.-25-अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में जिला- भोपाल, तहसील- कोलार के ग्राम सेमरी कलां की निजी भूमि के भू-अधिग्रहण हेतु कालम (6) में वर्णित भूमि, जिसका खसरा क्रमांक वार का विवरण, अनुसूची (2) के खाने (1) से (7) में वर्णित है, अनुसूची (1) के कालम (8) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः **भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।** राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य भोपाल शहर में पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मार्ग के मय पेक्ड शोल्डर निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात अध्ययन किया गया, सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट का मूल्यांकन, भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, जिसमें विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना एक बृहद लोक प्रयोजन की परियोजना है, जिसका निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र में सुलभ एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है, अतः परियोजना से संभावित फायदे सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है। परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापन होने की संभावना नहीं होने से अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

-: अनुसूची (1) :-

क्र. सं.	जिला	तहसील	ग्राम	कुल रकबा (हेक्टे.में)	भू. अर्जन का रकबा (हेक्टे.में)	धारा . 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	भोपाल	कोलार	सेमरी कलां	27.5990 हे.	9.0957 हे.	संभागीय प्रबंधक संभाग भोपाल म.प्र. सडक विकास निगम, भोपाल	पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मय पेक्ड शोल्डर मार्ग निर्माण कार्य (लंबाई 35.61 कि.मी.)

-: अनुसूची (2):-

ग्राम का नाम सेमरी कलां, तहसील- कोलार, जिला - भोपाल

क्र. सं.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टे.में)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे.में)	भूमि की प्रकृति	भूमि क प्रकार
01	02	03	04	05	06	07
1	सुरमनी बाई पत्नी स्व अशोक कुमार मीना एवं अनुराग मीना आत्मज स्व अशोक कुमार मीना	144	1.0700	0.0460	निजी	सिंचित
2	सुरमनी बाई पत्नी स्व अशोक कुमार मीना एवं अनुराग मीना आत्मज स्व अशोक कुमार मीना	145/1	0.5800	0.0910	निजी	सिंचित
3	सीताराम पिता हरप्रसाद 1/4, लक्ष्मीनारायण पिता हरप्रसाद 1/4, भैयालाल पिता हरप्रसाद 1/4, राधेश्याम पिता हरप्रसाद 1/4	145/2	0.2800	0.1650	निजी	सिंचित

4	सीताराम पिता हरप्रसाद 1/4, लक्ष्मीनारायण पिता हरप्रसाद 1/4, भैयालाल पिता हरप्रसाद 1/4, राधेश्याम पिता हरप्रसाद 1/4	146	0.8700	0.6580	निजी	सिंचित
5	रतनबाई वेवा करन सिंह, रूप सिंह, कुंजीलाल, तारा सिंह, सम्बो, राजल, रेशम, सोरम पुत्र पुत्रियां बालाप्रसाद जमनाप्रसाद आ. मयाराम, बागमल, बाबूलाल, अनिल छुहान, अभिषेक, कमलेश, पप्पी, अनिता पुत्र पुत्रीया छगनलाल, प्रसादीबाई वेवा गंगाराम, अनूप सिंह, अचला, मचला पुत्र पुत्रियां उमराव, इमरतबाई वेवा उमराव, मोहर सिंह, जान सिंह, सौरभसिंह पुत्रगण करन सिंह, अनुराग ना. बा. पुत्र स्व. अशोक मीना सर. मां सुरमनी वेवा अशोक, गुलाबबाई विधवा रामचन्द्र, भैयालाल, सीताराम, लक्ष्मीनारायण, राधेश्याम आ. हरप्रसाद,	147	0.6200	0.1130	निजी	सिंचित
6	अनिल पुत्र अनूप सिंह 1/5, भागवतीबाई बेवा अनूप सिंह 1/5, अनिता पुत्री अनूप सिंह 1/5, राजेन्द्र पुत्र अनूप सिंह 1/5, सुनील पुत्र अनूप सिंह 1/5	151	1.2800	0.3570	निजी	सिंचित
7	सीताराम पिता हरप्रसाद 1/4, लक्ष्मीनारायण पिता हरप्रसाद 1/4, भैयालाल पिता हरप्रसाद 1/4, राधेश्याम पिता हरप्रसाद 1/4	242	1.1500	0.0650	निजी	सिंचित
8	चन्द्रशेखर कावलकर पुत्र एसटी कावलकर 1/2, श्रीमती रजनी कावलकर, पत्नी कमलाकर कावलकर ½	232/2	0.4200	0.0120	निजी	सिंचित
9	श्री प्रकाश कुकरेजा पिता स्व श्री गागन दास कुकरेजा	232/1/2	0.4050	0.3850	निजी	असिंचित
10	नारायण सिंह पिता स्व रघुनाथ सिंह	232/1/1	0.5550	0.2580	निजी	असिंचित
11	रामफूल पिता रतनसिंह मीना	233/3	0.3430	0.1910	निजी	असिंचित
12	राकेश पुत्र रतनसिंह मीना	233/5	0.3430	0.1620	निजी	असिंचित
13	महेन्द्र पुत्र रतनसिंह मीना	233/4	0.3440	0.1030	निजी	असिंचित
14	गुलाब बाई बेवा रामचन्द्र	230/1	0.5960	0.0010	निजी	सिंचित
15	अनूप सिंह मीना पिता शंकरलाल मीना	230/2	1.2140	0.8990	निजी	सिंचित
16	जयाती तिवारी दत्ता पिता श्री जितेन्द्र तिवारी (371/13569), शिवानी दुबे पुत्री श्री शैलेन्द्र दुबे (371/13569), श्री जितेन्द्र जौजाल पिता माणिक राव जौजाल एवं दर्शिका जौजाल पत्नी जितेन्द्र जौजाल (371/13569), श्रीमति ज्योति श्याम कुंवर पत्नी मुकेश श्याम कुंवर (1031/13569), नरेश कुमार प्रजापति पिता स्व टी आर प्रजापति (464/13569), श्रीमति एस जयलक्ष्मी पत्नी श्री एम	226/1/1/1	1.3569	0.0140	निजी	असिंचित

	एन श्रीनिवासन (474/13569), श्री श्रेयश श्रीवास्तव पिता श्री आलोक श्रीवास्तव (164/13569), मेसर्स लोटसफार्म एण्ड नर्सरी भोपाल द्वारा प्रोपराइटर मनीष गोधा पिता श्री शिखर चंद गोधा (5890/13569), श्रीमति गौरा सोनी पत्नी श्री सुरेश कुमार सोनी एवं जुही सोनी पुत्री श्री सुरेश कुमार सोनी (372/13569), श्रीमति गायत्री त्यागी पत्नी श्री गया प्रसाद त्यागी (697/13569), मुकेश कुमार श्रीवास्तव पिता सूरज प्रसाद श्रीवास्तव एवं श्रीमति आरती पत्नी मुकेश कुमार श्रीवास्तव (588/13569), श्री राकेश तिवारी पिता श्रीरामलखन तिवारी एवं श्रीमति सरला तिवारी पत्नी श्री राकेश तिवारी (383/13569), श्री अभिषेक श्रीवास्तव पिता श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव एवं श्रीमति अस्तुति सक्सेना पत्नी श्री अभिषेक श्रीवास्तव (412/13569), श्री गौरव सिंह पिता श्री जगदीश सिंह (743/13569), श्री राघवेंद्र त्रिपाठी पिता श्री शिवकुमार त्रिपाठी (371/13569), श्रीमति शीला तिवारी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद तिवारी (567/13569)					
17	श्रीमति गायत्री पत्नी श्री गया प्रसाद त्यागी, श्रीमति गौरा सोनी पत्नी श्री सुरेश कुमार सोनी एवं जुही सोनी पुत्री श्री सुरेश कुमार सोनी, मेसर्स लोटसफार्म एण्ड नर्सरी भोपाल द्वारा प्रोपराइटर मनीष गोधा पिता श्री शिखर चंद गोधा, श्री श्रेयश श्रीवास्तव पिता श्री आलोक श्रीवास्तव, श्रीमति एस जयलक्ष्मी पत्नी श्री एम एन श्रीनिवासन, नरेश कुमार प्रजापति पिता स्व. टी आर प्रजापति	226/1/1/2	0.0567		निजी	आवासीय
18	श्रीमति एस जयलक्ष्मी पत्नी श्री एम एन श्रीनिवासन (474/14600), श्री श्रेयश श्रीवास्तव पिता श्री आलोक श्रीवास्तव (464/14600), नरेश कुमार प्रजापति पिता स्व. टी आर प्रजापति (464/14600), श्रीमति गौरा सोनी पत्नी श्री सुरेश कुमार सोनी एवं जुही सोनी पुत्री श्री सुरेश कुमार सोनी (372/14600), श्रीमति गायत्री त्यागी पत्नी श्री गया प्रसाद त्यागी (697/14600), मेसर्स लोटसफार्म एण्ड नर्सरी भोपाल द्वारा प्रोपराइटर मनीष गोधा पिता श्री शिखर चंद गोधा (12129/14600)	226/1/2	0.0464		निजी	आवासीय
19	मखमल सिंह पिता देवी सिंह	227	1.2200	0.7170	निजी	सिंचित

20	विक्रम सिंह पिता स्व. रूप सिंह (7093/21280), श्रीमति सुमन बाई पत्नी स्व. रूप सिंह(7093/21280), श्रीमति रीना मीना पत्नी स्व महेन्द्र मीना, नाबा सुहानी मीना। नाबा मयंक मीना पुत्र पुत्री स्व महेन्द्र मीना (5934/21280), युवराज चौपडे पुत्र रामचंद चौपडे (232/21280), श्रीमति अनीता पत्नी रोहित सोनी (232/21280), श्रीमति कला बाई पत्नी श्री चिरोजी लाल (232/21280), श्रीमति नीतू नामदेव पत्नी श्री सजय नामदेव (232/21280), श्रीमति कला बाई पत्नी श्री चिरोजी लाल (232/21280),	228/1/1/1/1	2.1280	0.9517	निजी	असिंचित
21	मेसर्स माधव इन्टर प्राइजेज द्वारा अधिकृत श्री अशोक सिंह	228/1/1/1/2	0.8090		निजी	असिंचित
22	मेसर्स माधव इन्टर प्राइजेज द्वारा अधिकृत श्री अशोक सिंह	228/1/1/2/1	0.4740	0.0400	निजी	असिंचित
23	अमित पहिलाजानी पुत्र मनोहर लाल पहिलाजानी	220/1/1	0.7350		निजी	सिंचित
24	किर्ती पत्नी रमेश गुप्ता	220/1/2	0.0740	0.2600	निजी	सिंचित
25	राजेन्द्र मीना पुत्र अनूप सिंह सुनील मीना पुत्र अनूप सिंह अनिल मीना पुत्र अनूप सिंह	220/2	1.3110		निजी	सिंचित
26	रामफूल पिता रतनसिंह मीना	167/1	0.1260	0.0040	निजी	असिंचित
27	राकेश पुत्र रतनसिंह मीना	167/3	0.1270	0.0520	निजी	असिंचित
28	महेन्द्र पुत्र रतनसिंह मीना	167/2	0.1270	0.0930	निजी	असिंचित
29	सीताराम पिता हरप्रसाद 1/4, लक्ष्मीनारायण पिता हरप्रसाद 1/4, भैयालाल पिता हरप्रसाद 1/4, राधेश्याम पिता हरप्रसाद 1/4	166	0.2200	0.1970	निजी	सिंचित
30	सीताराम पिता हरप्रसाद 1/4, लक्ष्मीनारायण पिता हरप्रसाद 1/4, भैयालाल पिता हरप्रसाद 1/4, राधेश्याम पिता हरप्रसाद 1/4	139	0.1200	0.0820	निजी	सिंचित
31	हिम्मत सिंह पिता बाला प्रसाद	137/1, 138	0.8480	0.6340	निजी	सिंचित
32	सीताराम पिता हरप्रसाद 1/4, लक्ष्मीनारायण पिता हरप्रसाद 1/4, भैयालाल पिता हरप्रसाद 1/4, राधेश्याम पिता हरप्रसाद 1/4	140/1	0.4000	0.3020	निजी	सिंचित
33	सुरमनी बाई मीना पत्नी स्व अशोक कुमार मीना एवं अनुराग मीना आत्मज स्व अशोक कुमार मीना	140/2	1.1800	0.3450	निजी	सिंचित
34	सुरमनी बाई मीना पत्नी स्व अशोक कुमार मीना एवं अनुराग मीना आत्मज स्व अशोक कुमार मीना	141	1.8600	0.7730	निजी	सिंचित
35	सुरमनी बाई मीना पत्नी स्व अशोक कुमार मीना एवं अनुराग मीना आत्मज स्व अशोक कुमार मीना	142	1.4500	0.3160	निजी	सिंचित
36	सुरमनी बाई मीना पत्नी स्व अशोक कुमार मीना एवं अनुराग मीना आत्मज स्व अशोक कुमार मीना	143	2.8600	0.8090	निजी	सिंचित
	कुल योग		27.5990	9.0957		

अधिनियम की धारा-15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील कोलार जिला भोपाल के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हों तो फाईल किये जा सकेंगे। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील कोलार जिला भोपाल कार्यालय में देखा जा सकता है।

नोट :- उपरोक्त भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि संभावित है।

क्र. 952-भू-अर्जन-2026-रा.प्र.क्र.-27-अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में जिला- भोपाल, तहसील- कोलार के ग्राम पिपलिया केशो की निजी भूमि के भू-अधिग्रहण हेतु कालम (6) में वर्णित भूमि, जिसका खसरा क्रमांक वार का विवरण, अनुसूची (2) के खाने (1) से (7) में वर्णित है, अनुसूची (1) के कालम (8) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य भोपाल शहर में पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मार्ग के मय पेव्हाड शोल्डर निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाज्यात अध्ययन किया गया, सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट का मूल्यांकन, भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, जिसमें विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना एक बृहद लोक प्रयोजन की परियोजना है, जिसका निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र में सुलभ एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है, अतः परियोजना से संभावित फायदे सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है। परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापन होने की संभावना नहीं होने से अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

- अनुसूची (1) :-

क्र. सं.	जिला	तहसील	ग्राम	कुल रकबा (हेक्टे.में)	भू. अर्जन का रकबा (हेक्टे.में)	धारा . 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	भोपाल	कोलार	पिपलिया केशो	31.7530 हे.	8.9514 हे.	संभागीय प्रबंधक संभाग भोपाल म.प्र. सडक विकास निगम,भोपाल	पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्हाड शोल्डर मार्ग निर्माण कार्य (लंबाई 35.61 कि.मी.)

- अनुसूची (2) :-

ग्राम का नाम पिपलिया केशो, तहसील- कोलार, जिला - भोपाल

क्र. सं.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टे.में)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे.में)	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06	07
1	राजमल पिता मिश्री लाल	144	0.6500	0.0572	निजी	सिंचित
2	गोविन्द सिंह पिता बटनलाल	146	0.5500	0.1917	निजी	सिंचित
3	नवीन मीना पिता स्व श्री हरी सिंह मीना	147/1	0.1600	0.1551	निजी	असिंचित
4	जितेन्द्र मीना पिता स्व श्री हरि सिंह मीना	147/2	0.1500	0.0351	निजी	असिंचित
5	शिवराज सिंह पिता राजमल	149	0.9700	0.2687	निजी	सिंचित
6	श्रीमती सौरम मीना पत्नी स्व रघुवीर सिंह एवं दीपक रंजीत नीतू पुत्र पुत्रिया स्व रघुवीर सिंह	150/1	0.0700	0.1895	निजी	असिंचित
7	प्रीतम सिंह मारन पुत्र ठाकुर प्रसाद मारन 1/5, छगनसिंह मारन पुत्र ठाकुर प्रसाद मारन 1/5, गुलाब सिंह मारन पुत्र ठाकुर प्रसाद मारन 1/5, दलसिंह मारन पुत्र ठाकुर प्रसाद मारन 1/5, जगदीश मारन पुत्र ठाकुर प्रसाद मारन 1/5	150/2	0.8100		निजी	सिंचित

8	सुमेर सिंह पिता बटन लाल	151	0.4500	0.0920	निजी	असिंचित
9	नवीन मीना पिता स्व श्री हरी सिंह मीना	152/1	0.1600	0.0956	निजी	असिंचित
10	नवीन मीना पिता स्व श्री हरी सिंह मीना	141/1	0.4100	0.0264	निजी	सिंचित
11	श्रीमती फूलवती पत्नी सुमेर सिंह मीना 1/2, श्रीमती विमलाबाई पत्नी हरीसिंह मीना 1/2	143	0.6600	0.1419	निजी	सिंचित
12	भागीरथ पिता बालाप्रसाद (4750/8800), राज कुमार मीना पिता जगदीश मीना(4050/8800)	131	0.8800	0.1111	निजी	सिंचित
13	सिमरन सिंह गोरेवारा पिता श्री हरपाल सिंह गोरेवारा	133/1	0.0250	0.2632	निजी	असिंचित
14	चेतन पाटीदार पिता श्री रमेशचंद्र पाटीदार	133/2	1.2150		निजी	असिंचित
15	रंजीत सिंह पुत्र सरदार अमरीक सिंह	132	1.0400	0.6858	निजी	असिंचित
16	रंजीत सिंह पुत्र सरदार अमरीक सिंह	136	0.2000	0.0939	निजी	असिंचित
17	श्रीमति सावित्री देवी पति गोरेलाल	135/1	0.8000	0.4612	निजी	असिंचित
18	श्रीमती सुरेन्द्र कौर पति सरदार रंजीत सिंह	135/2	0.4000		निजी	असिंचित
19	रंजीत सिंह पुत्र सरदार अमरीक सिंह	139	0.3500	0.0451	निजी	असिंचित
20	प्रीतम सिंह मारन पुत्र ठाकुर प्रसाद मारन 1/5, छगनसिंह मारन पुत्र ठाकुर प्रसाद मारन 1/5, गुलाब सिंह मारन पुत्र ठाकुर प्रसाद मारन 1/5, दलसिंह मारन पुत्र ठाकुर प्रसाद मारन 1/5, जगदीश मारन पुत्र ठाकुर प्रसाद मारन 1/5	153/1	0.7253	0.0303	निजी	सिंचित
21	श्री अमित तिवारी पिता श्री ओमप्रकाश तिवारी	153/2	0.2147		निजी	सिंचित
22	श्रीमती विमलाबाई पत्नी देशराज सिंह	199	0.4200	0.2335	निजी	सिंचित
23	श्री प्रशांत चित्रे पिता श्री रामचंद्र चित्रे (498/2300), श्रीमती विमलाबाई पत्नी देशराज सिंह (1802/2300)	200/1	0.2300	0.4314	निजी	सिंचित
24	श्री प्रशांत चित्रे पिता श्री रामचंद्र चित्रे (231/5700), श्रीमती विमलाबाई पत्नी देशराज सिंह (5469/5700)	200/2	0.5700		निजी	सिंचित
25	मेहताब सिंह पिता जगन्नाथ पाटीदार	218	0.4000	0.0002	निजी	सिंचित
26	देवेश चौहान पिता श्री सीताराम ठाकुर	208	0.5000	0.0744	निजी	असिंचित
27	देवेश चौहान पिता श्री सीताराम ठाकुर	207	0.1400	0.0609	निजी	असिंचित
28	सीताराम ठाकुर पिता अचछेलाल ठाकुर	206/2	0.1010	0.1010	निजी	असिंचित
29	लखनलाल मीना पुत्र बालाप्रसाद	206/1	0.0290	0.0290	निजी	असिंचित
30	श्रीमती विमलाबाई पत्नी देशराज सिंह	205/1/1	0.1300	0.6129	निजी	असिंचित
31	सीताराम ठाकुर पिता अचछेलाल ठाकुर	205/1/2	0.2000		निजी	असिंचित
32	श्रीमति कृष्णा चौहान पत्नी एस आर चौहान	205/2	0.4200		निजी	असिंचित
33	देशराज सिंह पिता जगन्नाथ सिंह	203	0.4500	0.0798	निजी	सिंचित
34	प्रकाश पिता बद्रीप्रसाद मीना	123/1	1.6000	0.1290	निजी	सिंचित
35	उमेशसिंह पिता मन्नूलाल 1/2, बृजलाल पिता मन्नूलाल 1/2	123/2	0.0800		निजी	सिंचित

36	प्रकाश पिता बट्टीप्रसाद मीना	123/3	0.2000		निजी	सिंचित
37	प्राण सिंह पिता विश्राम सिंह	123/5	0.4000	0.0312	निजी	सिंचित
38	प्रीतम सिंह पिता गंगाराम	123/4	0.2900	0.0945	निजी	सिंचित
39	राकेश मीना पिता राजमल मीना	242	0.6600	0.2947	निजी	असिंचित
40	राजेश मीना पिता राजमल मीना	243	0.7200	0.3631	निजी	सिंचित
41	विमल सिंह पुत्र देवी सिंह	241	0.2600	0.2011	निजी	असिंचित
42	दिनेन्द्र पाराशर पुत्र वंशीधर पाराशर (557/9410), राजमल पुत्र देवीसिंह(8853/9410)	240/1/1	0.9410	0.0256	निजी	असिंचित
43	संगीता पाराशर पत्नी दिनेन्द्र पाराशर	240/1/2	0.0920		निजी	असिंचित
44	श्रीमती सविता सक्सेना पत्नी सुनील सक्सेना	240/2	0.0320		निजी	असिंचित
45	राजदुलारी परिता पत्नी जयसिंह परिता जयसिंह आ हीरालाल	240/3	0.0180		निजी	असिंचित
46	पुनीत पाठक पिता डी एस पाठक	240/4	0.0370		निजी	असिंचित
47	श्यामबाई पुत्री इमरतलाल 1/5, गनेशीबाई बेवा इमरतलाल 1/5, शिवप्रसाद पुत्र इमरतलाल 1/5, रामकिशन पुत्र इमरतलाल 1/5, दौलतराम पुत्र इमरतलाल 1/5,	248	1.2800	0.5006	निजी	असिंचित
48	गोविन्द सिंह पिता बटनलाल	264/1	1.2400	0.0191	निजी	असिंचित
49	सुमेर सिंह पिता बटन लाल	264/2	0.8100	0.5541	निजी	असिंचित
50	सुमेर सिंह पिता बटन लाल	266/1	1.4390	0.4440	निजी	सिंचित
51	फरहा खान पत्नी खालिद खान	266/2	0.1410		निजी	सिंचित
52	गजराज सिंह पिता राजमल	260/2	1.5600	0.1333	निजी	सिंचित
53	नवीन मीना पिता स्व श्री हरी सिंह मीना	263/1	1.1500	0.6607	निजी	असिंचित
54	जितेन्द्र मीना पिता स्व श्री हरि सिंह मीना	263/2	0.5400	0.3590	निजी	असिंचित
55	जितेन्द्र मीना पिता स्व श्री हरि सिंह मीना	265	0.2300	0.1651	निजी	असिंचित
56	जितेन्द्र मीना पिता स्व श्री हरि सिंह मीना	267/1/1	0.3900	0.0704	निजी	सिंचित
57	अनिल मीना पिता स्व श्री हरी सिंह मीना	267/1/2	0.9730		निजी	सिंचित
58	लखनलाल मीना पुत्र बालाप्रसाद	291/1	1.6170	0.1883	निजी	सिंचित
59	लखनलाल मीना पुत्र बालाप्रसाद	291/2	0.1730		निजी	सिंचित
60	मुकेश कुमार पुत्र बालाप्रसाद	292	0.4000	0.1507	निजी	सिंचित
कुल योग			31.7530	8.9514		

अधिनियम की धारा-15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील कोलार जिला भोपाल के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो तो फाईल किये जा सकेंगे। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील कोलार जिला भोपाल कार्यालय में देखा जा सकता है।

नोट :- उपरोक्त भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि संभावित है।

क्र. 954-भू-अर्जन-2026-रा.प्र.क्र.-28-अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में जिला- भोपाल, तहसील- कोलार के ग्राम रतनपुर सड़क की निजी भूमि के भू-अधिग्रहण हेतु कालम (6) में वर्णित भूमि, जिसका खसरा क्रमांक वार का विवरण, अनुसूची (2) के खाने (1) से (7) में वर्णित है, अनुसूची (1) के कालम (8) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः **भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।** राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य भोपाल शहर में पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मार्ग के मध्य पेक्ड शोल्डर निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात अध्ययन किया गया, सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट का मूल्यांकन, भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, जिसमें विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना एक बृहद लोक प्रयोजन की परियोजना है, जिसका निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र में सुलभ एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है, अतः परियोजना से संभावित फायदे सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है। परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापन होने की संभावना नहीं होने से अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

- अनुसूची (1) :-

क्र. सं.	जिला	तहसील	ग्राम	कुल रकबा (हेक्टे.में)	भू. अर्जन का रकबा (हेक्टे.में)	धारा . 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	भोपाल	कोलार	रतनपुर सड़क	53.6980हे.	22.4947हे.	संभागीय प्रबंधक संभाग भोपाल म.प्र. सड़क विकास निगम,भोपाल	पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मध्य पेक्ड शोल्डर मार्ग निर्माण कार्य (लंबाई 35.61 कि.मी.)

-अनुसूची (2):-

ग्राम का नाम रतनपुर सड़क, तहसील- कोलार, जिला - भोपाल

क्र. सं.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टे. में)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे. में)	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06	07
1	मनीष गोधा पिता शिखरचंद गोधा	558/1	0.0560	0.0560	निजी	आवासीय
2	मनीष गोधा पिता शिखरचंद गोधा (343/1040), प्रेमलता ठाकुर पत्नि श्री विमलेश सिंह ठाकुर (465/1040), अरुण जैन पुत्र श्री बाबूलाल जैन एवं प्रखर जैन पुत्र श्री अरुण जैन (232/1040)	558/2	0.1040	0.1040	निजी	व्यावसायिक

3	वंदना तोमर पत्नि श्री गोविन्द सिंह तोमर (139/2480), मनीष गोधा पिता शिखरचंद गोधा (2216/2480), योगेश मालवीय पिता श्री रामलाल मालवीय एवं चेतना मालवीय पत्नि योगेश मालवीय (125/2480)	557/1	0.2480	0.3820	निजी	आवासीय
4	प्रखर जैन पिता श्री अरुण जैन (325/1520), मनीष गोधा पिता शिखरचंद गोधा (963/1520) प्रखर जैन पिता श्री अरुण जैन (332/1520)	557/2	0.1520		निजी	व्यावसायिक
5	मनीष गोधा पिता शिखरचंद गोधा (219/350), मखना ब्राम्हणे पत्नि श्री विजय कुमार ब्राम्हणे (131/350)	559/1	0.0350	0.0350	निजी	आवासीय
6	मनीष गोधा पिता शिखरचंद गोधा (1018/1250), महेश कुमार ठाकुर पुत्र श्री नारायण सिंह ठाकुर एवं सुमन ठाकुर पत्नि श्री महेश कुमार ठाकुर (232/1250)	559/2	0.1250	0.1250	निजी	व्यावसायिक
7	मनीष गोधा पिता शिखरचंद गोधा (8243/9350), ममता मालवीय पत्नी धनजी मालवीय (111/9350), भावना बांवर पुत्री गोपाल दास बांवर (111/9350), हरिमोहन साधना शर्मा रजनी भार्गव रेखा शर्मा पिता लालता प्रसाद चौधरी (792/9350), भूपेन्द्र सिंह चौहान पुत्र सीताराम (93/9350)	556/1	0.9350	0.4243	निजी	आवासीय
8	मनीष गोधा पिता शिखरचंद गोधा (1685/1893), हरिमोहन साधना शर्मा रजनी भार्गव रेखा शर्मा पिता लालता प्रसाद चौधरी (208/1893),	556/2/1	0.1893		निजी	व्यावसायिक
9	पयोज जैन पुत्र राजीव कुमार जैन (232/557), पंखुरी जैन पत्नि तरुण जैन पुत्री राजीव कुमार जैन (325/557)	556/2/2	0.0557		निजी	व्यावसायिक
10	किरण महेश्वरी पत्नी श्री सुनील महेश्वरी (357/27700), सुनील महेश्वरी पिता स्व० श्री एस. डी. महेश्वरी एवं अनिल महेश्वरी संजीव महेश्वरी पिता स्व० श्री एस. डी. महेश्वरी (342/27700), राजधानी शिक्षक गृह निर्माण सह० समि० मर्या० भोपाल अध्यक्ष वी०के०शर्मा पुत्र श्री एम०एस० शर्मा (26615/27700), मुकेश गुप्ता पुत्र श्री लखनलाल गुप्ता (195/27700), कस्तूरी देवी गुप्ता पत्नी श्री लखन लाल गुप्ता (191/27700)	551	2.7700	1.1250	निजी	आवासीय

11	रवि दुबे पिता आर. के. दुबे, सुजाता दुबे पत्नि रवि दुबे	552	0.2800	0.2756	निजी	आवासीय
12	उदय दुबे पिता आर. के. दुबे, शालनी दुबे पत्नि उदय दुबे	553	0.2800	0.2609	निजी	आवासीय
13	वृजेश बहादुर सिंह पुत्र जी. पी. सिंह	554	0.5900	0.4237	निजी	आवासीय
14	प्रतीक सिंह परिहार आ. पुष्पराज सिंह परिहार	555/1	0.2800	0.1963	निजी	व्यावसायिक
15	प्रतीक सिंह परिहार आ. पुष्पराज सिंह परिहार	555/2	0.2900		निजी	व्यावसायिक
16	डॉ. रचना श्रीवास्तव पत्नि आर. पी. श्रीवास्तव	546	0.0800	0.0191	निजी	सिंचित
17	असीम धमीजा पिता स्व. श्री आर. धमीजा एवं डॉ. संगीता धमीजा पत्नि श्री असीम धमीजा	547	0.0800	0.0800	निजी	व्यावसायिक
18	श्रीमती रिचा आनन्द पत्नि गुनीत सिंह आनन्द द्वारा मुखताआम गुनीत सिंह आनन्द आ हरदेव सिंह आनन्द	502	0.0600	0.0600	निजी	सिंचित
19	नमिता अग्रवाल पत्नि श्री अखिलेश अग्रवाल	548/1/1	0.0400	0.0674	निजी	सिंचित
20	भावना सिंह पत्नि एच. पी. सिंह	548/1/2	0.0500		निजी	सिंचित
21	अल्पना पांडे पत्नी सुबोध पांडे (50/1600), पंजाबी सनातन समाज भोपाल द्वारा अध्यक्ष संचालक सतीशचन्द्र नागपाल पिता नंदलाल नागपाल (398/1600), पंजाबी सनातन समाज भोपाल द्वारा अध्यक्ष संचालक सतीशचन्द्र नागपाल पिता नंदलाल नागपाल (398/1600), सतीशचन्द्र नागपाल पिता नंदलाल नागपाल, पुनीत नागपाल पिता सतीश चन्द्र नागपाल (1152/1600)	548/2/1	0.1600		निजी	सिंचित
22	पंजाबी सनातन समाज भोपाल द्वारा अध्यक्ष संचालक सतीशचन्द्र नागपाल पिता नंदलाल नागपाल (866/1500), पंजाबी सनातन समाज भोपाल द्वारा अध्यक्ष संचालक सतीशचन्द्र नागपाल पिता नंदलाल नागपाल (866/1500), सतीशचन्द्र नागपाल पिता नंदलाल नागपाल, पुनीत नागपाल पिता सतीश चन्द्र नागपाल (634/1500)	548/2/2	0.1500		निजी	सिंचित
23	श्रीमती रिचा आनन्द पत्नि गुनीत सिंह आनन्द द्वारा मुखताआम गुनीत सिंह आनन्द आ हरदेव सिंह आनन्द	501	0.0700	0.0681	निजी	सिंचित

24	शैलीना भसीन पत्नि श्री हर्षवर्धन तिवारी (600/1200), सीमा तिवारी पत्नि श्री राकेश तिवारी (600/1200)	503/1	0.0600	0.0600	निजी	व्यावसायिक
25	शैलीना भसीन पत्नि श्री हर्षवर्धन तिवारी (600/1200), सीमा तिवारी पत्नि श्री राकेश तिवारी (600/1200)	503/2	0.0600	0.0600	निजी	व्यावसायिक
26	शिखा कपूर पत्नि उत्तम कपूर	504	0.0700	0.0700	निजी	सिंचित
27	गोपाल महेश्वरी ना.बा. पिता माखानलाल पालक पिता स्वयं	505	0.0400	0.0400	निजी	सिंचित
28	रूपकुमार पिता सीताराम गुप्ता	506	0.0800	0.0617	निजी	आवासीय
29	संगीता मुदलियार पत्नि श्री संजय मुदलियार, संजय मुदलियार पुत्र स्व. श्री व्ही एस मुदलियार	507	0.0700	0.0112	निजी	आवासीय
30	दिनेशचन्द्र देवनाथ पिता राधिका देवनाथ	508	0.0700	0.0700	निजी	सिंचित
31	रूपकुमार पिता सीताराम गुप्ता	509	0.0700	0.0700	निजी	सिंचित
32	सुदर्शन सलूजा पुत्र मस्तान सिंह सलूजा एवं सरनजीत सिंह सलूजा पत्नी सुदर्शन सलूजा	510	0.0700	0.0700	निजी	सिंचित
33	शोभा जेशवानी पत्नी सुभाष जेशवानी	511	0.0700	0.0700	निजी	व्यावसायिक
34	शोभा जेशवानी पत्नी सुभाष जेशवानी	512	0.0700	0.0680	निजी	व्यावसायिक
35	शोभा जेशवानी पत्नी सुभाष जेशवानी	513	0.0700	0.0280	निजी	व्यावसायिक
36	माखन पिता राधा किशन देवनाथ	515	0.0700	0.0031	निजी	सिंचित
37	श्रीमती दुर्गेश भदौरिया पत्नि शलभ भदौरिया, श्रीमति निशा भदौरिया पत्नि शलभ भदौरिया	530	0.1100	0.0321	निजी	सिंचित
38	राजकुमारी वाधवानी पत्नि अर्जुनदास वाधवानी	529	0.0700	0.0700	निजी	सिंचित
39	मनीष बाथम पुत्र लक्ष्मीनारायण बाथम	528	0.0800	0.0800	निजी	सिंचित
40	नरेन्द्र सिंह पाल पिता नारायण पाल (707/800), गीताबाई कुशवाहा पत्नि कन्हेदीलाल कुशवाहा (93/800)	527	0.0800	0.0800	निजी	आवासीय
41	मोहम्मद नदीमखान, मोहम्मद जोहेबखान, मोहम्मद दानिश खान पिता मोहम्मद सलीम पाशा	525	0.0700	0.0003	निजी	सिंचित

42	भैरोसिंह, केशरीसिंह पिता गंगाराम, जगदीश, प्रकाश, नानीबाई, भूरीबाई, मंगलबाई पिता अमरसिंह शांतिबाई बेबा अमरसिंह (22/800), राधाबाई पत्नी केशवराम वर्मा (198/800), डी० पी० राय पिता भुवनेश्वर राय (131/800), विजय कुमार मिश्रा पिता शिवशंकर मिश्रा (196/800), विजय कुमार मिश्रा पिता स्व. श्री शिवशंकर मिश्रा (253/800)	524	0.0800	0.0398	निजी	सिंचित
43	मैसर्स डी डी ग्लोबल वेंचर्स	23	1.2500	0.1053	निजी	सिंचित
44	राधा बाई बेवा श्याम सिंह 1/6, नर सिंह पिता श्याम सिंह 1/6, करण सिंह पिता श्याम सिंह 1/6, भगवान सिंह पिता श्याम सिंह 1/6, लाड सिंह पिता श्याम सिंह 1/6, लाडकुवर सिंह पिता श्याम सिंह 1/6	24	1.2800	0.1067	निजी	सिंचित
45	कमल सिंह पुत्र कालूराम	25	1.2800	0.7175	निजी	सिंचित
46	अमान सिंह परमार पुत्र स्व. पदम सिंह परमार	26/1	0.0840	0.2447	निजी	सिंचित
47	देव करन परमार पुत्र स्व. पदम सिंह परमार	26/2	0.0830		निजी	सिंचित
48	हेमराज परमार पुत्र स्व. पदम सिंह परमार	26/3	0.0830		निजी	सिंचित
49	काशीप्रसाद पिता दरयाव सिंह	27/1	0.1600	0.1565	निजी	सिंचित
50	दुर्गा प्रसाद पिता दरयाव सिंह	27/2	0.1600		निजी	सिंचित
51	कैलाशनारायण पुत्र प्रेमनारायण (1117/2100), डा.शीलाठाकुर पत्नि हरनाम सिंह ठाकुर, हरनाम सिंह ठाकुर पिता खेत सिंह ठाकुर (350/2100), बलवान सिंह परमार पिता केसरी सिंह परमार(188/2100), अजय शुक्ला पिता राम किशोर शुक्ला (257/2100), दुर्गा प्रसाद परमार पिता केसरी सिंह परमार (188/2100)	28/1	0.2100	0.0042	निजी	सिंचित
52	अमान सिंह परमार पुत्र स्व. पदम सिंह परमार	41/1	0.0900	0.0011	निजी	सिंचित
53	देव करन परमार पुत्र स्व. पदम सिंह परमार	41/2	0.0900		निजी	सिंचित
54	हेमराज परमार पुत्र स्व. पदम सिंह परमार	41/3	0.0900		निजी	सिंचित
55	भैरो सिंह पिता गंगाराम	42	0.5600	0.2813	निजी	सिंचित
56	मैसर्स डी डी ग्लोबल वेंचर्स	43	0.5600	0.3519	निजी	व्यावसायिक

57	प्रकाशनारायण पिता तुलसीराम	44	4.1900	0.5796	निजी	सिंचित
58	जीवन सिंह पिता श्रीमल	45	1.2100	0.3481	निजी	सिंचित
59	धिसिया बाई बेवा मिश्रीलाल परमार 1/2, छगनमल परमार पिता मिश्रीलाल परमार 1/2	46	0.8300	0.6779	निजी	सिंचित
60	किरण साहू पत्नि अनुपम साहू	47/1	0.0778	0.0759	निजी	व्यावसायिक
61	मनीषा सोनी पत्नि क्षितिज वर्मा	47/2/1	0.0469		निजी	व्यावसायिक
62	देवकली परमार पत्नी भगवत सिंह परमार, विजय सिंह परमार, तेज सिंह परमार पिता भगवत सिंह परमार (1905/7953), शैलेन्द्र साहू पिता जगदीश साहू (279/7953), कन्हैयालाल साहू पिता गौरिलाल साहू (279/7953), पवन बाई पत्नी श्री मनमोहन सिंह (118/7953), रेखा अग्रवाल पत्नी दिनेश अग्रवाल (461/7953), भारती गोयल पत्नी अशोक कुमार गोयल (466/7953), सुनीता बाई पत्नी शिव प्रसाद वर्मा (114/7953), शिवा शाक्या पिता दयालाल शाक्या (416/7953), अशोक कुमार वासवानी पिता कन्हैयालाल वासवानी (1837/7953), रेखा अग्रवाल पत्नी दिनेश अग्रवाल (445/7953), स्वाति आर्य पत्नी रोमित कुमार आर्य (471/7953), सुनील सोनी पिता रामगोपाल सोनी (465/7953), अंजली अग्रवाल पत्नी राजीव अग्रवाल(697/7953)	47/2/2	0.7953		निजी	आवासीय
63	श्रीमल पिता भगीरथ	271	0.1000	0.0653	निजी	सिंचित
64	नारायण सिंह पिता भगीरथ	272	0.1000	0.0180	निजी	सिंचित
65	अर्पिता जैन पत्नि श्री निशित जैन (465/1800), सुशीला ठाकुर पत्नि लक्ष्मण सिंह ठाकुर (1155/1800), रजनी चंसोरिया पत्नि स्व. श्री अरुण कुमार चंसोरिया एवं रुपेश कुमार खेमरिया पिता श्री हरिशंकर खेमरिया (150/1800), रुपेश कुमार खेमरिया पिता श्री हरिशंकर खेमरिया (30/1800)	265	0.1800	0.0006	निजी	आवासीय
66	मालती भोजवानी पति डॉ. नेहरु भोजवानी	100	0.9200	0.4071	निजी	सिंचित
67	मालती भोजवानी पति डॉ. नेहरु भोजवानी	101	0.9200	0.5687	निजी	सिंचित
68	मालती भोजवानी पति डॉ. नेहरु भोजवानी	102	0.0900	0.0172	निजी	सिंचित
69	मालती भोजवानी पति डॉ. नेहरु भोजवानी	103	0.1000	0.0491	निजी	सिंचित

70	मालती भोजवानी पति डॉ. नेहरु भोजवानी	104	0.1000	0.0860	निजी	सिंचित
71	मालती भोजवानी पति डॉ. नेहरु भोजवानी	105	0.1000	0.1000	निजी	सिंचित
72	देवकली पत्नि भगवत सिंह 1/3, विजय सिंह पिता भगवत सिंह 1/3, तेज सिंह पिता भगवत सिंह 1/3	106	0.0900	0.0900	निजी	सिंचित
73	सुशीला ठाकुर पत्नि लक्ष्मण सिंह ठाकुर	107/1	0.1200	0.1047	निजी	सिंचित
74	सुशीला ठाकुर पत्नि लक्ष्मण सिंह ठाकुर	107/2	0.1200		निजी	व्यावसायिक
75	सुशीला ठाकुर पत्नि लक्ष्मण सिंह ठाकुर	108/1	0.2400	0.1650	निजी	सिंचित
76	सुशीला ठाकुर पत्नि लक्ष्मण सिंह ठाकुर	108/2	0.0750		निजी	व्यावसायिक
77	सुशीला ठाकुर पत्नि लक्ष्मण सिंह ठाकुर	109	0.2400	0.0142	निजी	सिंचित
78	लाडसिंह पिता श्याम सिंह परमार	112/1	0.0800	0.1462	निजी	सिंचित
79	भगवान सिंह पिता श्याम सिंह परमार	112/2	0.1200		निजी	सिंचित
80	करन सिंह पिता श्याम सिंह परमार	112/3	0.2700		निजी	सिंचित
81	नर सिंह पिता श्याम सिंह परमार	112/4	0.3200		निजी	सिंचित
82	लोकेश मीरचंदानी पिता रमेश मीरचंदानी	112/5/1	0.1400		निजी	सिंचित
83	जया मीरचंदानी पत्नि प्रकाश मीरचंदानी	112/5/2	0.1400		निजी	सिंचित
84	धीसीलाल पिता भागीरथ	115/1	0.4200	0.0545	निजी	सिंचित
85	धीसीलाल पिता भागीरथ	115/2	0.2000	0.0483	निजी	सिंचित
86	धीसीलाल पिता भागीरथ	115/3	0.2000	0.0722	निजी	सिंचित
87	मेसर्स सारथी एसोसिएट्स फर्म द्वारा पार्टनर संचालक मुकेश बोराना पिता मोतीलाल बोराना, सुरेशचन्द्र सेठ पिता सीताराम शरण सेठ	116	0.1400	0.1400	निजी	सिंचित
88	विरेन्द्र सिंह पिता हिम्मत सिंह परमार	117/1/1	0.0385	0.1400	निजी	व्यावसायिक
89	माधो सिंह पिता हिम्मत सिंह	117/1/2	0.0815		निजी	व्यावसायिक
90	मेसर्स सारथी एसोसिएट्स फर्म द्वारा पार्टनर संचालक मुकेश बोराना पिता मोतीलाल बोराना, सुरेशचन्द्र सेठ पिता सीताराम शरण सेठ	117/2	0.0200		निजी	सिंचित
91	भूरी बेवा गोपाल 1/4, सचिन पिता गोपाल 1/4, स्वाति पिता गोपाल 1/4, स्मिता पिता गोपाल 1/4,	1103/116/1	0.0815	0.1100	निजी	व्यावसायिक
92	रेशमबाई बेवा हिम्मत सिंह 1/2, कौशल्याबाई पुत्री हिम्मतसिंह 1/2	1103/116/2	0.0285		निजी	व्यावसायिक

93	पन्नालाल पिता रामकिशन परमार	99	0.2100	0.1978	निजी	सिंचित
94	धिसिया बाई बेवा मिश्रीलाल परमार 1/2, छगनमल परमार पिता मिश्रीलाल परमार 1/2	98	0.2100	0.1347	निजी	सिंचित
95	डॉ. मालती भोजवानी पत्नि नेहरु भोजवानी	97	0.2100	0.0057	निजी	सिंचित
96	देवकली पत्नि भगवत सिंह 1/3, विजय सिंह पिता भगवत सिंह 1/3, तेज सिंह पिता भगवत सिंह 1/3,	87	0.0300	0.0131	निजी	सिंचित
97	कौशल्या बाई पत्नि नारायण सिंह	86	0.4300	0.0078	निजी	सिंचित
98	विवेन्द्र सिंह पिता हिम्मत सिंह परमार	132	0.0400	0.0092	निजी	व्यावसायिक
99	पुनमचन्द्र पिता जगन्नाथ सिंह (147/1100), नीरजा साहू पत्नि संजीव कुमार साहू (953/1100)	130	0.1100	0.0042	निजी	सिंचित
100	तरुणा चौहान पत्नि जितेन्द्र सिंह चौहान 1/4, शान्तनाव सिंह पिता जितेन्द्र सिंह 1/4, ईशान सिंह पिता जितेन्द्र सिंह चौहान 1/4, निवेदिता पिता जितेन्द्र सिंह चौहान 1/4	137/1	0.0800	0.1500	निजी	सिंचित
101	मेसर्स लीला डेवलपर्स अधिकृत संचालक जगमोहन पाटीदार पिता राजमल पाटीदार	137/2	0.0700		निजी	सिंचित
102	तरुणा चौहान पत्नि जितेन्द्र सिंह चौहान 1/4, शान्तनाव सिंह पिता जितेन्द्र सिंह 1/4, ईशान सिंह पिता जितेन्द्र सिंह चौहान 1/4, निवेदिता पिता जितेन्द्र सिंह चौहान 1/4	140	0.5200	0.3046	निजी	सिंचित
103	तरुणा चौहान पत्नि जितेन्द्र सिंह चौहान 1/4, शान्तनाव सिंह पिता जितेन्द्र सिंह 1/4, ईशान सिंह पिता जितेन्द्र सिंह चौहान 1/4, निवेदिता पिता जितेन्द्र सिंह चौहान 1/4	141/1	0.2800	0.3845	निजी	सिंचित
104	मेसर्स लीला डेवलपर्स अधिकृत संचालक जगमोहन पाटीदार पिता राजमल पाटीदार	141/2	0.5300		निजी	सिंचित
105	मेसर्स लीला डेवलपर्स अधिकृत संचालक जगमोहन पाटीदार पिता राजमल पाटीदार	142/2	0.5000	0.2045	निजी	सिंचित
106	वल्ला उर्फ जानसिंह पुत्र बाफूलाल (1260/3780), विमलाबाई पत्नी शिवप्रसाद राजकुमारी, मंजू पुत्रियां शिवप्रसाद (1260/3780), राहुल सिंह पुत्र धनुषधर सिंह (41/3780), शाहिद उल्ला बेग पुत्र हबीब उल्ला बेग, हसीब बेग पुत्र हबीब उल्ला बेग (506/3780), ओमप्रकाश पुत्र बाफूलाल (348/3780), सुशिला सिंह पत्नी हरेन्द्र सिंह (465/3780)	143/1	0.3780	0.0008	निजी	सिंचित

107	सुमन दांगी पत्नि तेजबहादुर दांगी उर्फ काला पटेल	143/2	0.2020		निजी	सिंचित
108	विमलाबाई पत्नि शिवनारायण 1/3, राजकुमारी नाबा पुत्री शिवनारायण 1/3, मंजू नाबा पुत्री शिवनारायण 1/3	143/3	0.2000		निजी	सिंचित
109	विमलाबाई पत्नि शिवनारायण 1/9, राजकुमारी नाबा पुत्री शिवनारायण 1/9, मंजू नाबा पुत्री शिवनारायण 1/9 ओमप्रकाश पुत्र बाफूलाल 1/3, वल्ला उर्फ ज्ञान सिंह पुत्र बाफूलाल 1/3	143/4	0.4000		निजी	सिंचित
110	संतोष पाल पत्नी नारायण सिंह पाल (303/800), दिव्या रजक पत्नी लखन सिंह (190/800), रेखा जगदेव पत्नी ब्रजलाल जगदेव (84/800), हेमलता यादव, हेमलताराम कुवंरयादव पत्नी राजेश्वर सिंह (223/800)	526	0.0800	0.0668	निजी	आवासीय
111	रचना जैन पत्नि संजीव जैन (4202/12360), डॉ. सुधा जैन पत्नि डॉ. आर. के. जैन (4079/12360), मीता जैन पत्नि संजय जैन (4079/12360)	532	0.2560	0.0234	निजी	सिंचित
112	गोपाल महेश्वरी नाबा पिता माखानलाल पालक पिता स्वयं	496	0.0800	0.0059	निजी	सिंचित
113	निशांत जैन पिता देवेंद्र कुमार जैन 1/4, राकेंदु पाण्डेय पिता रमेश कुमार पाण्डेय 1/4, विजय शंकर पाण्डेय पिता लवकुश पाण्डेय 1/4, रोहित कुमार तिवारी पिता राजीव तिवारी 1/4	499	0.0700	0.0397	निजी	सिंचित
114	शैलेन्द्र गुप्ता पुत्र स्व. ए.एन. गुप्ता कर्ता एच यू एफ	500	0.0700	0.0014	निजी	व्यावसायिक
115	राजेश कुमार पुत्र मोहनलाल गंगवानी	550	0.9100	0.0660	निजी	सिंचित
116	जयादेवी वर्मा पत्नि एस.एन. वर्मा	541	0.8100	0.0402	निजी	आवासीय
117	नटराज को. हाउसिंग लिमि. भोपाल द्वारा अध्यक्ष ए. एन. गुप्ता पिता लालदामोदर रावदास, रजिस्टार सहकारी समिति की अनुमति के बगैर अहस्तान्तरणीय	843/1	0.1380	0.0277	निजी	सिंचित
118	श्रीमती सुनीता पत्नी सुरेश माहेश्वरी श्रीमती एच.एस0बब्बर पत्नी दीपक बब्बर भूमिस्वामी अहस्तान्तरणीय	843/2	0.0520		निजी	सिंचित
119	नटराज को. हाउसिंग लिमि. भोपाल द्वारा अध्यक्ष ए. एन. गुप्ता पिता लालदामोदर रावदास, रजिस्टार सहकारी समिति की अनुमति के बगैर अहस्तान्तरणीय	846	0.4500	0.1160	निजी	आवासीय

120	नटराज को. हाउसिंग लिमि. भोपाल द्वारा अध्यक्ष ऐ. एन. गुप्ता पिता लालदामोदर रावदास, रजिस्टार सहकारी समिति की अनुमति के बगैर अहस्तान्तरणीय	845	0.0800	0.0678	निजी	आवासीय
121	नटराज को. हाउसिंग लिमि. भोपाल द्वारा अध्यक्ष ऐ. एन. गुप्ता पिता लालदामोदर रावदास, रजिस्टार सहकारी समिति की अनुमति के बगैर अहस्तान्तरणीय	844	0.1300	0.1300	निजी	आवासीय
122	नटराज को. हाउसिंग लिमि. भोपाल द्वारा अध्यक्ष ऐ. एन. गुप्ता पिता लालदामोदर रावदास, रजिस्टार सहकारी समिति की अनुमति के बगैर अहस्तान्तरणीय	841	0.2300	0.2300	निजी	आवासीय
123	नटराज को. हाउसिंग लिमि. भोपाल द्वारा अध्यक्ष ऐ. एन. गुप्ता पिता लालदामोदर रावदास, रजिस्टार सहकारी समिति की अनुमति के बगैर अहस्तान्तरणीय	842	0.1900	0.0231	निजी	आवासीय
124	नटराज को. हाउसिंग लिमि. भोपाल द्वारा अध्यक्ष ऐ. एन. गुप्ता पिता लालदामोदर रावदास, रजिस्टार सहकारी समिति की अनुमति के बगैर अहस्तान्तरणीय	840	0.5500	0.0966	निजी	आवासीय
125	नटराज को. हाउसिंग लिमि. भोपाल द्वारा अध्यक्ष ऐ. एन. गुप्ता पिता लालदामोदर रावदास, रजिस्टार सहकारी समिति की अनुमति के बगैर अहस्तान्तरणीय	839	0.2400	0.0624	निजी	आवासीय
126	धीसीलाल पिता भागीरथ	121	0.5900	0.1722	निजी	सिंचित
127	कुलदीप पुत्र प्रेमनारायण (1460/1800), कृष्णगोपाल मिश्रा पुत्र भगवत शरण मिश्रा (340/1800)	28/2	0.1800	0.0382	निजी	सिंचित
128	धुवनारायण सिंह पिता स्व. जी एन. सिंह आदित्यविजय सिंह आ. धुवनारायण सिंह यशवीर सिंह आ. धुवनारायण सिंह	564	0.1000	0.1000	निजी	सिंचित
129	धुवनारायण सिंह पिता स्व. जी एन. सिंह आदित्यविजय सिंह आ. धुवनारायण सिंह यशवीर सिंह आ. धुवनारायण सिंह	565	0.1000	0.1000	निजी	सिंचित
130	धुवनारायण सिंह पिता स्व. जी एन. सिंह आदित्यविजय सिंह आ. धुवनारायण सिंह यशवीर सिंह आ. धुवनारायण सिंह	566	0.1000	0.1000	निजी	सिंचित
131	श्रीमति कमलजीत पत्नी जी सिंह 4/5, लोक निर्माण विभाग म.प्र. शासन एन.एच.12, 1/5	567	0.1000	0.1000	निजी	सिंचित

132	हुकूमचंद पिता हीरालाल साहू 3/4, लोक निर्माण विभाग म.प्र. शासन एन.एच.12 1/4	568/1	0.0240	0.0240	निजी	सिंचित
133	हुकूमचंद पिता हीरालाल साहू 3/4, लोक निर्माण विभाग म.प्र. शासन एन.एच.12 1/4	568/2	0.0760	0.0760	निजी	व्यावसायिक
134	संजीव जैन पिता डी सी जैन 17/20, लोक निर्माण विभाग म.प्र. शासन एन.एच.12 3/20	569	0.1000	0.1000	निजी	सिंचित
135	श्रीमति रूपकुमारी रिछारिया पत्नी रमेश कुमार रिछारिया	570/1/1	0.0750	0.0750	निजी	व्यावसायिक
136	मनीष जैन पिता बागमल जैन	570/2	0.1000	0.1000	निजी	सिंचित
137	लोकनिर्माण विभाग मध्यप्रदेश शासन एच.एच. 12 4/51, वासुदेव वाधवानी पिता विक्रम वाधवानी 47/51	571	0.5100	0.5100	निजी/ सरकारी	निजी/ सरकारी
138	लोकनिर्माण विभाग मध्यप्रदेश शासन एच.एच. 12 3/10, राजेश कुमार जैन राकेश कुमार जैन पिता प्रकाश कुमार जैन तातेड़ 7/10	574/2	0.2000	0.2000	निजी/ सरकारी	पी.डबल्यू.डी. विभाग/ असिंचित
139	निखिल कुमार पुत्र कमलकुमार जैन एवं कमला पाटीदार पत्नी महेश पाटीदार	573	0.2000	0.2000	निजी	सिंचित
140	निखिल कुमार पुत्र कमलकुमार जैन एवं कमला पाटीदार पत्नी महेश पाटीदार	572	0.0200	0.0200	निजी	सिंचित
141	अनिलकुमार पिता शंकरलाल (33/40), लोकनिर्माण विभाग मध्यप्रदेश शासन एच.एच. 12 (7/40),	575	0.4000	0.4000	निजी/ सरकारी	पी.डबल्यू.डी. विभाग/ असिंचित
142	महेश कुमार पिता शंकरलाल लीला 1/2, ईशाल कुमार नाबालिग पिता महेशकुमार लीला संरक्षक वली पिता स्वयं	576/1/1	0.5120	0.5120	निजी	सिंचित
143	निखिल कुमार पुत्र कमलकुमार जैन एवं कमला पाटीदार पत्नी महेश पाटीदार	577	0.4300	0.4300	निजी	सिंचित
144	मैसर्स प्रोजेक्तीपार्टनर सिवफार्म दिनेश कुमार साबू पिता सत्यनारायण साबू	578	0.4100	0.4100	निजी	सिंचित
145	सुनीता जैन पत्नी स्व श्री प्रदीप जैन एवं दिव्यता गर्ग, नमता सहगल, विक्रान्त जैन, पुत्र पुत्रियां स्व. श्री प्रदीप जैन	579	0.4100	0.4100	निजी	आवासीय
146	अनिल मित्तल पुत्र एम के मित्तल	580/1	0.1300	0.1300	निजी	सिंचित
147	अरुण मित्तल पुत्र एम के मित्तल	580/2	0.1100	0.1100	निजी	सिंचित
148	अनिल मित्तल पुत्र एम के मित्तल	581/1/1	0.2263	0.2263	निजी	सिंचित
149	अरुण मित्तल पुत्र एम के मित्तल	581/1/2	0.1704	0.1704	निजी	सिंचित

150	रवि मित्तल पुत्र एम के मित्तल	581/1/3	0.4533	0.4533	निजी	सिंचित
151	राजेश पिता गुरुदास अरोरा	592/1/1	0.0105	0.4630	निजी	सिंचित
152	राजेश पिता गुरुदास अरोरा	592/1/2	0.0595		निजी	व्यावसायिक
153	अमरजीत सिंह कौर पत्नी गुरुदास अरोरा राजेश कुमार पिता गुरुदास अरोरा	592/2	0.4600		निजी	सिंचित
154	राजेश पिता गुरुदास	591/1	0.4000	0.4000	निजी	सिंचित
155	कल्पना खरे पत्नी राजेन्द्र नारायण खरे (1246/1939), विन्नी अरोरा पत्नी श्री नवीन अरोरा (348/1939), रामजीवन गुर्जर पिता श्री भागीरथ प्रसाद गुर्जर (345/1939)	590/1/1/1/1	0.1939	0.1939	निजी	व्यावसायिक
156	शीतल गुलाटी पत्नी श्री संदीप गुलाटी	590/1/1/1/2	0.0461	0.0461	निजी	व्यावसायिक
157	श्रेयस खरे पिता श्री राजेन्द्र नारायण खरे	590/1/1/2/1	0.0300	0.0300	निजी	व्यावसायिक
158	शीतल गुलाटी पत्नी श्री संदीप गुलाटी	590/1/1/2/2	0.1700	0.1700	निजी	व्यावसायिक
159	शीतल गुलाटी पत्नी श्री संदीप गुलाटी	590/1/2	0.0200	0.0200	निजी	व्यावसायिक
160	मैसर्स आर्बिट इन्फ्रा द्वार अधिकृत विश्वास पर मानी आनंद तामकार रसमीत सिंह मलहोत्रा	593/1/1	0.1260	0.3650	निजी	सिंचित
161	मैसर्स हिमालय डवेलिंग्स कार्या 30 हाबोर्ड शापिंग कम्पलेक्स चेते ब्रिज गोतमनगर भोपाल द्वारा पार्टनर विकाश परमानी पिता हिरदा परमानी	593/1/2/1	0.0380		निजी	आवासीय
162	लोकनिर्माण विभाग मध्यप्रदेश शासन एच.एच. 12	593/1/2/2	0.0360		निजी	आवासीय
163	शासकीय	593/2	1.2900		सरकारी	सड़क
164	दीपक एस. जादौन पुत्र सुरेन्द्र सिंह, श्रीमती भूरी बेन पत्नी सुरेन्द्र सिंह प्रकाश एस. जादौन ना.बा. पुत्र सुरेन्द्र सिंह सर. पिता स्वयं	582/1/1	0.0400	0.1180	निजी	व्यावसायिक
165	दीपक एस. जादौन पुत्र सुरेन्द्र सिंह, श्रीमती भूरी बेन पत्नी सुरेन्द्र सिंह प्रकाश एस. जादौन ना.बा. पुत्र सुरेन्द्र सिंह सर. पिता स्वयं	582/1/2	0.0400		निजी	व्यावसायिक
166	शासकीय	582/2	0.0600		सरकारी	सड़क
167	नरेन्द्र सिंह चौहान पिता श्री प्रेमसिंह चौहान, सतेन्द्र चौहान पिता श्री तुलाराम चौहान	583/1	0.0500	0.1300	निजी	सिंचित

168	शासकीय	583/2	0.0800		सरकारी	सड़क
169	शासकीय	587/1	0.1100		सरकारी	सड़क
170	नरेन्द्र सिंह चौहान पिता श्री प्रेमसिंह चौहान, सतेन्द्र चौहान पिता श्री तुलाराम चौहान	587/2	0.0200	0.0930	निजी	सिंचित
171	जगन्नाथ पिता धनीराम	586/1	0.4600		निजी	सिंचित
172	भोपाल सीहोर मध्य प्रदेश शासन	586/2	0.2600	0.2690	सरकारी	असिंचित
173	राजेश सोनी पिता देवनारायण सोनी, नरेश सोनी पिता देवनारायण सोनी	585/1/1	0.0200		निजी	व्यावसायिक
174	बारेलाल पिता उत्तमचंद विश्वकर्मा	585/1/2	0.0300		निजी	व्यावसायिक
175	लक्ष्मीनारायण पिता नाथूराम झा	585/1/3	0.0250		निजी	व्यावसायिक
176	ममलेश चौहान पिता आर एस चौहान (150/300), सौरभ चौहान पिता आर एस चौहान (150/300)	585/1/4/1/1	0.0300		निजी	व्यावसायिक
177	पन्नलाल साहू पुत्र हीरालाल साहू	585/1/4/1/2	0.0250	0.1900	निजी	व्यावसायिक
178	श्री संचित राठी पिता स्व श्री सुनील राठी	585/1/4/2	0.0090		निजी	व्यावसायिक
179	संचित राठी पिता सुनील राठी	585/1/5	0.0510		निजी	व्यावसायिक
180	संध्या राठी पत्नी सुनील राठी	585/1/6	0.0400		निजी	व्यावसायिक
181	शासकीय भोपाल सीहोर वायपास मध्य प्रदेश शासन	585/2	0.4900		सरकारी	असिंचित
182	एम एस मोसेक इन्फ्रा पार्क द्वारा मैनेजिंगंडाय. हिमांगी शर्मा पत्नी अंकित हि.39 प्रतिशत, अंकित शर्मा पिता जगदीश प्रसाद हि.40 प्रतिशत, मालती शर्मा पत्नी जगदीश हि.5 प्रतिशत, ज्योतिका शर्मा पत्नी अंकुर हि.5 प्रतिशत, जगदीश प्रसाद शर्मा पिता बाबूलाल हि.5 प्रतिशत, अंकुर शर्मा पिता जगदीश हि.5 प्रतिशत, मंजू जैन पत्नी सत्यपाल हि.1 प्रतिशत	562/1	0.3800		निजी	व्यावसायिक
183	एम एस मोसेक इन्फ्रा पार्क द्वारा मैनेजिंगंडाय. हिमांगी शर्मा पत्नी अंकित हि.39 प्रतिशत, अंकित शर्मा पिता जगदीश प्रसाद हि.40 प्रतिशत, मालती शर्मा पत्नी जगदीश हि.5 प्रतिशत, ज्योतिका शर्मा पत्नी अंकुर हि.5 प्रतिशत, जगदीश प्रसाद शर्मा पिता बाबूलाल हि.5 प्रतिशत, अंकुर शर्मा पिता जगदीश हि.5 प्रतिशत, मंजू जैन पत्नी सत्यपाल हि.1 प्रतिशत	562/2	0.4500	0.2830	निजी	व्यावसायिक

184	सुधीर भण्डारी पुत्र प्रकाशचन्द्र भण्डारी	561/1/1	1.2650	0.0680	निजी	सिंचित
185	मनीषा भंडारी पत्नी सुधीर भंडारी	561/1/2	0.4050		निजी	सिंचित
186	सुधीर भण्डारी आ प्रकाशचन्द्र भण्डारी	561/2	0.9700		निजी	व्यावसायिक
187	रंजना मेहता पत्नी हर्षद मेहता	818/1	0.8000	0.3780	निजी	सिंचित
188	सुनील साहू पिता हुकुमचन्द्र साहू	818/2/1	0.0100		निजी	सिंचित
189	राजीव साहू पुत्र हुकुम सिंह साहू	818/2/2	0.2000		निजी	सिंचित
190	राजेश गोयल पिता टी.एन गोयल	817	0.2000	0.0650	निजी	सिंचित
191	राजेश गोयल पिता टी.एन गोयल, प्रवीण गोयल पिता टी.एन गोयल	816	0.1800	0.0870	निजी	सिंचित
192	प्रवीण अग्रवाल पिता त्रिलोकीनाथ गोयल, राजेश गोयल पिता त्रिलोकीनाथ गोयल	813	0.1700	0.0900	निजी	सिंचित
193	श्रीमति लियेन वव्वर पत्नी दीपक वव्वर	812/1	0.3636	0.1160	निजी	सिंचित
194	श्रीमति लियेन वव्वर पत्नी दीपक वव्वर	812/2	0.0464		निजी	व्यावसायिक
195	सुनीलकुमार पिता विमलचन्द्र कौशल	811	0.3800	0.1310	निजी	सिंचित
196	शकुंतला पत्नी ओ पी दीक्षित	810	0.2500	0.2040	निजी	सिंचित
197	अशोक सोनी पुत्र बाबूलाल सोनी	809/1	0.1900	0.1660	निजी	व्यावसायिक
198	सईद खान पिता स्व बज्जू खान	809/2/1	0.0800		निजी	व्यावसायिक
199	बादशाह खान पिता स्व बज्जू खान	809/2/2	0.0700		निजी	व्यावसायिक
200	करन सिंह पिता कुवंरजी	951/1	0.2300	0.0270	निजी	व्यावसायिक
201	हरीश पिता करन सिंह	951/2	0.1500		निजी	व्यावसायिक
202	अनोखी लाल पिता कुवंरजी	952/1	0.1300	0.0760	निजी	व्यावसायिक
203	मनोज कुमार पिता अनोखीलाल	952/2	0.1200		निजी	व्यावसायिक
204	संतोष कुमार पिता अनोखीलाल	952/3	0.1300		निजी	व्यावसायिक
कुल योग			53.6980	22.4947		

अधिनियम की धारा-15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील कोलार जिला भोपाल के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो तो फाईल किये जा सकेंगे। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील कोलार जिला भोपाल कार्यालय में देखा जा सकता है।

नोट :- उपरोक्त भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि संभावित है।

क्र. 958-भू-अर्जन-2026-रा.प्र.क्र.-0013-अ-82-2025-26

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2026

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में जिला- भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम जाटखेड़ी की निजी भूमि के भू-अधिग्रहण हेतु कालम (6) में वर्णित भूमि, जिसका खसरा क्रमांक वार का विवरण, अनुसूची (2) के खाने (1) से (7) में वर्णित है, अनुसूची (1) के कालम (8) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य भोपाल शहर में पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मार्ग के मय पेक्ड शोल्डर निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाज्यात अध्ययन किया गया, सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट का मूल्यांकन, भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, जिसमें विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना एक बृहद लोक प्रयोजन की परियोजना है, जिसका निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र में सुलभ एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है, अतः परियोजना से संभावित फायदे सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है। परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापन होने की संभावना नहीं होने से अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

-: अनुसूची (1) :-

क्र. सं.	जिला	तहसील	ग्राम	कुल रकबा (हेक्टे.में)	भू. अर्जन का रकबा (हेक्टे.में)	धारा . 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	भोपाल	हुजूर	जाटखेड़ी	23.6600 हे.	7.7226 हे.	संभागीय प्रबंधक संभाग भोपाल म.प्र. सडक विकास निगम,भोपाल	पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मय पेक्ड शोल्डर मार्ग निर्माण कार्य (लंबाई 35.61 कि.मी.)

-: अनुसूची (2) :-

ग्राम का नाम जाटखेड़ी, तहसील- हुजूर, जिला - भोपाल

क्र. सं.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टे.में)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे.में)	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06	07
1	मागीलाल पिता जगदीश प्रसाद त्यागी(1/6), देवेन्द्र कुमार पिता जगदीश प्रसाद त्यागी(1/6), पवित्र कुमार पिता जगदीश प्रसाद त्यागी(1/6), मधुसुदन पिता जगदीश प्रसाद त्यागी(1/6), सुनील कुमार पिता जगदीश प्रसाद त्यागी(1/6),	306	1.4500	0.3177	निजी	सिंचित

	नरेन्द्र कुमार पिता जगदीश प्रसाद त्यागी(1/6)					
2	क्षीरसागर पिता लक्ष्मीनारायण	302	4.9400	1.2048	निजी	सिंचित
3	मनीष त्यागी पिता श्री क्षीरसागर त्यागी	301	0.7100	0.1187	निजी	सिंचित
4	मागीलाल पिता जगदीश प्रसाद त्यागी(1/6), देवेन्द्र कुमार पिता जगदीश प्रसाद त्यागी(1/6), पवित्र कुमार पिता जगदीश प्रसाद त्यागी(1/6), मधुसुदन पिता जगदीश प्रसाद त्यागी(1/6), सुनील कुमार पिता जगदीश प्रसाद त्यागी(1/6), नरेन्द्र कुमार पिता जगदीश प्रसाद त्यागी(1/6)	307	0.1500	0.0620	निजी	सिंचित
5	अरविन्द वर्मा पिता बोंदर सिंह	282	1.0400	0.0848	निजी	सिंचित
6	बोंदर सिंह पिता छीतू सोरमबाई पुत्री छीतू	283	0.3200	0.2800	निजी	सिंचित
7	अरविन्द वर्मा पिता बोंदर सिंह	284	0.3200	0.0489	निजी	सिंचित
8	अर्जुन सिंह पिता प्रेमनारायण	217	0.9200	0.2644	निजी	सिंचित
9	अर्जुन सिंह पिता प्रेमनारायण	216	0.1800	0.1304	निजी	सिंचित
10	अर्जुन सिंह पिता प्रेमनारायण	214	0.0500	0.0390	निजी	सिंचित
11	सुनील कुमार पिता प्रेमनारायण	212	0.0500	0.0370	निजी	सिंचित
12	सुनील कुमार पिता प्रेमनारायण	213/1	0.1500	0.3380	निजी	सिंचित
13	अरविन्द वर्मा पिता बोंदर सिंह	213/2	0.3500		निजी	सिंचित
14	सुनील कुमार पिता प्रेमनारायण	210	0.1300	0.0099	निजी	सिंचित
15	हीरालाल पिता धनराज	110	1.2100	0.0883	निजी	सिंचित
16	चतुर नारायण पिता बाल मुकुन्द	118	0.7300	0.0164	निजी	सिंचित
17	विजय शर्मा पिता धनराज शर्मा	119	1.2900	0.8229	निजी	आवासीय
18	चतुर नारायण पिता बाल मुकुन्द	120	0.3000	0.0354	निजी	सिंचित
19	चतुर नारायण पिता बाल मुकुन्द	121	0.2500	0.1156	निजी	सिंचित
20	चतुर नारायण पिता बाल मुकुन्द	122	0.2800	0.2450	निजी	सिंचित
21	प्रेमनारायण पिता जान सिंह	123	0.2200	0.1934	निजी	सिंचित
22	प्रेमनारायण पिता जान सिंह	124	0.4100	0.2037	निजी	सिंचित
23	प्रेमनारायण पिता जान सिंह	125	0.7500	0.1310	निजी	सिंचित
24	प्रेमनारायण पिता जान सिंह	126	0.8000	0.2106	निजी	सिंचित
25	लोकेन्द्र त्यागी पिता ओमप्रकाश त्यागी उर्फ धनराज	108/1	1.2000	0.0486	निजी	सिंचित
26	अमित शर्मा पिता हीरालाल शर्मा(1/2), विवेक शर्मा पिता हीरालाल शर्मा(1/2)	108/2/1	0.3300		निजी	सिंचित
27	लोकेन्द्र त्यागी पिता ओमप्रकाश त्यागी उर्फ धनराज	108/2/2	0.1500		निजी	सिंचित
28	विजय पिता धनराज	91	1.3500	0.7895	निजी	आवासीय
29	हीरालाल पिता धनराज	90	1.3300	0.7226	निजी	आवासीय
30	राजेश पिता राम दयाल(1/3), अजय पिता राम दयाल(1/3), अनन्त पिता राम दयाल(1/3)	89	0.0800	0.0800	निजी	सिंचित
31	विजय शर्मा पिता धनराज(1/2), हीरालाल पिता धनराज(1/2)	88	0.2100	0.0159	निजी	सिंचित
32	रामेश्वर पिता दरयाब सिंह	205	1.1900	0.4971	निजी	सिंचित
33	रामेश्वर पिता दरयाब सिंह	206	0.2000	0.1834	निजी	सिंचित
34	विक्रम सिंह मेवाड़ा पिता मुशीलाल मेवाड़ा	208	0.6200	0.3875	निजी	सिंचित
		कुल योग	23.6600	7.7226		

अधिनियम की धारा-15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष में आक्षेप यदि कोई हो तो फाईल किये जा सकेंगे। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील हुजूर जिला भोपाल कार्यालय में देखा जा सकता है।

नोट :- उपरोक्त भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि संभावित है।

क्र. 960-भू-अर्जन-2026-रा.प्र.क्र.-15-अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में जिला- भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम मूडला की निजी भूमि के भू-अधिग्रहण हेतु कालम (6) में वर्णित भूमि, जिसका खसरा क्रमांक वार का विवरण, अनुसूची (2) के खाने (1) से (7) में वर्णित है, अनुसूची (1) के कालम (8) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलिंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य भोपाल शहर में पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मार्ग के मय पेव्ड शोल्डर निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात अध्ययन किया गया, सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट का मूल्यांकन, भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, जिसमें विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना एक बृहद लोक प्रयोजन की परियोजना है, जिसका निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र में सुलभ एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है, अतः परियोजना से संभावित फायदे सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है। परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापन होने की संभावना नहीं होने से अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

- अनुसूची (1) :-

क्र. सं.	जिला	तहसील	ग्राम	कुल रकबा (हेक्टे.में)	भू. अर्जन का रकबा (हेक्टे.में)	धारा . 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	भोपाल	हुजूर	मूडला	59.1280 हे.	12.3958 हे.	संभागीय प्रबंधक संभाग भोपाल म.प्र. सडक विकास निगम, भोपाल	पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्ड शोल्डर मार्ग निर्माण कार्य (लंबाई 35.61 कि.मी.)

- अनुसूची (2) :-

ग्राम का नाम मूडला, तहसील- हुजूर, जिला - भोपाल

क्र. सं.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टे.में)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे.में)	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06	07
1	धीसीलाल पुत्र मन्शाराम	302/6	1.8880	1.2948	निजी	सिंचित
2	तुलसाबाई बेवा अमर सिंह 1/7, सुमित्राबाई पिता अमर सिंह 1/7, तेज सिंह पिता अमर सिंह 1/7, धनवन्ती बाई पिता अमर सिंह 1/7, राधेश्याम पिता अमर सिंह 1/7, जगमोहन पिता अमर सिंह 1/7, बृजमोहन पिता अमर सिंह 1/7	302/3/1,303,304,322,357/302/3	1.8850		निजी	सिंचित
3	शिवनारायण पुत्र मन्शाराम	302/7	1.8880		निजी	सिंचित

4	नथियाबाई पुत्री परसराम	306/1, 307, 308, 359/309/1	2.3800	0.4262	निजी	सिंचित
5	प्रेमनारायण पिता मूलचंद, सतीश वर्मा पिता स्व अवधनारायण	306/2, 307, 308, 359/309/2	2.3760		निजी	सिंचित
6	किशोर सिंह पुत्र हरीप्रसाद	309/1/1, 310, 311, 315, 316, 353/314/1	1.8220	1.0350	निजी	सिंचित
7	शांताबाई पत्नी हरिप्रसाद	309/1/2	1.8220		निजी	सिंचित
8	अरवन सिंह पिता कमल सिंह 1/4, ब्रह्म सिंह पिता कमल सिंह 1/4, नादान बाई बेवा कमल सिंह 1/4, धारु सिंह पिता कमल सिंह 1/4	309/1/21, 310, 311, 315, 316, 353/314/4	0.7350		निजी	सिंचित
9	गुलाब सिंह पुत्र देवकरण	309/1/22, 310, 311, 315, 316, 353/314/4	0.7340		निजी	सिंचित
10	राजमल पुत्र भूरजी	309/5, 310, 311, 315, 316, 353/314/5	2.3270		निजी	सिंचित
11	शान्ताबाई पुत्री भवर्जी 1/2, रामय्यारी बाई पुत्री भवर्जी 1/2	309/10, 310, 311, 315, 316, 353/314/3	1.0110	0.3275	निजी	सिंचित
12	अरवन सिंह पिता कमल सिंह 1/4, ब्रह्म सिंह पिता कमल सिंह 1/4, नादान बाई बेवा कमल सिंह 1/4, धारु सिंह पिता कमल सिंह 1/4	356/309/1	0.4280		निजी	सिंचित
13	गुलाब सिंह पुत्र देवकरण	356/309/2	0.4290		निजी	सिंचित
14	तेज सिंह पिता शम्भू सिंह	312/313/1	1.0953	1.2846	निजी	सिंचित
15	नारायण सिंह पिता शम्भू सिंह	312/313/2	1.0953		निजी	सिंचित
16	शिप्रा बाई पिता शिवचरण 1/4, सुशीला बाई पिता शिवचरण 1/4, बबीता बाई पिता शिवचरण 1/4, रेखा बाई पिता शिवचरण 1/4	312/313/3	1.0954		निजी	सिंचित
17	राकेश नावा पिता बाबूलाल 1/5, धापूबाई बेवा बाबूलाल सरंमा स्वयं 1/5, मुकेश पिता बाबूलाल 1/5, महेश नावा पिता बाबूलाल 1/5, धापूबाई बेवा बाबूलाल सरंमा स्वयं 1/5, दिनेश नावा पिता बाबूलाल धापूबाई बेवा बाबूलाल संरक्षक मा स्वयं 1/5, धापूबाई बेवा बाबूलाल 1/5	297/1/1	0.5020	1.6264	सरकारी	सिंचित

18	मोहनसिंह पुत्र राम सिंह 1/3, रामकुवरबाई पुत्री राम सिंह 1/3, शांताबाई पुत्री राम सिंह 1/3 (अहस्तान्तरणीय शासन द्वारा पट्टे पर प्रदत्त)	297/1/2	0.9830		सरकारी	सिंचित
19	देवकरन पिता हरीराम 1/5, सीताचरण पिता हरीराम 1/5, रघुवीर पिता हरीराम 1/5, विमलाबाई पिता हरीराम 1/5, दुर्गेश पुत्री भवरजी 1/5 (अहस्तान्तरणीय शासन द्वारा पट्टे पर प्रदत्त)	297/1/3	0.3200		सरकारी	सिंचित
20	देवकरन पिता हरीराम 1/5, सीताचरण पिता हरीराम 1/5, रघुवीर पिता हरीराम 1/5, विमलाबाई पिता हरीराम 1/5, दुर्गेश पुत्री भवरजी 1/5 (अहस्तान्तरणीय शासन द्वारा पट्टे पर प्रदत्त)	297/1/4	1.5410		सरकारी	सिंचित
21	मोह उबेस खान आ. मो. याहया खान, शमसुन निसा पत्नी मो. उवेस खान	296/1/1	1.1130	0.2924	निजी	सिंचित
22	मोह उबेस खान आ. मो. याहया खान, शमसुन निसा पत्नी मो. उवेस खान	296/1/2/1	0.1540		निजी	सिंचित
23	द्रोपतीबाई बेवा जयसिंह 1/6, सोनू नावा पिता जयसिंह सर माँद्रोपतीबाई बेवा जय सिंह 1/6, कुवरजी पिता धन्नालाल 1/2, गणेश नावा पिता जयसिंह सर माँद्रोपतीबाई बेवा जय सिंह 1/6	296/1/2/2	0.1490		निजी	सिंचित
24	सेवा भूमि ग्राम नौकर म.प्र. शासन	296/2	0.7860		सरकारी	सिंचित
25	मांगीलाल पुत्र बोन्दर	291/1	0.2060	0.1612	निजी	सिंचित
26	करण सिंह वर्मा पिता नन्नूलाल 1/5, जितेंद्र वर्मा पिता नन्नूलाल 1/5, मानू बाई बेवा नन्नूलाल 1/5, राजेश वर्मा पिता नन्नूलाल 1/5, चैन सिंह वर्मा पिता नन्नूलाल 1/5	291/2	0.6190		निजी	सिंचित
27	गीताबाई पुत्री गंगाराम	292/1/1	0.1250	1.0140	निजी	सिंचित
28	चैन सिंह वर्मा पिता नन्नूलाल 1/5, करण सिंह वर्मा पिता नन्नूलाल 1/5, मानू बाई बेवा नन्नूलाल 1/5, राजेश वर्मा पिता नन्नूलाल 1/5, जितेंद्र वर्मा पिता नन्नूलाल 1/5	292/1/2	0.6780		निजी	सिंचित
29	दिनेश वर्मा पुत्र स्व श्री बुलाखी वर्मा 1/8, महेश वर्मा पुत्र स्व श्री बुलाखी वर्मा 1/8, देवकरण पुत्र खुशीलाल 1/2, नर्बदाप्रसाद वर्मा पुत्र स्व श्री बुलाखी वर्मा 1/8, श्यामलाल वर्मा पुत्र स्व श्री बुलाखी वर्मा 1/8	292/1/3	1.1850		निजी	सिंचित
30	मानसिंह पुत्र मांगीलाल	292/2/1	0.3070		निजी	सिंचित
31	रवि पुत्र अनूपसिंह	292/2/2	0.1540		निजी	सिंचित
32	लक्की पुत्र अनूपसिंह	292/2/3	0.1540		निजी	सिंचित
33	दिनेश वर्मा पुत्र स्व श्री बुलाखी वर्मा 1/8, महेश वर्मा पुत्र स्व श्री बुलाखी वर्मा 1/8, देवकरण पुत्र खुशीलाल	292/3	0.4650		निजी	सिंचित

	1/2, नर्बदाप्रसाद वर्मा पुत्र स्व श्री बुलाखी वर्मा 1/8, श्यामलाल वर्मा पुत्र स्व श्री बुलाखी वर्मा 1/8					
34	सुशीलाबाई पुत्री मूलचन्द	271/1/1	0.9590	0.5357	निजी	सिंचित
35	नरेश कुमार सक्सेना पुत्र जगदीश प्रसाद	271/1/2	0.4040		निजी	सिंचित
36	द्रोपतीबाई बेवा जयसिंह 1/6, सोनू नावा पिता जयसिंह सर माँद्रोपतीबाई बेवा जय सिंह 1/6, कुवरजी पिता धन्नालाल 1/2, गणेश नावा पिता जयसिंह सर माँद्रोपतीबाई बेवा जय सिंह 1/6	271/2/1	0.0240		निजी	सिंचित
37	फुलिया बाई बेवा मूलचन्द	271/2/2/1	0.2470		निजी	सिंचित
38	राजीव सक्सेना पुत्र पी पी सक्सेना	271/2/2/2	0.2470		निजी	सिंचित
39	पन्नालाल पुत्र धन्नालाल	271/2/3	0.4930		निजी	सिंचित
40	शासकीय	273/1/1/1	1.7110	0.8026	सरकारी	सिंचित
41	धापूबाई बेवा बाबूलाल (अहस्तान्तरणीय)	273/1/1/2	0.4000		सरकारी	सिंचित
42	हेमन्त कुमार पुत्र कालूराम (अहस्तान्तरणीय शासन द्वारा पट्टे पर प्रदत्त)	273/1/2	0.4860		सरकारी	सिंचित
43	कमल सिंह पुत्र रामलाल (अहस्तान्तरणीय शासन द्वारा पट्टे पर प्रदत्त)	273/2	0.8090		सरकारी	सिंचित
44	कमल सिंह पुत्र रामलाल (अहस्तान्तरणीय शासन द्वारा पट्टे पर प्रदत्त)	273/3	1.2140		सरकारी	सिंचित
45	मानसिंह पुत्र मांगीलाल	275/1/1/1	0.4810	1.2527	निजी	सिंचित
46	रवि पुत्र अनूपसिंह	275/1/1/2	0.2410		निजी	सिंचित
47	लक्की पुत्र अनूपसिंह	275/1/1/3	0.2410		निजी	सिंचित
48	जितेंद्र वर्मा पिता नन्नूलाल 1/5, मानू बाई बेवा नन्नूलाल 1/5, राजेश वर्मा पिता नन्नूलाल 1/5, चैन सिंह वर्मा पिता नन्नूलाल 1/5, करण सिंह वर्मा पिता नन्नूलाल 1/5	275/1/2/1	2.0280		निजी	सिंचित
49	मांगीलाल पुत्र बोंदर सिंह	275/1/2/2	0.0450		निजी	सिंचित
50	मानू बाई बेवा नन्नूलाल 1/5, जितेंद्र वर्मा पिता नन्नूलाल 1/5, राजेश वर्मा पिता नन्नूलाल 1/5, चैन सिंह वर्मा पिता नन्नूलाल 1/5, करण सिंह वर्मा पिता नन्नूलाल 1/5	275/1/3, 276	0.4570		निजी	सिंचित
51	कंचनमाला व्यास पत्नी राममिलन व्यास पुत्री एस एन तिवारी	275/1/4, 276	1.0080		निजी	सिंचित

52	मानसिंह पुत्र मांगीलाल	275/276/2/1	0.9100	0.1530	निजी	सिंचित
53	रवि पुत्र अनूपसिंह	275/276/2/2	0.4550		निजी	सिंचित
54	लक्की पुत्र अनूपसिंह	275/276/2/3	0.4560		निजी	सिंचित
55	हेमंत कुमार पुत्र कालूराम	263/1/1, 264, 269, 270	0.8090	0.8078	निजी	सिंचित
56	मनकुवरबाई बेवा अमर सिंह, घीसीलाल पिता अमर सिंह, कुबेरसिंह पिता अमर सिंह, भगवानसिंह पिता अमर सिंह	263/1/2, 264, 269, 270	1.6670		निजी	सिंचित
57	राहुल वर्मा पुत्र कालूराम	263/1/3, 264, 269, 270	0.8490		निजी	सिंचित
58	मनीष वर्मा पुत्र रूप सिंह	263/1/4/1	0.4323		निजी	सिंचित
59	मनोज वर्मा पुत्र रूप सिंह	263/1/4/2	0.4292		निजी	सिंचित
60	सागर कुमार पुत्र रामगोपाल	263/1/4/3	0.4922		निजी	सिंचित
61	पवन वर्मा पुत्र रामगोपाल	263/1/4/4	0.2993		निजी	सिंचित
62	बबली पिता दुर्गाप्रसाद 1/12, राजकुवरबाई बेवा नन्नूलाल 1/2, सविताबाई पिता दुर्गाप्रसाद 1/12, सीमाबाई पिता दुर्गाप्रसाद 1/12, मुकेश पिता दुर्गाप्रसाद 1/12, गंगीबाई बेवा दुर्गाप्रसाद 1/12, लीलाकिशन पिता दुर्गाप्रसाद 1/12	263/1/5, 264, 269, 270	2.0710		निजी	सिंचित
63	कालू राम पुत्र रंजीत सिंह	263/1/6, 264, 269, 270	0.0610		निजी	सिंचित
64	बबली पिता दुर्गाप्रसाद 1/12, राजकुवरबाई बेवा नन्नूलाल 1/2, सविताबाई पिता दुर्गाप्रसाद 1/12, सीमाबाई पिता दुर्गाप्रसाद 1/12, मुकेश पिता दुर्गाप्रसाद 1/12, गंगीबाई बेवा दुर्गाप्रसाद 1/12, लीलाकिशन पिता दुर्गाप्रसाद 1/12	263/1/7, 264, 269, 270	0.0610		निजी	सिंचित
65	पवन वर्मा पुत्र रामगोपाल	263/1/8, 264, 269, 270	0.0610		निजी	सिंचित
66	मनकुवरबाई बेवा अमर सिंह, घीसीलाल पिता अमर सिंह, कुबेरसिंह पिता अमर सिंह, भगवानसिंह पिता अमर सिंह	263/1/9, 264, 269, 270	0.0610		निजी	सिंचित
67	मनकुवरबाई बेवा अमर सिंह, गंगीबाई बेवा दुर्गाप्रसाद, सविताबाई पिता दुर्गाप्रसाद, रामगोपाल पिता रामलाल, मुकेश पिता दुर्गाप्रसाद, घीसीलाल पिता अमर सिंह, नन्नूलाल पिता मोतीलाल, रूप सिंह पिता रामलाल, कुबेर सिंह पिता अमर सिंह, भगवान सिंह पिता अमर सिंह, सीमाबाई पिता दुर्गाप्रसाद, बबलीबाई पिता दुर्गाप्रसाद, लीलाकिशन पिता दुर्गाप्रसाद, रंजीत सिंह पिता कनीराम	263/1/10, 264, 269, 270	0.5300		निजी	सिंचित

68	चैन सिंह वर्मा पिता नन्नूलाल 1/5, करण सिंह वर्मा पिता नन्नूलाल 1/5, मानू बाई बेवा नन्नूलाल 1/5, राजेश वर्मा पिता नन्नूलाल 1/5, जितेंद्र वर्मा पिता नन्नूलाल 1/5	252/1,253,254,2 57,258	1.0140		निजी	सिंचित
69	दिनेश वर्मा पुत्र स्व श्री बुलाखी वर्मा 1/8, महेश वर्मा पुत्र स्व श्री बुलाखी वर्मा 1/8, देवकरण पुत्र खुशीलाल 1/2, नर्बदाप्रसाद वर्मा पुत्र स्व श्री बुलाखी वर्मा 1/8, श्यामलाल वर्मा पुत्र स्व श्री बुलाखी वर्मा 1/8	252/2,253,254,2 57,258	0.1300	0.3996	निजी	सिंचित
70	दिनेश वर्मा पुत्र स्व श्री बुलाखी वर्मा 1/8, महेश वर्मा पुत्र स्व श्री बुलाखी वर्मा 1/8, देवकरण पुत्र खुशीलाल 1/2, नर्बदाप्रसाद वर्मा पुत्र स्व श्री बुलाखी वर्मा 1/8, श्यामलाल वर्मा पुत्र स्व श्री बुलाखी वर्मा 1/8	252/3,253,254,2 57,258	0.2200		निजी	सिंचित
71	महेश वर्मा पुत्र स्व श्री बुलाखी वर्मा 1/8, श्यामलाल वर्मा पुत्र स्व श्री बुलाखी वर्मा 1/8, दिनेश वर्मा पुत्र स्व श्री बुलाखी वर्मा 1/8, नर्बदाप्रसाद वर्मा पुत्र स्व श्री बुलाखी वर्मा 1/8	255/ 256/1/1	0.2490		निजी	सिंचित
72	देवकरण पुत्र खुशीलाल	255/ 256/1/2	0.2490	0.0240	निजी	सिंचित
73	जितेंद्र वर्मा पिता नन्नूलाल 1/5, मानू बाई बेवा नन्नूलाल 1/5, राजेश वर्मा पिता नन्नूलाल 1/5, चैन सिंह वर्मा पिता नन्नूलाल 1/5, करण सिंह वर्मा पिता नन्नूलाल 1/5	255/256/2	0.5390		निजी	सिंचित
74	गीताबाई पुत्री गंगाराम	248/1, 293	0.8990		निजी	सिंचित
75	दिनेश वर्मा पुत्र बुलाखीलाल 2245/8980, राधेश्याम वर्मा पिता देवकरण वर्मा 2245/8980, जगदीश वर्मा पिता देवकरण वर्मा 2245/8980, महेश वर्मा पुत्र बुलाखीलाल 2245/8980	248/2, 293	0.8980	0.9573	निजी	सिंचित
76	श्यामलाल वर्मा पुत्र बुलाखी 1/2, राकेश वर्मा पुत्र देवकरण वर्मा 1/2	248/3,	0.8980		निजी	सिंचित
77	इमरतलाल पुत्र गुरुवच्छ 1/5, ओमप्रकाश पुत्र गुरुवच्छ 1/5, लक्ष्मीनारायण पुत्र गुरुवच्छ 1/5, प्रहलादसिंह पुत्र रामरतन 1/5, जितेन्द्र महेंद्र विजेन्द्र रीना रजनी पिता कैलाश प्रसाद वर्मा सुगनबाई बेवा कैलाशप्रसाद वर्मा 1/5	30	0.4410	0.0010	निजी	सिंचित
	कुल योग		59.1280	12.3958		

अधिनियम की धारा-15 (1) के अधीन यथा उपबधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील हजूर जिला भोपाल के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो तो फाईल किये जा सकेंगे। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील हजूर जिला भोपाल कार्यालय में देखा जा सकता है।

नोट :- उपरोक्त भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि संभावित है।

क्र. 962-भू-अर्जन-2026-रा.प्र.क्र.-0016-अ-82-2025-26

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में जिला- भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम खोकरिया की निजी भूमि के भू-अधिग्रहण हेतु कालम (6) में वर्णित भूमि, जिसका खसरा क्रमांक वार का विवरण, अनुसूची (2) के खाने (1) से (7) में वर्णित है, अनुसूची (1) के कालम (8) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः **भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।**

यह कार्य भोपाल शहर में पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मार्ग के मय पेक्ड शोल्डर निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाज्यात अध्ययन किया गया, सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट का मूल्यांकन, भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, जिसमें विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना एक बृहद लोक प्रयोजन की परियोजना है, जिसका निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र में सुलभ एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है, अतः परियोजना से संभावित फायदे सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है। परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापन होने की संभावना नहीं होने से अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

: अनुसूची (1) :-

क्र. सं.	जिला	तहसील	ग्राम	कुल रकबा (हेक्टे.में)	भू. अर्जन का रकबा (हेक्टे.में)	धारा . 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	भोपाल	हुजूर	खोकरिया	18.8500 हे.	6.8035 हे.	संभागीय प्रबंधक संभाग भोपाल म.प्र. सडक विकास निगम,भोपाल	पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मय पेक्ड शोल्डर मार्ग निर्माण कार्य (लंबाई 35.61 कि.मी.)

:-अनुसूची (2):-

ग्राम का नाम खोकरिया, तहसील- हुजूर, जिला - भोपाल

क्र. सं.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टे.में)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे.में)	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06	07
1	सतीश कुमार पिता हीरालाल	92	1.2600	0.5338	निजी	सिंचित
2	संदीप वर्मा पिता सतीश वर्मा	94/1	0.8130	0.3835	निजी	असिंचित
3	एच एल शर्मा पिता स्व श्री डी आर शर्मा	94/2	0.9470		निजी	आवासीय
4	अर्जुन सिंह पिता गंगा प्रसाद जाति खाती	95	0.7100	0.0343	निजी	असिंचित
5	संजय वर्मा पिता सतीश वर्मा	138	1.0400	0.6664	निजी	असिंचित

6	शिव प्रसाद पिता हरिचरण जाति खाती	139	1.2200	0.7418	निजी	असिंचित
7	कृष्णाबाई पत्नी नर्मदा प्रसाद जाति खाती	140	0.3500	0.0714	निजी	असिंचित
8	देवनारायण पिता राम गोपाल जाति खाती	168	0.0400	0.0129	निजी	असिंचित
9	हीरालाल पिता राम गोपाल जाति खाती	166	1.4300	0.1592	निजी	सिंचित
10	सुभाष, मुकेश, दिनेश पिता हरिनारायण	164	1.3300	0.7710	निजी	सिंचित
11	सुभाष, मुकेश, दिनेश पिता हरिनारायण	163	0.0800	0.0800	निजी	सिंचित
12	हेमराज सिंह पटेल पुत्र मूलचंद पटेल एवं विजय कुमार जैन पुत्र स्व श्री मोतीलाल जैन	161/1	0.0300	0.0262	निजी	असिंचित
13	हेमराज सिंह पटेल पुत्र मूलचंद पटेल एवं विजय कुमार जैन पुत्र स्व श्री मोतीलाल जैन	161/2	0.0300		निजी	असिंचित
14	हेमराज सिंह पटेल पुत्र मूलचंद पटेल एवं विजय कुमार जैन पुत्र स्व श्री मोतीलाल जैन	160/1	0.0300	0.0504	निजी	असिंचित
15	हेमराज सिंह पटेल पुत्र मूलचंद पटेल एवं विजय कुमार जैन पुत्र स्व श्री मोतीलाल जैन	160/2	0.0400		निजी	असिंचित
16	हेमराज सिंह पटेल पुत्र मूलचंद पटेल एवं विजय कुमार जैन पुत्र स्व श्री मोतीलाल जैन	159/1/1	0.0100	0.0300	निजी	असिंचित
17	सुभाष, मुकेश, दिनेश पिता हरिनारायण	159/1/2	0.0050		निजी	असिंचित
18	सुभाष, मुकेश, दिनेश पिता हरिनारायण	159/2	0.0150		निजी	असिंचित
19	हेमराज सिंह पटेल पुत्र मूलचंद पटेल एवं विजय कुमार जैन पुत्र स्व श्री मोतीलाल जैन	158/1	0.0300	0.0062	निजी	असिंचित
20	सुभाष, मुकेश, दिनेश पिता हरिनारायण	158/2	0.0100		निजी	असिंचित
21	भूपेन्द्र पिता नर्मदा प्रसाद	142	0.6400	0.4493	निजी	असिंचित
22	महेन्द्र कुमार पिता नर्मदा प्रसाद जाति खाती	146	0.2900	0.0724	निजी	असिंचित
23	हेमराज सिंह पटेल पुत्र मूलचंद पटेल एवं विजय कुमार जैन पुत्र स्व श्री मोतीलाल जैन	23/1	0.1250	0.0024	निजी	असिंचित
24	हेमराज सिंह पटेल पुत्र मूलचंद पटेल एवं विजय कुमार जैन पुत्र स्व श्री मोतीलाल जैन	23/2	0.1250		निजी	असिंचित
25	केवल किशन पाटीदार पिता रेवाराम पाटीदार	22/1	0.4900	0.0568	निजी	असिंचित
26	मांगीलाल पिता मिश्रीलाल जाति खाती	22/2	0.0200		निजी	सिंचित
27	केवल किशन पाटीदार पिता रेवाराम पाटीदार	21/1	0.2500	0.1611	निजी	सिंचित
28	केवल किशन पाटीदार पिता रेवाराम पाटीदार	21/2	0.2600		निजी	सिंचित
29	राजेन्द्र कुमार पिता श्यामलाल	14	1.4900	0.3450	निजी	असिंचित
30	मुन्नकाबाई बेवा श्यामलाल जाति कायस्थ	13	1.2000	0.6011	निजी	असिंचित
31	नरेन्द्र कुमार पिता श्यामलाल	12	0.8500	0.3123	निजी	सिंचित
32	नरेन्द्र कुमार पिता श्यामलाल	11	0.3500	0.2811	निजी	सिंचित
33	सुभाष, मुकेश, दिनेश पिता हरिनारायण	10	0.2000	0.2000	निजी	सिंचित
34	राजेन्द्र कुमार पिता श्यामलाल	7	0.7700	0.0117	निजी	असिंचित
35	विवेन्द्र कुमार पिता श्यामलाल जाति कायस्थ	4	0.8400	0.0648	निजी	असिंचित
36	ममता बाई पत्नी मुकेश, सीमा बाई पत्नी दिनेश, मीना बाई पत्नी सुभाष	3	0.5800	0.2859	निजी	सिंचित
37	ममता बाई पत्नी मुकेश, सीमा बाई पत्नी दिनेश, मीना बाई पत्नी सुभाष	2	0.3200	0.2689	निजी	असिंचित
38	सुभाष, मुकेश, दिनेश पिता हरिनारायण	8	0.5200	0.0368	निजी	सिंचित
39	सुभाष, मुकेश, दिनेश पिता हरिनारायण	9	0.1100	0.0870	निजी	सिंचित
कुल योग			18.8500	6.8035		

अधिनियम की धारा-15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हों तो फाईल किये जा सकेंगे। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील हुजूर जिला भोपाल कार्यालय में देखा जा सकता है।

नोट :- उपरोक्त भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि संभावित है।

क्र. 964-भू-अर्जन-2026-रा.प्र.क्र.-0017-अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में जिला- भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम टीलाखेड़ी की निजी भूमि के भू-अधिग्रहण हेतु कालम (6) में वर्णित भूमि, जिसका खसरा क्रमांक वार का विवरण, अनुसूची (2) के खाने (1) से (7) में वर्णित है, अनुसूची (1) के कालम (8) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः **भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।** राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य भोपाल शहर में पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मार्ग के मय पेक्ड शोल्डर निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात अध्ययन किया गया, सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट का मूल्यांकन, भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, जिसमें विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना एक बृहद लोक प्रयोजन की परियोजना है, जिसका निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र में सुलभ एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है, अतः परियोजना से संभावित फायदे सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है। परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापन होने की संभावना नहीं होने से अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

-: अनुसूची (1) :-

क्र. सं.	जिला	तहसील	ग्राम	कुल रकबा (हेक्टे.में)	भू. अर्जन का रकबा (हेक्टे.में)	धारा . 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	भोपाल	हुजूर	टीलाखेड़ी	12.1800 हे.	3.6651 हे.	संभागीय प्रबंधक संभाग भोपाल म.प्र. सडक विकास निगम, भोपाल	पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मय पेक्ड शोल्डर मार्ग निर्माण कार्य (लंबाई 35.61 कि.मी.)

-: अनुसूची (2):-

ग्राम का नाम टीलाखेड़ी, तहसील- हुजूर, जिला - भोपाल

क्र. सं.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टे.में)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे.में)	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06	07
1	मनीष कुमार पुत्र घनश्याम	753/1	0.1000	0.0095	निजी	सिंचित
2	लखनलाल पुत्र भगवतसिंह	753/2	0.0700		निजी	सिंचित
3	लक्ष्मीनारायण पुत्र हरप्रसाद	754/1	0.2900	0.0040	निजी	सिंचित
4	कमलसिंह पुत्र हरप्रसाद	754/2	0.3700		निजी	सिंचित
5	लक्ष्मीनारायण पुत्र हरप्रसाद	755	0.6200	0.4537	निजी	सिंचित
6	मनीष कुमार पुत्र घनश्याम	756	0.1500	0.0682	निजी	सिंचित

7	श्रीमती वसंतीबाई पत्नी हरकिशन	757	0.7600	0.3012	निजी	सिंचित
8	कमला बाई बेवा कैलाश चंद्र(1/3), पूजा पुत्री कैलाश चंद्र(1/3), संदीप पुत्र कैलाश चंद्र(1/3)	758	0.3000	0.0539	निजी	सिंचित
9	छोटीबाई बेवा अवधनारायण	717	0.1000	0.1000	निजी	सिंचित
10	मुकेशकुमार पुत्र अवधनारायण	716/1	0.0700	0.0940	निजी	सिंचित
11	जमनाप्रसाद पुत्र अवधनारायण	716/2	0.0800		निजी	सिंचित
12	कमला बाई बेवा कैलाश चंद्र(1/3), पूजा पुत्री कैलाश चंद्र(1/3), संदीप पुत्र कैलाश चंद्र(1/3)	716/3	0.0800		निजी	सिंचित
13	मुकेशकुमार पुत्र अवधनारायण	715/1	0.1000	0.1611	निजी	सिंचित
14	जमनाप्रसाद पुत्र अवधनारायण	715/2	0.1000		निजी	सिंचित
15	कमला बाई बेवा कैलाश चंद्र(1/3), पूजा पुत्री कैलाश चंद्र(1/3), संदीप पुत्र कैलाश चंद्र(1/3)	715/3	0.0900		निजी	सिंचित
16	राजेश पुत्र गंगाराम	714	0.1100	0.0977	निजी	सिंचित
17	दलीप सिंह पुत्र बलदेव सिंह	699/1	0.4170	0.0412	निजी	सिंचित
18	इमरत लाल पुत्र बलदेव सिंह	699/2	0.3430		निजी	सिंचित
19	प्रेम नारायण वर्मा पुत्र बलदेव सिंह	699/3	0.5900		निजी	सिंचित
20	रमेशचंद्र पुत्र बलदेव सिंह	699/4	0.4500		निजी	सिंचित
21	गजराज पुत्र काशीराम	698/1	0.0100	0.1765	निजी	सिंचित
22	दिनेश पुत्र गंगाराम	698/2	0.2650		निजी	सिंचित
23	महेश कुमार पुत्र गंगाराम	698/3	0.2650		निजी	सिंचित
24	गजराज सिंह पुत्र काशीराम	697/1	0.0200	0.0007	निजी	सिंचित
25	दिनेश पुत्र गंगाराम	697/2	0.2350		निजी	सिंचित
26	महेश कुमार पुत्र गंगाराम	697/3	0.2350		निजी	सिंचित
27	गजराज सिंह पुत्र काशीराम	697/4	0.0050		निजी	सिंचित
28	चिन्ताबाई पुत्री गंगाराम(1/2), गीताबाई पत्नी गंगाराम (1/2)	697/5	0.0450		निजी	सिंचित
29	शैलेन्द्रकुमार पुत्र रमेश कुमार	696/1	1.4600	0.8569	निजी	सिंचित
30	शैलेन्द्रकुमार पुत्र रमेश कुमार	696/2	0.0200		निजी	सिंचित
31	राजेश पुत्र गंगाराम	695	0.3000	0.0270	निजी	सिंचित
32	रमेशचंद्र पुत्र बलदेव सिंह	632/1	0.1100	0.3800	निजी	सिंचित
33	प्रेम नारायण वर्मा पुत्र बलदेव सिंह	632/2	0.1900		निजी	सिंचित
34	इमरत लाल पुत्र बलदेव सिंह	632/3	0.0800		निजी	सिंचित
35	प्रेम नारायण वर्मा पुत्र बलदेव सिंह	631/1	0.4000	0.0300	निजी	सिंचित
36	रमेशचंद्र पुत्र बलदेव सिंह	631/2	0.7000		निजी	सिंचित
37	इमरत लाल पुत्र बलदेव सिंह	629/1	0.4400	0.4762	निजी	सिंचित
38	प्रेम नारायण वर्मा पुत्र बलदेव सिंह	629/2	0.2600		निजी	सिंचित
39	दलीप सिंह पुत्र बलदेव सिंह	441/1/1	0.5010	0.1660	निजी	सिंचित
40	इमरत लाल पुत्र बलदेव सिंह	441/1/2	0.0900		निजी	सिंचित
41	दीपक कुमार ठाकुर पिता खुमान सिंह ठाकुर	441/2/1	0.2897		निजी	सिंचित
42	दीपक कुमार ठाकुर पिता खुमान सिंह ठाकुर	441/2/2	0.0093		निजी	आवासीय
43	शंकरलाल पिता दरयाव सिंह	639	1.0600	0.1673	निजी	सिंचित
	कुल योग		12.1800	3.6651		

अधिनियम की धारा-15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हों तो फाईल किये जा सकेंगे। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील हुजूर जिला भोपाल कार्यालय में देखा जा सकता है।

नोट :- उपरोक्त भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि संभावित है।

क्र. 966-भू-अर्जन-2026-रा.प्र.क्र.-0018-अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में जिला- भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम हताई खेड़ी की निजी भूमि के भू-अधिग्रहण हेतु कालम (6) में वर्णित भूमि, जिसका खसरा क्रमांक वार का विवरण, अनुसूची (2) के खाने (1) से (7) में वर्णित है, अनुसूची (1) के कालम (8) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः **भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।** राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य भोपाल शहर में पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मार्ग के मय पेक्ड शोल्डर निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाज्यात अध्ययन किया गया, सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट का मूल्यांकन, भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, जिसमें विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना एक बृहद लोक प्रयोजन की परियोजना है, जिसका निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र में सुलभ एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है, अतः परियोजना से संभावित फायदे सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है। परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापन होने की संभावना नहीं होने से अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

-: अनुसूची (1) :-

क्र. स०	जिला	तहसील	ग्राम	कुल रकबा (हेक्टे.में)	भू. अर्जन का रकबा (हेक्टे.में)	धारा . 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	भोपाल	हुजूर	हताई खेड़ी	10.0100 हे.	3.8628 हे.	संभागीय प्रबंधक संभाग भोपाल म.प्र. सडक विकास निगम,भोपाल	पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मय पेक्ड शोल्डर मार्ग निर्माण कार्य (लंबाई 35.61 कि.मी.)

-: अनुसूची (2):-

ग्राम का नाम हताई खेड़ी, तहसील- हुजूर , जिला - भोपाल

क्र. स०	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टे.में)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे.में)	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06	07
1	हीरा लाल पिता राम गोपाल	314	0.5700	0.0682	निजी	सिंचित
2	हीरा लाल पिता राम गोपाल	313	0.6900	0.3582	निजी	सिंचित
3	धर्मनंद, कमलेश पुत्रगण स्व. लखनलाल, सुशीला पत्नी स्व. लखनलाल, रीना पुत्री स्व. लखनलाल	312	1.4400	0.6828	निजी	सिंचित
4	देवेन्द्र कुमार पिता प्रेमनारायण	305	0.3000	0.0969	निजी	सिंचित

5	देवेन्द्र कुमार पिता प्रेमनारायण	304	0.2200	0.0626	निजी	सिंचित
6	देवेन्द्र कुमार पिता प्रेमनारायण	302	0.3400	0.0301	निजी	सिंचित
7	कृष्णाबाई पत्नी रमेश चन्द्र, अर्जुनसिंह पिता हजारीलाल	281	0.4300	0.0039	निजी	सिंचित
8	कृष्णाबाई पत्नी रमेश चन्द्र, अर्जुनसिंह पिता हजारीलाल	284	0.1800	0.0573	निजी	सिंचित
9	प्रेमनारायण पुत्र ज्ञानसिंह	283	0.1800	0.1800	निजी	सिंचित
10	राकेश कुमार चन्द्रवंशी पिता कैलाशप्रसाद	282	0.2800	0.1284	निजी	सिंचित
11	अर्जुन सिंह, सुनील कुमार पिता प्रेमनारायण	285	1.4100	0.5550	निजी	सिंचित
12	अर्जुन सिंह, सुनील कुमार पिता प्रेमनारायण	287	0.2200	0.1028	निजी	सिंचित
13	भूरी बी पत्नी स्वइमाम अली, सबीना बी पुत्री स्वइमाम अली, नगीना बी पिता शहजादबी, स्वइमाम अली, नूर अली, मोहब्बत अलीवाहिद अली, साबिर अली पिता शहजादबी, जमीला बी सगर्गो बी पिता इस्लाम अली	277	0.2500	0.1319	निजी	सिंचित
14	अनुराधा पाठक पत्नी अनुराग श्रीवास्तव	276/1	0.1260	0.3160	निजी	सिंचित
15	भूरी बी पत्नी स्वइमाम अली, सबीना बी पुत्री स्वइमाम अली, नगीना बी पिता इस्लामअली, स्वइमामअली, नूर अली, मोहब्बत अली, वाहिद अली, साबिर अली पिता शहजादबी, जमीला बी, सगर्गोबी पिता इस्लामअली	276/2	0.2640		निजी	सिंचित
16	कृष्णाबाई पत्नी प्रेमनारायण	275	0.3400	0.2970	निजी	सिंचित
17	कैलाश प्रसाद पिता बालमुकुन्द	267	0.1800	0.0050	निजी	सिंचित
18	कृष्णाबाई पत्नी प्रेमनारायण	274	0.1800	0.0149	निजी	सिंचित
19	प्रेमनारायण पुत्र ज्ञानसिंह	272	0.8700	0.0350	निजी	सिंचित
20	प्रेमनारायण पुत्र ज्ञानसिंह	268	0.5600	0.1383	निजी	सिंचित
21	दिलीप कुमार दिनानी पिता टेउमल दिनानी जावेद मियां पिता मुन्ने मियां	256/1	0.5460	0.5985	निजी	सिंचित
22	अनुराधा पाठक पत्नी अनुराग श्रीवास्तव	256/2/1	0.3080		निजी	सिंचित
23	भूरी बी पत्नी स्वइमाम अली, सबीना बी पुत्री स्वइमाम अली, नगीना बी पिता इस्लामअली, स्वइमामअली, नूर अली, मोहब्बत अली, वाहिद अली, साबिर अली पिता शहजादबी, जमीला बी, सगर्गोबी पिता इस्लामअली	256/2/2	0.1260		निजी	सिंचित
कुल योग			10.0100	3.8628		

८

अधिनियम की धारा-15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष में आक्षेप यदि कोई हो तो फाईल किये जा सकेंगे। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील हुजूर जिला भोपाल कार्यालय में देखा जा सकता है।

नोट :- उपरोक्त भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि संभावित है।

क्र. 968-भू-अर्जन-2026-रा.प्र.क्र.-0021-अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में जिला- भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम नरेला की निजी भूमि के भू-अधिग्रहण हेतु कालम (6) में वर्णित भूमि, जिसका खसरा क्रमांक वार का विवरण, अनुसूची (2) के खाने (1) से (7) में वर्णित है, अनुसूची (1) के कालम (8) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः **भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।** राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य भोपाल शहर में पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मार्ग के मय पेक्ड शोल्डर निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाज्यत अध्ययन किया गया, सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट का मूल्यांकन, भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, जिसमें विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना एक बृहद लोक प्रयोजन की परियोजना है, जिसका निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र में सुलभ एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है, अतः परियोजना से संभावित फायदे सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है। परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापन होने की संभावना नहीं होने से अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

-: अनुसूची (1) :-

क्र. सं.	जिला	तहसील	ग्राम	कुल रकबा (हेक्टे.में)	भू. अर्जन का रकबा (हेक्टे.में)	धारा . 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	भोपाल	हुजूर	नरेला	34.1450 हे.	12.9765 हे.	संभागीय प्रबंधक संभाग भोपाल म.प्र. सडक विकास निगम,भोपाल	पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मय पेक्ड शोल्डर मार्ग निर्माण कार्य (लंबाई 35.61 कि.मी.)

-: अनुसूची (2) :-

ग्राम का नाम नरेला, तहसील- हुजूर, जिला - भोपाल

क्र. सं.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टे.में)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे.में)	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06	07
1	शिवनारायण पुत्र जालम सिंह	568	0.2400	0.0280	निजी	सिंचित
2	राजाराम पुत्र घीसीलाल	490	0.2500	0.1795	निजी	सिंचित
3	शिवनारायण पुत्र जालम सिंह	491	0.1100	0.1100	निजी	सिंचित
4	शिवनारायण पुत्र जालम सिंह	492	0.1200	0.0592	निजी	सिंचित

5	राम सिंह पुत्र अमर सिंह(1/9), गायत्री पुत्री अमर सिंह(1/9), चन्द्रकला पुत्री अमर सिंह(1/9), सुरेश कुमार वर्मा पुत्र अमर सिंह(1/9), फूल सिंह पुत्र अमर सिंह(1/9), राजलबाई बेवा अमर सिंह (1/9), सुमन पुत्री अमर सिंह(1/9), भगवती पुत्री अमर सिंह(1/9), अनूप सिंह पुत्र अमर सिंह(1/9)	493	0.1400	0.1400	निजी	सिंचित
6	राम सिंह पुत्र अमर सिंह(1/9), गायत्री पुत्री अमर सिंह(1/9), चन्द्रकला पुत्री अमर सिंह(1/9), सुरेश कुमार वर्मा पुत्र अमर सिंह(1/9), फूल सिंह पुत्र अमर सिंह(1/9), राजलबाई बेवा अमर सिंह (1/9), सुमन पुत्री अमर सिंह(1/9), भगवती पुत्री अमर सिंह(1/9), अनूप सिंह पुत्र अमर सिंह(1/9)	494	0.1300	0.1124	निजी	सिंचित
7	नर्बदा प्रसाद पिता माधो सिंह	495/1	0.2000	0.1705	निजी	सिंचित
8	तेज सिंह पुत्र छीतूलाल	495/2/1	0.1200		निजी	सिंचित
9	अमीर सिंह पुत्र छीतूलाल	495/2/2	0.0400		निजी	सिंचित
10	नर्बदा प्रसाद पिता माधो सिंह	496	0.1400	0.1343	निजी	सिंचित
11	राम सिंह पुत्र अमर सिंह(1/9), गायत्री पुत्री अमर सिंह(1/9), चन्द्रकला पुत्री अमर सिंह(1/9), सुरेश कुमार वर्मा पुत्र अमर सिंह(1/9), फूल सिंह पुत्र अमर सिंह(1/9), राजलबाई बेवा अमर सिंह (1/9), सुमन पुत्री अमर सिंह(1/9), भगवती पुत्री अमर सिंह(1/9), अनूप सिंह पुत्र अमर सिंह(1/9)	497	0.1000	0.0432	निजी	सिंचित
12	राम सिंह पुत्र अमर सिंह(1/9), गायत्री पुत्री अमर सिंह(1/9), चन्द्रकला पुत्री अमर सिंह(1/9), सुरेश कुमार वर्मा पुत्र अमर सिंह(1/9), फूल सिंह पुत्र अमर सिंह(1/9), राजलबाई बेवा अमर सिंह (1/9), सुमन पुत्री अमर सिंह(1/9), भगवती पुत्री अमर सिंह(1/9), अनूप सिंह पुत्र अमर सिंह(1/9)	498	0.1000	0.0019	निजी	सिंचित
13	नर्बदा प्रसाद पिता माधो सिंह	500	1.1500	0.4054	निजी	सिंचित
14	राम सिंह पुत्र अमर सिंह(1/9), गायत्री पुत्री अमर सिंह(1/9), चन्द्रकला पुत्री अमर सिंह(1/9), सुरेश कुमार वर्मा पुत्र अमर सिंह(1/9), फूल सिंह पुत्र अमर सिंह(1/9), राजलबाई बेवा अमर सिंह (1/9), सुमन पुत्री अमर सिंह(1/9), भगवती पुत्री अमर सिंह(1/9), अनूप सिंह पुत्र अमर सिंह(1/9)	483	0.1100	0.0114	निजी	सिंचित
15	तेज सिंह पुत्र छीतूलाल	482/1	0.0700	0.0700	निजी	सिंचित

16	अमीर सिंह पुत्र छीतूलाल	482/2	0.0700	0.0700	निजी	सिंचित
17	शान्ता बाई पुत्री हरप्रसाद	481	0.4000	0.1393	निजी	सिंचित
18	ललता बाई पत्नी हीरालाल(1/5), राकेश वर्मा पुत्र हीरालाल(1/5), दिनेश वर्मा पुत्र हीरालाल(1/5), सुनील वर्मा पुत्र हीरालाल(1/5), सीता पुत्री हीरालाल(1/5)	480/1	0.0700	0.0808	निजी	सिंचित
19	सुनील वर्मा पुत्र हीरालाल(1/5), दिनेश वर्मा पुत्र हीरालाल(1/5)	480/2	0.0300		निजी	सिंचित
20	मांगीलाल पुत्र हरीनारायण(1/2), श्यामलाल पुत्र हरीनारायण(1/2)	501/1	0.1500	0.2825	निजी	सिंचित
21	ललता बाई पत्नी स्व. हीरालाल, राकेश वर्मा, दिनेश वर्मा, सुनील वर्मा, सीता पुत्र, पुत्री स्व. श्री हीरालाल	501/2/1	0.3200		निजी	सिंचित
22	राकेश वर्मा पुत्र हीरालाल	501/2/2	0.4050		निजी	सिंचित
23	सुनील वर्मा पुत्र हीरालाल(1/2), दिनेश वर्मा पुत्र हीरालाल(1/2)	501/3	0.0800		निजी	सिंचित
24	अरविन्द वर्मा पिता दिलीप कुमार वर्मा(1/2), देवेन्द वर्मा पिता दिलीप कुमार वर्मा(1/2)	502/1	0.5180	0.4072	निजी	सिंचित
25	देवेन्द वर्मा पिता दिलीप कुमार वर्मा(1/2), अरविन्द वर्मा पिता दिलीप कुमार वर्मा(1/2)	502/2	0.2020		निजी	सिंचित
26	लक्ष्मीनारायण पुत्र विजय सिंह	715	0.7300	0.1141	निजी	सिंचित
27	लक्ष्मीनारायण पुत्र विजय सिंह	716	0.6400	0.1955	निजी	सिंचित
28	लक्ष्मीनारायण पुत्र विजय सिंह	717	1.2000	0.5366	निजी	सिंचित
29	लक्ष्मीनारायण पुत्र विजय सिंह	718	0.5400	0.1631	निजी	सिंचित
30	लीलाकिशन पुत्र चैन सिंह	719/1	0.7750	1.0754	निजी	सिंचित
31	महेश पुत्र चैन सिंह	719/2	0.7750		निजी	सिंचित
32	महेश प्रसाद पुत्र राम सिंह	706	0.7100	0.0512	निजी	सिंचित
33	महेश प्रसाद पुत्र राम सिंह	703	0.6000	0.2107	निजी	सिंचित
34	महेश प्रसाद पुत्र राम सिंह	702	0.1500	0.0385	निजी	सिंचित
35	महेश प्रसाद पुत्र राम सिंह	701	0.1300	0.0817	निजी	सिंचित
36	अनूप सिंह पुत्र सीताराम	700	1.2000	0.0303	निजी	सिंचित
37	सीताचरण पुत्र बुलाखी(1786/2500), मोहन सिंह पुत्र बुलाखी (0357/2500), शिवचरण पुत्र बुलाखी(0357/2500)	720	0.2500	0.1446	निजी	सिंचित
38	थानसिंह पुत्र धनपाल सिंह	723	0.9500	0.0103	निजी	सिंचित
39	रामकरण श्यामकरण वर्मा पिता पुत्रगण अनार सिंह	665	0.3500	0.0003	निजी	सिंचित

	प्रवीण वर्मा पुत्र देव करण					
40	अनार सिंह पुत्र रामप्रसाद	667	0.3500	0.0006	निजी	सिंचित
41	कमल सिंह पुत्र मूरत सिंह	668/1	0.1300	0.1887	निजी	सिंचित
42	प्रहलाद सिंह पुत्र मूरत सिंह	668/2	0.1200		निजी	सिंचित
43	कमल सिंह पुत्र मूरत सिंह	668/808/1	0.1300	0.0902	निजी	सिंचित
44	प्रहलाद सिंह पुत्र मूरत सिंह	668/808/2	0.1200		निजी	सिंचित
45	लखनलाल पुत्र अमर सिंह	668/809	0.2400	0.1852	निजी	सिंचित
46	अनार सिंह पुत्र रामप्रसाद	669	0.4700	0.1478	निजी	सिंचित
47	अनार सिंह पुत्र रामप्रसाद	670	0.2500	0.0080	निजी	सिंचित
48	लक्ष्मीनारायण पुत्र रामचरण(1/3), प्रेमनारायण पुत्र रामचरण(1/3), भोपाल सिंह पुत्र रामचरण (1/3)	671	0.3400	0.0071	निजी	सिंचित
49	राजाराम पुत्र घीसीलाल	673	0.3900	0.2679	निजी	सिंचित
50	देवकरन पुत्र भवरजी	675/1	0.2300	0.0492	निजी	सिंचित
51	निस्तार	675/2	0.1500		सरकारी	निस्तार
52	महेश प्रसाद पुत्र राम सिंह	680	0.3800	0.3524	निजी	सिंचित
53	नर्बदा प्रसाद पुत्र राम सिंह	682	0.7200	0.5697	निजी	सिंचित
54	स्वरूपसिंह पुत्र राम सिंह	683	0.8900	0.1664	निजी	सिंचित
55	बलवन्त सिंह पुत्र दौलत सिंह	684	0.1000	0.1000	निजी	सिंचित
56	बलवन्त सिंह पुत्र दौलत सिंह	685	0.5600	0.0519	निजी	सिंचित
57	रामकरण श्यामकरण वर्मा पिता पुत्रगण अनार सिंह प्रवीण वर्मा पुत्र देव करण	686	0.3500	0.0927	निजी	सिंचित
58	लक्ष्मीनारायण पुत्र रामचरण(1/3), प्रेमनारायण पुत्र रामचरण(1/3), भोपाल सिंह पुत्र रामचरण (1/3)	687/1	0.2800	0.4283	निजी	सिंचित
59	रामकरण श्यामकरण वर्मा पिता पुत्रगण अनार सिंह प्रवीण वर्मा पुत्र देव करण	687/2	0.2500		निजी	सिंचित
60	रामकरण श्यामकरण वर्मा पिता पुत्रगण अनार सिंह प्रवीण वर्मा पुत्र देव करण	688/1	0.3300	0.3200	निजी	सिंचित
61	लक्ष्मीनारायण पुत्र रामचरण(1/3), प्रेमनारायण पुत्र रामचरण(1/3), भोपाल सिंह पुत्र रामचरण (1/3)	688/2	0.1000		निजी	सिंचित
62	रामकरण श्यामकरण वर्मा पिता पुत्रगण अनार सिंह प्रवीण वर्मा पुत्र देव करण	688/3	0.0900		निजी	सिंचित
63	रमेश पुत्र हरप्रसाद	478/1	0.8500	0.2079	निजी	सिंचित

64	जान सिंह पुत्र हरप्रसाद	478/2	0.8400		निजी	सिंचित
65	विक्रम सिंह पिता बंशीलाल(1/14), देवी प्रसाद पिता दयालाल(1/2), देवकुंअर बाई पत्नी बंशीलाल (1/14), संतोष कुमार पिता बंशीलाल(1/14), राजेन्द्र प्रसाद पिता बंशीलाल(1/14), कमल सिंह पिता बंशीलाल(1/14), विष्णु प्रसाद पिता बंशीलाल(1/14), राकेश कुमार पिता बंशीलाल (1/14)	444	1.2000	0.2880	निजी	सिंचित
66	विक्रम सिंह पिता बंशीलाल(1/14), देवी प्रसाद पिता दयालाल(1/2), देवकुंअर बाई पत्नी बंशीलाल (1/14), संतोष कुमार पिता बंशीलाल(1/14), राजेन्द्र प्रसाद पिता बंशीलाल(1/14), कमल सिंह पिता बंशीलाल(1/14), विष्णु प्रसाद पिता बंशीलाल(1/14), राकेश कुमार पिता बंशीलाल (1/14)	443	1.2600	0.7358	निजी	सिंचित
67	मांगीलाल पुत्र हजारीलाल	442/1	0.3100	0.1825	निजी	सिंचित
68	गंगाप्रसाद पुत्र हजारीलाल	442/2	0.3600		निजी	सिंचित
69	जटाल सिंह पुत्र हजारी लाल	442/3	0.3600		निजी	सिंचित
70	मांगीलाल पुत्र हजारीलाल	441	0.0500	0.0474	निजी	सिंचित
71	शिवचरण वर्मा पुत्र बुलाखी	440	0.1600	0.1600	निजी	सिंचित
72	जान सिंह पुत्र धनपाल सिंह	427/1/1	0.1320	0.2289	निजी	सिंचित
73	शिवचरण वर्मा पुत्र बुलाखीलाल	427/1/2	0.0480		निजी	सिंचित
74	जान सिंह पुत्र धनपाल सिंह	427/2	0.1600		निजी	सिंचित
75	जान सिंह पुत्र धनपाल सिंह	428/1	0.3320	0.2515	निजी	सिंचित
76	शिवचरण वर्मा पुत्र बुलाखीलाल	428/2	0.0480		निजी	सिंचित
77	शिवचरण वर्मा पुत्र बुलाखी	439	0.6800	0.1951	निजी	सिंचित
78	गुलाब वर्मा पिता मांगीलाल	359	0.2000	0.0123	निजी	सिंचित
79	श्री किशन पुत्र मंजीत सिंह	360	0.1700	0.1551	निजी	सिंचित
80	जयनारायण पुत्र मुंशीलाल(1/6), चतुर नारायण पुत्र मुंशीलाल(1/6), अर्जुन सिंह पुत्र मुंशीलाल (1/6), जमनाप्रसाद पुत्र मुंशीलाल(1/6), पुष्पाबाई पुत्री मुंशीलाल(1/6), सीमाबाई पुत्री मुंशीलाल(1/6)	361	0.1800	0.1381	निजी	सिंचित
81	जयनारायण पुत्र मुंशीलाल(1/6), चतुर नारायण पुत्र मुंशीलाल(1/6), अर्जुन सिंह पुत्र मुंशीलाल (1/6), जमनाप्रसाद पुत्र मुंशीलाल(1/6), पुष्पाबाई पुत्री मुंशीलाल(1/6), सीमाबाई पुत्री मुंशीलाल(1/6)	362	0.3000	0.2038	निजी	सिंचित

82	नर्बदा प्रसाद पिता माखन सिंह	363	0.3000	0.1808	निजी	सिंचित
83	दुलीचन्द पुत्र चैन सिंह	368/1	0.4150	0.1898	निजी	सिंचित
84	शिवनारायण पुत्र चैन सिंह	368/2	0.4150	0.1551	निजी	सिंचित
85	नर्बदा प्रसाद पिता माखन सिंह	369	0.2800	0.0662	निजी	सिंचित
86	शीला बाई पत्नी रामेश्वर	370/1	0.2270	0.0722	निजी	सिंचित
87	नर्बदा प्रसाद पिता माखन सिंह	370/2	0.2130		निजी	सिंचित
88	नर्बदा प्रसाद पिता माखन सिंह	371	0.2000	0.1943	निजी	सिंचित
89	नर्बदा प्रसाद पिता माखन सिंह	372	0.2300	0.2102	निजी	सिंचित
90	नर्बदा प्रसाद पिता माखन सिंह	373	0.2500	0.2348	निजी	सिंचित
91	जयनारायण पुत्र मुंशीलाल(1/6), चतुर नारायण पुत्र मुंशीलाल(1/6), अर्जुन सिंह पुत्र मुंशीलाल(1/6), जमनाप्रसाद पुत्र मुंशीलाल(1/6), पुष्पाबाई पुत्री मुंशीलाल(1/6), सीमाबाई पुत्री मुंशीलाल(1/6)	374	0.5200	0.0020	निजी	सिंचित
92	नर्बदा प्रसाद पिता माखन सिंह	375/1	0.1400	0.0382	निजी	सिंचित
93	नर्बदा प्रसाद पिता माखन सिंह	375/2	0.2000		निजी	सिंचित
94	नर्बदा प्रसाद पिता माखन सिंह	376	0.3700	0.0054	निजी	सिंचित
95	दुलीचन्द पुत्र चैन सिंह	383/1	0.7550	0.6971	निजी	सिंचित
96	शिवनारायण पुत्र चैन सिंह	383/2	0.7550		निजी	सिंचित
	कुल योग		34.1450	12.9765		

अधिनियम की धारा-15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो तो फाईल किये जा सकेंगे। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील हुजूर जिला भोपाल कार्यालय में देखा जा सकता है।

नोट :- उपरोक्त भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि संभावित है।

क्र. 970-भू-अर्जन-2026-रा.प्र.क्र.-0023-अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में जिला- भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम दूबड़ी की निजी भूमि के भू-अधिग्रहण हेतु कालम (6) में वर्णित भूमि, जिसका खसरा क्रमांक वार का विवरण, अनुसूची (2) के खाने (1) से (7) में वर्णित है, अनुसूची (1) के कालम (8) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः **भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।**

यह कार्य भोपाल शहर में पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मार्ग के मय पेव्हड शोल्डर निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात अध्ययन किया गया, सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट का मूल्यांकन, भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, जिसमें विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना एक बृहद लोक प्रयोजन की परियोजना है, जिसका निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र में सुलभ एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है, अतः परियोजना से संभावित फायदे सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है। परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापन होने की संभावना नहीं होने से अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

-: अनुसूची (1) :-

क्र. स.	जिला	तहसील	ग्राम	कुल रकबा (हेक्टे.में)	भू. अर्जन का रकबा (हेक्टे.में)	धारा . 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	भोपाल	हुजूर	दूबड़ी	20.2800 हे.	6.6651 हे.	संभागीय प्रबंधक संभाग भोपाल म.प्र. सडक विकास निगम, भोपाल	पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर मार्ग निर्माण कार्य (लंबाई 35.61 कि.मी.)

-: अनुसूची (2):-

ग्राम का नाम दूबड़ी, तहसील- हुजूर , जिला - भोपाल

क्र. स.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टे.में)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे.में)	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06	07
1	दीपा दण्डमूडी पुत्री श्रीनिवास राव दण्ड मूडी	314/1	0.1700	0.0024	निजी	सिंचित
2	शाहिद अली पिता वाहिद अली	314/2	0.1700		निजी	सिंचित
3	साबिर अली पिता इस्लाम अली	314/3	0.1800		निजी	सिंचित
4	दीपा दण्डमूडी पुत्री श्रीनिवास राव दण्ड मूडी	314/4	0.1700		निजी	सिंचित

5	दीपा दण्डमूडी पुत्री श्रीनिवास राव दण्ड मूडी	314/5	0.1900		निजी	सिंचित
6	वाहिद अली पिता इस्लाम अली	313	0.3000	0.0556	निजी	सिंचित
7	सलमान पुत्र स्व इमाम अली	310/1	0.1500	0.1553	निजी	सिंचित
8	वाहिद अली पिता इस्लाम अली	310/2	0.1600		निजी	सिंचित
9	साबिर अली पिता इस्लाम अली	309/1	0.1500	0.2963	निजी	सिंचित
10	नूर अली पिता इस्लाम अली	309/2	0.2000		निजी	सिंचित
11	मोहब्बत अली पिता इस्लाम अली	309/3	0.1800		निजी	सिंचित
12	वाहिद अली पिता इस्लाम अली	308/1	0.0600	0.6307	निजी	सिंचित
13	साबिर अली पिता इस्लाम अली	308/2	0.2900		निजी	सिंचित
14	नूर अली पिता इस्लाम अली	308/3	0.2600		निजी	सिंचित
15	मोहब्बत अली पिता इस्लाम अली	308/4	0.3800		निजी	सिंचित
16	सलमान पुत्र स्व इमाम अली	307/1	0.0300	0.2363	निजी	सिंचित
17	वाहिद अली पिता इस्लाम अली	307/2	0.2000		निजी	सिंचित
18	साबिर अली पिता इस्लाम अली	307/3	0.2700		निजी	सिंचित
19	नूर अली पिता इस्लाम अली	307/4	0.2300		निजी	सिंचित
20	मोहब्बत अली पिता इस्लाम अली	307/5	0.1500		निजी	सिंचित
21	सलमान पुत्र स्व इमाम अली	302/1	0.1500	0.1915	निजी	सिंचित
22	वाहिद अली पिता इस्लाम अली	302/2	0.0500		निजी	सिंचित
23	युसूफ पुत्र स्व इमाम अली	301	0.0900	0.0847	निजी	सिंचित
24	नरेश, सुरेश, शिपरा, सविता, उमा, मनीषा पुत्र पुत्री भवरजी, कृष्णा बाई पत्नी भवरजी	300	0.1300	0.0367	निजी	सिंचित
25	रमेश पुत्र शिवचरन	299/1	0.0400	0.2000	निजी	सिंचित
26	गुलाब पुत्र शिवचरन	299/2	0.1600		निजी	सिंचित
27	राजेश मेवाडा पिता दौलत सिंह	298/1	0.1400	0.0503	निजी	सिंचित
28	रामसिंह पुत्र शिवचरन	298/2	0.1600		निजी	सिंचित
29	रमेश पुत्र शिवचरन	298/3	0.1000		निजी	सिंचित
30	नरेश, सुरेश, शिपरा, सविता, उमा, मनीषा पुत्र पुत्री भवरजी, कृष्णा बाई पत्नी भवरजी	316/1	0.0800	0.0070	निजी	सिंचित
31	हरीप्रसाद पिता काशीराम	316/2	0.0900		निजी	सिंचित
32	सरिता सिंह पति धीरेन्द्र सिंह	145	0.8400	0.0964	निजी	सिंचित
33	नसीबन बी बेवा पीर अली शाह, जुम्मन अली, रईस अली, बाबूशाह सरीफ अली पिता पीर अली शाह	140	0.4500	0.2905	निजी	सिंचित
34	लक्ष्मीनारायण पुत्र मांगीलाल	120/1/1	0.3370	0.0326	निजी	सिंचित
35	धुव पुत्र मांगीलाल	120/1/2	0.3360		निजी	सिंचित
36	केदार सिंह पुत्र मांगीलाल	120/1/3	0.0770		निजी	सिंचित

37	पुष्पा मेवाड़ा पत्नी घनश्याम मेवाड़ा	120/2	0.8000		निजी	सिंचित
38	रजनी श्रीवास्तव पत्नी सुदीप खरे	121	1.0800	0.2219	निजी	सिंचित
39	मुन्नवर अली, मुराद अली, चिराग अली, मोसम अली, रियाज अली, ईशाक अली, राईसा वी पुत्र पुत्री स्व मकसूद अली, उल्फत अली पत्नी स्व मकसूद अली	137	0.2300	0.0148	निजी	सिंचित
40	श्रीमति नूरा वी पत्नी ईशाक अली	138	0.2500	0.2483	निजी	सिंचित
41	मुन्नवर अली, मुराद अली, चिराग अली, मोसम अली, रियाज अली, ईशाक अली, राईसा वी पुत्र पुत्री स्व मकसूद अली, उल्फत अली पत्नी स्व मकसूद अली	139	0.3500	0.2763	निजी	सिंचित
42	गुलाबबाई बेवा स्व कुंजीलाल	6/1	0.3000	0.0335	निजी	सिंचित
43	राजलबाई बेवा मांगीलाल, निर्मलाबाई बेवा सतीश, मदनलाल, सुरेन्द्र पिता मांगीलाल, गरिमा नाबालिग पिता सतीश संरक्षक निर्मला बाई	6/2	0.0500		निजी	सिंचित
44	अंशु पालीवाल पत्नी नितिन पालीवाल	7	0.5600	0.3580	निजी	सिंचित
45	अरविन्द नागर पुत्र स्व कुंजीलाल	16/1	0.8900	0.0991	निजी	सिंचित
46	संजय नागर पिता स्व कुंजीलाल	16/2	0.9500		निजी	सिंचित
47	संतोष नागर पिता स्व कुंजीलाल	16/3	0.2100		निजी	सिंचित
48	पिन्दु, आरती, टीना, रामस्वरूप पिता स्व श्री बाबूलाल, सुगनबाई बेवा स्व श्री बाबूलाल	29/1	0.1400	0.4798	निजी	सिंचित
49	रामसिंह पुत्र शिवचरण	29/2	0.1300		निजी	सिंचित
50	रमेश पुत्र शिवचरण	29/3	0.1400		निजी	सिंचित
51	दौलतसिंह पुत्र शिवचरण	29/4	0.1300		निजी	सिंचित
52	गुलाब पुत्र शिवचरण	29/5	0.1500		निजी	सिंचित
53	आत्माराम पिता देवकरण	30	0.7900	0.6100	निजी	सिंचित
54	आत्माराम पिता देवकरण	31	0.2000	0.1322	निजी	सिंचित
55	होतम सिंह पिता देवकरण	37/1	0.1800	0.4201	निजी	सिंचित
56	होतम सिंह पिता देवकरण	37/2	0.5600		निजी	सिंचित
57	होतम सिंह पिता देवकरण	38	0.1300	0.0307	निजी	सिंचित
58	हरीप्रसाद पिता काशीराम	39/1	0.9100	0.6660	निजी	सिंचित
59	नरेश, सुरेश, शिपरा, सविता, उमा, मनीषा पुत्र पुत्री भवरजी, कृष्णा बाई पत्नी भवरजी	39/2	0.9100		निजी	सिंचित
60	होतम सिंह, कृष्णा, कैलाश, शीलाबाई, लखनलाल पिता रामगोपाल, कलीबाई बेवा रामगोपाल	40	1.0000	0.6346	निजी	सिंचित
61	मोहब्बत अली पिता इस्लाम अली	44/1	0.0900	0.0713	निजी	सिंचित
62	अय्यूब अली पुत्र स्व ईमाम अली	44/2	0.4300		निजी	सिंचित
63	शाहिद अली पिता वाहिद अली	44/3	0.4300		निजी	सिंचित
64	योगेश मेवाड़ा पिता होतम सिंह	44/4	0.3400		निजी	सिंचित
65	वचनसिंह पिता राम लाल	47	0.8300	0.0021	निजी	सिंचित
	कुल योग	20.2800	6.6651			

अधिनियम की धारा-15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो तो फाईल किये जा सकेंगे। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील हुजूर जिला भोपाल कार्यालय में देखा जा सकता है।

नोट :- उपरोक्त भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि संभावित है।

क्र. 972-भू-अर्जन-2026-रा.प्र.क्र.-0022-अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में जिला- भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम आंवला की निजी भूमि के भू-अधिग्रहण हेतु कालम (6) में वर्णित भूमि, जिसका खसरा क्रमांक वार का विवरण, अनुसूची (2) के खाने (1) से (7) में वर्णित है, अनुसूची (1) के कालम (8) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः **भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।** राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य भोपाल शहर में पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मार्ग के मय पेक्ड शोल्डर निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात अध्ययन किया गया, सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट का मूल्यांकन, भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, जिसमें विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना एक बृहद लोक प्रयोजन की परियोजना है, जिसका निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र में सुलभ एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है, अतः परियोजना से संभावित फायदे सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है। परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापन होने की संभावना नहीं होने से अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

:- अनुसूची (1) :-

क्र. स०	जिला	तहसील	ग्राम	कुल रकबा (हेक्टे.में)	भू. अर्जन का रकबा (हेक्टे.में)	धारा . 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	भोपाल	हुजूर	आंवला	62.8741 हे.	15.2858 हे.	संभागीय प्रबंधक संभाग भोपाल म.प्र. सडक विकास निगम,भोपाल	पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मय पेक्ड शोल्डर मार्ग निर्माण कार्य (लंबाई 35.61 कि.मी.)

:- अनुसूची (2) :-

ग्राम का नाम आंवला, तहसील- हुजूर, जिला - भोपाल

क्र. स०	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टे.में)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे.में)	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06	07
1	हितेश तोलानी पिता नारायणदास तोलानी एवं सुधीर गुप्ता पिता के आर गुप्ता व राजेन्द्र नायक पिता के सी नायक	88/1/1/1	0.3440	1.0582	निजी	सिंचित
2	जमना प्रसाद पिता मूलचन्द	88/1/1/2	0.2950		निजी	सिंचित

3	हितेश तोलानी पिता नारायणदास तोलानी एवं सुधीर गुप्ता पिता के आर गुप्ता व राजेन्द्र नायक पिता के सी नायक	88/1/2	0.6390		निजी	सिंचित
4	जमना प्रसाद पिता मूलचन्द	88/1/3	0.6370		निजी	सिंचित
5	प्रमिन्दा बाला सक्सेना पत्नी अशेष कुमार सक्सेना	88/2/1/1	0.4050		निजी	सिंचित
6	नन्हेलाल गुर्जर एचयूएफ पुत्र स्व श्री एन पी गुर्जर	88/2/1/2	0.4060		निजी	सिंचित
7	प्रमोद कुमार सक्सेना पिता जे पी सक्सेना	88/2/1/3	1.0430		निजी	सिंचित
8	हितेश तोलानी पिता नारायणदास तोलानी एवं सुधीर गुप्ता पिता के आर गुप्ता व राजेन्द्र नायक पिता के सी नायक	88/2/2/1	0.3880		निजी	आवासीय
9	महाराणा प्रताप सोशल रिसर्च एण्ड एजू केशन सोसायटी भोपाल व्दारा अध्यक्ष नरेन्द्रसिंह आ.इन्द्रजीतसिंह	88/2/2/2	1.4170		निजी	आवासीय
10	माया सिंह गौतम पत्नी श्री आर०के०एस० गौतम	88/2/2/3/1	1.3360		निजी	आवासीय
11	हितेश तोलानी पिता नारायणदास तोलानी एवं सुधीर गुप्ता पिता के आर गुप्ता व राजेन्द्र नायक पिता के सी नायक	88/2/2/3/2	0.0810		निजी	आवासीय
12	हितेश तोलानी पिता नारायणदास तोलानी एवं सुधीर गुप्ता पिता के आर गुप्ता व राजेन्द्र नायक पिता के सी नायक	88/2/2/4	1.4400		निजी	सिंचित
13	महाराणा प्रताप सोशल रिसर्च एण्ड एजू केशन सोसायटी भोपाल व्दारा अध्यक्ष नरेन्द्रसिंह आ.इन्द्रजीतसिंह	88/2/2/5	1.2140		निजी	आवासीय
14	महाराणा प्रताप सोशल रिसर्च एण्ड एजू केशन सोसायटी भोपाल व्दारा अध्यक्ष नरेन्द्रसिंह आ.इन्द्रजीतसिंह	88/2/2/6	1.4170		निजी	आवासीय
15	प्रमोद कुमार सक्सेना पिता जे पी सक्सेना	88/2/3/1	0.1730		निजी	सिंचित
16	प्रदीप कुमार सक्सेना पिता जे पी सक्सेना	88/2/3/2	0.8100		निजी	सिंचित
17	रोहित श्रीवास्तव पुत्र विनोद श्रीवास्तव	88/2/4/1	0.4050		निजी	सिंचित
18	अंजू श्रीवास्तव पत्नी अमित कुमार श्रीवास्तव	88/2/4/2/1	0.4010		निजी	सिंचित
19	डा प्रमोदकुमार सक्सेना पिता जे पी सक्सेना	88/2/4/2/2	0.4610		निजी	सिंचित
20	हरीप्रसाद पिता उमराव	88/2/4/2/3	0.0080		निजी	सिंचित
21	डा प्रमोद सक्सेना पिता जे पी सक्सेना	88/2/5/1	0.9230		निजी	सिंचित
22	प्रभात सक्सेना पिता जे पी सक्सेना	88/2/5/2	0.6150		निजी	सिंचित
23	महाराणा प्रताप सोशल रिसर्च एंव शिक्षा सोसायटी भोपाल व्दारा चेयरमेन नरेन्द्र सिंह पिता इन्द्रजीत सिंह	87	0.4130	0.0487	निजी	सिंचित
24	सुनील कुमार पिता बैजनाथ प्रसाद शर्मा	86/2/1	0.5180	2.5082	निजी	सिंचित
25	सुनील कुमार पिता बैजनाथ प्रसाद शर्मा	86/2/2	1.2140		निजी	सिंचित

26	सुनील कुमार पिता बैजनाथ प्रसाद शर्मा	86/2/3	1.3360		निजी	सिंचित
27	सुनील कुमार पिता बैजनाथ प्रसाद शर्मा	86/2/4	0.1450		निजी	सिंचित
28	सुनील कुमार पिता बैजनाथ प्रसाद शर्मा	86/3/1	1.0690		निजी	सिंचित
29	हितेश तोलानी पिता नारायणदास तोलानी एवं सुधीर गुप्ता पिता के आर गुप्ता व राजेन्द्र नायक पिता के सी नायक	86/3/2	2.0230		निजी	सिंचित
30	महाराणा प्रताप सोशल रिसर्च एंव शिक्षा सोसायटी भोपाल द्वारा चेरमेन नरेन्द्र सिंह पिता इन्द्रजीत सिंह	86/3/3	1.6100		निजी	सिंचित
31	सुनील कुमार पिता बैजनाथ प्रसाद शर्मा	85/1	1.2140	0.8490	निजी	सिंचित
32	सुनील कुमार पिता बैजनाथ प्रसाद शर्मा	85/2	0.6960		निजी	सिंचित
33	विवेकानन्द विचारधाम शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति भोपाल द्वारा अध्यक्ष राजेश कुमार साहू पिता के के साहू	82/2/1/2/1	0.4050		निजी	सिंचित
34	राजेश कुमार साहू 1/2, मनोज साहू पिता के के साहू 1/2	82/2/1/2/2	0.5060		निजी	सिंचित
35	विवेकानन्द विचारधाम शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति भोपाल द्वारा अध्यक्ष राजेश कुमार साहू पिता के के साहू	82/2/1/3/1	0.2020	5.0694	निजी	सिंचित
36	राजेश कुमार साहू 1/2, मनोज साहू पिता के के साहू 1/2	82/2/1/3/2	0.1010		निजी	सिंचित
37	शुचि अग्रवाल पत्नी सुधान्शु अग्रवाल	82/6	1.7810		निजी	सिंचित
38	सुधाशु अग्रवाल पुत्र चन्द्रमोहन अग्रवाल	82/7/1	2.4280		निजी	सिंचित
39	चिंतामणि अग्रवाल पत्नी चन्द्रमोहन अग्रवाल	82/7/2	2.4280		निजी	सिंचित
40	नरेश राजानी पिता श्री केवलराम राजानी हरिओमशर्मा पिता श्री रामजी लाल शर्मा योगी अग्रवाल पिता श्री सुभाष अग्रवाल सचिन जैन पिता श्री जितेन्द्र कुमार जैन आदित्य जैन पिता श्री जितेन्द्र कुमार जैन	77/1/2/1	2.0230	0.7252	निजी	सिंचित
41	सतीश तैलंग पुत्र पदमनाथ तैलंग	77/2/1	1.2140		निजी	सिंचित
42	कृष्णा पुत्र रमेशप्रसाद	77/2/2/1	0.1560	0.9171	निजी	सिंचित
43	प्रेमलाल पांडे पुत्र गयाप्रसाद पांडे	77/2/2/2	0.1960		निजी	सिंचित
44	कृष्णा पिता रमेशप्रसाद	75/1	0.5180	0.1725	निजी	सिंचित
45	रमेश चंद पिता अनोखी लाल	83/1	0.5340	0.9652	निजी	सिंचित
46	बृज किशोर पिता अनोखीलाल	83/2	1.8540		निजी	सिंचित
47	प्रेम बाबू शर्मा पिता श्री हरिशंकर शर्मा 1/2, आशा शर्मा पति प्रेम बाबू शर्मा 1/2	73/1/1/1/2	0.4040	2.3263	निजी	सिंचित

48	हेमचन्द मांगीलाल शर्मा सांस्कृति कलां एव सांस्कृति सस्थान भोपाल द्वारा सचिव श्रीमती विभा शर्मा पत्नी प्रकाश मांगीलाल शर्मा	73/1/2	2.1610		निजी	सिंचित
49	लीलादेवी टाडा पत्नी शंकरलाल	73/1/3/1	1.3480		निजी	सिंचित
50	सुनील टाडा पिता शंकरलाल टाडा	73/1/3/2	0.8090		निजी	सिंचित
51	लीलाधर पिता लक्ष्मी नारायण	73/2/1/1/1	1.4170		निजी	सिंचित
52	कविता भदौरिया पत्नी श्री राहुल सिंह भदौरिया	73/2/1/2/1/1/2	0.1010		निजी	सिंचित
53	सुनीलकुमार पिता लक्ष्मी नारायण(16210/18210), हितेश साहनी पिता श्री हरभूषण साहनी (500/18210), श्वेता धामीजा पुत्री श्री हरभूषण साहनी(500/18210), सुनील सेठी पिता श्री बाल मुकुन्द सेठी (500/18210), समीरकांत धामीजा पिता श्री रविकांत धामीजा (500/18210)	73/2/1/3	1.8210		निजी	सिंचित
54	कीर्ति तलरेजा पत्नी श्री गिरीष कुमार तलरेजा	73/2/1/5/1	0.7490		निजी	व्यावसायिक
55	अनसुईया बेवा लक्ष्मीनारायण एवं लीलाधर ओम सुनील प्रमोद पुत्रगण लक्ष्मीनारायण	73/2/1/5/2	0.9350		निजी	सिंचित
56	शिवनारायण पिता राम प्रसाद	73/2/2/1	0.6050		निजी	सिंचित
57	कीर्ति तलरेजा पत्नी श्री गिरीष कुमार तलरेजा	73/2/2/2	1.6190		निजी	सिंचित
58	कीर्ति तलरेजा पत्नी श्री गिरीष कुमार तलरेजा	73/2/3	1.6190		निजी	सिंचित
59	कीर्ति तलरेजा पत्नी श्री गिरीष कुमार तलरेजा	73/2/4	3.7320		निजी	सिंचित
60	कीर्ति तलरेजा पत्नी श्री गिरीष कुमार तलरेजा	73/2/5	4.0470		निजी	सिंचित
61	दीपक कुमार कपूर पिता के सी कपूर	3/1/1/1	0.1860		निजी	सिंचित
62	दीपक कुमार कपूर पिता के सी कपूर	3/1/1/2	0.0571		निजी	सिंचित
63	शुचि अग्रवाल पत्नी श्री सुधांशु अग्रवाल एवं तरुणी अग्रवाल पत्नी श्री सचिन अग्रवाल एवं श्वेता अग्रवाल पत्नी श्री अनुज	3/1/2	1.8220	0.6460	निजी	सिंचित
	कुल योग		62.8741	15.2858		

अधिनियम की धारा-15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो तो फाईल किये जा सकेंगे। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील हुजूर जिला भोपाल कार्यालय में देखा जा सकता है।

नोट :- उपरोक्त भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि संभावित है।

क्र. 974-भू-अर्जन-2026-रा.प्र.क्र.-0037-अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में जिला- भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम झागरिया खुर्द की निजी भूमि के भू-अधिग्रहण हेतु कालम (6) में वर्णित भूमि, जिसका खसरा क्रमांक वार का विवरण, अनुसूची (2) के खाने (1) से (7) में वर्णित है, अनुसूची (1) के कालम (8) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य भोपाल शहर में पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मार्ग के मय पेक्ड शोल्डर निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात अध्ययन किया गया, सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट का मूल्यांकन, भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, जिसमें विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना एक बृहद लोक प्रयोजन की परियोजना है, जिसका निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र में सुलभ एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है, अतः परियोजना से संभावित फायदे सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है। परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापन होने की संभावना नहीं होने से अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

-: अनुसूची (1) :-

क्र. स०	जिला	तहसील	ग्राम	कुल रकबा (हेक्टे.में)	भू. अर्जन का रकबा (हेक्टे.में)	धारा. 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	भोपाल	हुजूर	झागरिया खुर्द	55.1950 हे.	19.0552 हे.	संभागीय प्रबंधक संभाग भोपाल म.प्र. सडक विकास निगम, भोपाल	पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मय पेक्ड शोल्डर मार्ग निर्माण कार्य (लंबाई 35.61 कि.मी.)

-: अनुसूची (2):-

ग्राम का नाम झागरिया खुर्द, तहसील- हुजूर, जिला - भोपाल

क्र. स०	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टे.में)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे.में)	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06	07
1	चरागाह	183/1	0.5500	0.1979	सरकारी	चरागाह
2	मोहन पिता प्रेमनारायण	183/3	0.0300		निजी	सिंचित
3	श्रीमती रजनी मुदगल पत्नी शैलेन्द्र मुदगल	181/1/1	0.4400	0.5161	निजी	सिंचित
4	शैलेन्द्र कुमार पिता लक्ष्मीनारायण	181/1/2	0.1100		निजी	सिंचित
5	श्रीमती रजनी मुदगल पत्नी शैलेन्द्र मुदगल	181/2	0.0600		निजी	सिंचित

6	शैलेन्द्र कुमार पिता लक्ष्मीनारायण	180	1.1500	0.3039	निजी	सिंचित
7	शैलेन्द्र कुमार पिता लक्ष्मीनारायण	179	1.2500	0.4915	निजी	सिंचित
8	शासकीय	156/1/1/1	2.2000	2.3214	सरकारी	तालाब
9	शासकीय	156/1/1/2	1.6300		सरकारी	सिंचित
10	सुखलाल पिता भूर सिंह 1/2, कला बाई पत्नी सुख लाल 1/2	156/1/2	0.7700		निजी	सिंचित
11	रामलाल पिता अमर सिंह 1/2, कमलाबाई पत्नी रामलाल 1/2	156/1/3	0.7700		निजी	सिंचित
12	जगदीश पिता केरु सिंह 1/2, चंपाबाई पत्नी जगदीश 1/2	156/1/4	0.7700		निजी	सिंचित
13	सीताराम पिता मूल चन्द 1/2, पार्वती बाई पत्नी सीताराम 1/2	156/1/5	0.7700		निजी	सिंचित
14	लेजमलाल पिता रघुवीर	156/1/6	0.8300		निजी	सिंचित
15	सरजूबाई पत्नी संतोष, आशीष पिता सन्तोष	156/1/7	0.7700		निजी	सिंचित
16	मालाबाई पत्नी कैलाश 1/2, कैलाश पिता करन सिंह 1/2 (अहस्तान्तरणीय शासन द्वारा पट्टे पर प्रदत्त)	156/1/8	0.7700		निजी	सिंचित
17	संतोषी बाई बेवा जमनाप्रसाद, पीयूष ना वा पुत्र जमनाप्रसाद, रानी, टीना, भूरी ना वा पुत्रिया जमनाप्रसाद (अहस्तान्तरणीय शासन द्वारा पट्टे पर प्रदत्त)	156/1/10	0.5800		निजी	सिंचित
18	शासकीय	156/2	0.4200	0.0550	सरकारी	चरागाह
19	अरुण कुमार श्रीवास्तव पिता दिनेश कुमार श्रीवास्तव	115/1	0.6896		निजी	सिंचित
20	राहुल श्रीवास्तव पिता श्री अरुण श्रीवास्तव	115/2	0.2304	0.5490	निजी	सिंचित
21	अरुण कुमार श्रीवास्तव पिता दिनेश कुमार श्रीवास्तव	116/1	0.4463		निजी	सिंचित
22	राहुल श्रीवास्तव पिता श्री अरुण श्रीवास्तव	116/2/1	0.7688		निजी	सिंचित
23	श्रीमती पारुल श्रीवास्तव पत्नी श्री श्रेयांश सिंह पुत्री श्री अरुण श्रीवास्तव	116/2/2	0.3249	0.3210	निजी	सिंचित
24	श्रीमती कंचन आहूजा पत्नी धर्मेन्द्र कुमार	82/1	0.9000		निजी	सिंचित
25	कु तोषी अग्रवाल पुत्री कैलाश अग्रवाल	82/2	0.0500	1.0246	निजी	सिंचित
26	कु तोषी अग्रवाल पुत्री कैलाश अग्रवाल	89/1	1.3400		निजी	सिंचित
27	हेमंत कुमार चुध पिता श्री भगवानदास चुध	89/2	1.3400	0.2746	निजी	सिंचित
28	श्रीमती कंचन आहूजा पत्नी धर्मेन्द्र कुमार	81	0.2800		निजी	सिंचित

29	शंकर लाल पिता बुलाखी	80	0.7400	0.0873	निजी	सिंचित
30	मुनब्बर खान पुत्र मो रियाज कोसर	625/1	0.6540	0.1477	निजी	सिंचित
31	मुनब्बर खान पुत्र मो रियाज कोसर	625/2	0.0560		निजी	आवासीय
32	मुनब्बर खान पुत्र मो रियाज कोसर	624	0.5800	0.1155	निजी	सिंचित
33	मुनब्बर खान पुत्र मो रियाज कोसर	623	0.2900	0.1193	निजी	सिंचित
34	मुनब्बर खान पुत्र मो रियाज कोसर	622/1/1	0.3840	1.0954	निजी	सिंचित
35	ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह पिता श्री उदय प्रताप सिंह	622/1/2	0.1260		निजी	सिंचित
36	नवनीत गुप्ता पुत्र चंदर गुप्ता (40/3370), सतीश बाबू शर्मा पिता जगनारायण शर्मा (3080/3370), राजीव गुप्ता पिता श्री वी के गुप्ता(250/3370)	622/2/1	0.3370		निजी	सिंचित
37	व्ही एण्ड के एसोसिएट्स द्वारा पार्टनर विजेन्द्र सिंह ठाकुर पिता श्री स्व एम एस ठाकुर व कृष्णकांत शुक्ला पिता एल एन शुक्ला	622/2/2	0.4050		निजी	सिंचित
38	ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह पिता श्री उदय प्रताप सिंह	622/2/3	0.2780	0.0532	निजी	सिंचित
39	अनिल कुमार मारण पिता श्री अनूप सिंह मारण	621/1	0.1350		निजी	सिंचित
40	सुनील कुमार मारण पिता श्री अनूप सिंह मारण	621/2	0.1350		निजी	सिंचित
41	शिवराज मारण पिता श्री अनूप सिंह मारण	621/3	0.1350		निजी	सिंचित
42	सतीश बाबू शर्मा पिता श्री जगनारायण शर्मा(960/4750), राजीव गुप्ता पिता श्री वी के गुप्ता (3790/4750)	621/4	0.4750	0.1000	निजी	सिंचित
43	श्रीमती अनीता रघुवंशी पत्नी श्री हरि सिंह रघुवंशी	617	0.1000		निजी	सिंचित
44	शकुन्तला पत्नी रूप कुमार	616	1.1500	0.0124	निजी	व्यावसायिक
45	कमलेश शर्मा पुत्र श्री इंदु शर्मा	557/1	0.4000	0.8533	निजी	सिंचित
46	पूर्णमा शर्मा पत्नी कमलेश शर्मा	557/2/1	0.1600		निजी	सिंचित
47	अनीता रघुवंशी पत्नी हरि सिंह रघुवंशी	557/2/2	0.2000		निजी	सिंचित
48	श्रीमती अनीता रघुवंशी पत्नी श्री हरि सिंह रघुवंशी	557/3	0.2200		निजी	सिंचित
49	पूर्णमा शर्मा पत्नी कमलेश शर्मा	557/4	0.0400	0.3060	निजी	सिंचित
50	दीप अग्रवाल पिता डी एन अग्रवाल(4680/4910), दीप अग्रवाल पिता डी एन अग्रवाल(230/4910)	558	0.4910		निजी	सिंचित
51	आशीष विन्दल पिता पी सी विन्दल(8589/57900), दीप अग्रवाल पिता डी एन अग्रवाल(42300/57900), दीप अग्रवाल पिता डी एन अग्रवाल(7011/57900)	556	0.5790	0.2843	निजी	सिंचित

52	अमित पिता पी सी विन्दल	552	0.5600	0.0509	निजी	सिंचित
53	कमलकिशोर शर्मा, चन्द्रशेखर शर्मा पिता मूलचन्द शर्मा	560/1	0.0800	0.0059	निजी	सिंचित
54	कमलकिशोर शर्मा पिता मूलचन्द्र	560/2/1	0.1500		निजी	सिंचित
55	चन्द्रशेखर शर्मा पिता मूलचन्द शर्मा	560/2/2	0.1300		निजी	सिंचित
56	कुशन शर्मा पुत्र हरप्रसाद शर्मा	572	0.3700	0.0767	निजी	सिंचित
57	कुशन शर्मा पुत्र हरप्रसाद शर्मा	576/1	0.0300	0.0082	निजी	सिंचित
58	कुशन शर्मा पुत्र हरप्रसाद शर्मा	576/2	0.1000		निजी	सिंचित
59	कुशन शर्मा पुत्र हरप्रसाद शर्मा	577/1	0.0600	0.0962	निजी	सिंचित
60	दीप अग्रवाल पिता डी एन अग्रवाल	577/2	0.0900		निजी	सिंचित
61	दीप अग्रवाल पिता डी एन अग्रवाल	578	0.1000	0.0381	निजी	सिंचित
62	बृजेश पत्नी राकेश	579/1	0.0700	0.0854	निजी	सिंचित
63	श्रीमती अनीता रघुवंशी पत्नी श्री हरि सिंह रघुवंशी	579/2	0.0800		निजी	सिंचित
64	दीप अग्रवाल पिता डी एन अग्रवाल	580	0.1800	0.1722	निजी	सिंचित
65	मुकेश सिंह पिता राम शंकर	581/1	0.0800	0.4522	निजी	सिंचित
66	दीप अग्रवाल पिता डी एन अग्रवाल	581/2/1	0.5800		निजी	सिंचित
67	दीप अग्रवाल पिता डी एन अग्रवाल	581/2/2	0.2000		निजी	सिंचित
68	मुकेश सिंह पिता राम शंकर	582	0.1300	0.0727	निजी	सिंचित
69	मुकेश सिंह पिता राम शंकर	583	0.4600	0.4600	निजी	सिंचित
70	वृन्दावन पुत्र प्रेमनारायण	590/1	0.5500	0.0029	निजी	सिंचित
71	मुकेश पिता प्रेम नारायण	590/2	0.2000		निजी	सिंचित
72	श्रीमती पिकी माईती पत्नी कार्तिक माईती	611/1/1	0.2020	0.1334	निजी	सिंचित
73	मुकेश सिंह पिता राम शंकर	611/1/2/1	0.1720		निजी	सिंचित
74	कुशन शर्मा पुत्र हरप्रसाद शर्मा	611/1/2/2	0.0660		निजी	सिंचित
75	दीप अग्रवाल पिता डी एन अग्रवाल	611/2	0.0600		निजी	सिंचित
76	बृजेन्द्र बहादुर सिंह पिता गणपति सिंह	610/1	1.6600	1.3049	निजी	सिंचित
77	सुमित्रा पत्नी लखन सिंह	610/2	1.6600		निजी	सिंचित
78	विनोद कुमार पिता रामप्रसाद	600	0.1800	0.0673	निजी	सिंचित
79	विनोद कुमार पिता रामप्रसाद	599	0.4100	0.2196	निजी	सिंचित
80	विनोद कुमार पिता रामप्रसाद	598	0.9400	0.1244	निजी	सिंचित
81	डॉ वासुदेव वर्मा पिता डी एन वर्मा, प्रतिमा वर्मा पिता डी एन वर्मा, श्रीमती साधना सिंह पत्नी मनीष कुशवा	594	1.2600	0.7976	निजी	सिंचित
82	विनोद कुमार पिता रामप्रसाद	592	1.1100	0.2012	निजी	सिंचित

83	सुभाष चन्द्र पिता प्रेम नारायण	591	0.1700	0.0917	निजी	सिंचित
84	असीम कुमार पिता जमनाप्रसाद	596	0.0600	0.0600	निजी	सिंचित
85	अखलेश कुमार पिता जगदीश प्रसाद	597	0.7500	0.5575	निजी	सिंचित
86	शबाना सुल्तान पत्नी तोफिक मोहम्मद खान एवं जूबैर मोहम्मद खान, जैनब खान पुत्र पुत्री तोफिक मोहम्मद खान	258	1.1700	0.3798	निजी	सिंचित
87	अखलेश कुमार पिता जगदीश प्रसाद	259	0.2700	0.2700	निजी	सिंचित
88	कीरतीदेवी विराकेश कुमार पत्नी राकेश कुमार	260	1.0500	0.3351	निजी	सिंचित
89	हरीश कुमार पिता रामप्रसाद	263	0.6100	0.0675	निजी	सिंचित
90	शासकीय	261	0.0200		सरकारी	नाला
91	शंकर लाल पिता हरलाल, भगवती बाई पत्नी शंकरलाल (अहस्तान्तरणीय)	369	0.3000	0.0076	निजी	सिंचित
92	शैलेन्द्र कुमार पिता लक्ष्मीनारायण	278	1.4000	0.1328	निजी	सिंचित
93	लक्ष्मीबाई बेवा जुगल नरेश राजेश संतोष अशोक जमुनाबाई उषा बाई गुडडीबाई पुत्र पुत्री जुगल(0363/1100), प्रकाश हरीनारायण, सुरेश पिता हरकिशन दौलीबाई बेवा हरकिशन(0374/1100), लीला चौहान पत्नी श्री रामरतन चौहान(0363/1100)	277/1	0.1100	0.4000	निजी	सिंचित
94	श्रीमती स्वप्रिल सलौनी पत्नी रवि त्रिवेदी	277/2	0.2300		निजी	सिंचित
95	शैलेन्द्र कुमार पिता लक्ष्मीनारायण	277/3	0.0600		निजी	सिंचित
96	लीला चौहान पत्नी श्री रामरतन चौहान(0700/2200), प्रकाश हरीनारायण सुरेश पिता हरकिशन दौलीबाई बेवा हरकिशन(0748/2200), कैलाशनारायण पिता केवलराम(0026/22000), लक्ष्मी बाई बेवा जुगल नरेश राजेश संतोष अशोक जमुनाबाई उषाबाई गुडडीबाई पुत्र पुत्री जुगल(0726/2200)	276/1	0.2200	0.0711	निजी	सिंचित
97	शैलेन्द्र कुमार पिता लक्ष्मीनारायण	276/2	0.1300		निजी	सिंचित

98	फूलवती बाई पत्नी कैलाश नारायण(930/4300), लक्ष्मीबाई बेवा जुगल, नरेश, राजेश, संतोष, अशोक, जमुना बाई, उषाबाई, गुडडीबाई पुत्र पुत्री जुगल(716/4300), लीला चौहान पत्नी श्री रामरतन चौहान(264/4300), कैलाशनारायण पिता केवलराम(452/4300), संदीप आर्य पिता मोहनलाल आर्य, डॉ प्रेमलता आर्य पुत्री मोहनलाल आर्य(600/4300), प्रकाश हरीनारायण, सुरेश पिता हरकिशन दौलीबाई बेवा हरकिशन(738/4300), ज्योति दुबे पत्नी आनन्द मोहन दुबे(600/4300)	275	0.4300	0.2087	निजी	सिंचित
99	पवन कुमार पिता बालकिशन(1160/27543), होतम सिंह पिता दरियाव सिंह(255/27543), निकिता आनंद पुत्री नित्यानन्द श्रीवास्तव एवं श्रीमती संतोष श्रीवास्तव पत्नी नित्यानन्द श्रीवास्तव(1160/27543), नानूराम यादव पुत्र शोभाराम यादव(540/27543), प्रतिभा चतुर्वेदी पत्नी तेजभान चतुर्वेदी(1040/27543), सुन्दरलाल मालवीय पुत्र रामप्रसाद मालवीय(570/27543), तारादेवी पत्नी ओमप्रकाश सैनी(550/27543), कैलाशनारायण पिता केवलराम हिस्सा तैतीस पैसे नरेश, राजेश, संतोष, अशोक जमुनाबाई उषा बाई, गुडडी बाई पुत्र पुत्री जुगल लक्ष्मीबाई बेवा जुगल हिस्सा तैतीस पैसे प्रकाश हरीनारायण सुरेश पिता हरकिशन दौलीबाई बेवा हरकिशन हिस्सा चौतीस पैसे (1/27543), सोनिया हांडा पत्नी संदीप हांडा (550/27543), नीतू सिंह गौर पत्नी खड्ग सिंह गौर (500/27543), फूलवती बाई पत्नी कैलाश नारायण (7901/27543), गोसिया सिद्धीकी पुत्री जुल्फिकार हुसैन सिद्धीकी (590/27543), सीमा कुलकर्णी पत्नी रविन्द्र सुभाष कुलकर्णी (530/27543), आर धीरज पिता पी एन राजेन्द्रन (550/27543), उषा सोनी पुत्री फुलचन्द सोनी (550/27543), मोहम्मद अनवर पिता मो सरवर (500/27543), अशीष तिवारी पिता राधेश्याम तिवारी (1160/27543), निरंजय वर्मा पिता बाबूलाल वर्मा लेखनी वर्मा दामिनी वर्मा पुत्रियां निरंजय वर्मा	271/1/1/1	2.7543	1.1843	निजी	सिंचित

	(500/27543), विकास गुप्ता पुत्र अशोक गुप्ता, राजकुमार पिता प्रेमचन्द्र (550/27543), चन्द्रकान्ता माथुर पत्नी संजय प्रकाश माथुर (550/27543), निधि चौकसे पत्नी रामकिशोर चौकसे (500/27543), सीमा पटनायक पत्नी विक्रांत पटनायक, विक्रांत पटनायक पिता बी जे पटनायक (370/27543), इन्दु मल्होत्रा पत्नी नरेन्द्र कुमार मल्होत्रा (600/27543), शशि शर्मा पत्नी अमित शर्मा (190/27543), दीपिका खन्ना पत्नी राजेश खन्ना (550/27543), रवि चौपड़ा पिता व्ही के चौपड़ा(1110/27543), विशाल गुप्ता पिता सी आर गुप्ता(510/27543), रविदयाल सक्सेना पिता एस डी सक्सेना(1160/27543), रमाराय पत्नी मोहन राय(550/27543), महेन्द्र पिता रमेश सेन(255/27543), सुनीता तामंग पत्नी राजकुमार तामंग(1050/27543), सुनेश अग्रवाल पिता रविन्द्र कुमार अग्रवाल(991/27543)				
100	रमा राय पत्नी आर डी राय, केप्टन विश्वास राय पिता आर डी राय	271/1/1/2	0.0700	निजी	आवासीय
101	पवन कुमार पिता बालकिशन(1160/28800), नानूराम यादव पुत्र शोभाराम यादव(540/28800), प्रतिभा चतुर्वेदी पत्नी तेजभान चतुर्वेदी (1040/28800), सुन्दरलाल मालवीय पुत्र रामप्रसाद मालवीय (570/28800), सुरेश कुमार चिराठ पिता छोटाराम चिराठ(550/28800), तारादेवी पत्नी ओमप्रकाश सैनी(550/28800), कैलाशनारायण पिता केवलराम हिस्सा तैतीस पैसे नरेश, राजेश, संतोष, अशोक, जमुनाबाई, उषाबाई, गुडडीबाई पुत्र पुत्री जुगल लक्ष्मीबाई बेवा जुगल हिस्सा तैतीस पैसे प्रकाश हरीनारायण, सुरेश पिता हरिकिशन, दौलीबाई बेवा हरिकिशन हिस्सा चोतीस पैसे(1/28800), सोनिया हांडा पत्नी संदीप हांडा(550/28800), नीतू सिंह गौर पत्नी खड़ग सिंह गौर(500/28800), फूलवती बाई पत्नी कैलाश नारायण(8418/28800), गोंसिया सिद्दीकी पुत्री जुल्फिकार हुसैन सिद्दीकी(590/28800), सीमा	271/1/2	0.0557	निजी	आवासीय

	कुलकर्णी पत्नी रविन्द्र सुभाष कुलकर्णी (530/28800), आर धीरज पिता पी एन राजेन्द्रन (550/28800), ऊषा सोनी पुत्री फूलचन्द्र सोनी (550/28800), मोहम्मद अनवर पिता मो सरवर (500/28800), आशीष तिवारी पिता राधेश्याम तिवारी(1160/28800), निरंजय वर्मा पिता बाबूलास वर्मा लेखनी वर्मा, दामिनी वर्मा पुत्रियां निरंजय वर्मा (500/28800), विकास गुप्ता पुत्र अशोक गुप्ता, राजकुमार पिता प्रेमचन्द्र (550/28800), चन्द्रकान्ता माथुर पत्नी संजय प्रकाश माथुर (550/28800), निधि चौकसे पत्नी रामकिशोर चौकसे(500/28800), सीमा पटनायक पत्नी विक्रांत पटनायक, विक्रांत पटनायक पिता बी जे पटनायक(370/28800), इन्दु मल्होत्रा पत्नी नरेन्द्र कुमार मल्होत्रा(600/28800), शशि शर्मा पत्नी अमित शर्मा(190/28800), रामफल मथनिया पिता रुपराम मथनिया, भूपेन्द्र नीरज चन्देश पिता रामफल(1160/28800), दीपिका खन्ना पत्नी राजेश खन्ना(550/28800), रमा राय पत्नी आर डी राय केप्टन विश्वास राय पिता आर डी राय(700/28800), रवि चौपड़ा पिता वही के चौपड़ा(1110/28800), विशाल गुप्ता पिता सी आर गुप्ता(510/28800), रविदयाल सक्सेना पिता एस डी सक्सेना(1160/28800), रमाराय पत्नी मोहन राय(550/28800), सुनीता तामंग पत्नी राजकुमार तामंग(1050/28800), प्रियंका गुर्जर पत्नी नारायण सिंह गुर्जर(991/28800)					
102	मृगेन्द्र सिंह पिता मुनीराज सिंह	271/2	0.0550		निजी	सिंचित
103	प्रहलाद पिता शिवप्रसाद 1/2, सीमाबाई पत्नी प्रहलाद 1/2	272	0.5500	0.3638	निजी	सिंचित
104	प्रहलाद पिता शिवप्रसाद 1/2, सीमाबाई पत्नी प्रहलाद 1/2	274	0.3200	0.1444	निजी	सिंचित
105	कैलाश नारायण पिता केवलराम	364	0.0400	0.0400	निजी	सिंचित
106	लक्ष्मीनारायण विनोद सुरेश हरीश अरूण इन्द्रा उमा पुत्र पुत्रीया रामप्रसाद, कान्तीबाई बेवा रामप्रसाद, कीर्तीबाई बेवा राकेश, शिवानी सुरभी पुत्र पुत्रीया राकेश, जसरथ प्रसाद, जगदीश प्रसाद आ. पन्नालाल, असीम कुमार आ जमुनाप्रसाद, सीमा, रजनी, गरीमा पुत्रीया जमनाप्रसाद	266	0.0900	0.0111	निजी	सिंचित
107	मोहन सिंह पुत्र बुलाखी	90/1/1	0.2000	0.0558	निजी	सिंचित
108	शिवचरण पुत्र बुलाखी	90/1/2	0.8470		निजी	सिंचित
109	प्रहलाद पिता बुलाखी	90/2	0.4330		निजी	सिंचित
110	श्रीमती पवित्रा बाई पत्नी सीताचरण	91/1	0.7300	0.5572	निजी	सिंचित
111	प्रहलाद पिता बुलाखी	91/2	0.0200		निजी	सिंचित
112	प्रहलाद पिता बुलाखी	92	0.5500	0.4287	निजी	सिंचित
113	रोहन पिता देवेन्द्र मुदगल	93	0.2200	0.0887	निजी	सिंचित
114	रोहन पिता देवेन्द्र मुदगल	94	0.6500	0.0002	निजी	सिंचित
	कुल योग		54.7950	19.0552		

अधिनियम की धारा-15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो तो फाईल किये जा सकेंगे। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील हुजूर जिला भोपाल कार्यालय में देखा जा सकता है।

नोट :- उपरोक्त भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि संभावित है।

क्र. 976-भू-अर्जन-2026-रा.प्र.क्र.-0033-अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में जिला- भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम सरवर की निजी भूमि के भू-अधिग्रहण हेतु कालम (6) में वर्णित भूमि, जिसका खसरा क्रमांक वार का विवरण, अनुसूची (2) के खाने (1) से (7) में वर्णित है, अनुसूची (1) के कालम (8) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य भोपाल शहर में पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मार्ग के मय पेक्ड शोल्डर निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात अध्ययन किया गया, सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट का मूल्यांकन, भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, जिसमें विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना एक बृहद लोक प्रयोजन की परियोजना है, जिसका निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र में सुलभ एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है, अतः परियोजना से संभावित फायदे सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है। परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापन होने की संभावना नहीं होने से अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

-: अनुसूची (1) :-

क्र. स०	जिला	तहसील	ग्राम	कुल रकबा (हेक्टे.में)	भू. अर्जन का रकबा (हेक्टे.में)	धारा . 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	भोपाल	हुजूर	सरवर	7.9800 हे.	2.0419 हे.	संभागीय प्रबंधक संभाग भोपाल म.प्र. सडक विकास निगम,भोपाल	पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मय पेक्ड शोल्डर मार्ग निर्माण कार्य (लंबाई 35.61 कि.मी.)

-: अनुसूची (2) :-

ग्राम का नाम सरवर, तहसील- हुजूर , जिला - भोपाल

क्र. स०	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टे.में)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे.में)	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06	07
1	सलिल चौधरी पिता रामदत्त	115/1	2.1800	0.5456	निजी	सिंचित
2	अरुण चौधरी पिता पी वी चौधरी	115/2	0.8900		निजी	सिंचित
3	सलिल चौधरी पिता रामदत्त	116	4.9100	1.4962	निजी	सिंचित
		कुल योग	7.9800	2.0419		

अधिनियम की धारा-15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष में

आक्षेपों यदि कोई हो तो फाईल किये जा सकेंगे। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील हुजूर जिला भोपाल कार्यालय में देखा जा सकता है।

नोट :- उपरोक्त भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि संभावित है।

क्र. 978-भू-अर्जन-2026-रा.प्र.क्र.-36-अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में जिला- भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम समसपुरा की निजी भूमि के भू-अधिग्रहण हेतु कालम (6) में वर्णित भूमि, जिसका खसरा क्रमांक वार का विवरण, अनुसूची (2) के खाने (1) से (7) में वर्णित है, अनुसूची (1) के कालम (8) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलिंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य भोपाल शहर में पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मार्ग के मध्य पेक्ड शोल्डर निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात अध्ययन किया गया, सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट का मूल्यांकन, भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, जिसमें विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना एक बृहद लोक प्रयोजन की परियोजना है, जिसका निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र में सुलभ एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है, अतः परियोजना से संभावित फायदे सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है। परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापन होने की संभावना नहीं होने से अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

:- अनुसूची (1) :-

क्र. स०	जिला	तहसील	ग्राम	कुल रकबा (हेक्टे.में)	भू. अर्जन का रकबा (हेक्टे.में)	धारा . 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	भोपाल	हुजूर	समसपुरा	27.1900 हे.	7.0120 हे.	संभागीय प्रबंधक संभाग भोपाल म.प्र. सडक विकास निगम, भोपाल	पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मध्य पेक्ड शोल्डर मार्ग निर्माण कार्य (लंबाई 35.61 कि.मी.)

:- अनुसूची (2):-

ग्राम का नाम समसपुरा, तहसील- हुजूर, जिला - भोपाल

क्र. स०	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टे.में)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे.में)	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06	07
1	भगवान सिंह पिता रेवाराम	249	0.9500	0.0063	निजी	सिंचित
2	भगवान सिंह पिता रेवाराम	247/1	0.7900		निजी	सिंचित
3	प्रशान्त अग्रिहोत्री पिता कृपाशंकर अग्रिहोत्री व शीला अग्रिहोत्री पत्नी कृपाशंकर अग्रिहोत्री एवं सपना अग्रिहोत्री पत्नी नवनीत	247/2	0.0300	0.0426	निजी	सिंचित

4	विजय खण्डेलवाले पिता रतनलाल खण्डेलवाल 2035/2200, दुर्गा पटेल पत्नी श्री फूल सिंह पटेल 110/2200, संध्या सोनी पति महेश सोनी 55/2200	189	0.2200	0.0032	निजी	सिंचित
5	विजय खण्डेलवाले पिता रतनलाल खण्डेलवाल 8422/8700, सावित्री बाई चौधरी पत्नी श्री अमर सिंह चौधरी 55/8700, रामप्रताप शर्मा पिता श्री शम्भू प्रसाद शर्मा 55/8700, कन्हैयालाल पिता श्री नारायण 56/8700, सीमा घावरी पत्नी श्री राकेश घावरी 56/8700, नन्द किशोर वर्मा पिता अनोखीलाल वर्मा 56/8700	190	0.8700	0.0034	निजी	सिंचित
6	नुजहत खान पुत्री अब्दुल खबीर खान पत्नी अब्दुल हसीब खान	116	0.4700	0.0225	निजी	सिंचित
7	अख्तर शरीफ खां पिता शरीफ खां	54	0.2300	0.0011	निजी	सिंचित
8	मो. फराज खां पिता अख्तर शरीफ खां	55	1.9100	0.7599	निजी	सिंचित
9	देवेन्द्र कुमार शर्मा दशरथ प्रसाद शर्मा 1/2, संजीव शर्मा पिता श्री दशरथ प्रसाद शर्मा 1/2	57	0.5700	0.0094	निजी	सिंचित
10	अख्तर शरीफ खां पिता शरीफ खां	37	1.5300	0.6878	निजी	सिंचित
11	अख्तर शरीफ खां पिता शरीफ खां	36	1.6700	0.6315	निजी	सिंचित
12	अख्तर शरीफ खां पिता शरीफ खां	35	1.2000	0.0204	निजी	सिंचित
13	देजपाल पिता शिवचरण 1/3, जगदीश पिता शिवचरण 1/3, जानसिंह पिता शिवचरण 1/3	17/1	1.1500	0.8675	निजी	सिंचित
14	श्रीकृष्ण राजौरिया पिता श्रीलीलाधर राजौरिया	17/2	0.5700		निजी	सिंचित
15	देजपाल पिता शिवचरण 1/3, जगदीश पिता शिवचरण 1/3, जानसिंह पिता शिवचरण 1/3	16	0.8900	0.1179	निजी	सिंचित
16	देजपाल पिता शिवचरण 1/3, जगदीश पिता शिवचरण 1/3, जानसिंह पिता शिवचरण 1/3	15	1.4500	0.4268	निजी	सिंचित
17	इन्द्रा राजौरिया पत्नी श्री श्रीकृष्ण राजौरिया	18	1.1400	0.0502	निजी	सिंचित
18	महाना वेन्चर्स द्वारा पार्टनर श्रीकृष्ण राजौरिया पिता श्री लीलाधर राजौरिया	13/1	0.8400	0.5563	निजी	सिंचित
19	देजपाल पिता शिवचरण 1/3, जगदीश पिता शिवचरण 1/3, जानसिंह पिता शिवचरण 1/3	13/2	0.6500		निजी	सिंचित
20	माया सिंह गौतम पत्नी श्री आर.के.एस. गौतम	2/1	0.3880	0.1406	निजी	सिंचित
21	महाराणा प्रताप सोशल रिसर्च एण्ड एजुकेशन सोसायटी नरेन्द्र सिंह पिता इन्द्रजीत सिंह	2/2	0.1420		निजी	व्यावसायिक

22	कमलेश्वर युवक एव समाज कल्याण समिति भोपाल अध्यक्ष कन्हैयालाल अमरनानी पुत्र शेखराज अमरनानी	71/1/1	1.6190	0.0010	निजी	शैक्षणिक
23	काउंसिल फार हेल्थ केयर एंड डाय गोटिस्टिक साईसेस भोपाल सचिव मीनाक्षी सोती पत्नी संजीव सोती	71/1/2	0.6070		निजी	शैक्षणिक
24	कान्हा सर्वधर्म शिक्षण एवं समाज कल्याण समिति भोपाल द्वारा सचिव श्री कन्हैया लाल अमरनानी पिता श्री लेखराज अमरनानी	71/1/3	0.4040		निजी	शैक्षणिक
25	रितु अमर नानी पत्नी श्री कन्हैयालाल अमरनानी	71/2/1	0.0100		निजी	सिंचित
26	कन्हैयालाल अमरनानी पिता श्री एल आर अमरनानी	71/2/2	0.0100		निजी	सिंचित
27	रितु अमरनानी पत्नी श्री कन्हैयालाल अमरनानी	71/3/1	0.0200		निजी	सिंचित
28	कन्हैयालाल अमरनानी पिता श्री एल आर अमरनानी	71/3/2	0.0200		निजी	सिंचित
29	रितु अमर नानी पत्नी श्री कन्हैयालाल अमरनानी	71/4/1	0.0400		निजी	सिंचित
30	कन्हैयालाल अमरनानी पिता श्री एल आर अमरनानी	71/4/2	0.0400		निजी	सिंचित
31	मो. फराज खां पिता अब्दुल शरीफ खां	70	0.2100	0.1203	निजी	सिंचित
32	मो. फराज खां पिता अब्दुल शरीफ खां	69	2.5300	0.8292	निजी	सिंचित
33	द्वारिका प्रसाद प्रधान पिता स्व श्री पंचम लाल प्रधान	66/1	0.7500	1.1256	निजी	सिंचित
34	मेधा शर्मा पत्नी ऋषि राज शर्मा	66/2	1.2600		निजी	आवासीय
35	श्रीमति मीरा सिंह पत्नी विजय सिंह 5160/10000, द्वारिका प्रसाद प्रधान पिता स्व श्री पंचम लाल प्रधान 590/10000, प्रणव सिंह पिता विजय सिंह 4250/10000	61	1.0000	0.2277	निजी	सिंचित
36	श्रीमति मीरा सिंह पत्नी विजय सिंह	62	0.1500	0.0050	निजी	सिंचित
37	पंकज राय पिता श्री पी सी राय	96	0.8600	0.3558	निजी	सिंचित
		कुल योग	27.1900	7.0120		

अधिनियम की धारा-15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष में आक्षेप यदि कोई हो तो फाईल किये जा सकेंगे। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील हुजूर जिला भोपाल कार्यालय में देखा जा सकता है।

नोट :- उपरोक्त भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि संभावित है।

क्र. 980-भू-अर्जन-2026-रा.प्र.क्र.-32-अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में जिला- भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम फन्दा कलाँ की निजी भूमि के भू-अधिग्रहण हेतु कालम (6) में वर्णित भूमि, जिसका खसरा क्रमांक वार का विवरण, अनुसूची (2) के खाने (1) से (7) में वर्णित है, अनुसूची (1) के कालम (8) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः **भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलिंगम सृजित नहीं करेगा।** राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य भोपाल शहर में पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मार्ग के मय पेव्हड शोल्डर निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात अध्ययन किया गया, सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट का मूल्यांकन, भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, जिसमें विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना एक बृहद लोक प्रयोजन की परियोजना है, जिसका निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र में सुलभ एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है, अतः परियोजना से संभावित फायदे सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है। परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापन होने की संभावना नहीं होने से अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

-: अनुसूची (1) :-

क्र. स०	जिला	तहसील	ग्राम	कुल रकबा (हेक्टे.में)	भू. अर्जन का रकबा (हेक्टे.में)	धारा . 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	भोपाल	हुजूर	फन्दा कलाँ	50.9100 हे.	17.6075 हे.	संभागीय प्रबंधक संभाग भोपाल म.प्र. सडक विकास निगम, भोपाल	पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर मार्ग निर्माण कार्य (लंबाई 35.61 कि.मी.)

-: अनुसूची (2):-

ग्राम का नाम फन्दा कलाँ, तहसील- हुजूर, जिला - भोपाल

क्र. स०	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टे.में)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे.में)	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06	07
1	प्रेमनारायण पुत्र हरकिशन(25/337) पदम कुमार जैन पुत्र बागमल जैन(312/337)	908/1	0.0337	0.0490	निजी	सिंचित
2	राजेश प्रसाद पुत्र भूरा प्रसाद जायसवाल(1/2), अंकित पुत्र रमाकांत रावत(1/2)	908/2	0.0153		निजी	व्यावसायिक

3	श्रीमती शकुन्तला पारिख पत्नी जौहरीमल पारिख	909/1	0.6680
4	प्रेमनारायण पिता हरकिशन(139/2122), मयंक श्रीवास्तव आयुष श्रीवास्तव पुत्र राकेश श्रीवास्तव(465/2122), अरुण मालवीय पिता श्री मगनलाल मालवीय(371/2122), राहुल रघुवंशी पुत्र नारायण रघुवंशी (124/2122), महेन्द्र दांगी पुत्र रघुनाथ सिंह(124/2122), प्रवीण कुमार सिंह पुत्र यादवेंद्र सिंह(124/2122), श्रीमती अनसुइया तोमर पत्नी नरेन्द्र तोमर(310/2122), अलवीरा कनीज पुत्री आसिफ नज़ीर(465/2122)	909/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1	0.2122
5	जे सनमुगम पिता श्री वी जैपाल	909/2/1/1/1/1/1/1/1/2	0.0743
6	अंकित रावत पुत्र रमाकांत रावत	909/2/1/1/1/1/1/1/2	0.0310
7	राजेश प्रसाद जायसवाल पुत्र भूरा प्रसाद जायसवाल	909/2/1/1/1/1/1/2	0.0310
8	प्रेमनारायण पिता हरकिशन(975/2404), पदम कुमार जैन पुत्र बागमल जैन(219/2404), भारत भूषण वर्मा पुत्र दुर्गा प्रसाद वर्मा(1210/2404)	909/2/1/1/1/1/2	0.2404
9	प्रेमनारायण पिता हरकिशन(2404/8294), मयंक श्रीवास्तव आयुष श्रीवास्तव पुत्र राकेश श्रीवास्तव (465/8294), जे सनमुगम पिता श्री वी जैपाल (743/8294), शंकरलाल शर्मा पिता श्री राजाराम शर्मा(1000/8294), श्री बालमुकंद शर्मा पिता श्री शंकरलाल(810/8294), श्री बालमुकंद शर्मा पिता श्री शंकरलाल(595/8294), अरुण मालवीय पिता श्री मगनलाल मालवीय(371/8294), नेतराज सिंह राजपूत पुत्र मुन्नालाल राजपूत(279/8294), राहुल रघुवंशी पुत्र नारायण रघुवंशी(124/8294), महेन्द्र दांगी पुत्र रघुनाथ सिंह(124/8294), प्रवीण कुमार सिंह पुत्र यादवेंद्र सिंह(124/8294), अंकित रावत पुत्र रमाकांत रावत(310/8294), राजेश प्रसाद जायसवाल पुत्र भूरा प्रसाद जायसवाल(310/8294), श्रीमती अनसुइया तोमर पत्नी नरेन्द्र तोमर(310/8294), द्वारिका प्रसाद मिश्रा पिता दीनानाथ मिश्रा(325/8294)	909/2/1/1/1/2	0.1405

0.5183

निजी	व्यावसायिक
निजी	सिंचित
निजी	सिंचित
निजी	व्यावसायिक
निजी	व्यावसायिक
निजी	सिंचित
निजी	व्यावसायिक

10	प्रेमनारायण पिता हरकिशन(2404/8294), मयंक श्रीवास्तव आयुष श्रीवास्तव पुत्र राकेश श्रीवास्तव (465/8294), जे सनमुगम पिता श्री वी जैपाल (743/8294), शंकरलाल शर्मा पिता श्री राजाराम शर्मा(1000/8294), श्री बालमुकंद शर्मा पिता श्री शंकरलाल(810/8294), श्री बालमुकंद शर्मा पिता श्री शंकरलाल(920/8294), अरुण मालवीय पिता श्री मगनलाल मालवीय(371/8294), नेतराज सिंह राजपूत पुत्र मुन्नालाल राजपूत(279/8294), राहुल रघुवंशी पुत्र नारायण रघुवंशी(124/8294), महेन्द्र दांगी पुत्र रघुनाथ सिंह(124/8294), प्रवीण कुमार सिंह पुत्र यादवेन्द्र सिंह(124/8294), अंकित रावत पुत्र रमाकांत रावत(310/8294), राजेश प्रसाद जायसवाल पुत्र भूरा प्रसाद जायसवाल(310/8294), श्रीमती अनसुइया तोमर पत्नी नरेन्द्र तोमर(310/8294),	909/2/1/1/2	0.1000		निजी	आवासीय
11	हेमलता सिंह पत्नी रामाश्रय सिंह	909/2/1/2/1	0.0466		निजी	आवासीय
12	हेमलता सिंह पत्नी रामाश्रय सिंह	909/2/1/2/2	0.0300		निजी	व्यावसायिक
13	राधेश्याम पुत्र देवकरण	909/2/2	0.0930		निजी	असिंचित
14	मेसर्स मानसरोवर रियल इस्टेट संजय कश्यप पुत्र राजेन्द्र कश्यप	909/2/3	0.8100		निजी	असिंचित
15	शुभम राजपूत पिता मिहूलाल	911/1/1	0.9346		निजी	असिंचित
16	शुभम राजपूत पिता मिहूलाल	911/1/2	0.1394	0.1761	निजी	व्यावसायिक
17	राधेश्याम पुत्र देवकरण	911/2	1.0740		निजी	असिंचित
18	आकृति डवेलिंग्स प्रा.लि. भोपाल जोन 1 एमपी नगर भोपाल अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता व जनरल मैनेजर राजीव सोनी, बी.डी. सोनी व जनरल मैनेजर राजीव सोनी पुत्र बी.डी. सोनी(8100/15010), नरेश केवलरामानी पिता हरिराम केवलरामानी (2220/15010), नरेश केवलरामानी पिता हरिराम केवलरामानी (4690/15010)	978	1.5010	1.3941	निजी	आवासीय
19	नरेश केवलरामानी पिता हरिराम केवलरामानी (5325/8780) आकृति डवेलिंग्स प्रा.लि. भोपाल कार्यालय एफ 1 प्लॉट नं. 206 सृष्टि काम्प लेक्स जोन	977/1	0.8780	1.1868	निजी	आवासीय

	1 एमपी नगर भोपाल अधिकृत हस्ताक्षरकर पुत्र श्री पी डी सोनी(3455/8780)					
20	आकृति डवेलिंग्स प्रा.लि. भोपाल कार्यालय एफ 1 प्लॉट नं. 206 सृष्टि काम्प लेक्स जॉन 1 एमपी नगर भोपाल अधिकृत हस्ताक्षर कर पुत्र श्री पी डी सोनी (3455/8780), नरेश केवलरामानी पिता हरिराम केवलरामानी (5325/8780)	977/2	0.8780		निजी	असिंचित
21	अजब सिंह पुत्र भागीरथ	975/1	0.1900	0.2683	निजी	असिंचित
22	चंदन सिंह पुत्र भागीरथ	975/2	0.1900		निजी	असिंचित
23	राकेश पुत्र भागीरथ	975/3	0.1910		निजी	असिंचित
24	सुरेश मेवाड़ा पुत्र राम सिंह मेवाड़ा	974/1/1	0.3370	0.3887	निजी	सिंचित
25	जगदीश पुत्र राम गोपाल(1/4), तारा सिंह पुत्र राम गोपाल(1/4), कुमेर सिंह डोडिया पुत्र राम गोपाल(1/4), प्रहलाद सिंह पुत्र राम गोपाल(1/4)	974/1/2	0.8000		निजी	असिंचित
26	सुरेश मेवाड़ा पुत्र रामसिंह	974/2	0.5700		निजी	सिंचित
27	देवकरन पुत्र नन्नूलाल	973/1	0.8130	0.2341	निजी	सिंचित
28	सुरेश मेवाड़ा पुत्र रामसिंह	973/2	0.2400		निजी	सिंचित
29	विक्रम सिंह पुत्र भागीरथ	912/1	0.8150	0.9526	निजी	असिंचित
30	अजब सिंह पुत्र भागीरथ	912/2	0.6230		निजी	असिंचित
31	चंदन सिंह पुत्र भागीरथ	912/3	0.6230		निजी	असिंचित
32	राकेश पुत्र भागीरथ	912/4	0.6230		निजी	असिंचित
33	लखन सिंह पिता कनीराम	934/1	0.2440	0.0046	निजी	सिंचित
34	रामचन्द्र बाई पिता कनीराम	934/2	0.4560		निजी	सिंचित
35	लखन सिंह पिता कनीराम	936	0.6280	0.5667	निजी	असिंचित
36	चतुरनारायण पिता कनीराम	937	0.4170	0.0359	निजी	असिंचित
37	रेखाबाई पत्नी अवधनारायण पठारीया	938	0.2710	0.0677	निजी	असिंचित
38	संतोष बाई बेवा उदय सिंह सचिन कपिल मनीष पिता उदय सिंह	939	0.5140	0.4117	निजी	असिंचित
39	शुभम नाबालिग पुत्र मिहूलाल संरक्षक मिहूलाल पुत्र	940	0.2430	0.2001	निजी	असिंचित

	देवकरन(1/2), ऋषभ नाबालिग पुत्र राधेश्याम संरक्षक राधेश्याम पुत्र देवकरन(1/2)					
40	शुभम नाबालिग पुत्र मिडूलाल संरक्षक मिडूलाल पुत्र देवकरन(1/2), ऋषभ नाबालिग पुत्र राधेश्याम संरक्षक राधेश्याम पुत्र देवकरन(1/2)	941/1	0.1240	0.1244	निजी	असिंचित
41	शुभम नाबालिग पुत्र मिडूलाल संरक्षक मिडूलाल पुत्र देवकरन(1/2), ऋषभ नाबालिग पुत्र राधेश्याम संरक्षक राधेश्याम पुत्र देवकरन(1/2)	941/2	0.1200		निजी	असिंचित
42	शुभम नाबालिग पुत्र मिडूलाल संरक्षक मिडूलाल पुत्र देवकरन(1/2), ऋषभ नाबालिग पुत्र राधेश्याम संरक्षक राधेश्याम पुत्र देवकरन(1/2)	942	0.3360	0.1354	निजी	असिंचित
43	संतोष बाई बेवा उदय सिंह सचिन कपिल मनीष पिता उदय सिंह	943	0.3680	0.2714	निजी	असिंचित
44	मायाबा पुत्र प्रभूलाल(1/4), कलाबाई बेवा प्रभूलाल(1/4), अमान पुत्र निर्भय सिंह(1/2)	952	0.1940	0.0852	निजी	असिंचित
45	कमल सिंह पुत्र राजमल	953	0.1580	0.0392	निजी	असिंचित
46	शुभम राजपूत पिता मिडूलाल	969/1	0.0410	0.0017	निजी	असिंचित
47	भगवान सिंह पिता राम सिंह	969/2	2.0190		निजी	सिंचित
48	आकृति डेवल पिंग्स प्रालिभोपाल संचालक राजीव सोनी पिता बी डी सोनी(13590/14380), छाया मिश्रा पत्नी अविनाश मिश्रा, अविनाश मिश्रा पिता डॉ आर बी मिश्रा(790/14380),	993/1/1	0.2790	0.0541	निजी	असिंचित
49	मेसर्स यशा श्री होटल्स एन्ड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर श्री पारीतोष मालवीय पिता श्री एन के मालवीय एवं श्रीमती सोना जोशी पत्नी श्री मनीष जोशी	993/1/2	0.5300		निजी	असिंचित
50	आकृति डेवल पिंग्स प्रालिभोपाल संचालक राजीव सोनी पिता बी डी सोनी(13590/14380), छाया मिश्रा पत्नी अविनाश मिश्रा, अविनाश मिश्रा पिता डॉ आर बी मिश्रा(790/14380)	993/2/1	0.1740		निजी	असिंचित
51	मेसर्स यशा श्री होटल्स एन्ड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर श्री पारीतोष मालवीय पिता श्री एन के	993/2/2	0.6350		निजी	असिंचित

	मालवीय एवं श्रीमती सोना जोशी पत्नी श्री मनीष जोशी					
52	मेसर्स नयासा डेवलपर्स संचालक अभितेज जैन पी पी जैन(1/5), मेसर्स नयासा डेवलपर्स संचालक स्वप्निल जैन संतोष जैन (1/5), मेसर्स नयासा डेवलपर्स संचालक प्रतीक जैन पिता पी पी जैन(1/5), मेसर्स नयासा डेवलपर्स संचालक सौरभ कुमार जैन संतोष जैन(1/5), मेसर्स नयासा डेवलपर्स संचालक सचिन जैन संतोष जैन(1/5)	981/1/1	0.6310	0.3695	निजी	असिंचित
53	मेसर्स नयासा डेवलपर्स संचालक अभितेज जैन पी पी जैन(1/5), मेसर्स नयासा डेवलपर्स संचालक स्वप्निल जैन संतोष जैन (1/5), मेसर्स नयासा डेवलपर्स संचालक प्रतीक जैन पिता पी पी जैन(1/5), मेसर्स नयासा डेवलपर्स संचालक सौरभ कुमार जैन संतोष जैन(1/5), मेसर्स नयासा डेवलपर्स संचालक सचिन जैन संतोष जैन(1/5)	981/1/2	0.4050		निजी	असिंचित
54	मेसर्स नयासा डेवलपर्स संचालक अभितेज जैन पी पी जैन(1/5), मेसर्स नयासा डेवलपर्स संचालक स्वप्निल जैन संतोष जैन (1/5), मेसर्स नयासा डेवलपर्स संचालक प्रतीक जैन पिता पी पी जैन(1/5), मेसर्स नयासा डेवलपर्स संचालक सौरभ कुमार जैन संतोष जैन(1/5), मेसर्स नयासा डेवलपर्स संचालक सचिन जैन संतोष जैन(1/5)	981/1/3	0.8090		निजी	असिंचित
55	मयंक धनवानी पिता श्री सुशील धनवानी(1010/8090), गोल्डी धनवानी पिता श्री सुशील धनवानी(1010/8090), कीर्ति धनवानी पत्नि श्री सुशील धनवानी(6070/8090)	981/2/1	0.6070		निजी	आवासीय
56	मयंक धनवानी पिता श्री सुशील धनवानी(1010/8090), गोल्डी धनवानी पिता श्री सुशील धनवानी(1010/8090), कीर्ति धनवानी पत्नि श्री सुशील धनवानी(6070/8090)	981/2/2	0.2020		निजी	व्यावसायिक
57	आकृति इवेलिंग्स प्राति भोपाल कार्यालय जोन 1 एमपी नगर भोपाल अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता व जनरल मैनेजर राजीव सोनी, बी डी सोनी व जनरल मैनेजर	981/3/1	0.2238		निजी	आवासीय

	राजीव सोनी पुत्र बी.डी. सोनी (2238/10250) कीर्ति धनवानी पत्नी सुशील धनवानी (8012/10250)					
58	कीर्ति धनवानी पत्नी सुशील धनवानी (8012/10250), आकृति इवेलिंग्स प्राप्ति भोपाल कार्यालय जोन 1 एमपी नगर भोपाल अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता व जनरल मैनेजर राजीव सोनी, बी डी सोनी, जनरल मैनेजर राजीव सोनी पुत्र बी.डी. सोनी (2238/10250)	981/3/2	0.8012		निजी	व्यावसायिक
59	श्रीमती मनीषा जोहरी पत्नी दिलीप जोहरी(1470/3810), निशा जैन पत्नी सुरेन्द्र जैन, वंशिका ठाकुर पत्नी जय ठाकुर(940/3810), मेसर्स अवि कंट्रक्शन द्वारा भागीदारी कमल कृष्णानी पिता गोविन्दराम कृष्णानी, संजीत सिध पुत्र सतनाम सिध(1400/3810)	980/1/1	0.3810		निजी	असिंचित
60	प्रदीप कुमार पुत्र अशोक कुमार(1330/1610), मेसर्स अवि कंट्रक्शन भागीदारी द्वारा भागीदारी कमल कृष्णानी पिता गोविन्दराम कृष्णानी, संजीत सिध पुत्र सतनाम सिध(280/1610)	980/1/2	0.1610	0.5377	निजी	असिंचित
61	निशा जैन पत्नी सुरेन्द्र जैन वंशिका ठाकुर पत्नी जय ठाकुर(910/4050), मेसर्स अवि कंट्रक्शन भागीदारी द्वारा भागीदारी कमल कृष्णानी पिता गोविन्दराम कृष्णानी, संजीत सिध पुत्र सतनाम सिध(3140/4050)	980/1/3	0.4050		निजी	असिंचित
62	वैदिक सिंहल पत्नी स्व दिलीप कुमार सिंहल	980/2/1	0.4770		निजी	असिंचित
63	प्रदीप जोहरी पुत्र स्व अशोक कुमार जोहरी	980/2/2	0.4780		निजी	असिंचित
64	तरविन्दर सिंह पिता सरदार निछतर सिंह	979/1	0.4050		निजी	असिंचित
65	श्रीमति परमजीत कौर पत्नी व श्री बलवीर सिंह अमरजीत सिंह सतविन्दर सिंह पुत्रगण स्व श्री बलवीर सिंह	979/2	0.4050	0.7752	निजी	असिंचित
66	रामभरोसी बाई बेवा नारायण सिंह कैलाश संजय जया बबली रीना सुनीता माया पिता नारायण सिंह(1/2), महेन्द्र पुत्र गेदालाल(1/6), फूल कुंवर प्रजापति पत्नी	979/3	0.1050		निजी	सिंचित

	गेदालाल(1/6), हेमन्त पुत्र गेदालाल(1/6)					
67	आकृतिड्वेलिंग्स प्रालिभोपाल कार्यालय एफ 11 प्लॉट नं. 206 सृष्टि काम्पलेक्स जोन 1 एमपी नगर भोपाल अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता व जनरल मैनेजर राजीव सोनी, बी डी सोनी, जनरल मैनेजर राजीव सोनी पुत्र बी डी सोनी	1005/1/1/1/1	0.8043	0.0073	निजी	असिंचित
68	विनोद ठाकुर पुत्र हीरालाल ठाकुर	1005/1/1/1/2/1/1	0.2300		निजी	असिंचित
69	राजेश आसवानी पुत्र जानीमल आसवानी	1005/1/1/1/2/1/2	0.0850		निजी	असिंचित
70	मेसर्स अवि कंट्रक्शन भागीदार फर्म संजीत सिंह चावला पुत्र सतनाम सिंह चावला, कमल कृष्णानी पुत्र गोविंदराम कृष्णानी	1005/1/1/1/2/2/1	0.3380		निजी	आवासीय
71	डॉक्टर मोहम्मद आजम नवाज पुत्र मोहम्मद नवाज श्रीमती असमा नवाज पत्नी मोहम्मद आजम नवाज	1005/1/1/1/2/2/2	0.1680		निजी	असिंचित
72	डॉक्टर सुरेश भंभानी पुत्र गोविन्दराम भंभानी	1005/1/1/1/2/3	0.2440		निजी	असिंचित
73	मनीष जोशी पिता विष्णु गोविन्द जोशी श्रीमती रुचि जैन पत्नी राकेश जैन	1005/1/1/2	0.1457		निजी	असिंचित
74	धवल जायसवाल पुत्र बंशीलाल (790/10580), आकृतिड्वेलिंग्स प्रा लि भोपाल कार्यालय एफ 11 प्लॉट नं. 206 सृष्टि काम्पलेक्स जोन 1 एमपी नगर भोपाल अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता व जनरल मैनेजर राजीव सोनी, बी डी सोनी, जनरल मैनेजर राजीव सोनी पुत्र बी डी सोनी(9790/10580)	1005/1/2/1	0.1360	0.7573	निजी	आवासीय
75	मेसर्स अवि कंट्रक्शन भागीदार फर्म संजीत सिंह चावला पुत्र सतनाम सिंह चावला, कमल कृष्णानी पुत्र गोविंदराम कृष्णानी	1005/1/2/2	0.3920		निजी	असिंचित
76	राजेश कुमार जैन पुत्र प्रकाशचंद्र जैन	1005/2	0.7830		निजी	असिंचित
77	रुचि अग्रवाल पत्नी अशविनी अग्रवाल	383/1/1	0.1460		निजी	सिंचित
78	शासकीय	383/1/2	0.2830	0.7573	सरकारी	सड़क
79	विश्वास परमानी पुत्र एच परमानी	383/2/1/1	0.4780		निजी	सिंचित
80	देवकरन पुत्र नन्नुलाल	383/2/1/2	0.0810		निजी	सिंचित

81	रुचि अग्रवाल पत्नी अशविनी अग्रवाल	383/2/2/1	0.3070	0.0033	निजी	सिंचित
82	रुचि अग्रवाल पत्नी अशविनी अग्रवाल	383/3	0.3890		निजी	असिंचित
83	सेवकराम आहूजा पुत्र हरिलाल जी आहूजा	384/1	0.8100	0.0783	निजी	व्यावसायिक
84	रुचि अग्रवाल पत्नी अशविनी अग्रवाल	384/2	0.5730		निजी	असिंचित
85	मनोज आहूजा पुत्र सेवकराम आहूजा(1/2), मनीष आहूजा पुत्र सेवकराम आहूजा(1/2)	385/1	0.2020	0.7700	निजी	व्यावसायिक
86	मनोज आहूजा पुत्र सेवकराम आहूजा(1/2), मनीष आहूजा पुत्र सेवकराम आहूजा(1/2)	385/2	0.2030		निजी	व्यावसायिक
87	अविका आहूजा पत्नी मनीष आहूजा(1/3), श्रीमती अंजू आहूजा पत्नी सेवकराम आहूजा(1/3), श्रीमती रितिका आहूजा पत्नी मनोज आहूजा(1/3)	386	0.8910	0.3723	निजी	व्यावसायिक
88	हरमेहन्द्र पुत्र सरदार शोभा सिंह(1/2), प्रताप सिंह पुत्र सरदार शोभा सिंह(1/2)	387/1	0.0450		निजी	सिंचित
89	शासकीय	387/2	0.3320	0.7700	सरकारी	सड़क
90	रविन्द्र कौर पत्नी हरजिन्द्र सिंह(1/3), कुलदीप पत्नी करतार सिंह(1/3), गगनजीत पत्नी जसपाल सिंह(1/3)	388/1	0.3850		निजी	असिंचित
91	रविन्द्र कौर पत्नी हरजिन्द्र सिंह(1/3), कुलदीप पत्नी करतार सिंह(1/3), गगनजीत पत्नी जसपाल सिंह(1/3)	388/2/1	0.3770		निजी	सिंचित
92	शासकीय	388/2/2	0.0080	2.3502	सरकारी	सड़क
93	संजय मिश्रा पुत्र हरिराम सिंह	389/1/2/1	0.4050		निजी	सिंचित
94	अमित गौतम पुत्र धनपाल गौतम	389/1/2/2	0.3440		निजी	सिंचित
95	कुनाल अग्रवाल पुत्र प्रदीप अग्रवाल	389/1/2/3	0.1820		निजी	सिंचित
96	कृष्ण बहादुर पुत्र एच डी सिंह	389/1/2/4	0.2060		निजी	सिंचित
97	आयशा पुत्री मेहमूद(1/2), अलाउद्दीन पुत्र बर्कुउद्दीन(201/770), सुफिया जुबेरी पत्नी मोहम्मद नासिर जुबेरी(92/770), फेसल तनवीर पिता टी आर खान(92/770)	389/1/2/5	0.0770	0.3240	निजी	सिंचित
98	शासकीय	389/2/2	0.3240		सरकारी	सड़क

99	मोहम्मद शादाब पिता अब्दुल जलील, सोहेल खान पिता मोहम्मद शकील, परवेज जलील अंसारी पिता अब्दुल जलील, मोहम्मद शाहवर पिता अब्दुल जलील	389/2/1/1	0.1210	निजी	व्यावसायिक
100	बंटी मेवाड़ा पुत्र कमल सिंह मेवाड़ा(96/1825), आकाश मेवाड़ा पुत्र कमल सिंह मेवाड़ा(96/1825), मोहम्मद शादाब पुत्र श्री अब्दुल जलील(1040/1825), अशरफ मोहम्मद पुत्र चांद खां, अनवार पुत्र अब्दुल(129/1825), नवल किशोर अग्रवाल पिता रामजीलाल अग्रवाल(464/1825)	389/2/1/2 /1/1	0.0598	निजी	असिंचित
101	बंटी मेवाड़ा पुत्र कमल सिंह मेवाड़ा(96/1825), आकाश मेवाड़ा पुत्र कमल सिंह मेवाड़ा(96/1825), मोहम्मद शादाब पुत्र श्री अब्दुल जलील(1504/1825), अशरफ मोहम्मद पुत्र चांद खां, अनवार पुत्र अब्दुल(129/1825)	389/2/1/2 /1/2	0.1035	निजी	व्यावसायिक
102	मोहम्मद शादाब पुत्र श्री अब्दुल जलील(1635/1825), बंटी मेवाड़ा पुत्र कमल सिंह मेवाड़ा(96/1825), आकाश मेवाड़ा पुत्र कमल सिंह मेवाड़ा(96/1825),	389/2/1/2 /2	0.0192	निजी	व्यावसायिक
103	सोहेल खान पुत्र श्री मोहम्मद शकील(382/691), विशाल कुमार साहू पिता कैलाश सिंह साहू (154/691), तीर्थ कुमार साहू पिता कैलाश सिंह साहू(155/691)	389/2/1/3 /1	0.0691	निजी	असिंचित
104	सोहेल खान पुत्र श्री मोहम्मद शकील(756/1134), रामसभा वर्मा पत्नी कैलाश वर्मा(378/1134)	389/2/1/3 /2	0.1134	निजी	व्यावसायिक
105	सुशीला सिंह पत्नी राजेन्द्र सिंह(405/809), लालबहादुर सिंह पुत्र हरदास राजपूत(404/809)	389/3	0.8090	निजी	असिंचित
106	मोहित दावानी पुत्र जयराम दावानी(1/2), जयराम दावानी पुत्र धनराजमल दावानी(1/2)	407/1/1/1 /1/1	0.4050	निजी	व्यावसायिक
107	मोहित दावानी पुत्र जयराम दावानी(1/2), जयराम दावानी पुत्र धनराजमल दावानी(1/2)	407/1/1/1 /1/2	0.1250	निजी	सिंचित
108	सिटी इन्फाबैंचर प्रा लि द्वारा डायरेक्टर प्रदीप अग्रवाल आ कुंज बिहारी अग्रवाल	407/1/1/1 /2	0.5020	निजी	सिंचित
109	शिखर आसुदानी पिता कैलाश आसुदानी	407/1/1/1 /3	0.0360	निजी	सिंचित

1.2706

110	हीरो वतनानी पिता पारुमल वतनानी(3/4), सुनील पारदासानी पिता स्व श्री घनश्यामदास पारदासानी(1/4)	407/1/1/1/4	0.1790	निजी	सिंचित
111	मेसर्स सावरिया सेठ एंड कंपनी द्वारा भागीदारगण अनिल कुमार आसवानी पुत्र रमेश कुमार आसवानी हीरालाल ईसरानी पुत्र धर्मदास ईसरानी सुरेश अजवानी पुत्र लालचन्द अजवानी, नरेश तोतलानी पुत्र साधुराम तोतलानी	407/1/1/1/5	0.3810	निजी	सिंचित
112	अमित गौतम पुत्र धनपाल गौतम	407/1/1/1/6	0.0440	निजी	सिंचित
113	कुनाल अग्रवाल पुत्र प्रदीप अग्रवाल	407/1/1/1/7	0.1320	निजी	सिंचित
114	शासकीय	407/1/1/2	0.3980	सरकारी	सड़क
115	कैलाश आसुदानी पुत्र मेठाराम आसुदानी(1/2), एच एच गुवालानी पुत्र हरगोविन्द दास गुवालानी(1/2)	407/1/1/6/1	0.0370	निजी	सिंचित
116	मेसर्स सावरिया सेठ एंड कंपनी द्वारा भागीदारगण अनिल कुमार आसवानी पुत्र रमेश कुमार आसवानी हीरालाल ईसरानी पुत्र धर्मदास ईसरानी सुरेश अजवानी पुत्र लालचन्द अजवानी, नरेश तोतलानी पुत्र साधुराम तोतलानी	407/1/1/6/2	0.5990	निजी	सिंचित
117	हरीराम सिंह पुत्र रामदास सरदार(1/2), शीतल राठौर पुत्र प्रकाश राठौर(1/2)	407/1/2/1	0.2790	निजी	असिंचित
118	हरीराम सिंह पुत्र रामदास सरदार(1/2), शीतल राठौर पुत्र प्रकाश राठौर(1/2)	407/2	0.4050	निजी	असिंचित
119	अजय अग्रवाल पिता कुंजबिहारी अग्रवाल	397/1	0.4980	निजी	असिंचित
120	श्रीमती रितिका आहूजा पत्नी मनोज आहूजा(1/2), श्रीमती अविका आहूजा पत्नी मनीष आहूजा(1/2)	397/2	0.4900	निजी	व्यावसायिक
121	करन सिंह पुत्र राजमल	396/1/1	0.9060	निजी	सिंचित
122	कैलाश पुत्र राजमल	396/1/2	0.6360	निजी	सिंचित
123	उमा रघुवंशी पत्नी मनोहर रघुवंशी(1/2), कीर्ति धनवानी पत्नी सुशील धनवानी(1/2)	396/2/2	1.2140	निजी	व्यावसायिक

124	रामगोपाल मेवाड़ा पुत्र राजमल मेवाड़ा	396/2/1/1	0.3761		निजी	असिंचित
125	रामगोपाल मेवाड़ा पुत्र राजमल मेवाड़ा	396/2/1/2	0.0279		निजी	आवासीय
126	खातीचन्द्रवंशी क्षत्रीय समाज विकास समिति म.प्र. पंजी क्र.01/01/01/19484/08 दि. द्वारा 11.09.2008 अध्यक्ष रमेश चन्द वर्मा आ. हरभजन सिंह वर्मा	398/1	0.2430	0.0005	निजी	असिंचित
127	प्रकाश आसनानी पुत्र घनश्यामदास आसनानी	398/2	0.7770		निजी	सिंचित
128	श्रीमति आरती परमानी पत्नी किशोर परमानी	409/1/1/1	0.6070		निजी	असिंचित
129	ज्योति परमानी पत्नी स्व अनिल कुमार परमानी, रौनक परमानी पुत्री स्व अनिल कुमार परमानी	409/1/1/2	0.8090		निजी	असिंचित
130	शासकीय	409/1/2	0.2020	0.1095	सरकारी	सड़क
131	ज्योति परमानी पत्नी स्व अनिल कुमार परमानी, रौनक परमानी पुत्री स्व अनिल कुमार परमानी	409/2/1	0.5380		निजी	असिंचित
132	शासकीय	409/2/2	0.2020		सरकारी	सड़क
	कुल योग		50.9100	17.6075		

अधिनियम की धारा-15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो तो फाईल किये जा सकेंगे। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील हुजूर जिला भोपाल कार्यालय में देखा जा सकता है।

नोट :- उपरोक्त भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि संभावित है।

क्र. 982-भू-अर्जन-2026-रा.प्र.क्र.-0034-अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में जिला- भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम फन्दा खुर्द की निजी भूमि के भू-अधिग्रहण हेतु कालम (6) में वर्णित भूमि, जिसका खसरा क्रमांक वार का विवरण, अनुसूची (2) के खाने (1) से (7) में वर्णित है, अनुसूची (1) के कालम (8) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई वित्तीय गम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य भोपाल शहर में पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मार्ग के मय पेक्ड शोल्डर निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात अध्ययन किया गया, सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट का मूल्यांकन, भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, जिसमें विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना एक बृहद लोक प्रयोजन की परियोजना है, जिसका निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र में सुलभ एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है, अतः परियोजना से संभावित फायदे सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है। परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापन होने की संभावना नहीं होने से अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

-: अनुसूची (1) :-

क्र. स०	जिला	तहसील	ग्राम	कुल रकबा (हेक्टे.में)	भू. अर्जन का रकबा (हेक्टे.में)	धारा . 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	भोपाल	हुजूर	फन्दा खुर्द	4.8300 हे.	1.7465 हे.	संभागीय प्रबंधक संभाग भोपाल म.प्र. सडक विकास निगम, भोपाल	पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मय पेक्ड शोल्डर मार्ग निर्माण कार्य (लंबाई 35.61 कि.मी.)

-: अनुसूची (2) :-

ग्राम का नाम फन्दा खुर्द, तहसील- हुजूर, जिला - भोपाल

क्र. स०	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टे.में)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे.में)	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06	07
1	कुशल पिता मोहन पाटीदार	90	0.3500	0.0266	निजी	सिंचित
2	चंकी पाटीदार पिता मोहन पाटीदार	89	0.1200	0.1200	निजी	सिंचित
3	चंकी पाटीदार पिता मोहन पाटीदार	88/1	0.7650	0.0291	निजी	सिंचित
4	कुशल पिता मोहन पाटीदार	88/2	0.5350		निजी	सिंचित
5	धापूबाई बेवा रामजमल, कमलेश पुत्र रामजमल	87	0.1100	0.0424	निजी	सिंचित

6	धापूबाई बेवा रामजमल, कमलेश पुत्र रामजमल	86	0.2400	0.2400	निजी	सिंचित
7	धापूबाई बेवा रामजमल, कमलेश पुत्र रामजमल	85	0.6000	0.3495	निजी	सिंचित
8	रामकलीबाई पत्नि रामगोपाल	84	0.2000	0.2000	निजी	सिंचित
9	श्रीमती नर्बदीबाई पत्नि अभय सिंह	82	0.1000	0.0202	निजी	सिंचित
10	श्रीमती नर्बदीबाई पत्नि अभय सिंह	81	0.1200	0.0021	निजी	सिंचित
11	रामकलीबाई पत्नि रामगोपाल	68	0.7000	0.0342	निजी	सिंचित
12	जमना प्रसाद, विष्णुप्रसाद पिता खुशीलाल	72	0.5400	0.2592	निजी	सिंचित
13	श्रीमती नवीबाई पत्नि अभय सिंह	73	0.0900	0.0900	निजी	सिंचित
14	श्रीमती नवीबाई पत्नि अभय सिंह	74	0.1000	0.1000	निजी	सिंचित
15	श्रीमती नवीबाई पत्नि अभय सिंह	75	0.0300	0.0300	निजी	सिंचित
16	श्रीमती नवीबाई पत्नि अभय सिंह	76	0.0300	0.0300	निजी	सिंचित
17	श्रीमती नवीबाई पत्नि अभय सिंह	77	0.0300	0.0300	निजी	सिंचित
18	श्रीमती नवीबाई पत्नि अभय सिंह	78	0.0800	0.0800	निजी	सिंचित
19	श्रीमती नवीबाई पत्नि अभय सिंह	79	0.0900	0.0632	निजी	सिंचित
कुल योग			4.8300	1.7465		

अधिनियम की धारा-15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो तो फाईल किये जा सकेंगे। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील हुजूर जिला भोपाल कार्यालय में देखा जा सकता है।

नोट :- उपरोक्त भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि संभावित है।

क्र. 984-भू-अर्जन-2026-रा.प्र.क्र.-0035-अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में जिला- भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम समसगढ़ की निजी भूमि के भू-अधिग्रहण हेतु कालम (6) में वर्णित भूमि, जिसका खसरा क्रमांक वार का विवरण, अनुसूची (2) के खाने (1) से (7) में वर्णित है, अनुसूची (1) के कालम (8) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः **भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।**

यह कार्य भोपाल शहर में पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मार्ग के मय पेव्हड शोल्डर निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात अध्ययन किया गया, सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट का मूल्यांकन, भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, जिसमें विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना एक बृहद लोक प्रयोजन की परियोजना है, जिसका निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र में सुलभ एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है, अतः परियोजना से संभावित फायदे सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है। परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापन होने की संभावना नहीं होने से अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

:- अनुसूची (1) :-

क्र० सं०	जिला	तहसील	ग्राम	कुल रकबा (हेक्टे.में)	भू. अर्जन का रकबा (हेक्टे.में)	धारा . 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	भोपाल	हुजूर	समसगढ़	19.0700 हे.	6.8736 हे.	संभागीय प्रबंधक संभाग भोपाल म.प्र. सड़क विकास निगम, भोपाल	पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर मार्ग निर्माण कार्य (लंबाई 35.61 कि.मी.)

:- अनुसूची (2) :-

ग्राम का नाम समसगढ़, तहसील- हुजूर, जिला - भोपाल

क्र० सं०	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टे.में)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे.में)	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06	07
1	मधुबाई बेवा मान सिंह(1/8), देवेन्द्र पिता मान सिंह(1/8), अजय पिता मान सिंह(1/8), चम्पाबाई बेवा मान सिंह(1/8), सुरेश पिता मान सिंह(1/8), विजय पिता मान सिंह(1/8), मेना पुत्री मान सिंह(1/8), मनीषा पुत्री मान सिंह(1/8) (अहस्तान्तरणीय शासन द्वारा पट्टे पर प्रदत्त)	203	0.4800	0.1349	निजी	सिंचित

2	मधुबाई बेवा मान सिंह(1/8), देवेन्द्र पिता मान सिंह(1/8), अजय पिता मान सिंह(1/8), चम्पाबाई बेवा मान सिंह(1/8), सुरेश पिता मान सिंह(1/8), विजय पिता मान सिंह(1/8), मेना पुत्री मान सिंह(1/8), मनीषा पुत्री मान सिंह(1/8) (अहस्तान्तरणीय शासन द्वारा पट्टे पर प्रदत्त)	204	0.8100	0.2003	निजी	सिंचित
3	नंगर सिंह पिता कालूराम(अहस्तान्तरणीय शासन द्वारा पट्टे पर प्रदत्त)	275	1.3600	0.0369	निजी	सिंचित
4	गनपत सिंह पिता अमर सिंह(अहस्तान्तरणीय शासन द्वारा पट्टे पर प्रदत्त)	271	0.9400	0.1670	निजी	सिंचित
5	मधुबाई बेवा मान सिंह(1/8), देवेन्द्र पिता मान सिंह(1/8), अजय पिता मान सिंह (1/8), चम्पाबाई बेवा मान सिंह(1/8), सुरेश पिता मान सिंह(1/8), विजय पिता मान सिंह(1/8), मेना पुत्री मान सिंह(1/8), मनीषा पुत्री मान सिंह(1/8) (अहस्तान्तरणीय शासन द्वारा पट्टे पर प्रदत्त)	270	0.5300	0.4663	निजी	सिंचित
6	शासकीय	294/1	0.0600	0.0095	सरकारी	शासकीय का.का.
7	कल्लीबाई बेवा भैरुसिंह, सुशीला पुत्री भैरुसिंह,, गुड्डीबाई नावा पुत्री भैरुसिंह, नवल सिंह पिता भैरुसिंह, राजीव नावा पिता भैरुसिंह, अनिल नावा पिता भैरुसिंह (अहस्तान्तरणीय शासन द्वारा पट्टे पर प्रदत्त)	294/2	0.5400		निजी	सिंचित
8	राम सिंह पिता बन्दर सिंह (1/6), मोहन पिता जवान सिंह(1/24), नरसिंह पिता बन्दर सिंह(1/6), जगत सिंह पिता बन्दर सिंह(1/6), वसन्ती पुत्री जवान सिंह(1/24), कमल पिता नानकू (1/12), सरदार पिता बन्दर सिंह(1/6), सेनू पिता जवान सिंह(1/24), गजरीबाई पुत्री बन्दर सिंह(1/24), दिनेश पिता नानकू (1/12) (अहस्तान्तरणीय शासन द्वारा पट्टे पर प्रदत्त)	296	0.2600	0.0142	निजी	सिंचित
9	झेतू सिंह पिता धन सिंह(1/2), मेघू सिंह पिता धन सिंह (1/2) (अहस्तान्तरणीय शासन द्वारा पट्टे पर प्रदत्त)	297	1.0900	0.7014	निजी	सिंचित
10	झेतू सिंह पिता धन सिंह (1/2), मेघू सिंह पिता धन सिंह(1/2) (अहस्तान्तरणीय शासन द्वारा पट्टे पर प्रदत्त)	300/1	0.0600	0.2545	निजी	सिंचित
11	शासकीय	300/2	0.1500		सरकारी	शासकीय का.का.

12	रूप सिंह पिता जतन सिंह (1/4), गुलाब बाई पुत्री जतन सिंह (1/4), बुदल सिंह पिता जतन सिंह (1/4), कलाबाई पुत्री जतन सिंह (1/4) (अहस्तान्तरणीय शासन द्वारा पट्टे पर प्रदत्त)	300/3	0.7300		निजी	सिंचित
13	रूप सिंह पिता जतन सिंह(1/4), गुलाब बाई पुत्री जतन सिंह(1/4), बुदल सिंह पिता जतन सिंह(1/4), कलाबाई पुत्री जतन सिंह(1/4) (अहस्तान्तरणीय शासन द्वारा पट्टे पर प्रदत्त)	301	1.0400	0.5604	निजी	सिंचित
14	मांगीलाल पिता भुवान सिंह(1/3), नानूराम पिता भुवान सिंह(1/3), रामलाल पिता भुवान सिंह 1/3) (अहस्तान्तरणीय शासन द्वारा पट्टे पर प्रदत्त)	304	0.4800	0.3279	निजी	सिंचित
15	मांगीलाल पिता भुवान सिंह(1/3), नानूराम पिता भुवान सिंह(1/3), रामलाल पिता भुवान सिंह 1/3) (अहस्तान्तरणीय शासन द्वारा पट्टे पर प्रदत्त)	305	0.7000	0.2323	निजी	सिंचित
16	मांगीलाल पिता भुवान सिंह(1/3), नानूराम पिता भुवान सिंह(1/3), रामलाल पिता भुवान सिंह 1/3) (अहस्तान्तरणीय शासन द्वारा पट्टे पर प्रदत्त)	306	0.3900	0.3463	निजी	सिंचित
17	कामता प्रसाद पिता हीरालाल	268	1.8200	1.0226	निजी	सिंचित
18	कामता प्रसाद पिता हीरालाल	267	0.2000	0.1675	निजी	सिंचित
19	कुवर सिंह पिता भुवान(1/3), जूर सिंह पिता भुवान(1/3), कर्ण सिंह पिता भुवान(1/3) (अहस्तान्तरणीय शासन द्वारा पट्टे पर प्रदत्त)	307	0.8000	0.3266	निजी	सिंचित
20	श्रीमती बिना जनार्दन अतुलकर पत्नी श्री जनार्दन अतुलकर श्री पियूष अतुलकर पिता जनार्दन अतुलकर	319/1/1	0.1400	0.1428	निजी	सिंचित
21	सरोज दयाल मेहरा पत्नी कामेश्वर दयाल मेहरा(1/2), कामेश्वर दयाल पिता रामदयाल मेहरा(1/2)	319/1/2	0.1000		निजी	सिंचित
22	सरोज दयाल मेहरा पत्नी कामेश्वर दयाल मेहरा	319/2	0.3600		निजी	सिंचित
23	कनिष्क मेहरा पिता कामेश्वर दयाल मेहरा	319/3	0.7100		निजी	सिंचित
24	प्रशान्त अग्रिहोत्री पिता कृपाशंकर अग्रिहोत्री(1/3), श्रीमती सपना अग्रिहोत्री पत्नी नवनीत अग्रिहोत्री(1/3), शीला अग्रिहोत्री पत्नी, श्रीमती सपना अग्रिहोत्री पत्नी नवनीत अग्रिहोत्री(1/3)	320	1.4600	0.6534	निजी	सिंचित
25	प्रशान्त अग्रिहोत्री पिता कृपाशंकर अग्रिहोत्री(1/3), श्रीमती सपना अग्रिहोत्री पत्नी नवनीत अग्रिहोत्री(1/3), शीला अग्रिहोत्री पत्नी, श्रीमती सपना अग्रिहोत्री पत्नी नवनीत अग्रिहोत्री (1/3)	321	0.7700	0.4800	निजी	सिंचित
26	प्रशान्त अग्रिहोत्री पिता कृपाशंकर अग्रिहोत्री(1/3), श्रीमती सपना अग्रिहोत्री पत्नी नवनीत अग्रिहोत्री(1/3), शीला अग्रिहोत्री पत्नी, श्रीमती सपना अग्रिहोत्री पत्नी नवनीत अग्रिहोत्री(1/3)	322	0.7000	0.3910	निजी	सिंचित
27	सरोज दयाल मेहरा पत्नी कामेश्वर दयाल मेहरा	323/1	0.1100	0.1500	निजी	सिंचित
28	कनिष्क मेहरा पिता कामेश्वर दयाल मेहरा	323/2	0.0400		निजी	सिंचित
29	फरहा आमिर पत्नी आमिर अली खान	326	2.2400	0.0878	निजी	सिंचित
	कुल योग		19.0700	6.8736		

अधिनियम की धारा-15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष में आक्षेप यदि कोई हो तो फाईल किये जा सकेंगे। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील हुजूर जिला भोपाल कार्यालय में देखा जा सकता है।

नोट :- उपरोक्त भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि संभावित है।

क्र. 986-भू-अर्जन-2026-रा.प्र.क्र.-0029-अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में जिला- भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम पिपलिया धाकड़ की निजी भूमि के भू-अधिग्रहण हेतु कालम (6) में वर्णित भूमि, जिसका खसरा क्रमांक वार का विवरण, अनुसूची (2) के खाने (1) से (7) में वर्णित है, अनुसूची (1) के कालम (8) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः **भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।**

यह कार्य भोपाल शहर में पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मार्ग के मय पेव्हड शोल्डर निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात अध्ययन किया गया, सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट का मूल्यांकन, भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, जिसमें विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना एक बृहद लोक प्रयोजन की परियोजना है, जिसका निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र में सुलभ एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है, अतः परियोजना से संभावित फायदे सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है। परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापन होने की संभावना नहीं होने से अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

-: अनुसूची (1) :-

क्र. सं.	जिला	तहसील	ग्राम	कुल रकबा (हेक्टे.में)	भू. अर्जन का रकबा (हेक्टे.में)	धारा . 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	भोपाल	हुजूर	पिपलिया धाकड़	21.9200 हे.	6.6217 हे.	संभागीय प्रबंधक संभाग भोपाल म.प्र. सडक विकास निगम, भोपाल	पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर मार्ग निर्माण कार्य (लंबाई 35.61 कि.मी.)

-: अनुसूची (2):-

ग्राम का नाम पिपलिया धाकड़, तहसील- हुजूर, जिला - भोपाल

क्र. सं.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टे.में)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे.में)	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06	07
1	दिनेश कुमार पिता गोपाल दास	332	2.6700	1.1141	निजी	सिंचित
2	दिनेश कुमार पिता गोपाल दास	333	0.5400	0.2655	निजी	सिंचित
3	कमलेश मेवाड़ा पुत्र गुलाब सिंह(2333/14000), राधा बाई बेवा करण सिंह लाड सिंह अनिता सुनीता पिता करण सिंह, गोलू गुडुया ना बा पुत्र पुत्रियां करण सिंह सरंक्षक माँ स्वयं(11667/14000)	334	1.4000	0.1845	निजी	सिंचित

4	रामप्रसाद गंगाराम पिता फूल सिंह	323/1	1.1700		निजी	सिंचित
5	राघव पाटीदार नाबालिग पिता स्व श्री योगेश पाटीदार संरक्षक श्रीमती पवित्रा पाटीदार पत्नी स्व श्री योगेश पाटीदार(1/3), पारस पाटीदार नाबालिग पिता स्व श्री योगेश पाटीदार संरक्षक श्रीमती पवित्रा पाटीदार पत्नी स्व श्री योगेश पाटीदार(1/3), श्रीमती पवित्रा पाटीदार पत्नी स्व श्री योगेश पाटीदार(1/3)	323/2	1.6200	1.3526	निजी	सिंचित
6	नितिन कुमार पिता दिनेश कुमार(1/2), विपिन कुमार पिता दिनेश कुमार(1/2)	322	0.3500	0.0667	निजी	सिंचित
7	नितिन कुमार पिता दिनेश कुमार(1/2), विपिन कुमार पिता दिनेश कुमार(1/2)	320	2.1600	0.2192	निजी	सिंचित
8	नरेन्द्र सिंह नाबा पिता दोलत सिंह	311	2.0100	0.0269	निजी	सिंचित
9	पवित्रा पाटीदार पत्नी योगेश पाटीदार	316	1.6800	0.3728	निजी	सिंचित
10	पवित्रा पाटीदार पत्नी योगेश पाटीदार	319/1	0.4000	0.4811	निजी	सिंचित
11	पवित्रा पाटीदार पत्नी योगेश पाटीदार	319/2	0.4000		निजी	सिंचित
12	पवित्रा पाटीदार पत्नी योगेश पाटीदार	318	0.0900	0.0473	निजी	सिंचित
13	पवित्रा पाटीदार पत्नी योगेश पाटीदार	317	0.2100	0.1958	निजी	सिंचित
14	नारायण सिंह पिता घनसीराम	130/1/1	0.3850	0.0389	निजी	सिंचित
15	आँकार वैष्णव पिता श्री रूपदास वैष्णव, श्रीमति सृष्टि वैष्णव पत्नी श्री आँकार वैष्णव	130/1/2	0.4050		निजी	सिंचित
16	विरेंद्र नागर पिता नारायण सिंह	130/2	0.2000		निजी	सिंचित
17	सुनील नागर पिता हनमत सिंह नागर	129	0.2500	0.1592	निजी	सिंचित
18	राहुल नागर पिता हनमत सिंह	128/1	0.6700	0.5503	निजी	सिंचित
19	सुनील नागर पिता हनमत सिंह नागर	128/2	0.4200		निजी	सिंचित
20	देवेन्द्र नागर पिता कमल सिंह	127/1/1	0.5700	0.7176	निजी	सिंचित
21	पिकेश नागर पिता कमल सिंह	127/1/2	0.5700		निजी	सिंचित
22	राहुल नागर पिता हनमत सिंह	127/2/1	0.2000		निजी	सिंचित
23	सुनील नागर पिता हनमत सिंह नागर	127/2/2	0.2000		निजी	सिंचित
24	गनेश राम पिता कनीराम	114	0.7900	0.3861	निजी	सिंचित
25	सुनीता राठौर पत्नी शंकर लाल राठौर	113	0.8900	0.3225	निजी	सिंचित
26	संगीता शर्मा पति मुरारी शर्मा	105	0.7400	0.1205	निजी	सिंचित
27	प्रवीण त्यागी पिता राम मोहन त्यागी	104	0.9300	0.0001	निजी	सिंचित
	कुल योग		21.9200	6.6217		

अधिनियम की धारा-15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील हुजूर, जिला भोपाल के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो तो फाईल किये जा सकेंगे। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील हुजूर, जिला भोपाल कार्यालय में देखा जा सकता है।

नोट :- उपरोक्त भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि संभावित है।

क्र. 988-भू-अर्जन-2026-रा.प्र.क्र.-0031-अ-82-2025-26

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में जिला- भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम भानपुर केकड़िया की निजी भूमि के भू-अधिग्रहण हेतु कालम (6) में वर्णित भूमि, जिसका खसरा क्रमांक वार का विवरण, अनुसूची (2) के खाने (1) से (7) में वर्णित है, अनुसूची (1) के कालम (8) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य भोपाल शहर में पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मार्ग के मय पेव्डड शोल्डर निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात अध्ययन किया गया, सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट का मूल्यांकन, भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, जिसमें विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना एक बृहद लोक प्रयोजन की परियोजना है, जिसका निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र में सुलभ एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है, अतः परियोजना से संभावित फायदे सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है। परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापन होने की संभावना नहीं होने से अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

-: अनुसूची (1) :-

क्र. स०	जिला	तहसील	ग्राम	कुल रकबा (हेक्टे.में)	भू. अर्जन का रकबा (हेक्टे.में)	धारा . 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	भोपाल	हुजूर	भानपुर केकड़िया	18.2800 है.	8.4500 है.	संभागीय प्रबंधक संभाग भोपाल म.प्र. सडक विकास निगम,भोपाल	पश्चिमी भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्डड शोल्डर मार्ग निर्माण कार्य (लंबाई 35.61 कि.मी.)

-: अनुसूची (2) :-

ग्राम का नाम भानपुर केकड़िया, तहसील- हुजूर, जिला - भोपाल

क्र. स०	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टे.में)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे.में)	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06	07
1	भेरुसिंह पुत्र गुलसिंह (अहस्तान्तरणीय शासन द्वारा पट्टे पर प्रदत्त)	643	0.4600	0.2419	निजी	सिंचित
2	भेरुसिंह पुत्र गुलसिंह(अहस्तान्तरणीय शासन द्वारा पट्टे पर प्रदत्त)	642	0.5400	0.4096	निजी	सिंचित

3	एकल सिंह, भीकला, वालसिंह, कुशल सिंह पुत्र धनसिंह, मसरीबाई बेवा धनसिंह, काशीराम, राधेश्याम पुत्र दोकल सिंह, रतनी बाई बेवा दोकल सिंह (अहस्तान्तरणीय शासन द्दारा पट्टे पर प्रदत्त)	641	1.0000	0.6735	निजी	सिंचित
4	एकल सिंह पुत्र धनसिंह(अहस्तान्तरणीय शासन द्दारा पट्टे पर प्रदत्त)	675	1.0000	0.6175	निजी	सिंचित
5	दोनाबाई, मीनाबाई, कालीबाई, कुंवर सिंह, मक्खन सिंह, मंगू, नवल सिंह पुत्र पुत्री जूरसिंह, घुड़कीबाई बेवा जूरसिंह (अहस्तान्तरणीय शासन द्दारा पट्टे पर प्रदत्त)	640	1.0000	0.1657	निजी	सिंचित
6	चतर सिंह पुत्र नानसिंह(अहस्तान्तरणीय शासन द्दारा पट्टे पर प्रदत्त)	673	1.0000	0.5710	निजी	सिंचित
7	सूरबाई, कलाबाई, केसरीबाई, कैलाश पिता नाथूसिंह(अहस्तान्तरणीय शासन द्दारा पट्टे पर प्रदत्त)	674	1.0100	0.3264	निजी	सिंचित
8	भेरोसिंह पुत्र बालाराम(अहस्तान्तरणीय शासन द्दारा पट्टे पर प्रदत्त)	562	1.0300	0.1570	निजी	सिंचित
9	भुवान सिंह पुत्र अलसिंह(अहस्तान्तरणीय शासन द्दारा पट्टे पर प्रदत्त)	563	1.0100	0.8730	निजी	सिंचित
10	नन्दलाल पुत्र झेदू(अहस्तान्तरणीय शासन द्दारा पट्टे पर प्रदत्त)	564	0.3600	0.0200	निजी	सिंचित
11	नन्दलाल पुत्र झेदू(अहस्तान्तरणीय शासन द्दारा पट्टे पर प्रदत्त)	565	0.6300	0.4130	निजी	सिंचित
12	तेरसिंह पुत्र बालसिंह(अहस्तान्तरणीय शासन द्दारा पट्टे पर प्रदत्त)	566	1.0200	0.3738	निजी	सिंचित
13	हरी सिंह, गुलाब सिंह, फूल सिंह पुत्र जुगाड़, सोनाबाई बेवा जुगाड़(अहस्तान्तरणीय शासन द्दारा पट्टे पर प्रदत्त)	568	1.0000	0.7255	निजी	सिंचित
14	मनीष, कुंवर सिंह, सामरी बाई पिता सुभान सिंह, भमरा, सुमला पुत्र करन सिंह, गोमतीबाई पत्नी सुभान सिंह(अहस्तान्तरणीय शासन द्दारा पट्टे पर प्रदत्त)	573	1.0000	0.1889	निजी	सिंचित
15	फतहसिंह पुत्र विस्ता(अहस्तान्तरणीय शासन द्दारा पट्टे पर प्रदत्त)	574	1.0000	0.9341	निजी	सिंचित
16	केकडिया पुत्र खुमान सिंह(अहस्तान्तरणीय शासन द्दारा पट्टे पर प्रदत्त)	575	0.9100	0.2497	निजी	सिंचित
17	अमर सिंह पुत्र देतू(अहस्तान्तरणीय शासन द्दारा पट्टे पर प्रदत्त)	582	1.0000	0.0010	निजी	सिंचित
18	धन सिंह, नान सिंह, विमा सिंह, जैमला पुत्र चमरिया, मुन्नीबाई, बनी पुत्री चमरिया, हीराबाई बेवा चमरिया(अहस्तान्तरणीय शासन द्दारा पट्टे पर प्रदत्त)	482	0.2700	0.0152	निजी	सिंचित
19	अमान सिंह पुत्र बटन लाल(अहस्तान्तरणीय शासन द्दारा पट्टे पर प्रदत्त)	483	0.4600	0.3099	निजी	सिंचित
20	अमान सिंह पुत्र बटन लाल(अहस्तान्तरणीय शासन द्दारा पट्टे पर प्रदत्त)	484	0.5500	0.0035	निजी	सिंचित
21	जूडिया पुत्र कालूराम(अहस्तान्तरणीय शासन द्दारा पट्टे पर प्रदत्त)	486	0.5200	0.4418	निजी	सिंचित
22	जूडिया पुत्र कालूराम(अहस्तान्तरणीय शासन द्दारा पट्टे पर प्रदत्त)	487	0.5100	0.3762	निजी	सिंचित
23	भैयालाल नावा नाबालिग, मोटलीबाई नाबालिग, सुकलीबाई नाबालिग, फुन्दी बाई नाबालिग पुत्री पुत्र किशन सिंह, नानीबाई बेवा किशन सिंह(अहस्तान्तरणीय शासन द्दारा पट्टे पर प्रदत्त)	489	1.0000	0.3620	निजी	सिंचित
	कुल योग	18.2800	8.4500			

अधिनियम की धारा-15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो तो फाईल किये जा सकेंगे। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील हुजूर जिला भोपाल कार्यालय में देखा जा सकता है।

नोट :- उपरोक्त भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि संभावित है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

पन्ना, दिनांक 16 फरवरी 2026

प्रकरण क्रमांक 24/अ-82 वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कड़िका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कड़िका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कड़िका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कड़िका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला — पन्ना
(ख) तहसील — पवई
(ग) ग्राम — नारायणपुरा
(घ) क्षेत्रफल — 1.676 हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1	2241/1/1/1	0.010	निजी भूमि
2	2241/2/1	0.030	निजी भूमि
3	2242	0.020	निजी भूमि
4	2203/1	0.010	निजी भूमि
5	2259	0.010	निजी भूमि
6	2201/1	0.050	निजी भूमि
7	2201/2	0.050	निजी भूमि
8	2258	0.010	निजी भूमि
9	2260	0.0400	निजी भूमि
10	2261	0.030	निजी भूमि
11	2262	0.0200	निजी भूमि
12	2200/2	0.0400	निजी भूमि
13	2194/2	0.0400	निजी भूमि

14	2263	0.010	निजी भूमि
15	2193	0.020	निजी भूमि
16	2190/1	0.06	निजी भूमि
17	2190/2	0.060	निजी भूमि
18	2183	0.100	निजी भूमि
19	2181	0.050	निजी भूमि
20	2178	0.015	निजी भूमि
21	2177/2	0.0700	निजी भूमि
22	2176	0.060	निजी भूमि
23	2300	0.030	निजी भूमि
24	2334	0.010	निजी भूमि
25	2335	0.010	निजी भूमि
26	2175/1/1	0.010	निजी भूमि
27	2175/2	0.100	निजी भूमि
28	2328	0.010	निजी भूमि
29	2327	0.030	निजी भूमि
30	2326	0.090	निजी भूमि
31	2322	0.040	निजी भूमि
32	2321	0.0010	निजी भूमि
33	2419	0.050	निजी भूमि
34	2418	0.140	निजी भूमि
35	2411	0.270	निजी भूमि
36	2182	0.010	निजी भूमि
37	2279	0.010	निजी भूमि
38	2336	0.010	निजी भूमि
39	2337/1	0.01	निजी भूमि
40	2338	0.040	निजी भूमि
	कुलकिता -40	1.676है०	

- [2] सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :-में पर्व मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माईनर एवं सब माईनर नहर निर्माण में प्रभावित कृषको के भूमि अर्जन कार्य हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम नारायणपुरा तहसील एवं अनुभाग पर्व ।
- [3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पर्व में किया जा सकता है ।

प्रकरण क्रमांक 25/अ-82 वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला — पन्ना
 (ख) तहसील — पवई
 (ग) ग्राम — पडरियाकलॉ
 (घ) क्षेत्रफल — 2.460 हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1	484	0.060	निजी भूमि
2	482	0.020	निजी भूमि
3	709/3	0.200	निजी भूमि
4	712	0.180	निजी भूमि
5	481	0.060	निजी भूमि
6	711	0.010	निजी भूमि
7	736	0.130	निजी भूमि
8	742	0.020	निजी भूमि
9	743	0.020	निजी भूमि
10	741	0.010	निजी भूमि
11	740	0.030	निजी भूमि

12	739	0.080	निजी भूमि
13	738	0.020	निजी भूमि
14	755	0.010	निजी भूमि
15	756	0.050	निजी भूमि
16	758	0.020	निजी भूमि
17	759/1	0.060	निजी भूमि
18	759/2	0.050	निजी भूमि
19	821	0.020	निजी भूमि
20	822	0.110	निजी भूमि
21	826	0.010	निजी भूमि
22	818/1	0.010	निजी भूमि
23	819/2	0.010	निजी भूमि
24	824/1	0.040	निजी भूमि
25	823	0.010	निजी भूमि
26	848	0.040	निजी भूमि
27	849/1	0.030	निजी भूमि
28	835	0.040	निजी भूमि
29	847	0.020	निजी भूमि
30	836/1	0.030	निजी भूमि
31	836/2	0.030	निजी भूमि
32	845/1	0.020	निजी भूमि
33	845/2	0.020	निजी भूमि
34	846	0.010	निजी भूमि
35	843	0.020	निजी भूमि
36	844	0.020	निजी भूमि
37	858	0.010	निजी भूमि
38	865	0.030	निजी भूमि
39	859	0.010	निजी भूमि
40	862	0.020	निजी भूमि
41	860/1	0.010	निजी भूमि
42	860/2	0.050	निजी भूमि
43	861	0.030	निजी भूमि
44	863	0.030	निजी भूमि
45	872/2	0.010	निजी भूमि
46	875	0.030	निजी भूमि

47	876	0.090	निजी भूमि
48	877	0.010	निजी भूमि
49	915	0.030	निजी भूमि
50	918	0.110	निजी भूमि
51	917	0.010	निजी भूमि
52	932	0.050	निजी भूमि
53	931	0.010	निजी भूमि
54	930	0.040	निजी भूमि
55	933	0.030	निजी भूमि
56	934	0.010	निजी भूमि
57	928	0.020	निजी भूमि
58	995	0.120	निजी भूमि
59	996	0.010	निजी भूमि
60	997	0.010	निजी भूमि
61	994	0.010	निजी भूमि
62	998	0.010	निजी भूमि
63	999	0.070	निजी भूमि
64	1033	0.010	निजी भूमि
65	1055	0.030	निजी भूमि
66	1030	0.030	निजी भूमि
कुलकिता-66		2.460हे०	

- [2] सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :-में पर्वई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माईनर एवं सब माईनर नहर निर्माण में प्रभावित कृषकों के भूमि अर्जन कार्य हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम पञ्चरियाकलॉ तहसील एवं अनुभाग पर्वई ।
- [3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पर्वई में किया जा सकता है ।

पन्ना, दिनांक 20 फरवरी 2026

प्रकरण क्रमांक 0023/अ-82 वर्ष 2025-2026 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कड़िका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कड़िका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कड़िका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कड़िका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

(क)	जिला	-	पन्ना
(ख)	तहसील	-	देवेन्द्रनगर
(ग)	ग्राम	-	बड़ौरा प.ह.नं. 19
(घ)	क्षेत्रफल निजी भूमि	-	रकबा 0.7640 हे०

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा हैक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1	66/2/1	0.1162	निजी भूमि
2	67/1/2/1	0.0180	निजी भूमि
3	67/2/2/1/2	0.0100	निजी भूमि
4	101/1	0.0230	निजी भूमि
5	101/4/2	0.0070	निजी भूमि
6	101/6/2	0.0090	निजी भूमि
7	101/7/1	0.0120	निजी भूमि
8	103/1/1	0.1192	निजी भूमि
9	103/3/1	0.1450	निजी भूमि
10	104/1/1/1/2/1/1/1/1/2	0.0167	निजी भूमि
11	104/1/1/1/2/1/1/1/1/1/2	0.0102	निजी भूमि
12	104/1/1/1/1/1	0.0320	निजी भूमि
13	105/1	0.0576	निजी भूमि
14	104/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1/2	0.0110	निजी भूमि
15	104/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1	0.0143	निजी भूमि
16	104/1/1/1/2/1/1/3/1/1/2	0.0156	निजी भूमि
17	104/1/1/1/2/1/1/3/1/1/1	0.0232	निजी भूमि
18	106/1/3/6/1	0.0090	निजी भूमि
19	106/1/3/6/2	0.0050	निजी भूमि
20	106/1/3/7	0.0050	निजी भूमि
21	106/1/3/4/1	0.0100	निजी भूमि
22	106/1/3/5	0.0210	निजी भूमि
23	106/1/3/4/2	0.0120	निजी भूमि
24	106/1/3/8	0.0130	निजी भूमि
25	8/1/1/1	0.0100	निजी भूमि
26	8/2	0.0190	निजी भूमि
27	198/1/1	0.0200	निजी भूमि
	कुल रकबा :-	0.7640 हे०	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है

ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541-कि०मी०) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकबों का पूरक प्रस्ताव) हेतु ।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऊषा परमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

प्र.क्र. 0005-अ-82-2025-26-1943

सागर, दिनांक 26 फरवरी 2026

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की राज्य शासन के विभाग कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर द्वारा सागर जिले के खुरई नगर में बीना-कटनी रेल्वे सेक्शन के 996/4-5 एवं खुरई-खिमलासा मार्ग में समपार क्रमांक-6 के एवज में आर.ओ.बी. के निर्माण सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है। प्रकरण में प्राप्त सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट अनुसार सागर जिले के खुरई नगर में बीना-कटनी रेल्वे सेक्शन के 996/4-5 एवं खुरई-खिमलासा मार्ग में समपार क्रमांक-6 के एवज में आर.ओ.बी. के निर्माण से सुचारु आवागमन हो जावेगा तथा सागर जिले के खुरई नगर में बीना-कटनी रेल्वे सेक्शन के 996/4-5 एवं खुरई-खिमलासा मार्ग में समपार क्रमांक-6 के एवज में आर.ओ.बी. के निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में भी बहुत अधिक है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि सागर जिले के खुरई नगर में बीना-कटनी रेल्वे सेक्शन के 996/4-5 एवं खुरई-खिमलासा मार्ग में समपार क्रमांक-6 के एवज में आर.ओ.बी. के निर्माण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है। परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु भूमि का अर्जन किया जाता है।

सागर जिले के खुरई नगर में बीना-कटनी रेल्वे
सेक्शन के 996/4-5 एवं खुरई-खिमलासा मार्ग में
समपार क्रमांक-6 के एवज में आर.ओ.बी. के निर्माण
कार्य ।

भूमि का विवरण:-

1-जिला	सागर
2-तहसील	खुरई
3-नगर पालिका	खुरई
4-अर्जित भूमि का कुल क्षेत्रफल	0.39 हे०

::अनुसूची-1::

क.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल रकबा हेक्टेयर में	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता(राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7
1	6 7/1/3	भूमि स्वामी	कृषि	0.304 5.447	0.12	विनय कुमार पिता धन्नालाल जैन
2	9/1	भूमि स्वामी	कृषि	1.72	0.03	श्री पार्श्वनाथ ब्रम्हचार्य आश्रम जैन गुरुकुल सेक्रेटरी धन्नालाल पिता खुशालचंद जैन
3	16/1/1 16/1/2, 16/1/3, 16/3/1, 16/3/2,	भूमि स्वामी	कृषि	4.435	0.16	धर्मेन्द्र कुमार दत्तक पुत्र रियम कुमार जैन

	16/3/3, 16/3/4,					
4	44/1	भूमि स्वामी	कृषि	1.023	0.03	आभा पत्नि श्रीमंत सेठ धर्मेन्द्र कुमार
5	421/2/1	भूमि स्वामी	कृषि	1.625	0.025	चन्द्रशेखर पिता औमकार प्रसाद चौबे
6	421/2/2	भूमि स्वामी	कृषि	0.36	0.025	शशिभूषण पिता औमकार प्रसाद चौबे
कुल 17 सर्वे नंबर				14.914 हे०	0.39 हे.,	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-5-(7)-2014-सात-शा 2ए भोपाल दिनांक 2.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अनन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खुरई तथा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-5-(7)-2014-सात-शा 2ए भोपाल दिनांक 2.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खुरई तथा समुचित सहयोग करेंगे एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खुरई में) आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खुरई तथा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संदीप जी.आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र. 863374-भू-अर्जन-2026

छिन्दवाड़ा, दिनांक 6 मार्च 2026

चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-:अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	मोहखेड़
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम-गोरखपुर प0ह0न-67 ब.न.-136 रा.नि.मं.-इकलबिहरी
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-0.031 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	97/6/1	0.010
2	111/5	0.004
3	111/8	0.007
4	111/7	0.004
5	111/6	0.004
6	111/4	0.002
	योग :-	कुल रकबा-0.031 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम-2 बांध अंतर्गत पंप हाउस क08 पहुँच मार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग तामिया, जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र. 863384-भू-अर्जन-2026

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—अनुसूची:—

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	मोहखेड
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम- सोहागपुर प0ह0न-20 ब.न.-593 रा.नि.म.-सांवरी
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-0.124 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	365/3	0.124
	योग :-	कुल रकबा-0.124 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम-2 बांध अंतर्गत पंप हाउस क07 निर्माण हेतु अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिंदवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग तामिया, जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरेंद्र नारायण, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की
धारा-19 की उपधारा-4

क्र. 369-भू-अर्जन-2026

सीधी, दिनांक 2 मार्च 2026

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन :-

(क)	जिला	:-	सीधी
(ख)	तहसील	:-	गोपद बनास
(ग)	ग्राम	:-	उपनी
(घ)	पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	:-	उपनी
(ङ)	निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	रकबा 0.1170 हे०

क्र०	खसरा नम्बर	का रकबा हे. में	विवरण
1	2	3	4
1	189/3/1	0.0120	हर्षलाल पिता राजमणि साहू
2	189/4/1	0.0120	रामनिहोर पिता राजमणि साहू
3	189/5/1	0.0110	बुद्धिसेन पिता राजमणि साहू
4	189/1/1	0.0090	सुधा पत्नी प्रमोद कुमार पाण्डेय
5	219/1	0.0100	शैलेश सिंह पत्नी यादवेन्द्र सिंह
6	148/1/1	0.0300	बलराम सिंह पिता रघुनाथ सिंह 3/4 रामकली बेवा रघुनाथ सिंह 1/4
7	133/1	0.0110	दशरथ सिंह पिता शिवनाथ सिंह
8	166/1	0.0050	फूलमती बेवा राम रंगोली राम 1/2 मुद्रिका प्रसाद पिता राम रंगीले राम 1/2
9	148/2/1	0.0120	जयराम सिंह पिता रघुनाथ सिंह 3/4 रामकली बेवा रघुनाथ सिंह 1/4
10	150/1	0.0050	रामकली बेवा रघुनाथ सिंह 1/4 रामपाल सिंह पिता रघुनाथ सिंह 3/4
निजी पट्टे की भूमि का कुल योग -		0.1170	-

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा-4

क्र. 481-भू-अर्जन-2026

सीधी, दिनांक 18 मार्च 2026

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

--: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन :-

(क)	जिला	:-	सीधी
(ख)	तहसील	:-	गोपद बनास
(ग)	ग्राम	:-	कोतरकला
(घ)	पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	:-	सीधीगिर्द
(ङ)	निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	रकबा 0.5674 हे०

क्र.	खसरा नम्बर	का रकबा हे में	भूमिस्वामी का नाम
1.	6/1/2/1	0.0200	सुरेश कुमार गुप्ता पिता बंश गोपाल गुप्ता
2.	7/1/5/12	0.0130	संगीता सिंह पत्नी संजय सिंह
3.	7/3/3/1	0.0060	अनिल कुमार गुप्ता पिता रामस्वरूप गुप्ता
4.	11/13/1	0.0120	राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पिता बंशपती प्रसाद गुप्ता हि.1/2, अशोक कुमारी गुप्ता पत्नी राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता हि.1/2
5.	11/13/2	0.0040	शिवेन्द्र प्रसाद गुप्ता पिता सुरेन्द्र प्रसाद गुप्ता
6.	11/13/3	0.0040	नागेंद्र प्रसाद पिता बंशपती प्रसाद गुप्ता
7.	13	0.0132	श्यामलाल, बब्बू, रामकली, सुनीता पिता छोटा, मु. रामरती बेवा बंशरूप, भैयालाल, रामगोपाल, महावीर पिता गलुआ
8.	14/1/1/1	0.0240	नागेंद्र प्रसाद पिता बंशपती प्रसाद गुप्ता सुरेन्द्र प्रसाद पिता बंशपती प्रसाद
9.	14/2/3/1	0.0040	रामस्वरूप पिता नमोनारायण गुप्ता
10.	14/9/1	0.0100	सरस्वती देवी पत्नी अवधेश प्रसाद गुप्ता
11.	15/2/1	0.0070	रामप्रसाद पिता सरजू गुप्ता
12.	15/3/1/1	0.0020	मंगलेश्वर प्रसाद पिता राजमणि, राकेश प्रसाद पिता राजमणि गुप्ता, सूर्यनारायण पिता राजमणि
13.	15/4/1	0.0020	शारदा गुप्ता पिता राजेश्वरी गुप्ता, कुसुमकली गुप्ता पत्नी राजेश्वरी, तीरथ गुप्ता राजेश्वरी, प्रमोद गुप्ता पिता राजेश्वरी, विनोद गुप्ता पिता राजेश्वरी गुप्ता
14.	16/1	0.0100	शारदा गुप्ता पिता राजेश्वरी गुप्ता, कुसुमकली गुप्ता पत्नी राजेश्वरी, तीरथ गुप्ता राजेश्वरी, प्रमोद गुप्ता पिता राजेश्वरी, विनोद गुप्ता पिता राजेश्वरी गुप्ता
15.	16/2	0.0090	गुड्डू प्रसाद पिता शेषमणि, रघुराज प्रसाद पिता शेषमणि, रघुबंश प्रसाद पिता शेषमणि, दिनेश प्रसाद पिता शेषमणि, भोला प्रसाद पिता शेषमणि
16.	17/1	0.0050	ओम प्रकाश श्रीवास्तव पिता शिवमूरत लाल
17.	17/5	0.0050	ओम प्रकाश श्रीवास्तव पिता शिवमूरत लाल
18.	17/2/1	0.0100	अनिल कुमार गुप्ता पिता रामस्वरूप गुप्ता
19.	17/2/2	0.0100	सुनील कुमार गुप्ता रामस्वरूप गुप्ता
	17/2/3	0.0100	संतोष कुमार गुप्ता पिता रामस्वरूप गुप्ता
20.	17/3	0.0280	बुजेन्द्र कुमार गुप्ता पिता प्रेमलाल गुप्ता
21.	17/4/3	0.0050	रामाकान्त सोनी, प्रमोद कुमार, पिता रामजियावन, नीलकंठ पटेल पिता रामकुमार पटेल
22.	17/4/4/1	0.0020	बाबूलाल सोनी पिता राजेन्द्र प्रसाद सोनी
23.	17/4/5	0.0040	राजकुमार सोनी पिता मुन्ना लाल सोनी
24.	17/4/13	0.0050	मो० सरीफ पिता बलि मोहम्मद
25.	19/1	0.0080	इमरान खान पिता सब्बीर खान, विजय प्रताप सिंह पिता कृष्णबंश सिंह
26.	19/2	0.0112	पार्वती बेवा हीरामणि, प्रदीप गुप्ता पिता हीरामणि, प्रवीण गुप्ता पिता हीरामणि, जयप्रकाश गुप्ता पिता हीरामणि
27.	19/3/1	0.0040	राकेश कुमार गुप्ता पिता प्रेमलाल गुप्ता
28.	19/3/2	0.0040	अनसुइया देवी पिता पत्नी प्रेमलाल गुप्ता

29.	19/4	0.0040	संतोष कुमार गुप्ता पिता रामस्वरूप गुप्ता
30.	24/1/1	0.0050	दीपक गुप्ता पिता बड़कू गुप्ता, ललिता देवी बेवा विद्यानंद, अंश पिता विद्यानंद, देवी प्रसाद पिता रामकृपाल, अग्रनाथ पिता रामकृपाल, विंध्यवासिनी पिता जमुना प्रसाद, अंकित पिता राजबहोरन, बाबूलाल पिता नर्वदा गुप्ता, डोलमणि बेवा रामकृपाल, पूजा पुत्री राजबहोरन, सुनील पिता रामकृपाल, संतोष पिता रामकृपाल, सोमवती पुत्री रघुनन्दन पंकज पिता राजबहोरन, ऊषा बेवा राजबहोरन, जयपति पिता हरिदास
31.	24/2	0.0060	जयप्रताप सिंह पिता कृष्णबंश सिंह, विजय प्रताप सिंह पिता कृष्णबंश सिंह,
32.	24/3	0.0040	शिवम सिंह चौहान पिता जयप्रताप सिंह, आंशिमा पटेल पुत्री रामचरण, शशिता पटेल पुत्री रामचरण, शशि पटेल पुत्री रामचरण ।
33.	26	0.0020	मंगलेश्वर पिता सुखनंदन गुप्ता, रनिया बेवा सुखनंदन, राजीव लोचन पिता सुखनंदन, भोला पिता सुखनंदन, छावा उर्फ नवल किशोर पिता सुखनंदन गुप्ता
34.	38/1	0.0040	मु. जानकी देवी बेवा माधव प्रसाद, बाबूलाल पिता नर्वदा प्रसाद, मोहरी बेवा नर्वदा प्रसाद, कैलसुआ बेवा हरीदास बानी, बड़कू, जयपति पिता हरीदास मु. ऊषा बेवा राजबहोरन, पंकज, अंकित, पूजा पिता राजबहोरन (ना. बा.) राजेश्वर सिंह पिता लालबिहारी सिंह भदौरिया, विंध्यवासिनी प्रसाद पिता जमुना प्रसाद, मु. डोलमणि बेवा रामकृपाल, अग्रनाथ, देवीप्रसाद, संतोष, सुनील, पिता रामकृपाल बानी
35.	38/2	0.0040	जयपति प्रसाद पिता हरिदास
36.	39	0.0080	नवल किशोर पिता सुखनंदन, राजीव लोचन पिता सुखनंदन, मंगलेश्वर पिता सुखनंदन, भोला पिता सुखनंदन,
37.	40	0.0220	नवल किशोर पिता सुखनंदन, राजीव लोचन पिता सुखनंदन, मंगलेश्वर पिता सुखनंदन, भोला पिता सुखनंदन गुप्ता
38.	70/2	0.0080	जयपति प्रसाद पिता हरिदास गुप्ता
39.	85/2	0.0100	संतोष सिंह पिता बुद्धदेव सिंह
40.	90/2	0.0120	संतोष सिंह पिता बुद्धदेव सिंह
41.	87/1	0.0040	जवाहरलाल पिता केदारनाथ गुप्ता, लक्ष्मीप्रसाद गुप्ता पिता केदारनाथ गुप्ता
42.	91/4/3/3	0.0040	रमाकांत पिता अवध प्रसाद
43.	91/7	0.0040	धनश्याम गुप्ता पिता अवध प्रसाद गुप्ता, रमाकांत पिता अवध प्रसाद गुप्ता, रामेश्वर प्रसाद गुप्ता पिता अवध प्रसाद गुप्ता, रामकुमार गुप्ता पिता अवध प्रसाद गुप्ता, राधेश्याम गुप्ता पिता अवध प्रसाद गुप्ता, राजेश कुमार गुप्ता पिता रामनिवास गुप्ता, लवकुश प्रसाद गुप्ता पिता रामनिवास गुप्ता, श्यामकली बेवा रामनिवास गुप्ता
44.	91/10	0.0040	धनश्याम पिता अवध प्रसाद गुप्ता
45.	91/12/1	0.0040	राधेश्याम पिता अवध प्रसाद गुप्ता
46.	91/13/1	0.0040	रामकुमार पिता अवध प्रसाद गुप्ता
47.	91/14	0.0040	रामेश्वर प्रसाद पिता अवध प्रसाद गुप्ता
48.	91/16/1	0.0040	साहबलाल पिता काशी प्रसाद गुप्ता
49.	91/18/2	0.0120	आशा गुप्ता पति नारायण प्रसाद गुप्ता
50.	91/18/6	0.0120	दयावती पति नारायण प्रसाद गुप्ता
51.	91/21	0.0120	बसंत कुमार गुप्ता पिता मानिकलाल गुप्ता
52.	91/26	0.1160	रामानुज गुप्ता पिता महेश कुमार गुप्ता
53.	103/1	0.0040	साहबलाल पिता काशी प्रसाद गुप्ता
54.	103/1/4	0.0040	उमाशंकर पिता काशी प्रसाद गुप्ता
55.	103/2	0.0020	रामकिशोर पिता काशी प्रसाद गुप्ता
56.	103/3/1/1	0.0020	ओम प्रकाश गुप्ता पिता रमाकांत, रमाकांत पिता अवध प्रसाद गुप्ता
57.	103/3	0.0020	रामनिहोर पिता काशी प्रसाद गुप्ता
58.	103/16	0.0130	रामनिरंजन पिता रामानुज, विनय कुमार पिता रामानुज गुप्ता
59.	104/2	0.0100	कुटिया बेवा रामनाथ, गजरूप, औगल, गप्पू पिता रामनाथ कोल 1/3, रामकृपाल पिता बैसाखू कोल 1/3, रामराज, श्यामलाल, सुखलाल पिता निचका कोल 1/3
60.	105/1	0.0060	रामसुंदर पिता सरजू कोरी
कुल योग- 60		0.5674	

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा-4

क्र. 483-भू-अर्जन-2026

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

:- अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन :-

(क)	जिला	:-	सीधी
(ख)	तहसील	:-	गोपद बनास
(ग)	ग्राम	:-	मधुरी कोठार
(घ)	पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	:-	जमोडीखुर्द
(ङ)	निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	रकबा 0.5270 हे०

क्र०	खसरा नम्बर	का रकबा हे. में	विवरण
1	2	3	4
1	34/1/1	0.0200	भास्कर प्रसाद मिश्रा पिता सिद्धगोपाल राम
2	34/1/2	0.0100	आस्था पुत्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा नाबा. संरक्षक माता आशा पत्नी राधेश्याम उपाध्याय
3	34/1/3	0.0100	दिव्या पुत्री राधेश्याम उपाध्याय
4	34/1/4/1	0.0080	पूनम द्विवेदी पत्नी देवेन्द्र कुमार द्विवेदी
5	34/1/4/2	0.0040	राजबहोरन द्विवेदी पिता विश्वनाथ द्विवेदी
6	34/1/4/3	0.0040	शुभम कुमार पिता विद्याकांत द्विवेदी
7	34/1/4/4	0.0040	रामायण प्रसाद पिता विश्वनाथ द्विवेदी
8	164/1/1/1	0.0480	विकास कुमार पिता रामानारायण मिश्रा 409/1010, विवेक कुमार पिता रामनारायण मिश्रा 409/1010, अशुमान सिंह पिता अनंत कुमार सिंह 81/1010, संदीप कुमार शुक्ला पिता रामविलास शुक्ला 81/1010, हरिकृष्णदेव सिंह पिता हरिकमल सिंह 8/1010, कुसुमलता सिंह पत्नी हरिकृष्णदेव सिंह 7/1010, अमित कुमार सिंह पिता हरिकृष्णदेव सिंह 8/1010, वीना सिंह पत्नी अमित कुमार सिंह 7/1010
9	164/1/1/2	0.0400	देवकी मिश्रा पत्नी शिवनारायण मिश्रा 1/3 नवीन मिश्रा पिता शिवनारायण मिश्रा 1/3, निशांक मिश्रा पिता शिवनारायण मिश्रा 1/3
10	164/1/1/3	0.1800	हरिकृष्णदेव सिंह पिता हरिकमल सिंह 1/4, कुसुमलता सिंह पत्नी हरिकृष्णदेव सिंह 1/4, वीना सिंह पत्नी अमित कुमार सिंह 1/4, अमित कुमार सिंह पिता हरिकृष्णदेव सिंह 1/4
11	164/2/2/1	0.0500	पूनम सिंह पत्नी पुष्पराज सिंह चंदेल
12	164/2/1/3	0.1020	मुस. कैलसुआ बेवा गोपी बानी, छेदीलाल, लालबहादुर पिता गोपी बानी
13	164/3/1/1	0.0310	रामकृष्ण पिता रघुनाथ बानी 1/2 मु. रजनी बेवा रामगोपाल ओमप्रकाश, प्रभात कुमार पिता रामगोपाल गुप्ता 1/2
14	299/1/3/1	0.0080	रामरूप राम पिता द्वारिका राम ब्रा०
15	299/1/3/2	0.0080	राजेश राम पिता द्वारिका राम
निजी पट्टे की भूमि का कुल योग -		0.5270	-

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा-4

क्र. 485-भू-अर्जन-2026

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

—: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन :-

(क)	जिला	:-	सीधी
(ख)	तहसील	:-	गोपद बनास
(ग)	ग्राम	:-	नौदिया
(घ)	पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	:-	नौदिया
(ङ)	निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	रकबा 0.1950 हे०

क्र०	खसरा नम्बर	का रकबा हे. में	विवरण
1	2	3	4
1	834/4/1/1	0.0090	सीता सिंह बेवा केशव प्रसाद सिंह
2	836/1/1/21	0.0040	रावेन्द्र कुमार पिता लक्ष्मण प्रसाद पटेल
3	836/1/1/20	0.0030	बेलाकली पटेल पत्नी रामहित पटेल
4	836/1/1/10	0.0170	प्रभुनाथ पटेल पिता रामकुमार पटेल
5	836/1/1/15	0.0110	सुनीता पत्नी तुलसीदास उर्फ पालिसीदास प्रजापति
6	836/1/1/1/1	0.0460	विन्दू सिंह वेवा अयोध्या सिंह 0320/3990, श्रीमती तारा गुप्ता पत्नी नकछेदीलाल गुप्ता पुत्री शिवलाल गुप्ता 0220/3990, शिवदास गुप्ता पिता रामसखा गुप्ता 0080/3990, सरस्वती गुप्ता पत्नी बिनोद कुमार गुप्ता 0110/3990, लक्ष्मण सिंह पिता छोटेलाल सिंह 0110/3990, उपेन्द्र सिंह पिता छोटेलाल सिंह 0090/3990, शीलध्वज सिंह छोटेलाल सिंह 1490/3990, युवराज सिंह पिता छोटेलाल सिंह 0070/3990, समशेर बहादुर सिंह पिता छोटेलाल सिंह 1490/3990, आशा सिंह वेवा वीरेन्द्र सिंह शिवेन्द्र सिंह सतेन्द्र सिंह पिता वीरेन्द्र सिंह 0020/3990 भूमि
7	836/1/1/25	0.0170	श्रीमती सरोज पत्नी रमेश कुमार माझी पता गोपद बनास सीधी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 007/024, इन्द्र कुमार सिंह पिता श्यामलाल सिंह पता गोपद बनास सीधी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 017/024
8	840/1/1/1/1	0.0290	रघुराज सिंह चौहान पिता शंकर सिंह चौहान
9	840/1/2/1/1	0.0290	ऋतुराज सिंह चौहान पिता रघुराज सिंह चौहान
10	840/1/3/1/1	0.0150	श्रीमती सरस्वती सिंह पत्नी रघुराज सिंह चौहान
11	840/1/4/1/1	0.0150	श्रीमती ज्योति सिंह पत्नी ऋतुराज सिंह चौहान
निजी पट्टे की भूमि का कुल योग -		0.1950	—

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा-4

क्र. 487-भू-अर्जन-2026

चूँके राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन :-

(क) जिला	:- सीधी
(ख) तहसील	:- गोपद बनास
(ग) ग्राम	:- टेढवाटोला
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	:- मडवा
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:- रकबा 0.1200 हे०

क्र०	खसरा नम्बर	का रकबा हे. में	विवरण
1	2	3	4
1	27/1	0.0890	रामाधार राम पिता चंदीराम 1/7, बसंती पत्नी शिवलाखन 1/7, बडकीवा पत्नी रामलाल 1/7, जरिया बेवा चंदीराम 1/7, रामलखन राम पिता चंदीराम 1/7, भगवानराम पिता चंदीराम 2/7,
2	27/2	0.0110	भैयालाल पिता मोहनलाल जायसवाल
3	32	0.0200	भैयालाल पिता केमलाराम जायसवाल
निजी पट्टे की भूमि का कुल योग -		0.1200	-

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-भू-अर्जन-2025-73-74

शाजापुर, दिनांक 10 मार्च 2026

प्रकरण क्रमांक/ 0001/अ-82/2024-25 वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में एक आपत्ति का निराकरण धारा 15 के अंतर्गत किया गया तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम नं. 7 में वर्णित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन (शुजालपुर से समपार कं. 79 स्थित लेत्वे फाटक पर आर.ओ.बी. निर्माण हेतु भूमि का अर्जन) के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है। धारा 12 की कार्यवाही के उपरांत सम्पत्ति का नुकसान नहीं होने से धारा 13 के अंतर्गत कार्यवाही की जाना आवश्यक नहीं है। अतः भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत 81 भूमिस्वामियों की प्रस्तावित अर्जक भूमि रकबा 1112.11 वर्गमीटर की घोषणा का प्रकाशन पत्र क्रमांक/भू-अर्जन/2025/336-337 शाजापुर दिनांक 06.11.2025 से किया गया है, प्रकरण में रकबा कम होने से उक्त धारा-19 को निरस्त करते हुए अधिनियम, 2013 अंतर्गत संशोधित धारा-19 का निम्न अनुसूची के कालम नं. 7 में वर्णित भूमि लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

भूमि का विवरण:-						
(क)	जिला:- शाजापुर					
(ख)	तहसील :- शुजालपुर					
(ग)	ग्राम:- कस्बा शुजालपुर, कमल्या, शुजालपुर आबादी की भूमि					
(घ)	क्षेत्रफल निजी भूमि:- रकबा 420.78 (वर्गमीटर)					
धारा 19 हेतु संशोधित अनुसूची						
:- अनुसूची :-						
कं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	भूमि का खसरा कं.	भूमि का कुल रकबा हे. में	पुनः सर्वे सूची अनुसार अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण		
				आवासीय	व्यवसायिक	कुल
1	2	3	4	5	6	7
सोसायटी सहकारी बैंक से रेल्वे फाटक की ओर कस्बा शुजालपुर						
1	सुनिल कुमार देथल पिता नकजीराम	1951	4.640	0.00	3.66	3.66
2	नेहा पति स्व. नरेन्द्र चितले	1951	4.640	7.32	0.00	7.32
3	पदमकुमार पिता बसन्तीलाल	1951/ 12/1/2	4.640	0.00	9.12	9.12
4	डा. निर्मल जैन पिता बसन्तीलाल	1951/ 12/1/1	4.640	0.00	0.76	0.76
5	विक्रमसिंह सागरसिंह भरतसिंह भोजराज पुत्रगण रामनारायण लखनसिंह पिता कुर्वरलाल	1951/9 शा.न. 1951/10,11	4.640	0.00	19.07	19.07
6	डा. दीपचन्द्र सुराना पिता रतनलाल सुराना	1951/3/1	4.640	0.00	1.20	1.20
7	राजकुमार अर्जुनसिंह भीमसिंह महेन्द्रसिंह पिता बापुलाल	1951	4.640	0.00	8.10	8.10
8	अनिता पति मनमोहन यादव तलेन	1951	4.640	0.00	2.77	2.77
9	संदीपकुमार पिता बाबुलाल नेमा	1951	4.640	0.00	4.42	4.42
10	सौरभ,सपन नेमा पिता निरजन नेमा	1951	4.640	0.00	4.25	4.25
11	हेमलता पति कैलाश सोनानिया	1951	4.640	0.00	5.20	5.20
12	संगीता नेमा पति गौरीशंकर नेमा	1951/2/9582/1/2	4.640	0.00	7.38	7.38
13	हरिसिंह पिता चुन्नीलाल परमार मेहरखेडी	1951/2/9582/1 1	4.640	0.00	7.44	7.44
14	प्रहलादसिंह पिता बलदेव सिंह परमार	1951/2/9	4.640	0.00	7.36	7.36

15	माखनसिंह पिता लाडसिंह परमार पटलावदा	1951	4.640	0.00	4.64	4.64
16	मुन्नीदेवी पति आनन्दीलाल नेमा	1951/23/28 शान. 1951/26.1952/3	4.640	0.00	5.44	5.44
17	जसवंत सिंह, विक्रमसिंह पिता कन्हैयालाल मऊघाट	1951	4.640	0.00	5.49	5.49
18	हरिचरण पिता तखतसिंह	1951/23/24 शान. 1951/23.1952/3	4.640	0.00	4.96	4.96
19	लीलादेवी पति शादीलाल राठौर	1951	4.640	0.00	6.83	6.83
20	हरीश कुमार पिता जैनपाल जैन	1951	4.640	0.00	6.83	6.83
21	जेठु सिंह प्रेमसिंह पिता बापुसिंह	1951 शा.न.1952	4.640, 1.244	0.00	9.98	9.98
22	प्रकाशचन्द्र पिता शान्तीलाल अग्रवाल	1951/33 शान.1952/5	4.640, 1.244	0.00	8.09	8.09
23	रमेशचंद्र पिता भगवतराव देशमुख	1951 शा.न.1952	4.640, 1.244	0.00	25.24	25.24
24	दिलीप पाटीदार पिता बदीप्रसाद पाटीदार	1951/29/5	4.640	0.00	8.67	8.67
25	सरिता पति रामनारायण	1951	4.640	0.00	10.29	10.29
26	सन्तोष पति भागीरथ	1951/29/3 शान.1952/6	4.640, 1.244	0.00	16.10	16.10
कमलिया की भूमि						
27	जितेन्द्र रायकवार पिता मुन्नालाल रायकवार	208	0.125	3.36	0.00	3.36
28	सिद्धनाथसिंह पिता जगन्नाथसिंह राजपुत	208/4	0.125	3.72	0.00	3.72
29	सुगनदेवी पति बाबुलाल मालवीय	208	0.125	5.20	0.00	5.20
30	पारस पिता किशनलाल	208	0.125	4.36	0.00	4.36
31	शंकरलाल पिता नन्नेलाल	208	0.125	8.08	0.00	8.08
32	पारस पिता किशनलाल	208	0.125	13.20	0.00	13.20
शुजालपुर आबादी नम्बर						
33	जगदीश यादव पिता परमलाल	2617 आबादी शुजालपुर	1.506	14.84	0.00	14.84
34	मोहनलाल पिता जुगलकिशोर जाट	2617 आबादी शुजालपुर	1.506	0.00	3.33	3.33
35	मांगीलाल मदनलाल मोहनलाल पिता धनसिंह विश्वकर्मा	2617 आबादी शुजालपुर	1.506	12.80	0.00	12.80
सेंट्रल बैंक से पुलिस चौकी/रेल्वे फाटक की ओर कस्बा				0.00	0.00	0.00
36	नितीक पिता गोपाल नेमा	1964/1/50/2	1.195	0.00	3.72	3.72
37	शिवशंकर, ब्रजमोहन पिता जगन्नाथ नेमा	1960	4.640	0.00	4.34	4.34
38	बंसतीलाल गोपालदास पिता जगन्नाथ नेमा	1960	4.640	0.00	4.34	4.34
39	राजेश पिता राधेश्याम वर्मा	1960/2/5/1	0.009	0.00	8.28	8.28
40	योगेश शर्मा पिता ओमप्रकाश शर्मा	1960/2/5/2	4.640	0.00	3.41	3.41
41	राजकुमार, त्रिलोक पिता स्व.छोटेला नैमा	1960	4.640	0.00	5.27	5.27
42	गिरधारी, मोहनसिंह पिता रमेशचंद्र परमार	1960/2/8	4.640	0.00	8.39	8.39
43	देवेन्द्र जैन पिता मेघराज	1960/2/4	4.640	0.00	8.39	8.39
44	द्वारका अग्रवाल पिता बालमुकुन्द	1963/5	1.432	17.60	0.00	17.60
45	नवनीतसिंह, अर्पिता, अजमानी पिता जसवीरसिंह, बलवीरसिंह कौर बैवा जसवीरसिंह, सुरिन्दर सिंह पिता जोगेन्द्र सिंह	1963/4	1.432	0.00	27.84	27.84
46	ऋषि अग्रवाल पिता ओमप्रकाश	1964/3/1/2/1	4.640	0.00	2.59	2.59
47	सतीश जैन पिता ओमप्रकाश जैन	1964/3/1/2/2	4.640	0.00	2.59	2.59
48	विनोद अग्रवाल पिता हरविलाश	1964/2.1964/3	4.640	0.00	31.35	31.35
49	दादावाडी समिति	1964/5	4.640	0.00	22.70	22.70
50	गोविन्द प्रसाद पिता भैयालाल	1965	3.135	0.00	0.26	0.26
51	रमेश चन्द्र पिता भैयालाल	1965	3.135	0.00	0.26	0.26
योग:-				90.48	330.30	420.78

नोट-भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर/भू-अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऋजु बाफना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-848-भू-अर्जन-2026

देवास, दिनांक 12 मार्च 2026

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में भेसाखेडी तालाब योजना अंतर्गत निर्माण कार्य में आने वाली ग्राम रणायरकला तहसील टोकखुर्द जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे नम्बर भेसाखेडी तालाब योजना अंतर्गत निर्माण कार्य में आने वाली ग्राम रणायरकला तहसील टोकखुर्द जिला देवास के निर्माण में प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पैक्ट असेसेमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत घोषित किया जाता है। निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

ग्राम रणायरकला तहसील टोकखुर्द जिला देवास

क्रमांक	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा हे. में		
		सिंचित	असिंचित	योग
	तालाब निर्माण अंतर्गत	0.32 हे.	0	0.32 हे.

अनुसूची-2

रणायरकला तालाब योजना अन्तर्गत ग्राम रणायरकला के तहसील टोकखुर्द जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण।

ग्राम रणायरकला तहसील टोकखुर्द जिला देवास

क्रमांक	कृषक का नाम व पता	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1.	लाखनसिंह पिता मेहरवानसिंह धाकड	1458	0.40	0	0.40	0.03	0	0.03
2.	विजेन्द्रसिंह, अजय पिता हुकुमसिंह धाकड	1456	0.41	0	0.41	0.03	0	0.03
3.	दीपक, नवीन पिता छतरसिंह	1452	0.85	0	0.85	0.04	0	0.04
4.	हीरालाल पिता रामसिंह	1451	0.28	0	0.28	0.02	0	0.02
5.	सुमित्राबाई पति लाखनसिंह	1450/2 1449/2	0.22 0.06	0 0	0.22 0.06	0.02 0.02	0 0	0.02 0.02
6.	दुलेशिंह, रामेश्वर, रेखाबाई पिता विजयसिंह धाकड	1444 1445	0.61 0.45	0 0	0.61 0.45	0.03 0.03	0 0	0.03 0.03
7.	सजनबाई विधवा मनोहरसिंह, दारासिंह, राजकुमार, धनकुवर पिता मनोहरसिंह धाकड	1437/1	0.01	0	0.01	0.01	0	0.01
8.	निर्मला पति हिम्मतसिंह धाकड	1436 1437/2	0.22 0.39	0 0	0.22 0.39	0.02 0.05	0 0	0.02 0.05
9.	माखनदास पिता प्रहलाद बेरागी	1367	0.66	0	0.66	0.02	0	0.02

मध्य राज्यपाल के नाम से

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋतु राज, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरहसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 203-अ.वि.अ.—भू-अर्जन-2026-रा.मा.क्र.0035-अ-82-2024-25

नरसिंहपुर, दिनांक 18 मार्च 2026

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन बाँध जल संसाधन संभाग क्र. 01 चौरई, जिला-छिंदवाड़ा (म.प्र.) को शेर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना बाँध क्र. 03 के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि शेर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना बाँध क्र. 03 की पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्ताव क्रमांक IA/MP/RIV/515497/2024 पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 की उपधारा-2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

अनुसूची - 1

1. परियोजना का नाम शेर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना बाँध क्र. 03 निर्माण हेतु ।

2. भूमि का विवरण: -

1. जिला	: नरसिंहपुर
2. तहसील	: नरसिंहपुर
3. ग्राम	: जेरा
4. प.ह.न.	: 88
5. नं. बंदोबस्त	: 195
6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	: 58.610 हेक्टर.

अनुसूची - 2

क्र. सं.	खातेदार का नाम, पिता/पति का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में)	आर्जित रकबा (हे. में)	रिमार्क
1	हरप्रसाद पिता झुम्मा जाति गौड़ पता जेरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	3/2 (s)	0.202	0.202	
2	कुन्ताबाई बेवा धनीराम जाति गौड़ पता जेरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	5(s)	1.027	1.027	
3	टेकसिंह पिता संतराम तुलसीराम पिता संतराम जाति गौड़ पता जेरा नरसिंहपुर, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	6/1 (s)	0.809	0.809	
4	हरप्रसाद पिता झुम्मा जाति गौड़ पता जेरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	6/2 (s)	2.245	2.245	
5	धनसिंह पिता हरप्रसाद जाति गोड़ पता जेरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	6/3 (s)	1.619	1.619	
6	लालसिंह पिता हरप्रसाद जाति गोड़ पता जेरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	6/4 (s)	1.619	1.619	
7	चिरोँजाबाई बेवा रमेश कुमार, रोशनी पिता रमेश कुमार, सुजीत नाबालिग पिता रमेश कुमार, रंजीत नाबालिग पिता रमेश कुमार जाति गौड़ पता जेरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	6/5 (s)	1.619	1.619	

8	हल्कीबाई पत्नी हरप्रसाद जाति गोड़ पता जेरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	6/6 (s)	1.619	1.619	
9	झुनिया बाई बेवा रतनसिंह, कुंवरलाल पिता रतनसिंह, माहोबाई पिता रतनसिंह, भागवती बाई बेवा रतनसिंह, फूलकली पत्नी कुंजीलाल, बारेलाल पिता कुंजीलाल, दुर्गेश पिता कुंजीलाल, संगुताबाई पिता कुंजीलाल जाति गोड़ पता जेरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	7 (s)	1.769	1.769	
10	झुनिया बाई बेवा रतनसिंह, कुंवरलाल पिता रतनसिंह, माहोबाई पिता रतनसिंह, भागवती बाई बेवा रतनसिंह, फूलकली पत्नी कुंजीलाल, बारेलाल पिता कुंजीलाल, दुर्गेश पिता कुंजीलाल, संगुताबाई पिता कुंजीलाल जाति गोड़ पता जेरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	19/1 (s)	1.251	1.251	
	मिलन उर्फ जौहरी पिता रतिराम जाति गोड़ पता जेरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	19/2(s)	1.572	1.572	
12	शिबू पिता रतीराम जाति गोड़ पता जेरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	19/3(s)	1.571	1.571	
13	होमवती बाई पिता चनई जाति गौड़ पता जेरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	20/1(s)	0.240	0.240	
14	डब्लल सिंह पिता वटई जाति गौड़ पता जेरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	20/2(s)	0.319	0.319	

15	रामेश्वर पिता बलराम गोड़ ममताबाई पिता बलराम गोड़ जाति गोड़ पता जेरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	20/3(s)	0.321	0.321	
16	आरती पिता चनई जाति गोड़ पता जेरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	20/4(s)	0.240	0.240	
17	सुखराम पिता सददूलाल जाति गोंड पता जेरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	20/5(s)	0.239	0.239	
18	पार्वती पिता चनई जाति गोड़ पता जेरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	20/6(s)	0.240	0.240	
19	विरझू पिता बटई जाति गोड़ पता जेरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	20/7(s)	0.319	0.319	
20	तुलसीराम पिता संतराम जाति गोड़ पता जेरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	21/1(s)	1.297	1.297	
21	टेकसिंह पिता संतराम, तुलसीराम पिता संतराम जाति गोंड पता जेरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	21/2(s)	0.500	0.500	
22	मिट्ठीलाल पिता घसीटा जाति गोंड पता जेरा नरसिंहपुर, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	21/3(s)	2.000	2.000	
23	टेकसिंह पिता संतराम, तुलसीराम पिता संतराम जाति गोंड पता जेरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	21/4(s)	0.121	0.121	
24	टेकसिंह पिता संतराम जाति गोड़ पता जेरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	21/5(s)	0.809	0.809	

25	तुलसीराम पिता संतराम जाति गोड़ पता जेरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	21/6(s)	0.691	0.691	
26	डब्बल सिंह पिता वटई जाति गौड़ पता जेरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	23/1(s)	0.511	0.511	
27	रामेश्वर पिता बलराम गोड़, ममता बाई पिता बलराम गोड़ जाति गोड़ पता जेरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	23/2(s)	1.000	1.000	
28	विरझू पिता बटई जाति गोड़ पता जेरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	23/3(s)	0.512	0.512	
29	धन्नू पिता दलू जाति गौड़ पता रोहिया नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	24/1(s)	0.147	0.147	
30	सोबरन पिता अमरसिंह जाति गौड़ पता रोहिया नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	24/2(s)	0.221	0.221	
31	मुरारी पिता अमसिंह जाति गोड़ पता रोहिया नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	24/3(s)	0.222	0.222	
32	जुनारी पिता दलू जाति गोड़ पता रोहिया नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	24/4(s)	0.147	0.147	
33	बसोरी पिता दलू जाति गोड़ पता रोहिया नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	24/5(s)	0.147	0.147	
34	पंचम पिता गम्भीरा, हल्की बेवा गम्भीरा, फूला पिता गम्भीरा, मकई पिता गम्भीरा, मुन्नीवाई पिता गम्भीरा, हब्बो वाई पिता गम्भीरा जाति गौड़ पता जेरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	25/1(s)	2.922	2.922	
35	रामसिंह पिता मनसुख जाति गौड़ पता रोहिया नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	25/2/1(s)	0.135	0.135	

36	मानक सिंह पिता मनसुख जाति गौंड पता रोहिया नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	25/2/2(s)	0.135	0.135	
37	केहरसिंह पिता मनसुख जाति गौंड पता रोहिया नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	25/2/3(s)	0.135	0.135	
38	कुन्ताबाई बेवा धनीराम जाति गौंड पता जेरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	25/3(s)	0.486	0.486	
39	नेवालाल पिता धनीराम, खेमसिंह पिता धनीराम, जुनारोबाई पिता धनीराम, सुनीताबाई पिता धनीराम जाति गौंड पता रोहिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	26/1(s)	4.210	4.210	
40	हरप्रसाद पिता अनंदी जाति गौंड पता रोहिया नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	26/2(s)	0.809	0.809	
41	रामसिंह पिता मनसुख जाति गौंड पता रोहिया नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	27/1/1(s)	1.124	1.124	
42	मानक सिंह पिता मनसुख जाति गौंड पता रोहिया नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	27/1/2(s)	1.124	1.124	
43	केहरसिंह पिता मनसुख जाति गौंड पता रोहिया नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	27/1/3(s)	1.123	1.123	
44	धनीराम पिता आनंदी जाति गोड़ पता जेरा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	27/2(s)	0.837	0.837	
45	रामकलीबाई पत्नी तुलसीराम, गनपत पिता तुलसीराम, चम्पाबाई पिता तुलसीराम जाति गौंड पता जेरा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	27/3(s)	0.769	0.769	

46	राजेश कुमार पिता अन्तूलाल, भगवानदास पिता अन्तूलाल, चम्पोवाई पिता अन्तूलाल, लक्ष्मीवाई पिता अन्तूलाल, हल्की वार्ड पिता अन्तूलाल जाति गौंड पता जेरा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	50/2(s)	2.452	2.452	
47	दर्शन गौंड पिता नेतराम, रामेश्वर पिता नेतराम, कृष्णकुमार गौंड पिता नेतराम, मनकोबाई गौंड बेवा नेतराम, सोमनाथ गौंड पिता नेतराम जाति गौंड पता जेरा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	52/1(s)	0.610	0.610	
48	धन्नू पिता दलू जाति गौंड पता रोहिया नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	52/2(s) 53/1,54/1	0.321	0.321	
49	सोबरन पिता अमरसिंह जाति गौंड पता रोहिया नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	52/3 (s)	0.241	0.241	
50	कलीराम पिता रामगिर, मायाबाई पिता रामगिर, रामवती गौंड बेवा रामगिर जाति गौंड पता रोहिया नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	52/4(s)	0.611	0.611	
51	अन्नीलाल पिता मुलाम जाति गौंड पता जेरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	52/5(s)	0.611	0.611	
52	मिट्टू पिता मुलाम जाति गौंड पता जेरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	52/6(s)	0.610	0.610	
53	सुम्मी पिता मुलाम जाति गौंड पता जेरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	52/7(s)	0.610	0.610	
54	गेंदलाल पिता मुलाम जाति गौंड पता जेरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	52/8(s)	0.610	0.610	
55	कालीचरण पिता शिबू मुन्ना पिता शिबू जाति गोड़ पता रोहिया नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	52/9(s)	0.241	0.241	

56	कप्पू पिता अमरसिंह जाति गोड़ पता रोहिया नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	52/10(s)	0.241	0.241	
57	गुड्डू उर्फ संतराम पिता अमरसिंह जाति गोड़ पता रोहिया नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	52/11(s)	0.240	0.240	
58	जुनारी पिता दलू जाति गौड़ पता रोहिया नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	52/12(s) 53/2,54/2	0.321	0.321	
59	बसोरी पिता दलू जाति गोड़ पता रोहिया नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	52/13(s) 53/3,54/3	0.321	0.321	
60	सोबरन पिता अमरसिंह जाति गौड़ पता रोहिया नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	57/1(s)	0.081	0.081	
61	मुरारी पिता अमरसिंह जाति गोड़ पता रोहिया नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	57/2(s)	0.081	0.081	
62	सुमताबाई पत्नी गनेश जाति गौड़ पता रोहिया नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	59/1/1(s)	0.404	0.200	
63	बालमुकुंद पिता गनेश जाति गौड़ पता रोहिया नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	59/1/2(s)	0.405	0.050	
64	यशवंत पिता गनेश जाति गौड़ पता रोहिया नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	59/1/3(s)	0.405	0.130	
65	हरप्रसाद पिता अनंदी जाति गौड़ पता रोहिया नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	59/2(s)	1.254	1.254	
66	मंगलसिंह पिता वीरन, अमरसिंह पिता वीरन, श्रीलाल पिता वीरन, दसिया पिता वीरन, चमरीवाई पिता वीरन जाति गौड़ पता खापा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	60/1(s) 61/1,62/1 63/2	3.583	3.250	

67	अमरसिंह पिता वीरन जाति गौड़ पता जेरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	60/2(s) 61/2,62/2 63/3	2.000	2.000	
68	श्रीलाल पिता वीरन जाति गौड़ पता जेरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	60/3(s) 61/3,62/3, 63/4	2.000	1.350	
69	अशोककुमार पिता सोवरन सिंह जाति गौड़ पता जेरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	63/5(s)	0.882	0.650	
70	आशीष कुमार पिता सोवरन सिंह जाति गोड़ पता जेरा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	63/6(s)	0.882	0.350	
71	सुकराम पिता बाबूलाल जाति गोड़ पता जेरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	76/2(s)	1.933	0.200	
योग			62.924	58.610	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 'भोपाल दिनांक-एफ 16-15 (7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी (भू-अर्जन शाखा) कलेक्टर नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. 01 चौरई,

जिला-छिंदवाडा (म.प्र.) और उसके कर्मचारिवृं को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्रमांक-84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) अथवा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नरसिंहपुर में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नरसिंहपुर कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

क्र. 204-अ.वि.अ.—भू-अर्जन-2026—रा.मा.क्र.0033-अ-82-2024-25

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन बाँध जल संसाधन संभाग क्र. 01 चौरई, जिला-छिंदवाड़ा (म.प्र.) को शेर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना बाँध क्र. 03 के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि शेर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना बाँध क्र. 03 की पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्ताव क्रमांक IA/MP/RIV/515497/2024 पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 की उपधारा-2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

अनुसूची - 1

1. परियोजना का नाम शेर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना बाँध क्र. 03 निर्माण हेतु ।

2. भूमि का विवरण: —

1. जिला	: नरसिंहपुर
2. तहसील	: नरसिंहपुर
3. ग्राम	: घोघरा
4. प.ह.न.	: 88
5. नं. बंदोबस्त	: 158
6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	: 6.460 हेक्ट.

अनुसूची - 2

क्र. सं.	खातेदार का नाम, पिता/पति का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)	रिमार्क
1	प्यारे लाल पिता बाबूलाल जाति गौंड पता घोघरा, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	1(s)=0.534 2/1=0.285	0.819	0.514 0.040	
2	अमरसिंह पिता भैरो जाति गौंड पता घोघरा, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	26/3 (s) 30/3	2.000	0.250	
3	हुकमसिंह पिता भैरोप्रसाद जाति गौंड पता घोघरा, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	26/4 (s) 30/4	2.000	0.100	
4	हाकमसिंह पिता भैरो जाति गौंड पता घोघरा, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	26/5 (s) 30/5	2.000	0.040	
5	पूरन पिता पिता भैरो जाति गौंड पता घोघरा, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	26/6 (s) 30/6	2.000	0.100	
6	वीरन वल्द छिददा, गिरजाबाई, मीराबाई पिता छिददा जाति अहीर पता सा. देह भूमि स्वामी	29 (s)	4.739	1.300	
7	डोरीलाल पिता कंधई जाति गौंड पता घोघरा, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	45/1 (s)	1.619	0.300	
8	कंचेदीलाल पिता जंगल जाति अहीर पता घोघरा, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	47/1(s) 48/1	1.534	0.032	
9	सुकियाबाई बेवा पन्नालाल, देवीसिंह पिता पन्नालाल संतराम पिता पन्नालाल, जाति गौंड पता घोघरा, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	47/2 (s) 48/2	0.405	0.061	
10	लीलाधर पिता निहाल जाति लोधी पता चौराखेडा, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	47/3 (s) 48/3	0.809	0.170	
11	तुलसीराम पिता मंगलू जाति गौंड पता घोघरा, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	50/2 (s)	2.758	0.931	
12	देवसिंह पिता पन्नालाल जाति गौंड पता घोघरा, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	50/7 (s)	1.379	0.101	
13	संतराम पिता पन्नालाल, जाति गौंड पता घोघरा, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	50/8 (s)	1.379	0.208	
14	भागवती साहू पति टीकाराम साहू जाति तेली पता कटकुही नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	50/3 (s), 54/3	0.810	0.260	
15	कसई उर्फ कल्ला पिता नन्हे लाल जाति अहीर पता घोघरा, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	51 (s)	0.247	0.186	
16	आशीष पिता लक्ष्मीनायरायण जाति नेमा पता गांधीवाड नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	53/3 (s)	0.809	0.400	
17	सुकियाबाई बेवा पन्नालाल, देवी सिंह पिता पन्नालाल संतराम पिता पन्नालाल, जाति गौंड पता घोघरा, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	53/4 (s)	0.648	0.613	
18	लड्डू पिता कलुआ जाति गौंड पता घोघरा, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	69/2 (s)	0.489	0.100	
19	दशोदा यादव पत्नी मंगल जाति अहीर पता घोघरा नरसिंहपुर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	78/2	2.000	0.203	
20	कमलेश पिता नेमसिंह, घनश्याम पिता नेमसिंह, लक्ष्मीबाई पिता नेमसिंह जाति साहू पता घोघरा, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	83/1 (s)	0.060	0.060	
21	पार्वतीबाई साहू पति राकेश कुमार साहू जाति तेली पता घोघरा, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	83/2 (s)	0.363	0.061	

22	पीतमलाल पिता इमरतलाल जाति साहू पता घोघरा, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	83/3 (\$)	0.060	0.030	
23	झनकलाल पिता इमरतलाल जाति साहू पता घोघरा, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	83/4 (\$)	0.060	0.010	
24	रोशन वल्द कंधई जाति गौड पता सा. देह भूमि स्वामी	84 (\$)	1.902	0.350	
25	कमलाबाई पिता पडुपसिंह, जाति मेहरा पता घोघरा, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	87 (\$)	0.632	0.040	
	कुल योग		31.5	6.460	

सरल क्रमांक 01 में खसरा नं. 2/2 नक्शा एवं मौका स्थिति अनुसार अर्जित किया जा रहा है। किन्तु तकनीकी लिपिकीय त्रुटि खसरे में 2/2 के स्थान पर 2/1 अंकित है। इस कारण अधिसूचना में 2/1 का प्रकाशन किया जा रहा है। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नरसिंहपुर में त्रुटि सुधार का प्रकरण क्रमांक 0361/अ-6(अ)/2025-26 प्रचलित है। इसी प्रकार धारा 11 की अनुसूची के सरल क्रमांक 19 में ख0 न0 78 शासकीय घास भूदान से भोपाल मेहरा को वर्ष 1983-84 में ख0 न0 78/2 रकबा 2.000 हे० का पट्टा जारी किया गया था। उक्त भूमि विक्रय होने के कारण तहसीलदार नरसिंहपुर से जाँच प्रतिवेदन बुलाया गया। जो प्रतीक्षित है। आदेश उपरांत धारा 19 में अंतिम प्रकाशन कराया जायेगा।

अधिसूचना के सरल क्रमांक 2,3,4,5 के हितग्राहियों की भूमि खसरा नं. 26/3, 26/4, 26/5, 26/6 में से भूमि अर्जित हो रही है। खसरा नं. 30/3, 30/4, 30/5, 30/6 में से भूमि अर्जित नहीं हो रही है। अधिसूचना में शामिल नम्बर अंकित होने से प्रकाशन कराया जा रहा है।

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 'भोपाल दिनांक-एफ 16-15 (7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी (भू-अर्जन शाखा) कलेक्टर नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. 01 चौरई, जिला-छिंदवाड़ा (म.प्र.) और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने र. वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्रमांक-84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) अथवा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नरसिंहपुर में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नरसिंहपुर कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रजनी सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,